


कोरबा

विकास योजना



संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

प्रस्तावना

प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित कोरवा नगर, हसदेव नदी के किनारे एक औद्योगिक नगर के रूप में तीव्र गति से विकसित हो रहा है। प्राकृतिक खनिज संपदा से भरपूर यह क्षेत्र विकास की संभावनाओं को अपने आंचल में संजोये हुए है। कोयला, बाघसाइट एवं अन्य खनिज पदार्थों से भरपूर यह क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित है तथा विद्युत उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र है।

औद्योगीकरण के दुष्परिणामों से यह नगर अछूता नहीं है। कारखानों से जल और वायु प्रदूषित हुआ है। इनसे निरन्तर सख के कण धवा के साथ कार्बो डूर तक नगर में फैले रहते हैं। पर्यावरण की समस्या के अतिरिक्त आवास व्यवसायात् से उत्पन्न समस्याएँ तथा अन्य सेवा सुविधाओं की कमी भी है।

विभिन्न औद्योगिक इकाईयों ने जैसे - म.प्र. विद्युत मण्डल, नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन इत्यादि अपने-अपने क्षेत्राधिकार में छोटी-छोटी बस्तियों के रूप में नगर को विकसित किया है। लेकिन इन सभी का समन्वित योजना के अन्तर्गत विकास नहीं हुआ है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण नगरीय सुविधाओं, स्थानीय परिवहन, रहवासी मकानों की कमी आदि समस्याएँ भी उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं का समाधान करने हेतु यह आवश्यक है कि भूमि का उचित उपयोग एवं नियंत्रण रखा जाये जिससे कि नगर के सुधार के साथ परिस्थितिपूरक एवं संतुलित विकास हो सके।

नगर के संभावित विकास को दृष्टि में रखते हुए यह उपयुक्त समय है कि इसके लिए एक ऐसी विकास योजना बनाई जाये जिससे नगर विकास को सुनियोजित दिशा मिल सके और नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं नगरीय सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह विकास योजना तैयार कर राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग ने म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा १९ के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एच-१६(७)-८७-३२-१ दिनांक ४.३.१९९२ द्वारा अनुमोदित कर दिनांक ९.३.१९९२ से प्रभावशील की गयी है तथा इसमें प्रत्यक्ष किया गया है कि नगर की वर्तमान जनसंख्या के साथ-साथ संभावित भावी निवासियों को स्वच्छ वातावरण के अन्तर्गत आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध हो सके।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नगर के भावी विकास के लिए यह योजना वर्ष २००१ की अनुमानित जनसंख्या ४.०० लाख की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है जिसमें भूमि के उपयोग एवं विकास के प्रस्तावों के साथ-साथ पर्याप्त नगरीय अधोसंरचना एवं सुविधाओं के प्रस्ताव भी सूचित किए गए हैं ताकि विकास के अन्तर्गत ही नगरीय गतिविधियाँ सक्षम एवं सुचारु रूप से कार्यरत रह सकें।

इस विकास योजना के क्रियान्वयन के निःसंदेह नगर का समानुपातिक नियोजित विकास होगा। अतः योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वयन संस्थाओं के योगदान के साथ-साथ नगरवासियों का भी योगदान अनिवार्य है।

(के.के.सिंह)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश
मध्य प्रदेश भोपाल

कोरबा विकास योजना

योजना दल

के.जे.पहलाजानी	संयुक्त संचालक आर. के मुदलियार यू.सी.शाह	पी.व्ही.देशपांडे
एम.एन.परचूरे	उप संचालक डी.के. पंड रीपांडे जी.एस.केवलानी सहायक संचालक	एस.पी.हिजेला
बी.एन.त्रिपाठी	व्ही.पी.रमन	एस.एस.सगु जाहिद अली

कर्मचारी गण

बी. एन. सिंह	ए. के. मुकर्जी
आर.एस. राऊत	यू.एस.तिवारी
पी.डी. कुलकर्णी	एस.सी.ताम्रकार
एस.बी. देशपांडे	एन.लकड़ा
व्ही.एन.अकान्त	एन.व्ही.देशपांडे
के.के.कोरी	लीलम्मा सी
एल.सी. देवांगन	गंगाधर वड समुद्रकर
व्ही.के.श्रीवास्तव	पी.एस.बातव
एल.एल.कोष्टा	एन.के.शकवार
एच.आर.कुशवाहा	पयाम आजमी
एस.एस.जाम्भोलकर	एन.एस.श्रीरामे
एस.सी.पटेल	
व्ही.पी. त्रिपाठी	
बी.एल.रैकवार	
ए.पी.गोस्वामी	

कोरबा विकास योजना
योजना दल

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
अमरजीत सिंह गहरवार

वास्तुविद निवेष्टक
नरेशचंद्र नाकरा

उप नगर पालिक आयुक्त
रामेश्वर प्रसाद तिवारी

उप संपदा प्रबंधक
अशोक कुमार शर्मा

कार्यपालन अधिकारी
के. एल. रंगवानी

सहायक यंत्री
अरुण कुमार शर्मा

नगर पालिक निगम आयुक्त
आर.पी.सिंह

संपदा अधिकारी
अशोक कुमार शर्मा

सहायक यंत्री
अरुण कुमार शर्मा

कर्मचारी गण

गोपाल शरण शर्मा

सफी अहमद सिद्दीकी

मनहरणलाल शर्मा

भरतलाल पाण्डेय

गिरीश कुमार साहू

जगदीश प्रसाद बैसवाड़े

अभिस्वीकृति

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (23) सन् 1973) की धारा-64 की उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 जून, 1973 द्वारा गठित कोरबा विशेष क्षेत्र की विकास योजना दिनांक 9.3.1992 से प्रभावशील है। 74 वे संविधान संशोधन के क्रियान्वयन के अन्तर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा को राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-23-44/96/32-1/भोपाल, दिनांक 9.6.1998 द्वारा विघटित किया गया है तथा प्राधिकरण की समस्त आस्तियां एवं दायित्व नगर पालिक निगम कोरबा को सौंपी है।

जनसामान्य की मांग एवं कोरबा नगर के विकास की द्रुतगति को देखते हुए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक -एफ 16(7)-87-32-1 दिनांक 4.3.1992 द्वारा अनुमोदित एवं 9.3.1992 से प्रभावशील कोरबा विकास योजना का मुद्रण नगरपालिक निगम, कोरबा द्वारा कराया गया है।

इस विकास योजना के क्रियान्वयन में समस्त नगर वासियों के योगदान की मैं अपेक्षा करता हूँ।



(आर.पी.सिंह)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, कोरबा

विषय - सूची

1. प्रस्तावना
2. विषय सूची
3. चित्र सूची
4. सारणी सूची

भाग -1 समस्याओं का विश्लेषण

		पृष्ठ
अध्याय - 1	नगर परिचय एवं नगर का विकास	1-7
1.1	स्थिति	1
1.2	विशेष क्षेत्र	1
1.2-1	विकसित क्षेत्र	4
1.3	क्षेत्र में तुलनात्मक महत्व	4
1.4-1	भौतिक स्वरूप	4
1.4-2	प्राकृतिक जल निकास	4
1.5	जलवायु	4
1.5-1	तापमान	4
1.5-2	वर्षा	5
1.5-3	आर्द्रता	5
1.5-4	हवा की दशा	5
1.6	भूकम्पन	5
1.7	खनिज एवं गृह निर्माण सामग्री	5
1.8	ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं विकास का क्रम	5
1.8-1	कोयला खनन कार्य	6
1.8-2	कोरवा एल्युमिनियम परिवोजना	7
1.8-3	विद्युत निमित्त	7
1.9	आगामी कार्य	7
अध्याय- 2	परिस्थितिकीय अध्ययन	8-22
2.1	भौतिकी	9
2.2	भू-जल विज्ञान	11
2.3	भू-आकृति	11
2.4	मिट्टी	11
2.5	वनस्पति	12
2.6	भू-दृश्य	12
2.7	जलवायु एवं सूक्ष्म जलवायु	13
2.8	हवा की दिशा एवं वेग	15
2.9	वन्य प्राणी एवं पक्षी	17
2.10	दृश्य अनुभूति	17
2.11	कोयला खनिकर्म	18
2.12	ताप विद्युत उत्पादन	18
2.13	वायु प्रदूषण के प्रभाव	20
अध्याय - 3	जनसंख्या एवं नगर के कार्यकलाप	23 - 27
3.1	अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन	23
3.2	नगर की जनसंख्या में परिवर्तन	25
3.3	नगर के आर्थिक कार्यकलाप	26

	3.4	ग्रामों का वर्गीकरण	27
अध्याय - 4		भौतिक विकास एवं वर्तमान विकास का ढांचा	28 - 32
	4.1	भौतिक विकास की प्रवृत्ति	28
	4.2	भौतिक विकास की समस्याएँ	29
	4.3	भूमि उपयोग विश्लेषण	29
	4.4	असंगत भूमि उपयोग	31
	4.5	अक्षम भूमि उपयोग	32
अध्याय - 5		आवास	33 - 38
	5.1	आवासीय स्थिति	33
	5.2	गृह निर्माण गतिविधियाँ	36
	5.2-2	भूखंडों का विकास	37
अध्याय - 6		वाणिज्य एवं उद्योग	39 - 46
	6.1	वाणिज्यिक एवं बाजार क्षेत्र	39
	6.2	कार्यालय	41
	6.3	उद्योग	43
अध्याय - 7		यातायात एवं परिवहन	47 - 54
	7.1	औद्योगिक माल परिवहन	47
	7.2	क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था	48
	7.3	परिवहन संरचना	49
	7.4	यातायात निर्मित केन्द्र	49
	7.5	यातायात अवसान केन्द्र	49
	7.6	वाहनों के प्रकार	50
	7.7	यातायात की संभावनाएँ	50
	7.8	मार्गों का निदान सूचक सर्वेक्षण	54
अध्याय - 8		नगरीय सेवाएँ एवं सुविधाएँ	55 - 58
	8.1	जल प्रदाय	55
	8.2	मल निकास	55
	8.3	वर्षा के पानी की निकासी	55
	8.4	विद्युत प्रदाय	55
	8.5	स्वास्थ्य सुविधाएँ	57
	8.6	शिक्षा	57
	8.7	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएँ	57
	8.8	आमोद-प्रमोद	58
	8.9	अन्य सेवाएँ एवं सुविधाएँ	58
	8.10	दुग्धालय एवं पशु प्रजनन केन्द्र	58
अध्याय - 9		प्रदूषण	60 - 62
	9.1	वायु का प्रदूषण	60
	9.2	जल प्रदूषण	61
	9.3	प्रदूषित नियंत्रण के उपयोग	61
	9.4	पूर्व उपाय	62
अध्याय - 10		नगर के कार्यकलाप एवं भावी आवश्यकताएँ	63 - 69
	10.1	नगर के प्रमुख कार्यकलाप	63
	10.2	विकास योजना की कालावधि	63
	10.3	भावी जनसंख्या	64
	10.4	व्यावसायिक संरचना	64

10.5	व्यापार एवं वाणिज्य	65
10.6	उद्योग	66
10.7	नगरीय अधो संरचना	66
10.8	मकानों की आवश्यकता	67
10.9	आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता	68
10.10	सेवाएं एवं सुविधाएं	69
भाग - 2 प्रस्तावित योजना		
अध्याय - 11	योजना के उद्देश्य तथा लक्ष्य	71 - 72
11.1	उद्देश्य तथा लक्ष्य	71
11.2	मूलभूत विचार	72
11.3	नियोजन की अवधारणा	72
11.4	निवेश इकाईया	72
11.5	प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि की आबंटन	72
अध्याय - 12	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	77 - 81
12.1	परिभ्रमण योजना की अवधारणा	77
12.2	प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना	77
12.3	ग्रेड सेपेरेटेड क्रॉसिंग	81
12.4	सुविधाजनक मार्ग संगमों का विकास	81
12.5	अवसान केन्द्र (माल)	81
12.6	अवसान केन्द्र (यात्री)	81
अध्याय - 13	आवास एवं सुविधाएं	83 - 90
13.1	आवासीय परिक्षेत्र	83
13.2	जनसंख्या का विवरण	84
13.3	आवासीय परिक्षेत्र एवं नगरीय केन्द्र में संबंध	85
13.4	शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय आवास	86
13.5	गन्दी बस्ती एवं झोपड़ी वाले क्षेत्र	86
13.6	सेवाएं तथा सुविधाएं	87
13.7	आमोद प्रमोद	89
13.8	सड़कों के किनारे वृक्षारोपण	90
13.9	गलियारे	90
13.10	अन्य सेवाएं	90
अध्याय - 14	मुख्य कार्य केन्द्र	91 - 93
14.1	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	91
14.2	कार्यालय	93
14.3	औद्योगिक	93
अध्याय - 15	विकास योजना का कार्यान्वयन एवं प्रभावीकरण	94-110
15.1	वित्तीय आवश्यकता	94
15.2	विकास कार्यों की कुल अनुमानित लागत	95
15.3	प्रथम चरण का कार्यक्रम	96
15.4	योजना कार्यान्वयन हेतु वित्तीय साधन	99
15.5	परिक्षेत्रिक नियमन	101
15.6	प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु नियमन	106
15.7	वर्तमान अनाधिकृत कालोनियों हेतु नियमन	108
15.8	पार्किंग के स्थान	109
15.9	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	110

सारणी - सूची

सारणी क्रमांक	सारणी का नाम	पृष्ठ
1.0	कोरवा विशेष क्षेत्र	2
1.1	कोयला निष्कर्ष	6
2.0	खण्डों के अनुसार खदानों का विवरण	10
2.1	जलवायु तत्वों के मूल्य	14
2.2	हवा की दिशा के अनुसार विवरण	15
2.3	हवा की दिशा एवं वेग	16
2.4	वायु का वेग एवं उसके भौतिक परिणाम	17
2.5	हवा का संघात, स्वरूप तथा उसका गुणात्मक मूल्यांकन	19
3.0	जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि	23
3.1	अध्ययन क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या	24
3.2	जनसंख्या वृद्धि	25
3.3	स्त्री- पुरूष अनुपात	25
3.4	व्यावसायिक ढाँचा	26
4.0	भूमि संसाधन	29
4.1	वर्तमान भूमि उपयोग	30
4.2	तुलनात्मक भूमि उपयोग	31
4.3	असंगत भूमि उपयोग	32
5.0	आवासीय घनत्व	33
5.1	आवासीय घनत्व की रचना	34
5.2	आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण	34
5.3	झुग्गी झोपड़ी एवं गन्दी बस्तियां	36
5.4	शासकीय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित मकानों का विवरण	37
5.5	भूखंडों का विकास	38
6.0	विशिष्ट बाजार	39
6.1	नगर में फुट पाथ एवं गुमटियों पर स्थित दुकानों का विवरण	40
6.2	दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	41
6.3	कार्यालयों की सूची	41
6.4	स्थान के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का संख्या	42
6.5	किराये के भवनों में स्थित कार्यालय	43
6.6	पंजीयक इकाइयों तथा रोजगार में वृद्धि	43
6.7	100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाले उद्योगों का विवरण	44
6.8	असंगत औद्योगिक इकाइयां	45
6.9	औद्योगिक इकाइयों द्वारा उपयोग में लाई जा रही भूमि	45
6.10	अन्य उद्योगों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे स्थानों का विवरण	46
7.00	प्रति दिन बसों की संख्या	48
7.1	ट्रकों की संख्या (प्रतिदिन)	48
7.2	तीव्र गति वाहनों की संख्या वृद्धि	50
7.3	सर्वाधिक यातायात प्रहर की यातायात मात्रा	50
7.4	मार्ग पर ट्रक यातायात	52
7.5	यातायात घनत्व एवं मार्गों की क्षमता	52
7.6	किसी स्थान पर अधिकतम रूप से पार्क किये गये वाहनों की संख्या	53

सारणी क्रमांक	सारणी का नाम	पृष्ठ
7.7	मार्गों का निदान सूचक सर्वेक्षण	54
8.0	स्वास्थ्य सुविधायें	56
8.1	अन्य सेवाएं एवं सुविधाएं	58
8.2	जनसंख्या की तुलना में नगर में स्थित संस्थाएं	59
10.0	आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या 2001	64
10.1	अनुमानित श्रमिक 2001	65
10.2	व्यापार एवं वाणिज्य हेतु भूमि की आवश्यकता	66
10.3	विभिन्न उद्योगों हेतु प्रावधानित क्षेत्र	67
10.4	तीव्र गति वाहनों का अनुमान	67
10.5	प्रक्षेपित कुटुम्ब आकार एवं आवसीय आवश्यकता	68
10.6	आवासों के प्रकार (आवश्यकतानुसार)	68
10.7	सेवा एवं सुविधाओं हेतु मानदण्ड	69
11.0	निवेश इकाई के अनुसार भूमि उपयोग विवरण	74
11.1	निवेश इकाई के अनुसार भूमि उपयोग का आबंटन	75
11.2	भूमि उपयोग पुनः स्थापन एवं खाली की गई भूमि का विकास	76
12.0	कार्य केन्द्रों को जोड़ने वाले कड़ी मार्ग	80
12.1	क्षेत्रीय मार्गों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई	80
12.2	प्रस्तावित मुख्य मार्ग	80
13.0	आवासीय परिक्षेत्र	84
13.1	जनसंख्या एवं क्षेत्रों का विवरण	85
13.2	नगर नियंत्रण क्षेत्र	85
13.3	परिक्षेत्रों के अनुसार आवासीय घनत्व	85
13.4	आयु वर्गानुसार क्षेत्र तथा जनसंख्या का विवरण	86
13.5	गन्दी बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र	86
13.6	स्वास्थ्य सुविधायें	87
13.7	प्रस्तावित महाविद्यालय	88
13.8	प्रस्तावित शिक्षा सुविधाएं	88
14.0	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र	91
15.0	योजना कार्यान्वयन की लागत	95
15.1	योजना कार्यान्वयन की प्रथम चरण की लागत	98
15.2	विकास योजना कार्यान्वयन के प्रथम चरण में आय	100
15.3	प्रथम चरण विकास कार्यक्रम धन प्रवाह	100
15.4	एकीकृत एवं स्वीकार्य भूमि उपयोग	102
15.5	आवासीय विकास हेतु भूखण्डों का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	104
15.6	घने आवादी क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई	105
15.7	निर्मित क्षेत्रों में गलियों हेतु निर्धारित चौड़ाई	105
15.8	वर्तमान में निर्मित क्षेत्र में रिक्त भूमि के विकास के लिये मार्ग चौड़ाई	105
15.9	भूखंड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र	106
15.10	सेट बैक (आवासीय) फर्शी क्षेत्र अनुपात (आवासीय)	107
15.11	पार्किंग क्षेत्र	110
15.12	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	110

क्रमांक	चित्र सूची	पृष्ठ
	विषय सामग्री	
1.	निवेश क्षेत्र	2 अ
2.	बसाहट	4 अ
3.	प्राकृतिक जल निकासी	4 अ
4.	तापमान विभिन्नता	4 अ
5.	भौमिक संघारणा	10 अ
6.	कोयला खनिज क्षेत्र	12 अ
7.	प्रमुख वायु दिशा	18 अ
8.	जनसंख्या प्रवृत्ति	26 अ
9.	भूमि श्रोत	30 अ
10.	भूमि उपयोग	32 अ
11.	वर्तमान भूमि उपयोग	33
12.	आवासीय स्थिति	34
13.	आवासीय घनत्व	35
14.	आवासीय गतिविधि	36 अ
	मुख्य कार्य केन्द्र	
15.	भूखण्डों का विकास	38 अ
16.	कार्यालय एवं रोजगार	42 अ
17.	उद्योगों के विकास सूचक	46 अ
18.	क्षेत्रीय यातायात (बसें)	50 अ
19.	क्षेत्रीय यातायात (ट्रकें)	48 अ
20.	यातायात संरचना	50 अ
21.	तीव्रगति वाहन उपनति	50 अ
22.	यातायात आयतन	
23.	यातायात समस्याएं	52 अ
24.	यातायात दुर्घटनाएं	52 ब
25.	दुर्घटना स्थल	52 स
26.	सेवाएं एवं सुविधायें	56 अ
27.	नगरीय व्यवसायिक संरचना	64 अ
28.	योजना अवधारणा	70 अ
29.	निवेश इकाइयां	
30.	सामान्य भूमि उपयोग	72 अ
31.	विकास योजना प्रारूप	
32.	परिभ्रमण अवधारणा	76 अ
33.	प्रस्तावित यातायात संरचना	76 अ
34.	मार्गों का तिर्यक छेद	78 अ
35.	यातायात तंत्र एवं सुविधा	80 अ
36.	प्रस्तावित मुख्य कार्य केन्द्र	
37.	वाणिज्यिक एवं औद्योगिक	88 अ
38.	प्रथम चरण	

अध्याय - 1

नगर परिचय एवं नगर का विकास

सन् 1941 में 2240 आबादी वाला कोरवा ग्राम पिछले दशकों में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरा है। इस नगर के आसपास के क्षेत्र में कोयला एवं उद्योगों हेतु अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होने से यहां एल्युमिनियम संयंत्र, खाद कारखाना, ताप विद्युत गृह आदि बड़े कारखाने स्थापित हुए। आज यह नगर न केवल मध्यप्रदेश का अपितु पूरे देश का महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है।

इस नगर में औद्योगिक विकास हेतु प्रचुर संभावनाएँ हैं। अतः इस औद्योगिक नगर की विकास योजना बनाने समय औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान देना होगा।

1.1 स्थिति :

यह नगर बिलासपुर जिले के कट घोरा तहसील में स्थित है। यह नगर हसदेव एवं अहिरन नदियों के संगम के रमणीय स्थान पर स्थित है। यह 22 डि. - 20 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 82 डि. - 42 अंश पूर्वी देशान्तर रेखा पर स्थित है। इसकी समुद्र सतह से ऊँचाई 304.8 मीटर है। यह नगर हावड़ा-नागपुर-बंबई दक्षिण-पूर्व प्रमुख रेल मार्ग पर स्थित चांपा जंक्शन से रेल एवं सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इस नगर से कोल इंडिया लिमिटेड का कलकत्ता मुख्यालय 666 कि.मी. की दूरी पर तथा दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र का मुख्यालय बिलासपुर 120 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

यह नगर संभागीय एवं जिला मुख्यालय बिलासपुर से चांपा मार्ग से एवं रतनपुर-पाली-कट घोरा सड़क मार्गों से पूरे साल सुविधाजनक रूप से जुड़ा रहता है। इस नगर में यद्यपि एक हवाई-पट्टी उपलब्ध है तथापि इस नगर हेतु कोई नियममि हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है।

1.2 विशेष क्षेत्र :

नगर के सामान्य विकास प्रक्रिया में ग्रामीण आबादी का कुल हिस्सा संतत नगरीय आबादी में विलीन होता रहता है। अतः इन ग्रामीण तथा आसपास के क्षेत्रों के विकास पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि नगरीय क्षेत्र के अनुरूप उसका विकास हो सके। ग्रामीण लोगों के रहन-सहन पर नगरीकरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से विशेषतौर पर नगर सीमा पर स्थित ग्रामीण क्षेत्र पर दिखाई देता है। अव्यवस्थित विकास पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 64(3अ) के अधीन अधिसूचना क्रमांक 3065/2244/ बत्तीस दिनांक 3.8.78 द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है। अधिनियम के अन्तर्गत इस क्षेत्र की सीमाएँ निम्नानुसार परिभाषित हैं :

अनुसूची

विशेष क्षेत्र की सीमाएँ

उत्तर में : ग्राम दोंदरो, रोगबहरी, जामबहार, जेल, स्याहीमुड़ी, गोपालपुर, चोरभट्टी बरेड़ीमुड़ा तथा ग्राम डु मरमुड़ा की उत्तरी सीमा तक।

पश्चिम में : ग्राम गजरा, मोंगरा, पुरेना, मड़वाढोड़ा तथा कुसमुंडा की पश्चिमी सीमा तक।

दक्षिण में : ग्राम कोसमंदा, नरईबोध, गेवरा, चुरेल, रिसदी, पाली, पंडनिया, खैरभौना, सोनपुरी, बरबसपुर, कुरुडीह तथा पंड रीपानी की दक्षिणी सीमा तक।

पूर्व में : ग्राम कुरुडीह, पंड रीपानी, नकटीखार, भुलसीडीह, केसला तथा डू मरडीह की पूर्वी सीमा तक।

विशेष क्षेत्र में कुल 284.56 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र सम्मिलित है। (कोरवा ग्राम पंचायत क्षेत्र सहित) विशेष क्षेत्र में शामिल विभिन्न ग्रामों के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित सारणी में दी गई है।

कोरबा विशेष क्षेत्र

सारणी 1.0

अनु क्र.	नगर /ग्राम का नाम	क्षेत्र हेक्टरों में	जनसंख्या वर्ष 1981
1.	2.	3.	4.
1.	अ) कोरबा नगर	1722.78	83423
	ब) बांकी	298.19	1707
2.	दोंदरो	996.95	1733
3.	गजरा	387.20	6519
4.	घोरदेवा	307.92	3739
5.	कोहड़िया	593.14	शहरी आबादी में शामिल
6.	मोंगरा	516.67	6625
7.	नगोईखार	151.78	2927
8.	पाढ़ीमार	352.40	शहरी आबादी में शामिल
9.	रामपुर	115.71	..
10.	रिसदा	966.58	2066
11.	सुराकछार	303.45	310
12.	विश्रामपुर	320.44	151
13.	अगारखार	280.79	1508
14.	भुलसीडीह	262.99	519
15.	बरबसपुर	283.22	599
16.	भिलाईखुर्द	533.67	1093
17.	बलगीखार	311.13	427
18.	बरेडीमुड़ा	248.42	452
19.	भैरोताल	436.98	6395
20.	बरपाली	346.76	1116
21.	बरमपुर	98.32	649
22.	बरकुटा	150.52	99
23.	चारपारा	561.55	2727
24.	चुरेल	119.36	240
25.	चन्द्रनगर	150.92	403
26.	चोरभट्टी	280.85	339
27.	डू मरडीह	174.39	364
28.	दादरखुर्द	569.27	4248
29.	ढे लवाडीह	228.60	317
30.	ड गनियांखार	402.98	587
31.	दरिखार	219.70	3865
32.	डू मरमूड़ा	179.24	636
33.	दुरपा	675.28	2134
34.	दुल्लापुर	50.58	153

क्र. सं.	नगर /ग्राम का नाम	क्षेत्र हेक्टरों में	जनसंख्या वर्ष 1981
1.	2.	3.	4.
35.	गेरवा	692.27	3553
36.	गोपालपुर	523.15	823
37.	गेवरा	874.77	2039
38.	घाट मुड़ा	259.77	303
39.	जामबहार	283.62	601
40.	जेल	669.21	5471
41.	जमनीपाली	182.07	569
42.	जरहाजेल	171.57	725
43.	झगरहा	116.12	196
44.	केसला	1829.60	449
45.	खरमोरा	224.15	506
46.	कुदरी	216.87	425
47.	कुरुडीह	577.37	695
48.	कुमगरी	265.82	1613
49.	केन्दईखार	237.10	482
50.	कुचेना	343.52	872
51.	खोड री	120.98	193
52.	खैरभौना	199.48	410
53.	कोसमुन्डा	668.82	928
54.	खम्हरिया	186.10	1147
55.	लाटा	249.23	537
56.	मड़वाढोडा	527.21	867
57.	मनगांव	258.96	566
58.	नकटीखार	309.52	850
59.	नरईबोद	259.77	938
60.	पंड रीपानी	543.96	679
61.	पुरैना	245.99	554
62.	पाली	131.50	546
63.	पड़निया	249.65	505
64.	रुमगरा	681.34	2102
65.	रिसदी	408.24	727
66.	रापाखार	90.63	153
67.	रोगबहरी	483.91	496
68.	रोहिना	178.04	278
69.	रिसदी	160.36	359
70.	स्याहीमुड़ी	345.93	552
71.	सेमीपाली	153.75	432
72.	सुमेधा	663.14	1526

अनु क्र.	नगर /ग्राम का नाम	क्षेत्र हेक्टरों में	जनसंख्या वर्ष 1981
1.	2.	3.	4.
73.	सोनपुरी	294.97	439
74.	टंगामार	71.21	2409
	योग	28456.35	1,75,691

स्रोत - जनगणना प्रतिवेदन 1971 एवं 1981

1.2-1. विकसित क्षेत्र :

विकसित क्षेत्र में विभिन्न उपयोगों हेतु उपयोग में आने वाले पृथक क्षेत्रों के अलावा अनवरत टुकड़ों में विकसित भूमि भी शामिल है। कुल विकसित भूमि 2666.78 हेक्टर है।

1.3 क्षेत्र में तुलनात्मक महत्व :

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा "4" के अधीन अधिसूचित नान-फेरस मिनरल रिसोर्स क्षेत्र का कोरबा सबसे बड़ा औद्योगिक समूह है। इस क्षेत्र में बिलासपुर, सरगुजा, शहडोल एवं सीधी जिले शामिल हैं। कोयले पर आधारित अन्य प्रमुख औद्योगिक समूह सीधी जिले में सिंगरीली में स्थापित हो रहा है। जहां तक विद्युत शक्ति के उत्पादन का प्रश्न है, ये दोनों उद्योग समूह औद्योगिक विकास की रीढ़ सिद्ध होंगे। जहां तक कोरबा का प्रश्न है, इसका विशेष रूप से इस प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र पर प्रभाव दृष्टि गोचर होगा। यदि नगरीय एवं ग्रामीण आबादियों के बीच भौतिक कड़ियां उपयुक्त रूप से विकसित की जाये तो नगर के औद्योगिक विकास की संभावना का इस क्षेत्र के विकास हेतु उपयोग किया जा सकेगा। वर्तमान में भौतिक कड़ियों के फलस्वरूप जो आर्थिक कड़ियां निर्मित हुई है, वे पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हैं। अतः इस क्षेत्र हेतु विकास योजना तैयार करते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

1.4-1. भौतिक स्वरूप :

पूर्व में परिभाषित विशेष क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र के पूर्वी पटार पर स्थित है। इस क्षेत्र का ढाल सामान्य रूप से दक्षिण की ओर है।

1.4.2 प्राकृतिक जल निकास :

यह विशेष क्षेत्र हसदेव नदी अपवाह क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र से प्रवाहित ढेंगुर एवं बेलगिरी नालों में स्वतंत्र रूप से विकसित 5 वस्तियों का प्रवाह मिलता है जो आगे चलकर हसदेव नदी में मिल जाता है। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा बालको एल्युमिनियम संयंत्र द्वारा निर्मित अपशिष्ट ढेंगुर एवं बेलगिरी नालों में छोड़ा जाता है, जबकि अन्य उद्योगों द्वारा निर्मित अपशिष्ट सीधे अहिरन तथा हसदेव नदियों में प्रवाहित होते रहता है। इससे नदी का जल प्रवाह प्रदूषित हुआ है, जिसके कारण दक्षिणी प्रवाह का पानी पीने योग्य नहीं रह पाता।

अतः उपरोक्त 5 ईकाईयों के जल निकास को एकीकृत रूप से विकसित करना आवश्यक है, ताकि औद्योगिक अपशिष्ट को सुचारु रूप से उपचारित करने के पश्चात ही हसदेव नदी में छोड़ा जाय। इस प्रदूषण से विशेष रूप से चांपा नगर तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं।

1.5 जलवायु :


इस क्षेत्र में ग्रीष्म काल में तेज धूप तथा वर्षा काल में दक्षिण-पश्चिमी मानसून से भारी वर्षा होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले घटकों का विस्तृत विश्लेषण अगले अध्याय में किया गया है, तथापि क्षेत्र की जलवायु संबंधित प्रमुख विशेषतायें नीचे प्रस्तुत है -








1.5.1 तापमान :


तापमान में विचलन के अध्ययन से यह पता चलता है कि नगर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 47.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मीसम के सबसे गर्म एवं शीत

कोरबा

३-२ बसाहट





-  नगरीय केन्द्र
-  २०००से अधिक आबादी वाले ग्राम
-  वन
-  राष्ट्रीय राज मार्ग
-  राज्य मार्ग
-  रेलवे लाइन
-  नदी



कोरबा


प्राकृतिक जल निकासी



को र बा

तापमान विभिन्नता

(से. ग्रे. में)



--- औसत अधिकतम तापमान
 — औसत न्यूनतम तापमान

मई एवं जनवरी है। उच्चतम तापमान को देखते हुए यह आवश्यक है कि नगर का नियोजन करते समय साधारण सन्तुलित वातावरण के साथ-साथ खुले स्थानों हेतु पर्याप्त प्रावधान रखा जाय।

1.5-2 वर्षा :

यह नगर राज्य के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में स्थित है। वर्षा के आकड़ों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि नगर में प्रतिवर्ष लगभग 1420 मि.मी. वर्षा होती है। दिनांक 26 जुलाई 1974 को 24 घंटों में 347.2 मि.मी. अधिकतम वर्षा दर्ज की गई थी। वर्षा जुलाई से सितम्बर तक होती है।

1.5-3 आर्द्रता :

दक्षिण - पश्चिम मानसून के समय तुलनात्मक रूप से हवा में अधिक आर्द्रता पाई जाती है। जुलाई में अधिकतम आर्द्रता 84 प्रतिशत तक होती है, जबकि अप्रैल माह में न्यूनतम आर्द्रता 28 प्रतिशत से कम होती है।

1.5.4 हवा की दिशा :

नगर में जून से अप्रैल एवं अक्टूबर से दिसम्बर तक प्रमुख रूप से हवा की दिशा उत्तर - दक्षिण रहती है। जबकि मई से सितम्बर तक यह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर रहती है। हवा का वेग लगभग 10 कि.मी. प्रति घंटा होता है।

1.6 भूकम्पन :

यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कवच क्षेत्र में स्थित है, जिससे यह क्षेत्र देश के प्रमुख भूकम्पीय पट्टी से बाहर है। जब कभी आसपास के क्षेत्रों के बाहर भूकम्प आता है, तो इस क्षेत्र में कभी-कभी हल्का भूकम्प होता है।

1.7 खनिज एवं गृह निर्माण सामग्री :

(अ) खनिज :

कोयला, बाक्साइट, अभ्रक, पत्थर एवं अन्य अलौह खनिजों की दृष्टि से कोरवा समृद्ध है। यह अनुमानित है कि इस क्षेत्र से 100 करोड़ टन से अधिक कोयला प्राप्त हो सकता है। इस क्षेत्र का कोयला न केवल यहाँ स्थित उद्योगों हेतु उपयोग में लाया जाता है, अपितु भिलाई नगर में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र एवं देश के अन्य भाग में स्थित उद्योगों के लिये भी भेजा जाता है। कोयला से लगभग 38 कि.मी. दूरी पर स्थित फुट का पहाड़ क्षेत्र से बाक्साइट निकाला जाता है जो बालको संयंत्र में उपयोग होता है।

(ब) भवन निर्माण सामग्री :

इस क्षेत्र में स्थित मिट्टी में रेतयुक्त मुरुम का अनुपात अधिक होने से इससे ईंटों के निर्माण में कठिनाई होती है। इस कारण यहाँ केवल दूसरे एवं तीसरे दर्जे की ईंटें निर्मित हो सकती हैं। इस क्षेत्र में रेत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसे हसदेव नदी के पश्चिमी निकारे पर एकत्र कर बड़े ढेर बनाये जाते हैं। भूमिगत खानों से कोयला निकालने के पश्चात् भूस्खलन रोकने हेतु इस रेत को द्रव चालित पद्धति से खानों में भरा जाता है। पत्थर एवं मुरुम कोथारी खदान एवं आसपास के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। मानिकपुर के समीप स्थित खुली खान से भी पत्थर एवं मुरुम प्राप्त होता है।

1.8 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि एवं विकास का क्रम :

इस क्षेत्र के "कोरवा" जाति के लोगों से इस नगर को "कोरवा" नाम प्राप्त हुआ है जो एक ग्रामीण आबादी वाला स्थान था। विद्युत उत्पादन हेतु कोयला आवश्यक सामग्री होने से तथा यहाँ से खनिज का विद्युत उत्पादन हेतु लंबी अवधि तक उपलब्ध रहने की संभावना को देखते हुये यह क्षेत्र कोयले निकासी हेतु चुना गया है। वर्तमान में नगर में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड तथा इन्डो बर्मा पेट्रोलियम लिमिटेड के विस्फोटक संयंत्र स्थापित होने से कोयला उत्पादन का महत्व बढ़ा है।

नगर में उद्योग समूह एवं विद्युत उत्पादन इकाइयाँ लगाते समय जितना ध्यान उत्पादकता की ओर दिया गया, उतना आवास एवं सार्वजनिक सेवा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नहीं दिया गया। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करते समय लोगों के स्वास्थ्य पर परिस्थितियाँ निर्मित करने की दृष्टि से वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये।

नगर के एकीकृत नगरीय विकास हेतु भी कोई प्रयास पहले नहीं किये गये तथापि अब भी अव्यवस्थित विकास को एकीकृत तरीके से सुनियोजित किया जा सकता है। यदि इस बात पर तुरन्त ध्यान नहीं दिया जाता तो इसके हानिकारक परिणाम निकल सकते हैं। नगर के वर्तमान समस्याओं का विश्लेषण करने के पूर्व नगर में स्थित खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में विचार करना आवश्यक है। इस संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत है :-

1.8.1 कोयला खनन कार्य :

(अ) निक्षेप एवं उत्पादन :

कोरबा का कोयला खदान क्षेत्र लगभग 512 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पर फैला हुआ है तथा इसमें 200 करोड़ टन कोयले का प्रमाणित निक्षेप स्थित है। इसके अलावा इतनी ही मात्रा में निम्न श्रेणी कोयला निक्षेप अनुमानित है। कोरबा में दो अलग-अलग कोयला संस्तर स्थित है। निचले घोरदेवा संस्तर में ऊँचे दर्जे का कोयला पाया जाता है, जिसमें 0.9 से 3.5 मीटर चौड़ी परतें पाई जाती है। जबकि ऊपरी जलराज संस्तर में दो परतें पावर ग्रेड कोयले की प्राप्त होती है। इन परतों की मोट आई 10 से 58 मीटर पाई जाती है। इस नगर में मानिकपुर, बांकी, सुराकछार, रजगामार, कुसमुण्ड I, गेवरा, बलगी एवं दीपका आदि में खनन इकाईयाँ कार्यरत है। कुसमुण्ड I एवं गेवरा इकाईयों को प्रमुखतः सुपर थर्मल पावर प्लांट के आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रारंभ किया गया था। कुसमुण्ड I खान सन् 1979-80 में प्रारंभ की गई थी तथा 60 लाख टन का निर्धारित लक्ष्य सन् 1987-88 में पूर्ण होने की संभावना है। दो ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना में विलम्ब हो जाने से सन् 1985-86 में गेवरा, खान का उत्पादन 33 लाख टन हुआ जबकि अनुमानित लक्ष्य केवल 25 लाख टन था। सन् 1971-80 तक की कालावधि में उत्पादन 30 से 35 लाख टन पर स्थिर रहा। लेकिन ओपन कास्ट माईनिंग प्रारंभ हो जाने पर उत्पादन में 115 लाख टन तक की वृद्धि हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि देश में कोयले के ओपन कास्ट माईनिंग में कोरबा का क्षेत्र लगभग 90 प्रतिशत है।

(ब) कोयले के खनन का अधिकार :

भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रमुखतः कोयले का उत्खनन कार्य सम्पन्न किया जाता है। कोयले के उत्खनन में कोरबा स्थित कोयले की खदानों का महत्वपूर्ण स्थान है, यह बात निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :

सारणी - 1.1

कोरबा - कोयला - निष्कर्षण

क्र.	विवरण	80-81	84-85	89-90 (प्रस्तावित)
(अ)	निष्कर्षण (लाख टन)			
1.	कोरबा क्षेत्र	38.9	110.0	200.00
2.	कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कुल निष्कासित उत्पादन	114.3	1310.0	2060.0
(ब)	सम्पूर्ण क्षेत्र में कोरबा क्षेत्र का प्रतिशत	3.38	8.40	9.71

स्त्रोत : कोल इंडिया लिमिटेड

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सन् 89-90 में निर्धारित उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत निष्कर्षण कोरबा क्षेत्र से होगा।

(स) अनुमानित पूंजी निवेश :

कोरबा क्षेत्र हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का चरम पूंजी निवेश लगभग 582 करोड़ रुपये है। इससे 230 लाख टन उत्पादन क्षमता अनुमानित है। कोयले के निष्कर्षण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं में से गेवरा परियोजना को विश्व बैंक द्वारा पूंजी उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

1.8.2 कोरबा एल्युमिनियम परियोजना :

कोरबा एल्युमिनियम परियोजना का कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में इस प्रकार का प्रथम कारखाना है तथा इसमें 338 करोड़ रुपये पूंजी निवेश किया गया है। इसकी निर्धारित क्षमता प्राप्त हो चुकी है तथा आगे विस्तार की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। कोरबा एल्युमिनियम समूह में बाक्साइड का खनिकर्म एल्युमिना संयंत्र, प्रचालक संयंत्र एवं गढ़न संयंत्र आदि इकाईयाँ सम्मिलित है। ये सारी इकाईयाँ एल्युमिनियम परियोजना में जोड़ी गई है। इस संयंत्र में प्रतिवर्ष 2 लाख टन एल्युमिना तैयार होता है जो बाद में प्रचालक संयंत्र को भेजा जाता है, उसे विद्युत अपघटन पद्धति से 1 लाख टन एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है। अंतिम चरण में गढ़न संयंत्र द्वारा बड़ी मात्रा में एल्युमिनियम उपयोग में लाने वाली गतिविधियों हेतु (जैसे विद्युत वितरण एवं संचरण, परिवहन, धरेलू बर्तन बनाने वाली इकाईयाँ आदि) एक लाख टन एल्युमिनियम के टुकड़े स्वीकार्य आकारों में बनाये जाते हैं।

1.8.3 विद्युत निमित्त :

भारत में सुपर थर्मल पावर परियोजनाएँ प्रारंभ करने की दिशा में नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उपक्रम है। इस कार्पोरेशन द्वारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्थापना एवं प्रचालन का कार्य किया गया है। वर्तमान में इस संस्था द्वारा देश में 7 विद्युत संयंत्र लगाये जा रहे हैं। कोरबा में स्थित ताप विद्युत संयंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी नीचे प्रस्तुत है :-

कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की अधिस्थापित क्षमता 2100 मेगावाट है। इस परियोजना का 3x 200 मेगावाट क्षमता का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है जो सन् 1983 से कार्यरत है। 3x 500 मेगावाट क्षमता के दूसरे चरण का कार्य प्रगति पर है। विभिन्न इकाईयाँ के प्रारंभ होने के संबंध में सारणी नीचे प्रस्तुत है :-

1)	3 x 200 मेगावाट इकाई	-	यह इकाई प्रारंभ हो चुकी है
2)	3 x 500 मेगावाट इकाई	-	अगस्त 1987
3)	2 x 500 मेगावाट इकाई	-	अगस्त 1988
4)	3 x 500 मेगावाट इकाई	-	अगस्त 1989

इस परियोजना द्वारा औद्योगिक विकास हेतु मध्यप्रदेश, गुजरात, गोवा आदि प्रदेशों को विद्युत प्रदान करके उद्योगों हेतु पोषक वातावरण निर्मित किया जावेगा।

उपरोक्त विद्युत उत्पादन संयंत्रों के अलावा 67.5 मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु 4 अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करना प्रस्तावित है। इनमें से 3 संयंत्रों का काम नवम्बर 87 तक पूर्ण होने की आशा है जबकि शेष संयंत्रों का काम जनवरी 1988 तक पूरा हो जायेगा।

1.9 आगामी कार्य :

उपरोक्त अनुच्छेदों में दी गई जानकारी से यह बात स्पष्ट है कि नगर के वर्तमान ढाँचे में बहुत-सी खामियाँ होने के साथ-साथ औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएँ हैं। नगर हेतु विकास योजना बनाते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा।

अध्याय - 2 परिस्थितिकीय अध्ययन

परिस्थितिकीय विज्ञान में मानवीय संगठित संरचना एवं पर्यावरण के मध्य आपसी सह संबंधी के बारे में अध्ययन किया जाता है। परिस्थितिकीय विज्ञान केवल एकमेव समाकलनात्मक विज्ञान है, जो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के नियोजन हेतु परीक्षण एवं उपाय बतलाता है। प्रकृति के संबंध में परिज्ञान प्राप्त करने में तथा नगरीय रूप निर्माण करने में यह एक महत्वपूर्ण निवेश है। मानवीय उपयोग हेतु उपयुक्त मूल्यों एवं अवसरों पर प्रकृति की सीमित रूप से प्रतिक्रिया होती रहती है। अतः प्रकृति (बायोस्फियर) के कार्यकलाप किस तरह चलते हैं, यह जानना आवश्यक है। प्रकृति के संतुलित क्रियाकलापों के कारण ही परिस्थितिकीय व्यवस्था, जीव-भू-रसायनिक-चक्र, ऊर्जा प्रवाह एवं भोजन श्रृंखलायें निश्चित होती रहती है। जीव-मंडल की परिस्थितिकीय व्यवस्था को प्रमुख रूप से निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है :-



1. महासागर
2. समुद्र तट एवं नदी के किनारे
3. वन
4. तालाब और पोखर
5. नदियाँ एवं जलप्रपात
6. अलवण पानी का दलदल
7. घास के मैदान
8. मरुस्थल

परिस्थितिकीय व्यवस्था को संतुलित रूप से कार्यरत रहने हेतु प्राण वायु चक्र, जल चक्र, कार्बन चक्र एवं खनिज चक्र आदि जीव-भू-रसायन चक्रों से मदद मिलती रहती है। परिस्थितिकीय व्यवस्था तथा परिस्थितिकीय चक्रों का एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को जल चक्र के उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है।

जल चक्र में जल की प्रमुख क्रिया का वायुमंडल में वाष्पीकृत होकर अवक्षेपण से वापिस होना है। झरनों के अलावा मानव प्रयासों द्वारा भू-गर्भीय जल को भू-सतह पर लाया जाता है। नदियों का जल भी प्रत्यक्ष रूप से या नहरों के जरिये भूमि में रिसता रहता है। विभिन्न परिस्थितिकीय व्यवस्था का चक्रीय प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। आपस में सह संबंध रखने वाला यदि एक भी अंग कमजोर होता है तो असंतुलन की स्थिति निर्मित हो जाती है जो प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित करती रहती है। उदाहरणार्थ यदि वनस्पति का लोप हो जाता है, तो भूमि का कटाव, खनिज चक्र में असंतुलन, प्राण वायु चक्र में असंतुलन आदि बातें सामने आती है। नैसर्गिक प्रक्रिया में शामिल तत्वों, सिद्धांतों एवं परस्पर प्रभावित करने वाले संबंधों को खोजकर मानव क्रियाओं हेतु अवसरों, सीमाओं एवं बंधनों को निश्चित करना आवश्यक है।

भौतिकी, भू-आकृति विज्ञान, मिट्टी, वनस्पति, जलवायु, प्राणी, मूलभूत साधन तथा वर्तमान मानव गतिविधियों के अनुसार प्रकृति परिवर्तित होती रहती है। अतः मानव उपयोग हेतु प्राकृतिक साधनों का पता लगाकर उनके मूल्यों और संबंधों का आंकलन करना प्रमुख समस्या है। नगर केन्द्रों एवं आसपास के स्थानों हेतु आंकड़े एकत्रित कर तथा संबंधित परिस्थितिकीय पद्धति को अपनाकर विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु मूलभूत उपयोगिताओं का पता लगाकर निवेश लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिल सकती है।

कोरबा निवेश क्षेत्र के अध्ययन हेतु अपनाई गई कार्य पद्धति को आगे दर्शाया गया है :-



2.1 भौमिकी :

कोरबा का खनिज अधातु क्षेत्र विभिन्न भौमिकीय समूह में विभाजित है। क्षेत्र में सबसे अधिक भिन्नता 9 विभिन्न समूहों वाले शहडोल जिले में तथा न्यूनतम भिन्नता 3 समूहों वाले बिलासपुर जिले में देखी जा सकती है। बिलासपुर जिले में गोंड बाना, चारवार एवं आर्केयन तथा कुडप्पा समूह पाये जाते हैं। कोरबा के निवेश क्षेत्र में पुराने खेदार कार्यान्तरित एवं अवसादी चट्टानें पायी जाती हैं। इनका क्रम अगले पृष्ठ पर दिया गया है :-

1. अवशिष्ट भूमि
2. छोटे सेल वाले रेतीले पत्थर - बाराकार
3. शैल एवं रेतीले पत्थर तथा गुटि का संस्तर वाला-गौण क्षेत्र - तालचेर
4. असंबद्धता
5. ग्रेनाइट एवं संबंधित पुराने कार्यान्तरित : आर्केयन

ग्रेनाइट्स में मध्यम से बड़े आकार के कण तथा बड़े फेल्डस्पार होते हैं। इसमें सतह से लगभग 2 मीटर गहराई पर अपक्षय एवं अपघटन की प्रमुखता पायी जाती है। गोपालपुर, बरेडीमुड़ा क्षेत्र के समीप स्थित बहुत से बड़े गड्ढों में 2 मीटर गहराई तक अपक्षय एवं अपघटन देखा गया है। अपक्षय एवं अपघटन की अनिश्चितता के कारण सातत्य में स्तरीय शैल सतह मिलना कठिन है। ग्रेनाइट सामान्यतया कठोर एवं सख्त होने से बड़े भवनों में नींव हेतु उपयुक्त पाये गये हैं।

शैल नरम एवं पतली दरार वाले होते हैं। इसमें सम्पीड़न ताकत बहुत कम होने से बड़े औद्योगिक स्थानों हेतु इनकी नींव स्थापित करना ठीक नहीं होगा। यदि इन स्थानों पर बड़े उद्योगों हेतु नींव स्थापित करना हो तो विशेष सावधानी बरतनी होती है।

रेतीले पत्थर, मुलायम, भूरभूरे एवं भेद्य प्रकृति के एवं मध्यम बल के होते हैं। नींव के रूप में निचले भवनों हेतु ये पत्थर अच्छी नींव का काम करते हैं तथा ढलाई करने पर ऊँचे बहुमजिले भवनों हेतु भी ये पत्थर उपयुक्त पाये गये हैं।

कोरबा निवेश क्षेत्र भारत के भूकम्पीय नक्शों में (1893-75) झोन क्रमांक-2 में स्थित है। तथापि 100 कि.मी. त्रिज्या तक हाल के वर्षों में भूकम्पन की कोई घटना ज्ञात नहीं है। कोयले की खोज हेतु किये गये ड्रिलिंग से नक्शों में दर्शाये गये भौमिकीय भ्रंश सच पाये गये। उपरोक्त कारणों से इस घाटी में स्थित पूर्ण या खंड क्षेत्र के धंसने की संभावना बनी हुई है। भूकम्पीय झोन नक्शों को आधार मानकर भू-कम्पीय झोन क्रमांक-2 में भवनों के निर्माण हेतु जो मापदण्ड प्रावधानित किये गये हैं, उनका पालन करना आवश्यक है।

कोयला निक्षेपण क्षेत्र :

कोरबा निचले गोंडवाना नामक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र में स्थित है। यहाँ स्थित कोयले की खदानों में अच्छे किस्म के 3410 लाख टन नान कोकिंग कोल के भंडार स्थित हैं। यह कोयला ताप विद्युत उत्पादन हेतु उपयुक्त है।

यहाँ स्थित कोयले के भंडार 608 मीटर गहराई में स्थित हैं। यहाँ स्थित खदानों में 900 फीट गहराई तक 8 से 150 फीट मोटी चट्टानों में पायी जाती है। इनमें महत्वपूर्ण संस्तर निम्नानुसार हैं :-

1. जट राज
2. रजगामार
3. घोरेदेवा

खण्डों के अनुसार कोयले का वितरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी-2.1

कोरबा : खण्डों के अनुसार खदानों का वितरण

अनु.क्र.	खदानों के खंड का नाम	खदान खंड का क्षेत्र वर्गमीटर में	संचय लाख टनों में	प्रतिवर्ष दोहन क्षमता (लाख टनों)	अधिभार मैट्रिक क्यूबिकवर्षों में मीटर रॉ में	आयु. वर्षों में
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोरबा	17.531	कोरबा 135.0	-	यू.जी.	-
2.	मानिकपुर	18.128	मानिकपुर 500.00	20.00	87.50	25
3.	बलगी	41.647	बांकी 142.0	5.0	डब्ल्यू.जी.	28
4.	कुसमुण्डा	26.594	सुराकछार 363.4	11.0	-	35
5.	गेवरा	31.859	बलगी 175.6	6.0	-	29
6.	रजगामार	28.961	कुसमुण्डा 3650.0	60.0	514.65	60
			गेवरा 6225.9	100.0	623.0	65
			रजगामार 266.25	7.0	डब्ल्यू.जी.	38
			दीपका 2385.0	20.0	180.0	120

(स्रोत : एस.ई.सी.एल. कोरबा)

कोरबा में उपलब्ध कोयले में राख की मात्रा 40% है। नगर में कोयले के खदान के कारण निम्नलिखित समस्याएँ निर्मित हुईं।

1. परित्यक्त क्षेत्र
2. बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र
3. धंसने की संभावना वाले क्षेत्र
4. पूर्व में खनन गतिविधियों के कारण स्थाई रूप से विकास के लिये अनुपयुक्त क्षेत्र
5. खनन गतिविधियों के कारण निर्मित होने वाले कूड़ा-कचरा के ढेरों हेतु आवश्यक क्षेत्र। खनन की प्रक्रिया 2 भागों में विभाजित है।

KORBA

GEOLOGICAL SEQUENCE

कोरबा

भौतिक अधारणा

ARCHEANS	-----	आर्केय
TALCHIRS	-----	ताल्चिर
BARAKARS	-----	बाराकार



KORBA

COAL MINING AREA

कोरबा

कोयला खनिज क्षेत्र

प्रदियुक्ति कोयला खनिज क्षेत्र


प्रदियुक्ति कोयला खनिज क्षेत्र

कोयला खनिज क्षेत्र

कोयला खनिज क्षेत्र

कोयला खनिज क्षेत्र

पुराना पराका



(अ) खुली खदानों से खनन :

खुली खदानों से खनन कार्य में खदान के आसपास बड़े-बड़े ढेर निर्मित होते हैं।

(ब) सतही खदानों से खनन :

सतही खदानों से खनन कार्य करने के पश्चात उस रिक्त स्थान में रेत भरी जाती है। रेत भरने पर इस स्थान पर 5% प्रतिशत अवतलन देखा गया है।

कोरबा नगर तथा नगर के पूर्व उत्तर एवं दक्षिण स्थित क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की संभावना है। जबकि पश्चिम में स्थित संभाव्य क्षेत्र बस्ती से पूर्व पश्चिम में कुछ दूरी पर स्थित है। अतः कोरबा नगर संक्रमण स्थान पर स्थित है।

2.2 भू-जल विज्ञान :

कोरबा क्षेत्र में यह क्षेत्र 80% मुलायम तथा 20% कठोर शैलों से व्याप्त है। शैलों के प्रकार का निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है :-

(अ) मुलायम चट्टान :

1. ये निम्न स्तर से संघटित रेतीले भेद्य दानेदार तथा संग्रंघ हैं। इनका सिल्ट शैल प्रस्तरो से सान्निध्य रहता है।
2. बाढ़ वाले मैदान एवं टीले जो अधिक अनुज्ञात्मक तथा कम धारणशील होते हैं।

(ब) कठोर चट्टान :

ये ग्रेनाईट तथा उससे संबंधित पुरातन रूपान्तरित चट्टान हैं। इनमें जोड़ एवं विदर पाये जाते हैं। इनका सघन अपक्षय होता है।

मुलायम पत्थर :

पत्थर रन्ध्र होते हैं, इनके छिद्रों में बहुत-सा भूमिगत जल स्थित होता है। इस प्रकार के रवेदार पत्थर बड़ी मात्रा में कोरबा क्षेत्र में पाये जाते हैं। ये क्षेत्र जलीय संस्तर माने जाते हैं।

ग्रेनाईट भू-भाग वाले क्षेत्रों में संधि एवं दरार वाले हिस्से में ही भूमिगत जल उपलब्ध देखा गया है। तथापि भू-रचना की दृष्टि से नियंत्रित तथा अवसादी चट्टानों के सान्निध्य वाले तीव्र उपेक्षित क्षेत्रों में भूमिगत जल उपलब्ध हो सकता है। छुरी, चोरभट्टी, बरेड़ीमुड़ा आदि ग्रामों के समीप स्थित बहुत से कुँओं से यह बात स्पष्ट होती है कि अपेक्षित क्षेत्रों में 9% से 8 मीटर गहराई तक पानी प्राप्त हो सकता है। वर्तमान भू-रचना एवं भौमिकीय परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट होता है कि भू-जल स्तर दशा के नीचे रेतीले पत्थरों में हसदेव नदी के दक्षिण-पश्चिम, पूर्व एवं पश्चिम में जलीय ढाल युक्त रेतीले पत्थर में जल उपलब्ध हो सकता है। यहां स्थित कुँओं में 5 से 20 मीटर गहराई पर पानी प्राप्त होता है। हसदेव नदी के पूर्व में स्थित ढंगुर नाले में तथा पश्चिम में स्थित अहिरन नाले में साल भर पानी बहता रहता है।

2.3 भू-आकृति :

यहां का भौमिकीय स्वरूप कड़े एवं मुलायम चट्टानों से निमित्त है। यह निम्न समतल क्षेत्र है जो विभक्त होकर छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। छोटी पहाड़ियाँ सामान्यतया ढाल उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है। पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थित है। जबकि समतल क्षेत्रों में चोटि याँ उत्तर, उत्तर-पूर्व, दक्षिण, दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है। छोटी पहाड़ियाँ लगभग 900 फीट (274.3 मीटर) से 1000 फीट (304.8 मीटर) ऊँची है। अलग स्थित पहाड़ियों पर 50 से 70 फीट तक तीव्र ढाल आ जाता है। जबकि समतल स्थानों पर भूमि का ढाल (9 इंच से 15 फीट) सामान्य है।

2.4 मिट्टी :

छत्तीसगढ़ क्षेत्र हल्की मिट्टी वाला क्षेत्र है। कोरबा में स्थित मिट्टी में फास्फोरस, ह्यूमस एवं नाइट्रोजन कम मात्रा में मिलता है। फेरिक एसिड का अधिक मात्रा में हाइड्रेशन होने से यहां स्थित मिट्टी लाल-पीले रंग की है। इस मिट्टी में सामान्यतः लोहे का सान्द्रण पाया जाता है। यहां स्थित मिट्टी एक अम्लीय तथा क्षारीय है। इसका पी.एच. मान 5.5 से 5.8 है। यह मिट्टी 4 इंच गहराई तक हल्की लाल एवं बजरायुक्त है, जिसमें चूना एवं लोह तत्व भी मिलता है।

2.5 वनस्पति :

कोरवा निवेश क्षेत्र में स्थित वृक्षारोपण में विशेषता परिलक्षित होती है। नगर में कुछ दशकों में पहले नगरीयकरण एवं औद्योगीकरण होने के कारण निवेश क्षेत्र में स्थित वनस्पति आच्छादन कम होता गया। कोरवा क्षेत्र पश्चिम में पूर्व की अपेक्षा अधिक वनस्पति आच्छादन पाया जाता है।

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा बाल्को द्वारा किये गये नगरीय विकास के आवासीय क्षेत्रों में बगीचों के रूप में वनस्पति स्वरूप निर्मित किया गया है। नदी के पश्चिमी तट पर अभी भी वनयुक्त प्रदेश स्थित है। नदी के पश्चिम एवं पूर्व किनारे पर स्थित बस्तियों की सुख-सुविधाओं के लिये नदी के पश्चिम तट पर स्थित वर्तमान वन प्रदेश का विकास आवश्यक है। ताप विद्युत उत्पादन के कारण निर्मित होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिये पूर्वी तट पर संरक्षक आच्छादन के रूप में वनरोपण आवश्यक है। यहां विकसित क्षेत्रों में तथा मार्गों के किनारे वनरोपण नगण्य है।

निवेश क्षेत्र में वनरोपण हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध वृक्षों का चयन किया जायेगा। कोरवा नगर में स्थित जंगलों में निम्नलिखित वृक्ष बहुतायत पाये जाते थे :

	वनस्पति का नाम	प्रचलित नाम
1.	शीरिया रोबस्टा	साल
2.	ट रमानिलिया टोनेनटोसा	साजा
3.	हेंगिसरा लेटि पोलिया	हावरा
4.	डे लबेरगिया लेटि फोरिया	सीसम
5.	प्रेटॉकॉपस मारसूपियम	बीजा
ग्रामों के पास स्थित स्थानों पर उपलब्ध वृक्ष		
6.	अकासिया	बबुल
7.	अलबिरिझिया	-
8.	ब्रंटे या फिरदोसा	-
9.	इऊप्रेमिया	-
10.	मेलिया इंडिका	नीम

2.6. भू-दृश्य :

प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना के रूप में नागरिकों के गतिविधि क्षेत्रों की रूपरेखा का निर्धारण नियोजन के परिस्थितीकीय अध्ययन पर आधारित है। अतः प्रस्तावित भूमि उपयोग योजना से लोगों की आवश्यकताओं पर आधारित गतिविधियों एवं उनके आपसी सहसंबंधों से एक आधार प्राप्त होता है। नागरिक गतिविधियों हेतु अधिकतम मदद पहुंचाने की दृष्टि से इन क्षेत्रों का भू-दृश्य परिकल्पित किया गया है। परिकल्पित योजना में प्रत्येक क्षेत्र का अलग से अभिन्यास बनाया जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र का अलग अभिन्यास बनाने के उद्देश्य आगे प्रस्तुत है -

नगर से संतुलित विकास हेतु नगर की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले जीव - भौतिक तथ्यों का प्रथम चरण के रूप में अध्ययन कर विशिष्ट गतिविधियों हेतु विशिष्ट स्थान नियत किये गये हैं। सड़कों तथा भवनों का निर्माण, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण, बगीचों एवं खेल के मैदानों के निर्माण आदि का प्रस्ताव देते समय इन गतिविधियों हेतु विकास योजना में दिये गये प्रस्तावों का भलीभांति अध्ययन करना बहुत आवश्यक है ताकि इन सुविधाओं का उपयोग अधिकांश रूप से लोगों को प्राप्त हो सके।

इन विकास गतिविधियों को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नानुसार है :

1. सतही जल निकास
2. भू-भाग में स्थित ढाल का प्रतिशत
3. सूरज की गतिशीलता
4. सम्पूर्ण वर्ष में वायु की दिशा प्रतिरूप

5. सौंदर्य बोध हेतु अवलोकन बिन्दु

6. वर्तमान वनस्पति आच्छादन

उपरोक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित परिच्छेदों में कोरवा निवेश क्षेत्र भू-दृष्टि करण के प्रस्ताव दिये जा रहे हैं।

(अ) मार्गों का संरेखन :

मार्गों का संरेखन, सतह भूमि की स्थिति, सूरज की गतिशीलता, ढाल का प्रतिशत आदि बातों पर निर्भर करता है। पानी का जमाव रोकने की दृष्टि से मार्ग का संरेखन प्राकृतिक जल निकास की दिशा में उपयुक्त होता है। सूरज की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुये भी मार्ग का संरेखन प्रस्तावित करना आवश्यक है। अतः जहां तक सम्भव हो सके, दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व दिशा में तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में मार्ग का संरेखन उपर्युक्त नहीं करना चाहिये। यदि उपरोक्त दिशा में मार्ग का संरेखन ढाला नहीं जा सकता तो उन स्थानों पर मार्ग की चौड़ाई 2.5 प्रतिशत बढ़ाकर तथा मार्ग के किनारे घने रूप में वृक्षारोपण कर सूरज की किरणों से बचाव किया जा सकता है। मार्ग का ढाल न्यूनतम रखते हुए तटबंधों पर मार्गों का निर्माण ढाला जाना चाहिए।

(ब) भवनों का निर्माण :

भवनों के निर्माण के समय सौरपथ को ध्यान में रखना आवश्यक है। दक्षिण-पश्चिम एवं पश्चिम से आने वाली सूर्य किरणों से रसोईघर का बचाव आवश्यक है। उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम से पूर्व में हवा की प्रमुख होने से पारगामी वायु संचार उपलब्ध कराना आवश्यक है। अतः नगर के भवनों में दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में स्थित दीवारों में न्यूनतम छिद्रण रखा जावे।

(स) मार्गों के किनारे वृक्षारोपण :

नगर के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली मार्ग गलियारों का कार्य करते हैं। अतः सुखद संचालन हेतु इन गलियारों को सूर्य किरणों से बचाना आवश्यक है। इसलिये मार्गों के दक्षिण-पश्चिम दिशा में वृक्षारोपण आवश्यक है।

(द) क्षेत्रीय एवं अन्य उद्यान :

इन उद्यानों का रूपांकन करते समय सौर्य पथ, हवा की दिशा, बाहरी शोर आदि बातों का ध्यान रखना होता है। नगरीय एवं क्षेत्रीय स्तर के उद्यानों में बड़े लॉन का प्रावधान बहुत आवश्यक है। इसके साथ-साथ पर्यावरण को समृद्ध बनाने की दृष्टि से फलों से युक्त वृक्षों एवं झाड़ियों का भी उद्योग में होना आवश्यक है।

इ) नदी के तट :

नदी के तटों से दृष्टि सौंदर्य का आनंद लेने में मदद मिलती है। नदी तटों का अपक्षय रोकने तथा इन तटों को सुन्दर बनाने के लिये वृक्षारोपण आवश्यक है। लारजेस्ट्रेमिया एवं अन्य फलदार वृक्षों के कारण नदी तटों की शोभा बढ़ती है।

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम उपलब्ध हो सकेगा। सड़क के किनारे वृक्षारोपण का प्रमुख उद्देश्य सम्पूर्ण मार्ग चौड़ाई हेतु छाना उपलब्ध कराना होता है। अतः इस कार्य हेतु वृक्षों का चयन कठोर समय घने पर्ण समूह वाले सदाबहार तथा जिनका शीर्ष मार्गाधिकार की चौड़ाई के समतुल्य हो, ऐसे जातियों के वृक्षों का चयन आवश्यक है। सड़क के एक किनारे दो वृक्षों की बीच इतनी दूरी होनी चाहिए कि एक दूसरे वृक्ष का 2.5 प्रतिशत सम्मिलन हो सके जिससे सदैव छाना बनी रहे। नगर की सौंदर्यवृद्धि तथा भूमि का अपक्षय रोकने की दृष्टि से नदी के तटों पर वृक्षारोपण अति आवश्यक है।

2.7 जलवायु एवं सूक्ष्म जलवायु :

मौसम के प्रतिदिन बदलने वाले प्रकार को मोटे तौर पर जलवायु कहा जाता है। शरीर विज्ञान की दृष्टि से गरम और ठण्डा परिस्थितियों का मानव पर होने वाली प्रकिया जटिल है। मानव शरीर में स्थित उष्मा का सन्तुलन निम्नलिखित किसी भी एक जलवायु के कारण प्रभावित हो सकता है :

1. हवा की गति
2. आर्द्रता
3. हवा का तापमान

तनाव मुक्त मानवीय गतिविधियों हेतु उपयुक्त जलवायु का संतुलन आवश्यक है। कोरबा नगर हेतु यह सन्तुलन निश्चित करने के लिये वहां स्थित सूक्ष्म जलवायु का अध्ययन बहुत आवश्यक है। जलवायु का मोटे तौर पर वर्गीकरण, उसके परिणाम एवं अपेक्षित सुधार आदि के संबंध में विस्तृत विवेचन निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया जा रहा है।

जलवायु तत्व :

हवा का तापमान, तुलनात्मक आर्द्रता, वायु का वेग आदि के संबंध में समग्र तत्वों की जानकारी ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

कोरबा - जलवायु तत्वों के मूल्य

सारणी 2.1

अनु.क्र.	ऋतु /मास	औसतन अधिकतम तापमान	तुलनात्मक सुबह	आर्द्रता शाम	हवा की औसतन अधिकतम वेग कि.मी. प्रति घंटा	हवा
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.
अ.	ग्रीष्म					गरम मौसम
1.	मार्च	35.3	38	22	5.4	
2.	अप्रैल	39.9	36	18	5.7	गरम मौसम
3.	मई	43.0	36	18	6.7	
ब.	मानसून					
4.	जून	38.9	60	45	8.1	गरम तथा आर्द्र मौसम
5.	जुलाई	31.4	86	75	8.3	
6.	अगस्त	30.8	87	79	7.4	
7.	सितम्बर	31.5	73	75	5.4	
स.	मानसून के बाद					
8.	अक्टूबर	31.4	78	63	3.9	सन्तुलित मौसम
9.	नवम्बर	29.3	67	45	4.9	
द.	शीत ऋतु					
10.	दिसम्बर	27.8	69	44	3.9	ठण्डा सन्तुलित मौसम
11.	जनवरी	27.5	68	39	4.5	
12.	फरवरी	31.1	55	26	5.3	

स्त्रोत : मौसम विज्ञान विभाग

हवा का तापमान :

हवा के तापमान, सूर्य की गतिशीलता, अक्षांश, ऊँचाई, पृष्ठ भाग का प्रकार एवं भौगोलिक परिस्थिति आदि बातों निर्भर होता है।

कोरबा : सौर पथ

सौर पथ का अधिकतम अनुप्रस्थ 21 जून को तथा न्यूनतम अनुप्रस्थ 22 दिसम्बर को होता है। जब सूर्य 75 डिग्री उन्नत अंश पर होता है, तब अधिकतम तापमान दोपहर 1 बजे होता है तथा जब उन्नत अंश 49 डिग्री होता है तो अधिकतम तापमान 3 बजे पाया जाता है। सूर्य का उच्चतम दिगंश क्रमशः 257 डिग्री से 283 डिग्री तक पाया जाता है।

विकिरण :

विकिरण का भू-आकृति एवं विकिरण करने वाले सतह पर निर्भर करता है। वनस्पति युक्त सतह से विकिरण कम होने के साथ-साथ हवा के तापमान से भी कभी आ जाती है। हवा जैसे-जैसे गरम होती है, वैसे-वैसे आर्द्रता कम होती रहती है। वनस्पतिक आवरण से हवा में आर्द्रता निर्मित होती है जो उसे शीतल होने में मदद देती है।

जब हवा का तापमान अधिक होता है तब नगर में बाहर में धूमना कष्टदायक हो जाता है। अतः मार्गों पर सातत्य में छायादार वृक्ष लगाकर लोगों को आने-जाने के लिए छायादार स्थान निर्मित करना आवश्यक है। 257 से 283 दिगंश में भारी छायादार हेतु नगर में सड़कों का निर्माण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस दिशा में सूर्य की किरण सीधे भूमि पर आती है। अतः सड़कों के किनारे लोगों को दोपहर एक से तीन बजे तक तीखी धूप से राहत पहुँचाने के लिये सड़कों के किनारे विशेष रूप के दक्षिण-पश्चिम दिशा में घने छायादार वृक्ष लगाना आवश्यक है। नगर में हवा का बढ़ा हुआ तापमान कम करने की दृष्टि से सार्वजनिक स्थानों, बाहर स्थित आमोद-प्रमोद के स्थानों, मकान के भू-खण्डों के खुले हिस्से में बड़े तादाद में लॉन लगाना आवश्यक है। यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में हवा में तापमान कम होने से आर्द्रता अधिक मात्रा में पाई जाती है। तुलनात्मक दृष्टि से 50 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता को उच्च आर्द्रता में वायु का उच्च वेग होता है।

हवा में आर्द्रता का सुबह सबसे अधिक और शाम को न्यूनतम होती है। अतः नागरिकों को सुविधा के लिये ग्रीष्मकाल में बाहर जलभिमुख गतिविधियों के लिये प्रावधान आवश्यक है। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में लोगों को चलने हेतु नम भूमि आच्छादन को प्रावधानित करना आवश्यक है।

2.8 हवा की दिशा एवं वेग :

मौसम को सौम्य बनाने में हवा का बहाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

वर्ष भर में कुल 593.67 वायु दिन (सुबह, शाम मिलकर) पाये गये हैं। इन वायु दिनों का विभिन्न 8 दिशाओं में वितरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :-

कोरबा : हवा का दिशा के अनुसार वितरण

सारणी - 2.2

क्र.	हवा की दिशा	प्रतिशत दिन		योग
		सुबह	शाम	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	उत्तर से दक्षिण की ओर	15.25	13.44	28.69
2.	उत्तर पूर्व से दक्षिण व पश्चिम की ओर	3.47	2.82	6.29
3.	पूर्व से पश्चिम की ओर	4.78	3.14	7.92
4.	दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर	2.41	2.12	4.53
5.	दक्षिण-पूर्व से उत्तर की ओर	2.40	2.60	5.00
6.	दक्षिण-पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर	5.81	2.37	8.18
7.	पश्चिम से पूर्व की ओर	9.16	12.38	21.54
8.	उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर	7.36	10.49	17.85

स्रोत : मौसम विज्ञान विभाग

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि हवा की दिशा मुख्यतया :

1. उत्तर-दक्षिण, 2. पश्चिम - पूर्व, 3. उत्तर-पश्चिम है। प्रत्येक दिशा में मासिक प्रतिशत दिन प्रत्येक माह में शान्त एवं मासिक औसत उच्चतम हवा के वेग आदि के संबंध में निम्नलिखित सारणी नीचे में प्रस्तुत है :

कोरबा : हवा की दिशा एवं वेग

सारणी 2.3

अ.क्र. माह		हवा की दिशा			शान्त समय	औसत उच्चतम वेग किमी./प्रति घंटा
		उत्तर	पश्चिम	उत्तर-पश्चिम		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	जनवरी	सुबह 54.44 शाम 38.35	-	-	सुबह 7.13 शाम 8.37	4.5
2.	फरवरी	सुबह 59.48	शा.27.95	शा.31.18	सुबह 5.32 शाम 4.76	5.3
3.	मार्च	सुबह 41.55	-	शा.32.22	सुबह 7.13 शाम 8.10	5.4
4.	अप्रैल	-	शा.31.03	-	सुबह 7.20 शाम 4.50	5.7
5.	मई	-	शा.29.34	शा.27.17	सुबह 4.34 शाम 2.48	6.7
6.	जून	-	सु. 40.90	शा.21.97	सुबह 3.60 शाम 2.70	8.1
7.	जुलाई	-	सु. 41.75 शा.30.00	-	सुबह 2.79 शाम 3.10	8.3
8.	अगस्त	-	सु. 47.19 शा.36.78	-	सुबह 3.41 शाम 4.03	7.4
9.	सितम्बर	-	सु. 28.04	-	सुबह 5.40 शाम 5.21	5.4
10.	अक्टूबर	सुबह 43.03 शाम 31.16	-	-	शाम 7.13	
11.	नवम्बर	सुबह 53.73 शाम 60.80	-	-	सुबह 9.90 शाम 7.80	4.9
12.	दिसम्बर	सुबह 69.23	-	-	सुबह 6.82 शाम 4.03	3.6

उत्तर से दक्षिण में हवा की दिशा जनवरी से मार्च एवं अक्टूबर से दिसम्बर तक पाई जाती है, जबकि पश्चिम से हवा का बहाव समुचित रूप से 7 महीनों में फरवरी से सितम्बर तक होता रहता है। इस काल में विशेषतः हवा का शाम का बहाव विशेष उल्लेखनीय है।

नवम्बर, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसम्बर, सितम्बर, फरवरी एवं अप्रैल महीनों में उच्चतम से न्यूनतम शांत अवधियां पाई जाती हैं। अधिकतम शांत अवधियां नवम्बर तथा न्यूनतम अप्रैल में पाई जाती हैं। सम्पूर्ण वर्ष में कुल 127 (17.65 प्रतिशत) शांत दिन पाये जाते हैं।

शांत दिन उस स्थिति का परिचायक कहा जा सकता है, जब हवा की गति नहीं के बराबर होती है जिससे मनुष्य को हवा की गति का कोई अहसास नहीं होता। मानवीय शरीर पर वायु का वेग तथा उसके भौतिक परिणाम को ज्ञात करने हेतु इन तत्वों

जोड़न आवश्यक है। निम्नलिखित सारणी में वायु वेग एवं उसके भौतिक परिणामों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत है :-

कोरबा - वायु का वेग एवं उसके भौतिक परिणाम

सारणी 2.4

क्र. सं.	विशेषीकरण	भौतिक प्रभाव	वायु वेग सीमा
1.	2.	3.	4.
0.	शान्त	ऊपर की ओर धुंयें का उठना	1.85 किमी. प्रति घंटा से कम
1.	हल्की हवा	केवल धुंयें से हवा की दिशा का पता लगता है।	1.85 किमी. 7.21 किमी. प्रति घंटा
2.	हल्का समीर	पेड़ की पत्तियों का धीरे से झूलना	7.4 किमी. से 11 किमी. प्रति घंटा
3.	सौम्य समीर	पत्तियाँ निरन्तर	11.1 किमी. से 18.51 किमी. प्रति घंटा
4.	संयत समीर	धूल एवं कागज के टुकड़े हवा में उड़ने के साथ-साथ टहनिया आदि हिलती-डुलती रहती है।	18.52 से 29.6 किमी. प्रति घंटा
5.	निर्मल समीर	छोटे वृक्ष झूलने लगते हैं	29.7 से 38.88 किमी. प्रति घंटा
6.	पूर्ण झंझा	वृक्ष जड़ सहित उखड़ जाने के साथ साथ मकानों को भी हानि पहुंचाती है।	88.87 से 101.83 किमी. प्रति घंटा
7.	तूफान	व्यापक रूप से हानि	102 से 116.64 किमी. प्रति घंटा

उपरोक्त विस्तृत वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि नगर में जून, जुलाई एवं अगस्त में हल्का समीर तथा अन्य महीनों में हवा का हल्का झोंका चलता रहता है। अतः यह आवश्यक है कि भवनों का रूपांकन करते समय भवनों हेतु पारगामी संवातन रखा जाये तथा हवा को बन्द करने वाले क्षेत्र न्यूनतम रहे। ग्रीष्मकाल में सायंकाल के क्रियाकलाप, हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए स्थापित किये जा सकते हैं।

2.9 वन्य प्राणी एवं पक्षी :

वनों एवं भू-आच्छादन का नगरीय एवं औद्योगिक विकास हेतु उपयोग होने से वन्य प्राणियों एवं पक्षियों के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

नगर के उत्तर के पृष्ठ भूमि में वन स्थित है। अतः यह अति आवश्यक है कि जहां भी संभव हो, पक्षियों एवं जलचरों हेतु उपयुक्त स्थान निर्मित किये जायें। नगर के उत्तर पश्चिम में स्थित क्षेत्र नगरीय आमोद प्रमोद के स्थानों के रूप में नियत है। ये क्षेत्र जल एवं वनस्पति अभिमुख हो सकते हैं। नगर का दक्षिणी भाग अनाच्छादन एवं नागरिकों के दैनिक गतिविधियों से प्रभावित है।

2.10 दृश्य अनुभूति :

सन् 1951 तक कोरबा नगर कुछ सैकड़ों की आबादी वाला एक छोटा सा गांव था। इसका पूरा पर्यावरण ग्रामीण स्वरूप का था। नगर के आसपास बड़ी मात्रा में वन-प्रदेश स्थित था। आज इस नगर की जनसंख्या लगभग 85000 तक पहुंच चुकी है। वर्तमान में यहां खनन एवं औद्योगिक गतिविधियां प्रमुख रूप से स्थित है। पहले का स्वस्थ पर्यावरण नष्ट हो चुका है। खानों से कोयले का खनन कार्य ताप विद्युत उत्पादन आदि से नगर का दृश्य पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। इस नगर में स्थान-स्थान पर बुन्दे की चिमनियां उच्च दाब वाली विद्युत लाईनें, वाहक पट्टे आदि प्रमुख रूप से दृष्टि गोचर होते हैं। नगर में ट्रक यातायात की भरमार देखी जाती है।

पहले हसदेव नदी के जलाशय से नगर के लोगों को ठंडी आनंददायक हवा प्राप्त होती थी, लेकिन अब यह नदी एवं रेत की परत मात्र रह गयी है।

हसदेव बेंराज से लोगों को विविध दृश्य अनुभूति होती है। दक्षिण की ओर आकाश में धुआँ छोड़ने वाली चिमनियां, झुंक पथरीली एवं रेतीली जमीन दिखाई देती है तो उत्तर-पूर्व एवं उत्तर हसदेव बांध के कारण सामने पानी का फैलाव होने से कुछ विविधता परिलक्षित होती है। नगर में दृश्य अनुभूति की दृष्टि से, बांध एवं फुट का पहाड़ की पहाड़ियां ही महत्वपूर्ण स्थान है।

संश्लेषण :

भविष्य में निर्मित होने वाली गतिविधियों एवं अवसरों का अध्ययन करके जानकारी का संश्लेषण आवश्यक है। निवेश क्षेत्र में पर्यावरण स्तर में सुधार लाने हेतु निवेश क्षेत्र में स्थित मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव जानना आवश्यक है।

2.11 कोयला खनिकर्म :

कोरबा स्थित कोयले की खदानों में लगभग 3410 लाख टन निक्षेप है। यह कोयला ताप विद्युत उत्पादन हेतु उपयुक्त है। यहां से दो पद्धतियों द्वारा कोयला निकाला जाता है।

1) खुली खदानों से खनन : (ओपन कास्ट माईनिंग)

खुली खदानों से खनन में निक्षेप अधिभार की समस्या निर्मित होती है। खुली खदानों से कोयला निकालते समय सम्पूर्ण निक्षेप खत्म होने तक खनन कार्य जारी रखना आवश्यक होता है। इस कारण खनन कार्य से निर्मित गड्ढे को तुरंत भरना संभव नहीं हो पाता है। इससे मार्गों से कुछ दूरी पर कोयले के ढेर बनाने हेतु स्थान नियत करने होते हैं। इन ढेरों के कारण भूमि का अपक्षय होता है, जिसका निराकरण होने तक पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपक्षय खत्म होने पर ही यहां वनस्पति उगाना संभव हो सकता है। नदी के किनारे स्थित अधिभारित क्षेत्रों से कोयला हटाने के पश्चात ही इस क्षेत्र में भू-दृश्यीकरण संभव हो सकेगा। खुली खदानों से कोयला निकालने के पश्चात धूल हवा में फैलने से वातावरण धुंधला बन जाता है। वर्तमान एवं प्रस्तावित खुली खदानों के स्थान निम्नानुसार है :-

अ) कोरबा के दक्षिण में मानिकपुर ब) बांकी स) सुराकछार द) बलगी

2) सतही खदानों में खनिकर्म :

इन खदानों से खनन गतिविधियों निम्नलिखित क्षेत्रों में होती है।

अ) मानिकपुर ब) कोरबा स) खगामार द) दीपका

सतही खनन गतिविधियों के कारण निम्नलिखित समस्याएं निर्मित हुई हैं :

अ) जमीन के धसने की संभावनाएं बनी रहती है।

ब) क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है।

स) क्षेत्र स्थायी रूप से नगर विकास हेतु अयोग्य हो जाते हैं।

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल एवं वर्तमान कोरबा नगर के मध्य में स्थित एक बड़ा क्षेत्र नगर विकास हेतु अनुपयुक्त है। हसदेव नदी के पश्चिम में स्थित सतही खनन क्षेत्र आबादी से दूर स्थित है। इसलिए नगरीय विकास में इसका कोई महत्व नहीं है।

2.12 ताप विद्युत उत्पादन :

औद्योगिक विकास हेतु विद्युत एक आवश्यक इकाई है। कोयला खदानों के समीप ही ताप विद्युत केन्द्र स्थित होने से यहां से एक ओर सस्ती विद्युत उपलब्ध हो जाती है, वहां दूसरी ओर इन कारखानों के कारण कोरबा के नागरिकों के स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सर्वप्रथम सन 1959 में कोरबा नगर में 100 मेगावाट शक्ति का पावर स्टेशन स्थापित किया गया। सन् 1966 में 200 मेगावाट क्षमता वाला द्वितीय पावर हाउस स्थापित किया गया। एल्युमिनियम के उत्पादन हेतु विद्युत शक्ति एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण बालको द्वारा एल्युमिनियम कारखाने के साथ-साथ 120 मेगावाट शक्ति का एक पावर स्टेशन भी सन् 1976 में स्थापित किया गया। पूर्व तट पर स्थित ताप विद्युत कारखानों की कुल क्षमता 540 मेगावाट होगी। विद्युत उत्पादन गतिविधियों से हसदेव बांध के निर्माण का भी सीधा संबंध है।

कोरबा के उत्तर में, बालको कारखाने के समीप तथा हसदेव बांध के पास एक 200 मेगावाट शक्ति का पावर हाउस स्थापित किया गया। इसके पश्चात हसदेव नदी के पश्चिम में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 1000 मेगावाट क्षमता का सुपर पावर स्टेशन तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा 2100 मेगावाट शक्ति का एक पावर स्टेशन स्थापित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों कारखाने कोरबा आबादी के ठीक उत्तर में एवं मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, आई.टी.आई. बालको आदि आवासीय क्षेत्रों से पश्चिम में स्थित है।

उपरोक्त कारखानों से कोरबा के पूर्व स्थित बस्ती एवं कोरबा नगर की बस्तियों की गतिविधियों पर मुख्य रूप से प्रतिबंध लगा जायेगा। इस प्रभाव को जानने के लिये ताप विद्युत कारखाने से निर्मित उपोत्पादन तथा उनके परिणामों को ज्ञात करना आवश्यक है।

ताप विद्युत प्रक्रिया में कोयले का चूर्ण प्रयोग में लाने से प्रवाही धोल निर्मित होता है। इसके उत्सर्जन की मात्रा, प्रकार जदि बातों पर यहां के लोगों का स्वास्थ्य निर्भर करता है।

सन् 1980 में नागपुर स्थित राष्ट्रीय इंजीनियरिंग शोध संस्थान द्वारा कोरबा में हवा के प्रदूषण के संबंध में अध्ययन किया गया। जिन बिन्दुओं पर वायु प्रदूषण के परिणाम ज्ञात किये गये, वे स्थान नीचे प्रस्तुत है :

नगर के निम्नलिखित स्थानों पर अध्ययन किया गया :

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. कादम्बरी भवन | 4. एस.ई.सी.एल. कार्यालय |
| 2. चाम्पा मार्ग पर स्थित लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह | 5. हसदेव बांध स्थित निरीक्षण भवन |
| 3. बालको क्लब | 6. विकास भवन |
| | 7. साडा कालोनी |

हवा का संघात स्वरूप तथा उसका गुणात्मक मूल्यांकन

सारणी 2.5

ज. उत्सर्जित खान के संदर्भ में स्थिति	छोड़ी गई मात्रा यू.जी.एम.	स्वीकार्य अधिकतम सीमा एम.जी/एम.एम. ³	गंधक अम्ल	स्वीकार्य अधिकतम मात्रा एम.जी/एम.एम. ³	सर्वेक्षण के समय हवा की दिशा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. कादम्बरी भवन	191	150	11	30	उत्तर से दक्षिण	
2. पी.डब्ल्यू.डी.विश्रामगृह	213	„	20	„	„	
3. बालको क्लब	169	„	9	„	„	
4. एस.ई.सी.एल. कार्यालय	234	„	6	„	„	
5. हसदेव बैराज	304	„	6	„	„	
6. विकास भवन	318	„	11	„	„	
7. साडा कालोनी	322	„	18	„	„	

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि यह अध्ययन केवल पूर्वी तट पर स्थित 540 मेगावाट क्षमता वाले पावर हाउस क्षेत्र हेतु ही सीमित है। यू.एन.ई.पी. द्वारा सन् 1981 में सम्पन्न अध्ययन से कोयले से चलने वाले 1000 मेगावाट ताप विद्युत गृहों से प्रवाहित, उत्सर्जित एवं ठोस अवशेष पदार्थों के आंकड़े निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :

अ) प्रवाहित द्रव (टनों में)	1. आर्गनिक पदार्थ	66
	2. क्लोराईड	26
	3. गंधक अम्ल	82
	4. फास्फेट	42
	5. बोरोन	330
	6. निलंबित ठोस	550

ब) हवा से संबंधित उत्सर्जन (टनों में)	1. परटीकुलेट	8 x 10 पी.
	2. सल्फर डाय आक्साईड	110 x 10 पी.
	3. नाइट्रोजन आक्साईड	27 x 10 पी.
	4. कार्बन मोनोआक्साईड	2 x 10 पी.
	5. हाईड्रो कार्बन	400

स) ठोस अवशेष (टनों में)

1. सतहों में स्थित राख तथा सुरक्षित उड़ने वाली राख 3.6×10^6

पूर्वानुमान :

संयंत्र में 3×10^6 टन कोयला जलता है जिससे 1000 मेगावाट बिजली प्रतिवर्ष पैदा होता है जो 8.76×10^6 किलोवाट के बराबर है।

कोरबा में कुसमुंडा क्षेत्र से निकले कोयले में राख की मात्रा 42 से 50 प्रतिशत तक पाई जाती है।

पश्चिम तट पर 3000 मेगावाट विद्युत क्षेत्र निर्मित हेतु पावर हाउस स्थित होने के कारण इन पावर स्टेशनों के पूर्व एवं दक्षिण में रह रहे निवासियों के गतिविधियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव से प्रतिबंध निर्मित हुए हैं।

राष्ट्रीय यांत्रिकी शोध संस्थान द्वारा सम्पन्न अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि हवा में धूल के कणों के मात्रा बहुत अधिक है इस संबंध में संकट पूर्ण मात्रा का कोई उल्लेख नहीं है, केवल औसत मात्रा ज्ञात करने से प्रभावित क्षेत्र के निर्धारण करने में मदद नहीं मिलेगी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह अध्ययन केवल 1/5 विद्युत उत्पादन क्षमता के क्षेत्र से ही संबंधित है। अब ये संयंत्र स्थापित हो जाने से आलोचनात्मक पहलुओं को छोड़कर यांत्रिकी साधनों से उच्चतम कार्य क्षमता प्राप्त कर दोषों का निराकरण करना आवश्यक है।

2.13 वायु प्रदूषण का प्रभाव :

यद्यपि श्वसन से संबंधित रोगों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो भी पूर्वानुभव के आधार पर इस प्रकार के पर्यावरण में श्वास की बिमारियां सामान्यतया पाई जाती है। खुली आंखों को भी क्षति होने की संभावनायें बनी रहती है। इन कारणों से आवासीय क्षेत्रों को सुरक्षित स्थानों पर निश्चित करना आवश्यक है। नगर में पश्चिम-दक्षिण एवं दक्षिण-उत्तर तथा दक्षिण-उत्तर-पश्चिम से हवा का बहाव बहुत कम होने से विद्युत उत्पादन संयंत्र के पश्चिम एवं उत्तरी क्षेत्र, इस दृष्टि से उपयुक्त पाये गये हैं।

वायु प्रदूषण का वनस्पति पर प्रभाव :

नगर में औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि के साथ-साथ और विशेष रूप से कोयले से उत्पादित ताप शक्ति पर यहां संयंत्र स्थापित होने से सल्फर डाय ऑक्साइड (SO_2) के कारण हवा में प्रदूषण की समस्या निर्मित हुई है। ताप विद्युत संयंत्रों में जीवांशीव ईंधन के जलने के कारण (SO_2) का उत्सर्जन होते रहता है।

यह अनुमान है कि देश में 1966 से 1980 तक SO_2 उत्सर्जन की मात्रा में लगभग 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि यह वृद्धि अमेरीका में सिर्फ 8 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर द्वारा सम्पन्न अध्ययन के अनुसार साड। कालोनी तथा पी.ड ब्लू.डी. विश्राम वाले स्थानों में SO_2 की मात्रा अधिक पाई गई है। हवा में SO_2 की मात्रा अधिक होने से प्रकाश संश्लेषण, श्वसन एवं अन्य वनस्पतिक प्रक्रियाओं पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। प्रयोगात्मक रूप से यह देखा गया है कि 429 यू.जी.एस. O_2 प्रति एम.3 (0.15 पी.पी.एम) का सकेन्द्रण खतरे की शुरुआत को इंगित करता है। हवा में छोड़े गये कणों से वनस्पति की पत्तियों आच्छादन होने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कमी आती है। उत्सर्जन केन्द्र से पेड़ की दूरी तथा हवा की दिशा आदि बातों पर यह विपरीत प्रभाव डालता है।

अतः कोरबा में पूर्व में प्रस्तावित कार्यक्रम के अलावा हसदेव बांध के उत्तर में तथा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के पश्चिम के भागों में भी गहन वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाना आवश्यक है।

सड़क परिवहन व्यवस्था पर प्रभाव :

कोयले के परिवहन हेतु नगर में ट्रकों का उपयोग पूरक परिवहन के रूप में जारी रहेगा। वर्तमान में यहां स्थित सड़कों की दूरी संतोषजनक नहीं है। अतः इसमें सुधार आवश्यक है। इसके साथ-साथ परिभ्रमण की नयी कड़ियां निर्मित करना आवश्यक है।

कोरबा

प्रमुख वायु दिशा

प्रतिगत दिन
उत्तर
२८-६६


जनवरी, फरवरी, मार्च, जून, अक्टूबर,
नवम्बर, दिसम्बर



१७-८४



६-२६



२१-२४



जुलाई, अगस्त, सिते, अक्तूबर, नवम्बर,
दिसम्बर

७-६२



८-१८



४-४३



५-०
दक्षिण

ताकि यात्री यातायात, माल यातायात से विभक्त हो सके। इससे दर्दी बांध पर भारी वाहनों को यातायात से संबंधित भार कम करने में मदद मिलेगी। अपवाही पदार्थों का निराकरण कर ताप विद्युत की प्रक्रिया में राख के ढेर निर्मित होना स्वाभाविक है।

ट्रान्समिशन लाईन :

इस प्रकार की लाईनें ताप विद्युत केन्द्र से शुरु होकर, इनके चारों ओर प्रमुख रूप से स्थित है। क्षेत्र के पार इन लाईनों का इस प्रकार बिछाव जारी रखने से नगर के वर्तमान एवं भविष्य के विकास में बाधा आ सकती है। यह समस्या कोरबा के पश्चिम से सुपर पॉवर्ल पावर स्टेशन से अति तीव्र प्रतीत होती है। कोयला निर्माण क्षेत्र के गलियारों का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर इन लाईनों को ले जाना उचित होगा, ताकि इस नगर के विकास में भविष्य में न्यूनतम बाधाएँ उत्पन्न न हो। आवासीय क्षेत्रों से होने वाला आड़ा तिरछा पारगमन न टालते हुए कूट घोरा मार्ग के उत्तर में ये लाईनें बिछाना उपयुक्त होगी।

उपरोक्त अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं :

1. सेवाओं तथा सुख सुविधाओं से युक्त बस्तियों की स्थापना हेतु क्षेत्रों का परिसीमन।
2. भविष्य कालीन औद्योगिक गतिविधियों हेतु क्षेत्र का परिसीमन।
3. नगर स्तरीय परिभ्रमण संरचना हेतु नयी परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करना।
4. आवासीय औद्योगिक तथा भवन निर्माण गतिविधियों हेतु वर्जित क्षेत्रों का परिसीमन।
5. सूखी राख एवं द्रव घोल के निराकरण हेतु क्षेत्रों का परिसीमन।
6. कोरबा बस्ती के विकास हेतु नीति का निर्धारण।
7. हवा एवं पानी के गुणों का आंकलन करने हेतु स्थाई उपाय।

विरलेषण :

कोरबा नगर तथा पड़ोस के मानचित्र में इस संबंध में विश्लेषण किया जा चुका है।

अध्ययन एवं विरलेषण के आधार पर नगर में भूमि उपयोग के नक्शों के संबंध में प्रस्ताव के प्रमुख मुद्दे निम्नानुसार हैं :

1. **परित्यक्त क्षेत्रों की सतह का उपयोग :** ये क्षेत्र भवन निर्माण गतिविधियों हेतु अनुपयुक्त माने जा सकते हैं। इन क्षेत्रों का उपयोग करते समय डायरेक्टर जनरल माईन्स एवं सेपटी की ओर से अनुमति ली जायेगी।
2. **राख के ढेरों हेतु स्थान :** गीले घोल को उतारने हेतु भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त एवं छिद्रता युक्त स्थान आवश्यक है। राख के ढेरों बनाने हेतु स्वच्छ द्र एवं (जल संस्तर क्षेत्र) क्षेत्र का चयन ठीक नहीं है। भूजल का क्षरण हेतु यह सावधानी जरूरी है।
3. **ट्रान्समिशन लाईनें :** यह अनुमान है कि न्यूनतम रूप से विशेष ऊँचाई वाली 6 अतिरिक्त लाईनें विद्युत ताप गृहों से निकाली जायेगी। वर्तमान सरेखन से केवल एक ही सर्किट निकाला गया है। इन हाई टेंशन लाईनों का सरेखन वर्तमान में ठीन न होने से खुले क्षेत्र अस्त-व्यस्त रूप से उप विभाजित हो गये हैं। इसके अलावा इन लाईनों के आसपास पर्याप्त मात्रा में क्षेत्र खुला छोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार बहुमूल्य नगरीय भूमि का प्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग हो रहा है। अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि अधिक हाई टेंशन लाईनों के बिछाने हेतु उपयुक्त चौड़ाई का एक निश्चित गलियारा निर्मित कर मल्टी सर्किट टर्नर पद्धति से लाईनें बिछाये जावे।
4. **जल संस्तर रिचार्ज व क्षेत्रों का सतह का उपयोग :** पुलों के निर्माण एवं अन्य नगरीय उपयोगों हेतु इन क्षेत्रों का उपयोग नहीं होना चाहिए। नगर स्तरीय हेतु अग्र भूमि के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा नगर स्तरीय आमोद-प्रमोद हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है।
5. **हवा की दिशा के कारण निर्मित बाधाएँ :** नगर में प्रमुख रूप से हवा का बहाव उत्तर-दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से दक्षिण-पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व की ओर देखा गया। मानसून के समय आर्द्रता के कारण हवा की दिशा प्रासंगिक रहती है। हवा के प्रदूषण की दृष्टि से कोरबा नगर के पूर्व में स्थित क्षेत्रों में तथा कोरबा नगर क्षेत्र में बड़ी बाधाएँ निर्मित होता है। अतः इन क्षेत्रों में भारी गतिविधि वाले क्षेत्र स्थापित करना उचित नहीं है। यहां स्थित भवनों का रुपांकन परिस्थिति के अनुरूप किया जाना आवश्यक है।

यह अनुशंसित किया जाता है कि हवा तथा प्रदूषण को स्थाई रूप से मानिटर करने हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा स्थित इकाई स्थापित की जाए।

6. भू-गर्भीय संस्तर एवं भ्रंश के कारण बाधाएँ : भू-गर्भीय दृष्टि से भ्रंश क्षेत्र दर्शाये जा चुके हैं। ये क्षेत्र भवन निर्माण, सड़क निर्माण आदि की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा भौमिकीय दृष्टि से स्थिर बनते जा रहे क्षेत्रों का तीव्र गति से नगरीय गतिविधि हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।

7. भविष्य के विस्तार हेतु उपयुक्त स्थान : संश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि कट घोरा मार्ग के दक्षिण एवं उत्तर में स्थित क्षेत्र नगर निर्माण गतिविधियों हेतु उपयुक्त है। बालको के दक्षिण में भी पट्टीनुमा क्षेत्र है इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो सकते हैं। जहां तक औद्योगिक गतिविधियों हेतु स्थान उपलब्ध कराने का प्रश्न है, ये स्थान नगर पूर्व में उपलब्ध है।

8. नगर स्तरीय परिभ्रमण : नगर को पूर्व पश्चिम में जोड़ने हेतु हसदेव बांध एकमेव कड़ी उपलब्ध है। नगर को पूर्व पश्चिम में प्रमुख मार्ग से जोड़ना नितान्त आवश्यक है। नगर में सक्षम परिभ्रमण हेतु एवं हसदेव बांध पर होने वाली यातायात की मात्रा कम करने के लिये यह मार्ग बहुत आवश्यक है। इसके अलावा पूर्व कोरबा से पश्चिम कोरबा तक यात्री यातायात हेतु रेल सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। कोरबा नगर का विकास अब तक स्वतंत्र परिक्षेत्र के रूप में हुआ है।

अतः नगरस्तरीय गतिविधियां सुचारू रूप से सम्पन्न होने के लिये समन्वित कार्यवाही आवश्यक है।

अध्याय-3 जनसंख्या एवं नगर के कार्यकलाप

जहाँ तक विकास प्रवृत्ति का प्रश्न है, मानव आबादी एक जीवित प्राणी के समान है। मानव आबादी द्वारा आसपास के क्षेत्र पर प्रभाव डालने के साथ-साथ वह आसपास के क्षेत्र से स्वयं भी प्रभावित होती रहती है। कोरबा नगर के आसपास के क्षेत्रों के साथ कोरबा नगर की जनसंख्या के तुलनात्मक जनसांख्यिकीय अध्ययन से जनसंख्या, पारिवारिक ढाँचा, आर्वाजन की प्रवृत्ति, श्रमिक शक्ति, रोजगार का ढाँचा आदि के बारे में जानने में मदद मिलती है। इन तत्वों के विश्लेषण से नगर की वाणिज्यिक, औद्योगिक सेवा सुविधाएँ, आमोद-प्रमोद आदि के भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में भी मदद मिलती है। इस अध्याय में नगर की जनसंख्या का, तथा आसपास के क्षेत्र की जनसंख्या के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि हमें अध्ययन के क्षेत्र की आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके।

3.1 अध्ययन क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन :

3.1.1 अध्ययन क्षेत्र की पहचान

कोरबा नगर नान फेरस खनिज संसाधन क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। यह लगभग बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा जिलों के मध्य स्थित है। भौगोलिक एवं प्रशासनिक समानता को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन हेतु बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा जिलों को अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया गया है।

3.1.2 परिवर्तन का विश्लेषण :

राज्य के परिप्रेक्ष में अध्ययन क्षेत्र में स्थित जिलों की जनसंख्या में परिवर्तन की प्रवृत्ति निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

कोरबा - जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि

सारणी 3.0

राज्य/अध्ययन क्षेत्र-जिला वर्गीकरण		1971-81	1961-71	1951-61	1941-51
1. मध्यप्रदेश	योग	25.17	28.67	24.17	8.67
	ग्रामीण	15.16	25.58	20.95	6.01
	नगरीय	56.07	46.83	47.70	33.16
2. अध्ययन क्षेत्र	योग	19.50	20.08	21.12	10.39
	ग्रामीण	16.05	20.61	16.58	10.68
	नगरीय	56.69	56.09	57.24	3.69
3. बिलासपुर जिला	योग	20.94	27.70	15.80	0.30
	ग्रामीण	16.84	17.40	10.60	8.20
	नगरीय	54.70	56.80	140.41	11.17
4. रायगढ़ जिला	योग	12.77	22.80	22.10	8.30
	ग्रामीण	9.82	22.60	22.10	6.30
	नगरीय	59.60	26.80	26.70	54.80
5. सरगुजा जिला	योग	22.97	27.90	26.10	17.40
	ग्रामीण	20.37	24.60	24.00	19.30
	नगरीय	59.07	103.30	105.90	26.00

स्रोत - जनगणना प्रतिवेदन

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट है कि सन् 1951-61 के दशक में बिलासपुर जिले के जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। इसके पश्चात् दूसरे स्थान पर सरगुजा जिले में यह वृद्धि देखी गई है, इन दोनों जिलों में इस दशक में खनन गतिविधियों में विशेष रूप से वृद्धि देखी गई है। सन् 61-71 के दशक में भी यही प्रवृत्ति पाई गयी थी। लेकिन यह देखी गई कि इस दशक में बिलासपुर जिले की अपेक्षा सरगुजा जिले की नगरीय जनसंख्या वृद्धि अधिक हुई।

यह बड़ी दिलचस्प बात है कि राज्य की कुल जनसंख्या में वृद्धि की अपेक्षा अध्ययन क्षेत्र में स्थित जनसंख्या में वृद्धि कम थी। यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रह सकती है। अध्ययन से यह पता चलता है कि क्षेत्र में नगरीकरण का ढाँचा निश्चित करने में खनिज क्षेत्र में स्थित खनन गतिविधियाँ प्रमुख भूमिका निभाती रहेगी।

कोरबा नगर के औद्योगीकरण के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र के नगरों में द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी आयेगी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा 2000 मेगावाट का पावर स्टेशन प्रारंभ होने पर इस प्रकार की गतिविधियों में अधिक वृद्धि की संभावना है।

3.1.3 नगरीकरण

निम्नलिखित सारणी में कुल जनसंख्या के साथ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत हैं :

कोरबा : अध्ययन क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या

सारणी क्र.-3.1

अ. क्र.	जिला/तहसील	कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत	नगरों की संख्या
1.	2.	3.	4.
अ.	बिलासपुर जिला	13.84	12
1.	बिलासपुर	23.36	5
2.	जांजगीर	10.98	3
3.	सक्ती	4.90	1
4.	मुंगेली	4.24	1
5.	कट घोरा	13.63	1
ब.	रायगढ़ जिला	8.40	4
1.	रायगढ़	25.19	2
2.	सारंगढ़	4.89	1
3.	जशपुर नगर	2.55	1
स.	सरगुजा जिला	8.68	7
1.	अम्बिकापुर	7.33	1
2.	बैकुंठपुर	4.58	1
3.	सूरजपुर	1.82	1
4.	पाली	2.72	1
5.	मनेन्द्रगढ़	42.93	3
मध्यप्रदेश का अध्ययन क्षेत्र		11.12	23

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कोरबा नगर में किये गये पूंजी निवेश के अनुपात से अध्ययन क्षेत्र में नगरीकरण का विस्तार ठीक ढंग से नहीं हो सका है। पूर्ण राज्य की तुलना में इस क्षेत्र में नगरीकरण की गति कम

दिखाई देती है। इससे यह बात स्पष्ट है कि छोटी नगरीय बस्तियों को विकसित करने में विशेष प्रयास आवश्यक है। यह अध्ययन में परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध होने पर ही प्राप्त हो सकेगी।

3.2 नगर की जनसंख्या में परिवर्तन :

3.2.1 जनसंख्या वृद्धि

सन् 1941 में कोरबा नगर एक छोटा-सा ग्राम मात्र था। सन् 51-61 के दशक में नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 454.60% वृद्धि देखी गई। निम्नलिखित सारणी में क्षेत्र में स्थित अन्य नगरों की तुलना में कोरबा नगर में जनसंख्या वृद्धि के तुलनात्मक आँकड़े प्रस्तुत हैं।

कोरबा जनसंख्या-वृद्धि

सारणी क्र.-3.2

वर्ष	कोरबा जनसंख्या	दशक				
		कोरबा	बिलासपुर	रायगढ़	सरगुजा	रायपुर
1941	1804	-	19.4	13.93	13.59	39.82
1951	2240	24.10	4.39	8.32	11.45	47.50
1961	12424	454.60	121.76	22.06	26.12	55.66
1971	32654	162.83	50.79	22.76	27.45	47.35
1981	83423	155.48	54.70	59.07	59.07	63.00

स्रोत : जनगणना प्रतिवेदन

सन् 1951 की कालावधि में कोरबा नगर की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि निश्चित रूप से नगर में एल्युमिनियम संयंत्र स्थापित होने से एवं खनन गतिविधियों में वृद्धि के कारण थी। इन गतिविधियों में वृद्धि का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बिलासपुर नगर की जनसंख्या पर भी देखा गया। इसके पश्चात की कालावधि में भी कोरबा नगर की जनसंख्या में अन्य नगरों की अपेक्षा अधिक वृद्धि देखी गई, लेकिन वह पूर्व दशक के वृद्धि की दर से कम थी। नगर की औद्योगिक गतिविधियों में यदि भविष्य तक वृद्धि नहीं होती तो जनसंख्या की वृद्धि का यह क्रम आगे भी जारी रहने की संभावना है। नगर की भावी जनसंख्या निश्चित करते समय उपरोक्त बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

3.2.2 स्त्री-पुरुष अनुपात :

स्त्री-पुरुष अनुपात से नगर में पारिवारिक जीवन की स्थिरता के संबंध में जानकारी मिलती है। कोरबा नगर में स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े निम्न सारणी में प्रस्तुत हैं।

सारणी क्र.-3.3

कोरबा : स्त्री-पुरुष अनुपात (प्रति हजार पुरुष)

नगर - राज्य	1981	1971	1961
मध्यप्रदेश (नगरीय)	883	864	856
कोरबा (नगरीय समूह)	849	815	979

स्रोत : जनगणना प्रतिवेदन

छ तीसगढ़ क्षेत्र में सामान्यतः स्त्री-पुरुष अनुपात अधिक है परंतु यह देखा गया है कि नगरीय क्षेत्र में स्त्री-पुरुष अनुपात की तुलना में कोरबा नगर में उपलब्ध अनुपात कम है। इससे यह बात स्पष्ट है कि नगर में गृह निर्माण एवं जीवन विषयक सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ है।

3.2.3 प्रव्रजन

प्रव्रजन के संबंध में नवीनतम जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि जिस अनुपात में पिछले दो-तीन दशकों में जनसंख्या असामान्य वृद्धि हुई है। यह बात स्पष्ट है कि सन् 1971-81 के दशक में 25 हजार से अधिक लोग बाहर से आकर इस नगर में रहने लगे हैं। यह वृद्धि सन् 1981 की जनसंख्या की अनुपात में 30 प्रतिशत अधिक है। कोरबा नगर की ओर जनसंख्या का स्थानान्तरण प्रमुख छ तीसगढ़, उड़ीसा एवं बिहार की ओर से रोजगार के खोज में हुआ है। यह स्थानान्तरण की प्रक्रिया भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है।

3.3 नगर के आर्थिक कार्यकलाप :

नगर के व्यावसायिक ढांचे से वहां स्थित आर्थिक कार्यकलापों का पता लगता है। सन् 1971 की जनगणना के अनुसार व्यावसायिक ढांचे के लिये नियत श्रेणियों के अनुसार विस्तृत वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है। तथापि द्वितीयक स्त्रोतों से उपलब्ध जानकारी के अनुसार व्यावसायिक ढांचे का वर्गीकरण निम्न सारणी में प्रस्तुत है।


कोरबा : व्यावसायिक ढाँचा

सारणी क्र.-3.4

क्र.	श्रेणी	श्रमिकों की संख्या		प्रति 1000 श्रमिकों के पीछे विभिन्न श्रेणियों में श्रमिकों की संख्या	
		1971	1981	1971	1981
1.	2.	3.	4.	5.	6.
अ. प्राथमिक क्षेत्र					
1.	कृषक	698	448	61	17
2.	कृषि श्रमिक	705	367	62	14
3.	खदान तथा खनन	2852	3530	249	132
योग (अ)		4255	4345	371	163
ब. द्वितीयक क्षेत्र					
1.	गृह उद्योग	256	896	22	34
2.	उत्पादन उद्योग	616	8660	54	324
3.	निर्माण	1875	1713	164	64
योग (ब)		2747	11269	240	422
स. तृतीयक क्षेत्र					
1.	व्यापार एवं वाणिज्यिक	991	2190	86	82
2.	परिवहन	322	1790	28	67
3.	अन्य सेवाएँ	3149	7100	275	266
योग (स)		4462	11080	389	415
महायोग		11464	26694	1000	1000

कोरबा

जनसंख्या प्रवृत्ति



कोरबा

रायपुर

बिलासपुर

भिलाई दुर्ग

उपरोक्त सारणी से यह बात स्पष्ट है कि यह नगर प्रमुख रूप से खनन तथा औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित प्रमुख नगर है। जहां तक अन्य गतिविधियों का प्रश्न है, वे सभी गतिविधियां नगरीकरण से संबंधित है। यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि नगर में तृतीयक क्षेत्र को गतिविधियां तुलनात्मक दृष्टि से कम है। अतः इस क्षेत्र के गतिविधियों में वृद्धि हेतु पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता है।

3.4 ग्रामों का वर्गीकरण :

कोरबा नगर समृद्धि खजिन सम्पदा वाले क्षेत्र में स्थित है। इन नगर के नियंत्रित विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन इस क्षेत्र हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस विशेष क्षेत्र में 74 ग्राम शामिल है। अतः इन ग्रामों हेतु विकास योजनायें बनाना बहुत आवश्यक है।

निम्नलिखित परिच्छेदों में इन ग्रामों की विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत है :

1. नगरीय ग्राम : ऐसे ग्राम, जिनकी बस्तियाँ नगर में विलीन हो चुकी है।
2. नगरीकरण योग्य ग्राम : ऐसे ग्राम, जिनकी बस्तियाँ नगरीय क्षेत्र में विलनीकरण के दहलीज पर स्थित है।
3. अर्बन ग्राम : ऐसी बस्तियाँ, जिसमें नगरीय बस्तियों के अभिलक्षण उपस्थित है।
4. ग्रामीण : ऐसी बस्तियाँ, जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि है।

प्रथम तीन श्रेणी में शामिल ग्रामों की सूची, निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

क्रमांक	प्रकार	क्राईट एरिया	ग्रामों के नाम
1.	नगरीय	ऐसे ग्राम जो सन् 1961 से नगरपालिका क्षेत्र के बाहर स्थित है।	1. दोंदरो
2.	नगरीकरण योग्य	निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित	1. नगोईखार 2. रिसदा 3. दरईखार 4. जमनीपाली 5. खरमोरा 6. रुमगरा 7. रिसदी 8. टंगामार
3.	अर्बन	विशेष क्षेत्र स्थित होकर तथा नगरीय अभिलक्षण युक्त	1. बांकी 2. गजरा 3. घोड़देवा, मोंगरा 4. सुराकछार 5. विश्रामपुर 6. अगारखार 7. चारपारा, गेवरा 8. गोपालपुर 9. जरहा 10. गेवरा 11. कोसमुंडा 12. खम्हरिया 13. स्याहीमुडी

विशेष क्षेत्र में स्थित शेष 48 ग्रामों में प्रमुख व्यवसाय कृषि है। व्यवसाय का यह क्रम आगे भी जारी रह सकता है। इन ग्रामीण आवासीयों हेतु यथा संभव विकास योजनाएं बनाई जाना चाहिए।

भौतिक विकास एवं वर्तमान विकास का ढाँचा

4.1 भौतिक विकास की प्रवृत्ति :

मानव बस्तियों का क्रमिक विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है। नगर के क्रमिक विकास में तथा उसके पर्यावरण सुधार में लोगों द्वारा दिये गये योगदान की जानकारी नगरीय विकास से ज्ञात होती है।

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि यह नगर हसदेव नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित एक छोटा सा ग्राम था। सन् 1950 में एक प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिये हसदेव नदी पर एक बांध निर्मित कर तालाब के रूप में निर्मित किया गया जिससे इस ग्राम को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। सन् 1957 में इस क्षेत्र में 100 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र प्रारंभ किया गया इसके साथ साथ नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा मानिकपुर क्षेत्र में कोयले की खुली खदान भी प्रारंभ की गयी। इससे इस क्षेत्र में सिंचाई विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा नगर के उत्तर पूर्व में आवासीय कालोनियां स्थापित की गईं।

सन् 1961 में मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का 200 मेगावाट शक्ति का थर्मल पावर स्टेशन का काम प्रारंभ हुआ इससे विद्युत उत्पादन 1966 से 1968 की कालावधि में विभिन्न चरणों में प्रारंभ हुआ, इसके फलस्वरूप वर्तमान आवासीय कालोनियों के अतिरिक्त अन्य आवास गृहों का निर्माण किया गया। सन् 1966 में फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया एवं एल्युमिनियम कम्पनी के लिये आधारभूत सुविधाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया के श्रमिकों के आवास हेतु 100 मेगावाट थर्मल पावर स्टेशन के पूर्व में तथा मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की कालोनी के समीप में एक आवासीय कालोनी का निर्माण किया गया। सन् 1968 में 200 मेगावाट थर्मल स्टेशन के पास बालको एल्युमिनियम प्लांट का निर्माण प्रारंभ किया गया। इसी प्रकार बालको टाउनशीप का निर्माण सन् 1969 में प्रारंभ किया गया। सन् 1970 में इस स्थान पर ताप विद्युत की अतिरिक्त इकाईयाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से यहां 120 मेगावाट शक्ति के दो थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किये गये, जिनसे क्रमशः सन् 1972 एवं 1977 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ। एल्युमिना चूर्ण से एल्युमिनियम निर्मित करने हेतु सन् 1971 में बालको द्वारा एक छोटा संयंत्र स्थापित किया गया। सन् 1972 में बालको टाउनशीप का विस्तार कार्य प्रारंभ हुआ। उसी समय सन् 1972 से 78 की कालावधि में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा अपनी वर्तमान आवासीय कालोनी में अतिरिक्त और आवास गृहों का निर्माण किया गया। सन् 1970 में इन्डो वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा गोपालपुर ग्राम में कटघोरा मार्ग पर एक विस्फोटक संयंत्र की स्थापना की गई। इसके अलावा सन् 1978 में हसदेव नदी के पश्चिम किनारे पर मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 1000 मेगावाट शक्ति का एक थर्मल पावर स्टेशन तथा नेशनल पावर कारपोरेशन द्वारा 2000 मेगावाट शक्ति का एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किये गये।

इन थर्मल पावर स्टेशनों में कार्यरत श्रमिकों को आवास हेतु टाउनशीप विकसित करने का कार्य सन् 1976 में प्रारंभ किया। यह टाउनशीप इन संयंत्रों के समीप ही स्थापित की गई। साथथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा कोसमुण्ड। खुली खदान से कोयला का खनन कार्य प्रारंभ करने का साथ ही खम्हरिया में कर्मचारियों के लिये आवासीय कालोनी विकसित की गई। परिवहन के क्षेत्र में चौपा मार्ग को कटघोरा मार्ग से हसदेव बांध के समीप बालको क्षेत्र से होते हुए मार्ग को जोड़ने तथा कोरबा के पश्चिमी क्षेत्र की सवारियों एवं माल को पहुँचाने हेतु गेवरा रेल्वे स्टेशन का निर्माण आदि ऐतिहासिक घटनाएँ मानी जा सकती हैं। भौतिक वृद्धि के विश्लेषण से यह देखा गया है कि इस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास 5 स्वतंत्र इकाईयों में हुआ है। ये इकाईयाँ निम्नानुसार हैं :

1. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
2. बालको एल्युमिनियम प्लांट एवं उसकी आवासीय कालोनी द्वारा घिरा हुआ भारत एल्युमिनियम कम्पनी का क्षेत्र।
3. मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तथा उसकी आवासीय कालोनीयों तथा साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड द्वारा व्याप्त पूर्व का क्षेत्र।
4. कोरबा नगर की पुरानी बस्ती।
5. साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों के आवास हेतु विकसित आदर्श नगर कोसमुण्ड। एवं अन्य कालोनियाँ।

इसके अलावा खदान क्षेत्रों में छोटी कालोनियाँ विकसित हुई हैं। यह देखा गया है कि सब इकाईयाँ विभिन्न एजेन्सीयों द्वारा स्थापित होने के कारण इन कालोनियों को आपस में जोड़ने के लिये कोई सुविधाजनक कड़ी उपलब्ध नहीं है।

4.2. भौतिक विकास की समस्याएँ :

असमन्वित एवं स्वतंत्र रूप से विकास के कारण नगर में जो समस्यायें निर्मित हुई वे संक्षेप में नीचे प्रस्तुत हैं :

1. उत्तर पूर्व दिशा में उद्योगों की स्थापना के कारण विशेष रूप से ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना के कारण पर्यावरण की समस्यायें निर्मित हुई हैं। इससे वायु प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है वायु प्रदूषण से निर्मित होने वाले कुप्रभाव को टालने के लिये हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना करनी होगी।
2. नगर में स्थित बड़ी खुली खदानों एवं भूमिगत खदानों में चलने वाले कार्य के कारण भी हवा प्रदूषित होती है। भावी विकास के प्रस्ताव तैयार करते समय इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
3. खदान क्षेत्रों से कारखानों तक सड़कों, रेलों एवं वाहन पट्टी द्वारा कोयले के परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
4. कोयले की राख के ढेरों द्वारा बहुत सा स्थान घेरा जाता है। अतः इसके लिये उपयुक्त प्रावधान आवश्यक है।

4.2.1 भौतिक बाधाएँ :

नगर में विभिन्न बस्तियाँ बिखरे हुए रूप में स्थापित होने से विकास के मार्ग में भौतिक बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। इन पर विचार करना आवश्यक है।

नगर की प्रमुख भौतिक बाधाएं निम्नलिखित हैं :

1. पुराने कोरबा नगर के पश्चिम में हसदेव नदी तथा उत्तर-पूर्व में बड़ी रेल लाईन।
2. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल की आवासीय कालोनियों का क्षेत्र एवं ताप विद्युत संयंत्र उत्तर में ढंगुर नाले के रूप में तथा पश्चिम में हसदेव नदी के रूप में भौतिक बाधायें विद्यमान हैं।
3. फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया तथा सिंचाई विभाग के कालोनी वाले क्षेत्रों में कोई भौतिक बाधा नहीं है खुली खदानों तथा भूमिगत खदानों वाले क्षेत्रों में जहां वर्तमान में खनन प्रक्रिया जारी है नियोजन नगर हेतु निवेशकों को इस भूमि का चयन करते समय कठिनाई अनुभव हो सकती है।

4.3 भूमि उपयोग का विश्लेषण :

विभिन्न नगरीय गतिविधियों हेतु भूमि उपयोग के प्रयोजन पर नगरीय जीवन का स्तर तथा नगर की कार्य क्षमता निर्भर रहती है। विभिन्न कार्यकलापों का विश्लेषण कर असंगत एवं अक्षम भूमि उपयोगों के संबंध जानने के लिये तथा विभिन्न कार्यकलापों का विश्लेषण कर असंगत एवं अक्षम भूमि उपयोगों का ज्ञात करने के लिये नगर के विशेष क्षेत्र में स्थित विकसित क्षेत्र का विस्तृत भूमि उपयोग सर्वेक्षण किया गया है। वर्तमान भूमि उपयोग के विस्तृत नक्शे मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत पूर्व में ही प्रकाशित किये जा चुके हैं।

4.3.1 भूमि संसाधन :

विशेष क्षेत्र में कुल 28456.35 हेक्टर क्षेत्र स्थित है। इसमें से केवल 7051.45 हेक्टर का क्षेत्र भावी विकास के लिये उपयुक्त है। यह क्षेत्र कुल क्षेत्र का 24.77 प्रतिशत है। भूमि संसाधनों के संबंध में विस्तृत जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

कोरबा - भूमि संसाधन

सारणी 4.0

अ.क्र.	भूमि उपयोग	क्षेत्र हेक्टर में	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.
1.	विकसित भूमि	2666.78	9.37
2.	अनुपयोगी भूमि	-	-
	अ. जलाशय	2776.30	9.76
	ब. उबड़-खाबड़ भूमि	6415.92	22.55
	स. वनभूमि	2898.78	10.19
	द. खनन कार्य के अंतर्गत भूमि	6647.12	23.36
		21404.90	75.23
3.	उपयोगी भूमि	7051.45	24.77
	योग	28456.35	100.00

4.3.2 भूमि उपयोग का वर्गीकरण :

नगर के नियोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय विभिन्न भूमि उपयोग तथा उनका आपस में सह सम्बन्ध जैसी बातों का गहन अध्ययन आवश्यक है। नगर स्थित भूमि उपयोग निम्नलिखित 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किये गये हैं :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. रिक्त भूमि | 6. सार्वजनिक उपयोग एवं सुविधाएं |
| 2. आवासीय भूमि | 7. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग |
| 3. वाणिज्यिक | 8. खुले स्थान |
| 4. औद्योगिक | 9. कृषि भूमि |
| 5. परिवहन एवं संचार | 10. जलाशय |

उपरोक्त वर्गीकरण कोरवा के विशेष क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग के मानचित्र प्रकाशित करने के लिये भी उपयोग में लाये गये हैं।

4.3.3 विशेष क्षेत्र में स्थित विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की व्यवस्था का निम्न सारणी में दर्शाया गया है :

कोरवा : वर्तमान भूमि - उपयोग संरचना

सारणी 4.1

अ.क्र.	भूमि उपयोग का विवरण	नगरीय क्षेत्र	नगरीय सीमा में एवं विशेष क्षेत्र में स्थित क्षेत्र	कुल भूमि का प्रतिशत	कुल विकसित क्षेत्र	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	आवासीय	563.15	978.20	3.45	978.14	36.68
2.	वाणिज्यिक	44.20	53.12	0.19	53.12	1.99
3.	औद्योगिक	680.80	680.80	2.39	680.8	25.53
4.	खदान	-	6647.12	23.35	-	-
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	115.59	127.60	0.45	127.59	4.78
6.	आमोद प्रमोद	69.43	70.13	0.24	70.10	2.63
7.	परिवहन एवं संचार	168.90	757.60	2.66	757.1	28.39
8.	रिक्त	856.2	3424.62	12.03	-	-
9.	कृषि	-	10273.91	36.10	-	-
10.	वन	-	2898.82	10.18	-	-
11.	जलाशय	531.2	2545.12	8.94	-	-
	योग	3029.4	28456.35	100.00	2666.78	100.00

आवासीय क्षेत्र :

इस उपयोग के अन्तर्गत 978.14 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध है, जिसका आवासीय घनत्व 180 व्यक्ति प्रति हेक्टर है।

जहां तक मकानों की दशा का प्रश्न है इन नगर में 50 प्रतिशत से अधिक मकानों की दशा खराब हालत में है। नगर में बहुत से मकान मानव उपयोग हेतु अनुपयोगी हैं।

वाणिज्यिक उपयोग :


नगर में कोई नियोजित वाणिज्यिक क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, कुछ नियोजित बाजार क्षेत्र वर्तमान में निर्मित हो रहे हैं, वर्तमान में इस उपयोग के अन्तर्गत केवल 53.12 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध है, जो कुल विकसित क्षेत्र का केवल 1.99 प्रतिशत है।

औद्योगिक :

यह नगर, औद्योगिक तथा खनन गतिविधियों वाला नगर है। इस कारण नगर की पर्याप्त भूमि पर इस उपयोग में व्याप्त है। नगर में 680.8 हेक्टर का क्षेत्र औद्योगिक उपयोग हेतु उपलब्ध है जो कुल विकसित क्षेत्र का 25.53 प्रतिशत है।

कोरबा


भूमि स्रोत



की रबा

भूमिउपयोग

भूमि प्रति हजारव्यक्ति पर (हेक्टेयर में)



सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग :

इस उपयोग के अन्तर्गत 127.59 हेक्टर का क्षेत्र सम्मिलित है, यह कुल विकसित क्षेत्र का 4.78 प्रतिशत है। इसके अन्तर्गत सभी कार्यालयों शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का क्षेत्र शामिल है।

आमोद प्रमोद :

इस उपयोग हेतु 70.13 हेक्टर का क्षेत्र उपलब्ध है। यह कुल विकसित क्षेत्र का 2.93 हेक्टर है। जो कि नगर की आवश्यकता से कम है।

परिवहन एवं संचार :

इस उपयोग के अन्तर्गत प्रमुख मार्ग, रेलवे, प्रांगण, बस स्टैंड आदि हेतु उपलब्ध क्षेत्र शामिल है। इस उपयोग हेतु 757.60 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध है, जो कुल विकसित क्षेत्र का 28.39 प्रतिशत है।

4.3.4 भूमि उपयोग दर :

नगर में बसे प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे विभिन्न उपयोगों में कितना क्षेत्र उपलब्ध है, इस बात का ध्यान में रखकर भूमि उपयोग की दर तय की जाती है। यह दर ज्ञात होने से किसी नगर में विभिन्न उपयोगों हेतु कितनी कम या अधिक मात्रा में भूमि उपलब्ध है, यह ज्ञात किया जा सकता है। यह दर तय करने के लिये सम्पूर्ण विशेष क्षेत्र में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के समय कितनी जनसंख्या स्थित थी, यह बात ध्यान में ली जाती है। सम्पूर्ण सर्वेक्षण के अनुसार विशेष क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2 लाख अनुमानित है।

कोरबा : तुलनात्मक भूमि उपयोग की दर

(विकसित क्षेत्र)		सारणी क्रमांक 4.2			
अ.क्र.	भूमि उपयोग	भूमि उपयोगिता दर हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति			
		कोरबा	विलासपुर	रायपुर	भिलाई
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आवासीय	7.04	3.33	2.71	4.85
2.	वाणिज्यिक	0.38	0.19	0.17	0.57
3.	औद्योगिक	4.90	0.24	1.28	6.22
4.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	0.92	1.02	2.52	1.75
5.	आमोद -प्रमोद	0.50	0.08	0.17	0.20
6.	यातायात एवं संचार	5.44	1.25	0.92	3.89
		19.18	6.11	7.77	17.48

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि भिलाई औद्योगिक नगर की तुलना में इस नगर में वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग में बहुत कम भूमि उपलब्ध है। जहां तक आवासीय उपयोग हेतु व्याप्त भूमि का प्रश्न है, अन्य नगरों की तुलना में अधिक प्रतीत होता है। विकास योजना का प्रस्ताव बनाते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

4.3.5 भूमि उपयोग की समस्यायें :

इस नगर में स्थित विभिन्न संयंत्रों से संबंधित आवासीय बस्तियां बिखरी हुई हैं जो स्वतंत्र रूप से विकसित हुई हैं। इन बस्तियों में मूलभूत सेवासुविधाएँ उपलब्ध होने के बावजूद भी भूमि उपयोग से संबंधित समस्यायें निर्मित हुई हैं। यहां स्थित खदान से कोयले दोहन शुरू होने के समय से ही इस गतिविधि में कार्यरत श्रमिक आर्थिक गतिविधियों हेतु नगर की पुरानी बस्ती पर निर्भर है। इस क्षेत्र का अव्यवस्थित विकास हुआ है। नगर की इस पुरानी बस्ती में तथा निकट के ग्रामों में असम्बद्ध भूमि उपयोग पाया गया है। इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रों एवं कार्यस्थलों के बीच उपयुक्त सहसंबंध स्थापित नहीं हो सका है। इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्रों एवं सेवा सुविधाओं के मध्य भी ठीक संबंध स्थापित नहीं हो सका है। वर्तमान परिस्थितियों में विभिन्न भूमि उपयोगों में सामंजस्य स्थापित कर कुछ सुधार करना आवश्यक है।

4.4 असंगत भूमि उपयोग :

कहीं कहीं बहुत से असंगत भूमि उपयोग हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

1. नगर का विकास रेखीय पद्धति से हुआ है, जिससे प्रमुख मार्ग पर बहुत से परिवहन अभिकरण एवं गोदाम निर्मित हुए हैं इससे यातायात की समस्यायें उत्पन्न हुई हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा का खतरा निर्मित हुआ है। अतः इन गतिविधियों को अन्यत्र स्थापित करना आवश्यक है।

2. आयल मिलें तथा आरा मशीनें नगर के आवासीय क्षेत्रों एवं प्रमुख मार्ग क्षेत्र में स्थित है, जिससे इन बस्तियों में बाधा उत्पन्न होती रहती है। अतः इन गतिविधियों को उपयुक्त स्थानों पर स्थानान्तरित करना आवश्यक है, इस संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

कोरबा : असंगत भूमि उपयोग

सारणी 4.3

अ.क्र.	असंगत भूमि उपयोग	स्थान
1.	2.	3.
1.	सब्जी मण्डी	ईतवारी बाजार, सीतामणी, गांधी चौक, शिवमंदिर के समीप
2.	डेंरी फार्म	मिशन रोड, पटेल पारा, पुरानी बस्ती, धनुहारपारा, भट्टी रोड तथा नया मुहल्ला के समीप
3.	आरा मशीनें एवं लकड़ी टाल	नया मुहल्ला, सीतामणी कालोनी, चाम्पा मार्ग
4.	जनरल मार्केट	दर्री मार्ग पर
5.	आटो रिपेयर्स	सीतामणी, गैरेज रोड, पावर हाउस रोड, पुराना दर्री मार्ग, दर्री मार्केट क्षेत्र
6.	परिवहन अधिकरण	चाम्पा मार्ग, पावर हाउस मार्ग, पुराना बस स्टैंड
7.	अन्य बाजार	मुख्य मार्ग पर पुलिस स्टेशन एवं बस स्टैंड के सामने

4.5 अक्षम भूमि उपयोग :


नगर की कुछ शिक्षा संस्थायें, व्यस्ततम एवं भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में स्थित है। इन शालाओं तक पहुंचने हेतु विद्यार्थियों को भीड़-भाड़ से व्यस्त मुख्य मार्ग को पार करना होता है। इसके अलावा इन शिक्षा संस्थाओं के आसपास कुछ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं परिवहन के संबंधित इकाईयां स्थित है अतः इन उपयोगों को स्थानान्तरित करना आवश्यक है। नगर में स्थित अक्षम भूमि उपयोगों के संबंध में जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

कोरबा : अक्षम भूमि उपयोग

अ.क्र.	भूमि उपयोग	स्थान
1.	2.	3.
1.	कमला नेहरू विद्यालय	रानी महल
2.	सरस्वती शिशु मंदिर	बस स्टैंड
3.	जनरल पोस्ट आफिस	बस स्टैंड
4.	आदिवासी प्राथमिक शाला	पुलिस स्टेशन के सामने
5.	आदिवासी माध्यमिक शाला	रेल्वे स्टेशन के समीप सीतामणी
6.	आर्य समाज प्राथमिक शाला	ईतवारी बाजार
7.	लवली केयर प्रायमरी स्कूल	दुरपा रोड
8.	नर्सरी स्कूल	सर्वमंगला मार्ग
9.	रोजगार कार्यालय	दर्री रोड
10.	टेलीफोन एक्सचेंज	ट्रान्सपोर्ट नगर

कोरबा

४-२ वर्तमान भूमि उपयोग



- | | |
|----------------------|----------------------------|
| आवासीय | रेल पथ |
| व्यावसायिक | रेलवे स्टेशन |
| औद्योगिक | हवाई पट्टी |
| साव एव अर्ध-साव जंगल | रोड |
| उद्यान | जलाशय |
| क्रीडा स्थल | अज्ञात भूमि एवं कस्बे स्थल |
| वनस्पति उद्यान | कृषि/व्यावसायिक प्रयोग |
| मार्ग | राज्य/राज्य |
| वाहन स्थल | वाहन लिटरी, बोर्ड |
| वाहन आगार | कॉलेज/बोर्डिंग |
| | रेलवे |



कोरबा को

अध्ययाय 5

आवास

आवास मानव की मूलभूत आवश्यकता है। विकासशील नगरों में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश के कारण आर्थिक गतिविधियां निर्मित होती रहती हैं, लेकिन जहां तक आवास व्यवस्था के लिये तुलनात्मक दृष्टि से कम पूंजी निवेश होता है। इसके कारण नगरों में अनियोजित विकास होता है, साथ ही साथ जीर्ण-शीर्ण मकान भी दिखाई देते हैं। जिनमें बहुत से मकान आवास हेतु अनुपयुक्त रहते हैं। खनिज उद्योग से सम्बंधित क्षेत्रों में आवास की समस्या और भी गहन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन प्रतिष्ठानों के संचालक उत्खनन शुरु करने के पूर्व अपने कर्मचारियों हेतु आवास व्यवस्था का कोई प्रबन्ध नहीं करते। यदि किसी प्रतिष्ठान द्वारा आवास व्यवस्था का प्रबंध किया भी जाता है तो वह बहुत सीमित मात्रा में होता है जिससे थोड़े कर्मचारियों को उसका लाभ मिल पाता है। कोरबा नगर जो अब खनिज गतिविधियों एवं औद्योगिक गतिविधियों का केन्द्र बन चुका है, उपरोक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। इस अध्याय में आवासीय समस्या के विश्लेषण का प्रयास किया गया है।

5.1 आवासीय स्थिति :

सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति हेतु अच्छी आवासीय स्थिति बहुत आवश्यक है, किसी आवासीय क्षेत्र में अच्छी आवासीय परिस्थिति केवल उपलब्ध स्थान पर निर्भर न होकर उसका स्वरूप तथा जल प्रदाय, मल निकास, सुख सुविधायें, सेवायें आदि आधारभूत बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित परिच्छेदों में आवासीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है।

5.1.1 आवासीय घनत्व :

जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि सम्पूर्ण विशेष क्षेत्र हेतु आवासीय घनत्व 180 व्यक्ति प्रति हेक्टर है। लेकिन नगर स्थित विभिन्न बस्तियों में विभिन्न आवासीय घनत्व पायी जाती है। निम्न लिखित सारणी में नगर स्थित असंगठित आवासीय क्षेत्र एवं नियोजित आवासीय कालोनियों में आवासीय घनत्व के आंकड़े प्रस्तुत हैं :

कोरबा - आवासीय घनत्व

सारणी 5.0

बस्ती /कालोनी का नाम		आवासीय क्षेत्र हेक्टर में	जनसंख्या आवासीय घनत्व व्यक्ति प्रति हेक्टर में
1.	2.	3.	4. 5.
असंगठित रूप से विकसित क्षेत्र			
1.	कोरबा पुरानी बस्ती	89.5	39810 445
2.	दर्राखार	5.00	3865 773
3.	दादर खुर्द	13.4	4248 317
4.	दुरपा	15.2	2134 140
5.	बरपाली	9.4	1116 119
योग - अ.		132.5	51,173 370
विकसित कालोनियां			
1.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधि. द्वारा कोसाबाड़ी में विकसित कालोनी	60.1	3674 61
2.	एनटीपीसी.द्वारा दर्राखार, अगारखार व गोपालपुर में विकसित कालोनी	65.5	5932 91
3.	बालको ट।उनशीप	240.8	25571 106
4.	म.प्र.वि.मं. द्वारा कोरबा पूर्व एवं पश्चिम में विकसित कालोनियां	216.1	19563 91
5.	राज्य शासन द्वारा सिंचाई क्षेत्र के समीप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चौक, दर्रा क्षेत्र में विकसित कालोनियां	20.6	1621 79
6.	रेल्वे द्वारा रेल्वे स्टेशन के समीप तथा मुख्य मार्ग पर विकसित कालोनियां	12.5	1200 96
7.	एस.ई.सी.एल.द्वारा सुभाषनगर, जयप्रकाश कालोनी, पम्प हाउस, मानिकपुर, आदर्श नगर, घोरदेवा, बलगीखार, बांकीमोगरा, कुसमुण्डा, गजरा, मुड़ापार, आदि स्थानों पर निर्मित कालोनियां	230.3	32788 142
योग - ब.		845.9	90349 107
महायोग		978.4	1,41,522 145

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दर्रीखार क्षेत्र सबसे अधिक आवासीय घनत्व वाला क्षेत्र है। इससे पश्चात् कोरबा, पुरानी बस्ती में अधिक आवासीय घनत्व पाया जाता है। जहां तक संगठित कालोनियों में आवासीय घनता का प्रश्न है, यह कुछ कालोनियों में निर्धारित मापदंड से अधिक है, इससे यह बात स्पष्ट है कि यहां भूमि का उपयोग निर्धारित मात्रा से कम हुआ है। अतः नियोजन हेतु प्रस्ताव देते समय इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। निम्नलिखित सारणी में आवासीय घनत्व के अनुसार आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण प्रस्तुत है :

कोरबा - आवासीय घनत्व की रचना

सारणी 5.1

क्रमांक	घनत्व सीमा, व्यक्ति प्रति हेक्टर	बस्ती /ग्राम / कालोनी का नाम	जनसंख्या	आवासीय क्षेत्र हेक्टर में
1.	2.	3.	4.	5.
1.	600 तथा अधिक	दर्री	3865	5.00
2.	400 से 450 (मध्यम)	कोरबा	39810	89.5
3.	150 से 250 (निम्न)	दादरखुर्द	4248	13.4
4.	100 से 150 (बहुत निम्न)	दुरपा, बरपाली, बालको टाउनशीप एस.ई.सी.एल. कालोनियां	61609	495.4
5.	100 से कम (निम्नतम)	कोसाबाड़ी तथा एनटीपीसी. कालोनी, एमपीईबी. कालोनी, रेल्वे कालोनी राज्य शासन कालोनी	31990	384.8
योग			1,41522	978.1

विकास योजना में प्रस्ताव देते समय एक तरफ उच्च आवासीय घनत्व वाले क्षेत्रों से अन्यत्र जनसंख्या को स्थानान्तरित करने के साथ-साथ अलग-अलग स्थानों पर स्थित कालोनियों में खुले पड़े स्थानों को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

5.1.2 आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण :

किसी भी नगर के आवासीय क्षेत्रों का निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकरण किया जा सकता है :

1. अच्छे आवासीय क्षेत्र
2. औसत आवासीय क्षेत्र
3. निम्न आवासीय क्षेत्र

आवासीय घनत्व, मकानों की रचना, मकान में रहने वालों की संख्या आदि बातों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त वर्गीकरण किया गया है। इस संबंध में 1981 की जनगणना अनुसार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि सर्वेक्षण के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया है :

कोरबा - आवासीय क्षेत्रों का वर्गीकरण

सारणी 5.2

अ.क्र.	बस्ती का नाम आवासीय क्षेत्र	अच्छे आवासीय क्षेत्र	औसत आवासीय क्षेत्र	निम्नस्तर
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बालको	सेक्टर 1 से 7		सेक्टर 6 के पीछे रिंग रोड पर रिसदा क्षेत्र
2.	एस.ई.सी.एल. आवासीय	सुभाष ब्लाक, जयप्रकाश कालोनी भगतसिंह कालोनी, पंप हाउस, गेवरा कालोनी, आदर्श नगर	मानिकपुर, घोरदेवा, बांकीमोगरा, बलगी घोड़ापाट, क्रान्तिनगर	-
3.	एन.टी.पी.सी.	प्रगति नगर, हसदेव, जमनीपाली अगारखार के पास	एस.ई.सी.एल.कालोनी सिंचाई कालोनी, दर्री	कट घोरा रोड पर दर्रीखार
4.	एम.पी.ई.बी.	आफिसर्स कालोनी, पश्चिम कोरबा, एच.टी.पी.सी. कालोनी	एम.पी.ई.बी.पूर्व कालोनी	-
5.	आई.टी.आई.	सिंचाई कालोनी, पी.डब्ल्यू.डी. कालोनी	आई.टी.आई.कालोनी, एफ.सी.आई.कालोनी	-
6.	रेल्वे कालोनी	-	मिशन क्षेत्र मुख्य मार्ग	पुरानीबस्ती, रामसागरपारा
7.	कोरबा	नया मोहल्ला	पावर हाउस मार्ग	ठाकुर पारा दुरपा मार्ग, सीतामणी

KORBA

5-2 LIVING CONDITON

कोरबा

४-२ आवासीय स्थिति


AREA WITH POOR
LIVING CONDITION
SLUM AREA

विद्युत् सप्लाई लाइन



1:1000

1:1000



KORBA

5-1 RESIDENTIAL DENSITY

(WARD WISE)

कोरबा

५-१ आवासीय घनत्व

वार्ड के अनुसार

- संकेतित इकाई इकाई
-  उच्च घनत्व 300 से अधिक
 -  मध्य घनत्व 300 से कम
 -  निम्न घनत्व 300 से कम



कोरबा

5.1.3 सुधार एवं विकास :

निम्न स्तरीय माने गये लगभग सभी आवासीय क्षेत्रों का त्वरित सुधार एवं विकास आवश्यक है, ताकि ये क्षेत्र और अधिक बिगड़ न जाय। इस कार्य हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर उचित कदम उठाकर इस प्रकार सुधार किया जाना आवश्यक है। इस कार्य हेतु लिये गये ऋण की वापसी सभी लोगों द्वारा और विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों द्वारा आसानी से की जा सके।

5.1.4 ग्रामीण बस्तियों पर प्रभाव :

आवास मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। किसी स्थान पर आर्थिक गतिविधि शुरू होने के साथ ही रोजगार के अवसर प्राप्त होने से लोगों का बसना शुरू हो जाता है। सामान्यतयः इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के पश्चात् ही आवासीय गतिविधियाँ शुरू होती हैं, इससे वहाँ पूर्व में स्थित आवासीय बस्तियों को ही अतिरिक्त जनसंख्या का भार झेलना पड़ता है तथा कोरबा की स्थिति भी यही है। जिन ग्रामों में सन् 1971-81 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का सीधा असर पड़ा है उनकी सूची नीचे प्रस्तुत है :-

नगरीय क्षेत्रों में विलीन ग्राम	200 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ग्राम	100 से 200 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि				
पाड़ीमार	आगारखार 489.0	गेवरा 154.8	बरपाली 125.0	दादरखुर्द 110.6		
कोहड़िया	दर्सीखार 327.1	नगोईखार 192.9	जमनीपाली 121.4	रिसदी 107.1		
रामपुर	कुमगरी 320.0	दोन्द्रो 191.3	कुचेना 114.1	गेवरा 104.1		
	खम्हरिया 277.4	घोड़देवा 182.4	डुमरमुडा 114.1	बरमपुर 100.3		
	रिसदा 224.8	भैरोताल 165.0	गजरा 112.4			
		जेल 137.1	मिलाईखुर्द 111.8			

इन ग्रामों में आवासीय परिस्थिति दयनीय है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा ट्यूबवेल तथा सड़कें एवं प्रकाश व्यवस्था से इन बस्तियों में यद्यपि कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया है तो भी इस संबंध में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।

वस्तुतः विशेष क्षेत्र में स्थित सभी ग्रामों का नियोजित रूप से विकास आवश्यक है। यहाँ स्थित बहुसंख्या ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है तथा पशुपालन एवं मुर्गीपालन सहायक व्यवसाय रहे हैं। भविष्य में भी यह व्यवसायिक संरचना बनी रहने की संभावना है। यदि इन लोगों के आर्थिक उत्थान के लिये नियोजित प्रयास किये जायें तो ही इन लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

5.5. गंदी बस्ती क्षेत्र :

भीड़-भाड़, कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण मकान अस्वास्थ्य आवासीय परिस्थिति, मूलभूत नागरिक सुविधाओं का अभाव आदि विशेषताओं वाले क्षेत्र को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है। सामान्यतया घरेलू सेवा उपलब्ध करने वाले लोगों के लिये आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण विकसित क्षेत्रों में किराये का मकान लेना या स्वयं का मकान बनाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसी बस्तियाँ बस जाती हैं। कोरबा नगर में 48 बस्तियों को गंदी बस्तियों में शामिल किया गया है। तथा यह अनुमान है कि इनमें लगभग 64 हजार लोग निवास करते हैं। यह जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत है। निम्नलिखित सारणी में नगर में स्थित गंदी बस्तियों का क्षेत्र के अनुसार विवरण प्रस्तुत है :

कोरबा : झग्गु झोपड़ी एवं गन्दी बस्तियाँ

सारणी 5.3

क्र.	बस्ती	गन्दी बस्तियों की संख्या	जनसंख्या	कुल जनसंख्या क्षेत्र का प्रतिशत में	हेक्टरों	कुल क्षेत्र का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6	7.
1.	बालको क्षेत्र	9	14831	23.15	141.67	28.06
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण क्षेत्र	2	4100	6.40	33.03	6.54
3.	म.प्र.विद्युत मंडल क्षेत्र पूर्व	10	6854	10.69	56.22	11.13
4.	डब्लू.सी.एल. क्षेत्र पूर्व	9	7400	11.55	36.42	7.21
5.	कोरबा क्षेत्र	11	23853	37.23	150.45	29.79
6.	म.प्र.विद्युत मंडल पश्चिम	2	1843	2.88	9.96	1.97
7.	एस.ई.सी.एल. पश्चिम	13	5190	8.10	77.25	15.30
		54	64071	100.00	505.00	100.00

स्रोत - विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कोरबा नगर की पुरानी बस्तियों में बहुत सी गन्दी बस्तियाँ हैं जहाँ कुल गन्दी बस्ती क्षेत्र की 37.23 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। यहाँ स्थित गंदी बस्तियों में आवासीय घनत्व 158 व्यक्ति प्रति हेक्टर पायी गयी है, जबकि गन्दी बस्ती क्षेत्र की औसत आवासीय घनत्व 126 व्यक्ति प्रति हेक्टर है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि इन क्षेत्रों के सुधार हेतु पर्याप्त संभावनाएँ हैं। इस क्षेत्र में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के कारण मार्गों, नालियों एवं पक्की गलियों के निर्माण में कोई समस्या निर्मित नहीं होगी।

5.2 गृह निर्माण गतिविधियाँ :

मानव आबादी हेतु गृह निर्माण एक सतत प्रक्रिया होती है, लेकिन यह देखा गया है कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में आवास निर्माण उस गति से नहीं हो पाता। कोरबा जैसे नगरों में जहाँ औद्योगिक एवं खनन गतिविधियों में एकाएक वृद्धि हुई है। यह समस्या अधिक गहन हो गयी है। इस प्रकार के क्षेत्रों में सामान्यतयः औद्योगिक गतिविधि के पूर्व आवास निर्माण गतिविधि प्रारंभ हो जाना चाहिए लेकिन यह देखा गया है कि परियोजनाओं के शुरु होने के पश्चात् भी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया है साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थान भी सामान्यतया आवास कार्यक्रम हाथ में लेते समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिये कोई ध्यान नहीं देते हैं।


सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान स्थापित होने के साथ-साथ द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्षेत्रों की गतिविधियाँ शुरु होने लगती हैं इन गतिविधियों से रोजगार के अवसर भी निर्मित होते हैं; परन्तु यह देखा गया है कि मकान निर्माण में यथानुपात वृद्धि नहीं होती। निम्नलिखित परिच्छेदों में आवासीय समस्या के इन पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है :

5.2.1 गृह निर्माण :

विभिन्न संस्थाओं द्वारा कितने मकान निर्मित किये गये, इस बात का एक सर्वेक्षण द्वारा आंकलन किया गया। निम्नलिखित सारणी में अपने कर्मचारियों हेतु निर्मित एवं आबंटित मकानों की संख्या प्रस्तुत है।

कोरबा

आवास गतिविधि



कोरबा : शासकीय एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित मकानों का विवरण

सारणी 5.4

अ.क्र.	अधिकर्ता का नाम	स्थान	क्षेत्र हेक्टर में	आवासों की संख्या
1.	2.	3.	4.	5.
अ.	राज्य शासन पुलिस विभाग	1. कोरबा थाना 2. प्रगति नगर	3.1	82
2.	राज्य शासन के अन्य विभाग	1. आई.टी.आई. 2. सिंचाई विभाग कालोनी 3. लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	12.5	433
ब.	रेल्वे	दर्री क्षेत्र में 1. राजनगर मार्ग पर		
3.	रेल्वे कालोनी	1. वृत्तीय मार्ग	5.2	150
स.	स्थानीय निकाय			
4.	साडा कालोनी	1. कोसाबाडी	4.7	138
द.	स्वायत्त निकाय			
5.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल	1. बालको टाऊनशिप 2. कोसाबाडी	2.3 2.5	325
6.	म.प्र.विद्युत मंडल	1. पूर्व-पश्चिम में स्थित कालोनियां	204.6	5525
इ.	सार्वजनिक प्रतिष्ठान			
7.	बालको	1. बालको	160.00	4050
8.	एन.टी.पी.सी.	1. प्रगतिनगर 2. जमनीपाली	33.3	2158
9.	एस.ई.सी.एल.	एस.ई.सी.एल.टाऊनशीप	150.3	6286
10.	एफ.सी.आई.	निर्मला चौक	2.5	25
योग			578.20	19172

स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

कोरबा नगर में विभिन्न कार्यालयों में बहुत से कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन यहां केवल 515 शासकीय आवास उपलब्ध है। नगर में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में 14863 लोग कार्यरत हैं, जबकि इन प्रतिष्ठानों द्वारा केवल 12519 आवास गृह निर्मित किये गये हैं, इस प्रकार कुल 84.2 प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा आवास उपलब्ध कराये गये हैं, जहां तक राज्य शासन के शासकीय कर्मचारियों का प्रश्न है केवल 23 प्रतिशत कर्मचारियों को ही शासकीय आवास उपलब्ध है।

5.2-2 भू-खंडों का विकास :

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा द्वारा जो लोग नगर में स्वयं के मकान बनाना चाहते हैं उनके लिये भू-खण्ड उपलब्ध कराने के दृष्टि से बड़े पैमाने पर प्रयास किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा कोसाबाडी के समीप एक स्थान पर तथा हसदेव नदी के पश्चिम में अन्य स्थान पर, लगभग 40 हेक्टर क्षेत्र में मकानों हेतु विकसित स्थान उपलब्ध किये गये हैं। इसके अलावा निजी एजेन्सीयों द्वारा कोरबा में कुछ आवासीय स्थान विकसित किये गये हैं, इस संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

कोरबा : भू-खण्डों का विकास

सारणी 5.5

क्र.	अभिकर्ता	विकसित क्षेत्र		अविकसित क्षेत्र	
		अधिभोगित भूखंड	रिक्त भूखंड	अधिभोगित भूखंड	रिक्त भूखंड
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	साडा	2338	2200	739	739
2.	लालूराम कालोनी	-	-	58	58
योग		2338	2200	797	797

स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि नगर में मकान बनाने हेतु भूखंडों की मांग नहीं है। इसका कारण यह है कि इस नगर को अभी बहुविध कार्यकलापों वाले नगर का स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है नगर में उच्च शिक्षा हेतु सुविधायें उपलब्ध होने तथा नगर के विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों से नगर का परिवहन सम्पर्क स्थापित होने पर ही यहां लोग स्थायी रूप से निवास करना पसंद करेंगे, इसके साथ-साथ इस बात का परीक्षण करना भी जरूरी है कि यहां स्थित विभिन्न परिवार आर्थिक दृष्टि से इन भूखंडों के क्रय करने में सक्षम हैं या नहीं। इस संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् विकसित भूखंड के बारे में पुनर्विचार किया जा सकता है।

वाणिज्य एवं उद्योग

वाणिज्य एवं उद्योग :

इन नगर में एल्युमिनियम संयंत्र, सुपर थर्मल पावर प्लांट एवं अन्य औद्योगिक इकाईयों की स्थापना से पिछले दशकों में औद्योगिक विकास को गति प्राप्त हुई है। इसी कारण वाणिज्यिक गतिविधियों को भी उपयुक्त आधार मिला है। यहां कुछ अनुषंगिक उद्योग भी होने की संभावना है। इससे और अधिक वाणिज्यिक गतिविधियां निर्मित होगी। परियोजना हेतु नगर की रूप रेखा बनाते समय क्षेत्र स्तर तथा खंड स्तर पर वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास के लिये कुछ प्रावधान रखा गया था, लेकिन आवश्यकता की दृष्टि से वे अपर्याप्त सिद्ध हुए। इससे नगर क्षेत्र के बाहर असंगठित एवं अव्यवस्थित रूप से बड़ी मात्रा में दुकानों का निर्माण हुआ। दर्रा, सुभाष ब्लाक, परसाभाट। एवं बांकी वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित दुकानों से यह बात स्पष्ट होती है कि इन दुकानों में नगर क्षेत्र में स्थित दुकानों के अपेक्षा कम कीमतों पर सामान उपलब्ध होता है।

वर्तमान कमी एवं भविष्य की आवश्यकता को आंकलन कर नगर में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्र का संगठित रूप से विकास आवश्यक है। इस संबंध में भविष्य के विकास के लिये नीति तय करने के लिये विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।

6.1 वाणिज्यिक एवं बाजार क्षेत्र :

6.1-1 विशिष्ट बाजार :

अध्ययन से यह पता लगता है कि नगर में स्वतंत्र रूप से विशिष्ट बाजार विकसित नहीं हो पाये हैं। विशिष्ट प्रकार का माल विक्रय करने वाला दुकानें नगर में वर्तमान में इधर-उधर स्थित है। यह तथ्य निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत जानकारी से अधिक स्पष्ट हो सकेगा।

कोरबा : विशिष्ट बाजार

सारणी 6.0

अ.क्र.	प्रकार	स्थान	दुकानों की कुल संख्या
1.	2.	3.	4.
1.	सूखा मेवा, अनाज आदि	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग	15
2.	पेन्ट्स, लोहे का सामान तथा सेनेट री गुड्स	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, दर्रा एवं बांकी बाजार	11
3.	प्लास्टिक एवं कांच का सामान	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, दर्रा एवं बांकी बाजार	8
4.	कट लरी एवं इलेक्ट्रीक का सामान	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, बाल्को, बांकी बाजार आदर्शनगर तथा अलका काम्पलेक्स	12
5.	सिले-सिलाये कपड़े तथा होजियारी	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, बाल्को, एन.टी.पी.सी. टाउनशीप, दर्रा एवं बांकी बाजार	22
6.	सौदा बाजार	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, सभी वाणिज्यिक	47
7.	बर्तन	मुख्य मार्ग, एवं पावर हाउस मार्ग कोरबा	82
8.	परिवहन अभिकरण एवं सामान्य बीमा कम्पनी	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, दर्रा एवं ट्रान्सपोर्ट नगर	16
9.	स्वर्ण एवं चांदी के अलंकार	मुख्य मार्ग एवं पावर हाउस मार्ग	6
10.	बैंक तथा अन्य व्यवसायिक कार्यालय	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, दर्रा एवं सभी वाणिज्यिक क्षेत्र	29
11.	टीन का सामान	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, एवं सभी वाणिज्यिक क्षेत्र	6
12.	परचुनी दुकान	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, दर्रा एवं वाणिज्यिक क्षेत्र	65
13.	कपड़ा बाजार	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, दर्रा, बांकी एवं सभी वाणिज्यिक क्षेत्र	35
14.	चमड़े का सामान	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग,	23
15.	दवाईयां	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग तथा सभी वाणिज्यिक क्षेत्र	15
16.	साइकिल पुर्जे	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग तथा सभी वाणिज्यिक क्षेत्र	13
17.	आटो स्पेयर पार्ट्स	मुख्य मार्ग, पावर हाउस मार्ग, ट्रान्सपोर्ट नगर, मिशन मार्ग दर्रा एवं बांकी बाजार	17

योग :

422

स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से यह बात स्पष्ट है कि बहुत से विशिष्ट बाजार से कोरवा बस्ती, मुख्य मार्ग एवं पावर हाउस रोड रेखीय प्रतिकारण पर निर्मित हुए हैं। इस प्रकार की कुछ दुकानें दर्रा एवं बांकी क्षेत्र में भी स्थापित हुई हैं। जहाँ तक थोक एवं फुट कर सब्जी, फल एवं अनाज मंडि यों का प्रश्न है, छोटे स्थानों पर स्थित हैं, जहाँ वाहनों के पार्किंग एवं माल उतारने-चढ़ाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है।

6.1-2 थोक मंडि यों :

नगर में थोक विक्री गतिविधियों का लगभग अभाव है। वर्तमान में नगर में कोई अनाज की थोक मंडी स्थित नहीं है।

6.1-3 साप्ताहिक हाट :

इस क्षेत्र में साप्ताहिक हाट, बहुत सामान्य बात है। ये हाट बहुत जनप्रिय हैं। कुछ सीमा तक यहाँ फल, सब्जी, अनाज एवं अन्य सामानों का थोक व्यापार भी होता है। इस प्रकार के हाट सुभाष ब्लाक, बालको ट।ऊनशिप, दर्रा, बांकी एवं कोरवा नगर की पुरानी बस्ती में लगे रहते हैं। इन हाटों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इन हाटों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्थान, चबूतरे, जलप्रदाय की सुविधा आदि सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

6.1-4 फुट पाथ एवं ठे लों पर स्थित दुकानें :

नगर में संगठित बाजारों के लिए स्थान की कमी के कारण बहुत-सी छोटी दुकानें, मुख्य मार्गों पर तथा फुट पाथों पर अतिक्रमण के रूप में स्थापित हुई है। इनमें से ज्यादातर दुकानदार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के हैं। इसके अलावा बहुत-से लोग ठे लों पर सामान बेचते रहते हैं। यह ठे ले मार्ग पर खड़े किये जाने के कारण परिवहन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

नगर में फुट पाथ पर स्थित दुकानों के बारे में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी - 6.1

कोरवा : नगर में फुट पाथ पर गुमटि यों पर स्थित दुकानों का विवरण

अ.क्र.	प्रमुख व्यवसाय	स्थान	दुकानों की लगभग संख्या
1	2	3	4
अ. गुमटि यों में स्थित दुकानें			
1-	आटो पार्ट्स का इंजीनियरिंग का सामान	मुख्य मार्ग, पावर हाऊस मार्ग, दर्रा एवं बांकी बाजार तथा बालको ट।ऊनशिप	16
2-	रिपेयर एवं सर्विस	मुख्य मार्ग, दर्रा बाजार तथा बालको ट।ऊनशिप	25
3-	सिले-सिलाने कपड़े	मुख्य मार्ग, इतवारी बाजार, दर्रा एवं बांकी बाजार	50
4-	भोजनालय एवं चाय की दुकान	मुख्य मार्ग, पावर हाऊस मार्ग, मिशन मार्ग, जमनीपाली, बांकी, गेवरा, दर्रा, गोपालपुर, सीतामढ़ी एवं स्टेशन मार्ग	60
5-	कासमेटिक्स तथा होजियारी	मुख्य मार्ग, पावर हाऊस मार्ग, दर्रा एवं बांकी बाजार	17
6-	कपड़ा	मुख्य मार्ग, दर्रा एवं बांकी बाजार	16
7-	चश्मों एवं घड़ी साज	मुख्य मार्ग एवं पावर हाऊस मार्ग, दर्रा एवं बांकी बाजार	27
ब. फुट पाथ एवं ठे लों पर स्थित दुकानें			
8-	जूते एवं चप्पल	मुख्य मार्ग, सीतामढ़ी, दर्रा एवं बांकी बाजार	17
9-	मनिहारी	मुख्य मार्ग, पावर हाऊस मार्ग, बालको ट।ऊनशिप, दर्रा एवं बांकी बाजार	25
10-	फल की दुकानें	मुख्य मार्ग, बस स्टैंड, आई.टी.आई. चौक, बालको ट।ऊनशिप एवं दर्रा बाजार	5
11-	अनाज	इतवारी बाजार, सुभाष ब्लाक, दर्रा एवं बांकी बाजार	40
12-	सब्जी	इतवारी बाजार, सीतामढ़ी, सुभाष ब्लाक, दर्रा एवं बांकी बाजार	125
योग : अ + ब			453






स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण।

KORBA


0-3 MAJOR WORK CENTER

कोरबा

६-२ मुख्य कार्य केंद्र

COMMERCIAL 
 INDUSTRIAL 
 OFFICES 
 OPEN CAST MINING 
 UNDER GROUND MINING 

कार्मिक
 औद्योगिक
 कार्यालय
 खुले कोयला खाने
 भूमिगत कोयला खाने



6.1-5 दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की वृद्धि :

सन् 1975 से 1985 की कालावधि में नगर में दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस संबंध में विस्तृत आंकड़े निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

कोरबा : दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान					सारणी 6.0	
अ.क्र.	वर्ष	वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	होट ल तथा भोजनालय	सिनेमागृह एवं मनोरंजन के स्थान	कुल	प्रतिष्ठान
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	1975	215	15	65	3	298
2.	1980	630	43	60	3	736
3.	1985	770	68	78	10	926

स्त्रोत : 1. सहायक श्रमायुक्त विलासपुर 2. विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

सामान्यतः 1000 जनसंख्या के लिये 20 से 25 दुकानों की आवश्यकता होती है, लेकिन 1985 की जनसंख्या की तुलना में दुकानों की संख्या कम प्रतीत होती है। नगर में वर्तमान में प्रति 1000 जनसंख्या पर 5 से 6 दुकानें उपलब्ध है। इन दुकानों के फुट पाथ पर स्थित दुकानों एवं ठे लों पर स्थित दुकानों की संख्या शामिल नहीं है। सन् 1975-85 की कालावधि में वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में लगभग 216 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर में इन गतिविधियों में पर्याप्त विकास आवश्यक है।

6.2 कार्यालय :

यह नगर प्रशासन केन्द्र नहीं है, तथापि विभिन्न परियोजनाओं एवं सहायक उद्योगों, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय यहां स्थित हैं। इसके अलावा सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों की प्रशासकीय कार्यालय, उनके द्वारा विकसित बस्तियों में स्थित है।

6.2.1 कार्यालयों की सूची :

नगर में कुल 121 कार्यालय स्थित है। इनमें 28 केन्द्रीय सरकार, 41 राज्य सरकार, 31 स्वायत्त निकायों, 19 बैंक तथा 42 स्थानीय निकायों के हैं। निम्नलिखित सारणी में क्षेत्रानुसार कार्यालयों का विवरण दिया गया है।

कोरबा : कार्यालयों की सूची		सारणी 6.3					
क्र.	क्षेत्र	करुआलयों की संख्या					
		केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	स्वायत्त संस्थायें	बैंक	स्थानीय निकाय	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	कोरबा नगर क्षेत्र	6	12	5	9	1	33
2.	बालको टाउनशीप	4	3	5	2	-	14
3.	दर्रा टाउनशीप म.प्र.वि.मं.	2	4	3	1	-	10
4.	प्रगति नगर	1	-	3	1	-	5
5.	रामपुर	1	21	3	1	1	27
6.	एस.ई.सी.एल.कोरबा कालोनी	1	-	2	1	-	4
7.	वांकी	2	1	1	1	-	5
8.	मोंगरा	1	-	-	-	-	1
9.	कोहड़िया (म.प्र.वि.मं.)	1	-	4	1	-	6
10.	कोसमुण्डा	2	-	-	1	-	3
11.	भैरोताल	1	-	-	-	-	1
12.	बरपाली	1	-	-	-	-	1
13.	रिसदा	1	-	-	-	-	1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
14.	दादरखुर्द	1	-	-	-	-	1
15.	दुरपा	1	-	-	-	-	1
16.	रिसदी	1	-	-	-	-	1
17.	भिलाईखुर्द	1	-	-	-	-	1
18.	ट्रान्सपोर्ट नगर	-	-	1	-	-	1
19.	सुराकछार	-	-	1	-	-	1
20.	एस.ई.सी.एल. (बलगीखार)	-	-	1	-	-	1
21.	गोपालपुर	-	-	1	-	-	1
22.	कोसावाड़ी	-	-	1	-	-	1
23.	अगारखार	-	-	-	1	-	1
योग		28	41	31	19	2	121

स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि सबसे अधिक कार्यालय कोरवा नगर की बस्ती में स्थित है। इसके बाद रामपुर में अधिकतम कार्यालय स्थित है। इन क्षेत्रों में इन कार्यालयों हेतु एकीकृत काम्पलेक्स स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। जहाँ तक अन्य कार्यालयों का प्रश्न है ये विशिष्ट गतिविधियों से संबंधित होने के कारण विशिष्ट क्षेत्रों में स्थित हैं।

6.2-2 कार्यालय में कार्यरत लोग :

नगर के विभिन्न कार्यालयों एवं बैंकों में 4161 लोग कार्यरत हैं। नगर में स्वायत्त निकायों में पर्याप्त संख्या में अर्थात् 48.50 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। इसके पश्चात् राज्य शासन के कार्यालयों में 33.48 प्रतिशत लोग कार्यरत हैं। क्षेत्रानुसार कार्यालयों में सेवारत कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है।

सारणी - 6.4

कोरवा : स्थानों के अनुसार कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या


क्र.	प्रकार	स्थान		योग	कुल संख्या का प्रतिशत
		मुख्य नगर	अन्य क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्र शासन	163	73	236	5.67
2.	राज्य शासन	215	1178	1393	33.48
3.	स्वायत्त निकाय	51	215	266	6.39
4.	स्थानीय निकाय	133	115	248	5.96
5.	बैंक	71	1947	2018	48.50
योग		633	3528	4161	100.00

6.2-3 किराये के भवनों में कार्यालय :

नगर में स्थित 123 कार्यालयों में से 72 कार्यालय किराये पर लिये गये भवनों में स्थित है। इन कार्यालयों में लगभग 660 कर्मचारी काम करते हैं, इससे यह स्पष्ट है कि नगर में छोटे आकार के बहुत से कार्यालय स्थित है। कार्यालयों के स्थानों के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

कोरबा

कार्यालय एवं रोजगार



सारणी - 6.5
कोरबा : किराये के भवनों में स्थित कार्यालय

अ.क्र.	प्रकार	किराये के भवनों में स्थित कार्यालयों की संख्या			कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
		मुख्य नगर	अन्य क्षेत्र	योग	
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्र सरकार	5	23	28	196
2.	राज्य सरकार	5	13	18	127
3.	स्वायत्त निकाय	8	10	18	88
4.	बैंक	5	3	8	248
5.	स्थानीय निकाय	-	-	-	-
	योग	23	49	72	659

स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण।

6.3 उद्योग :

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि इस नगर को भारत के औद्योगिक नक्शे में स्थान प्राप्त है। उद्योगों हेतु इस नगर का चुनाव यहाँ अधातु खनिज अर्थात् कोयला का बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने के कारण किया गया है। कोयले के निष्कर्षण को व्यापक रूप से उद्योग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इस उद्योग में यहाँ सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत है। यहाँ जो भी उद्योग स्थापित हैं, उनमें से अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। लेकिन यह देखा गया है कि यहाँ पर्याप्त मात्रा में अनुशुभिक एवं संबंधी उद्योग अभी तक पर्याप्त मात्रा में स्थापित नहीं हो सके हैं। अगले कुछ वर्षों में इस प्रकार के उद्योगों के स्थापना की संभावना है। प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा यहाँ स्थापित हो सकने वाले विभिन्न प्रकार के उद्योगों की सूची तैयार की जा चुकी है।

6.3-1 उद्योगों का विकास :

प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को छोड़कर गत 5 वर्षों में औद्योगिक इकाईयों की संख्या 69 से बढ़कर 253 हो गयी है। इससे यह बात स्पष्ट है कि यहाँ उद्योग स्थापित करने के लिए उपयुक्त वातावरण विकसित हो चुकी है। निम्नलिखित सारणी में औद्योगिक इकाईयों की संख्या तथा इन इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या प्रस्तुत है :-

सारणी - 6.6

कोरबा : पंजीयक इकाईयों तथा रोजगार में वृद्धि

अनु.क्र.	कालावधि	पंजीयक इकाईयों			कार्यरत श्रमिकों की संख्या		
		कालावधि के अंतर्गत	संचित योग	सूचकांक	कालावधि के अंतर्गत	संचित योग	सूचकांक
		3	4	5	6	7	8
1.	सन् 1980	69	69	100	1461	1461	100
2.	सन् 1981 से 85 तक	184	25.3	385	3454	4915	375

स्रोत : श्रम विभाग

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यहाँ स्थित औद्योगिक इकाईयों की वृद्धि से अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है।

6.3-2 रोजगार के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण :

निजी क्षेत्र की 253 औद्योगिक इकाईयों में से केवल 18 इकाईयों में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में स्थित 6 प्रमुख उद्योगों में 27 हजार से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। निम्नलिखित सारणी में 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले उद्योगों की जानकारी प्रस्तुत है :-

कोरबा : 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्राप्त होने वाले उद्योगों का विवरण

अ.क्र.	इकाई का नाम	स्थान	कार्यरत श्रमिकों की संख्या
1	2	3	4
1.	बालको	पाड़ीमार, रिसदा	6244
2.	म.प्र.विद्युत मण्डल	रामपुर, कोरबा, कोहड़िया	3709
3.	औद्योगिक विस्फोट कारखाना	गोपालपुर	440
4.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कोरबा (प.)	दर्राखार, नगोईखार	2051
5.	एन.टी.पी.सी.	टगामार, दर्राखार	1200
6.	एस.ई.सी.एल.	कोरबा, बांकी, भैरवताल दादरखुर्द, सुराकछार, घोड़ेवा, बिश्रामपुर, गेवरा, बलगी	14000
7.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया	लाटा, केन्दईखार, गेवरा	91
8.	मे. गौरीशंकर अग्रवाल कम्पनी	रिसदा	164
9.	मे. आशाराम स्टीन चिप्स	सेमीपाली	100
10.	मे. रामगोपाल सक्सेना ब्रिक्स	पा.हा.रोड	131
11.	मे. गोकुलचंद ब्रिक्स	कोरबा	162
12.	मे. डी.एस.केडि या ब्रिक्स	कोरबा	152
13.	मे. चन्द्रा इंट एराइजेस ब्रिक्स	कोरबा	152
14.	मे. ओमप्रकाश ब्रिक्स	कुमगरी	102
15.	मे. बंसल ब्रिक्स	कोरबा	182
16.	मे. संजय इन्ट एराइजेस ब्रिक्स	कोरबा	151
17.	मे. एच.पी.सिंग ब्रिक्स	पा.हा.रोड	140
18.	मे. सुरेश कुमार ब्रिक्स	रामसागरपारा	121
योग			29,292

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के अलावा जिन उद्योगों में 100 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। प्रायः उनमें अधिकांश उद्योग ईंटों के निर्माण से संबंधित हैं।

वर्तमान में कोरबा में 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने वाला कोई अनुशंषिक उद्योग स्थापित नहीं हुआ है।

6.3-3 कार्य निष्पादन के अनुसार उद्योगों का वर्गीकरण :

कोरबा नगर में स्थित प्रमुख उद्योगों में अधिकांश आपत्तिजनक या हानिकारक उद्योग माने जा सकते हैं, क्योंकि इन उद्योगों के कारण अधिक मात्रा में वातावरण में प्रदूषण हुआ है। इस परिस्थिति में विकास योजना के प्रस्ताव देते समय यहां स्थित आवासीय क्षेत्रों पर उद्योगों का संभावित कुप्रभाव टालना आवश्यक होगा। जहाँ भी आवश्यक हो प्रतिरोधक के रूप में सधन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया जायेगा।

जहाँ तक अन्य औद्योगिक इकाईयों का प्रश्न है इनके कार्य संपादन की विशेषता को ध्यान में रखते हुए वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित सारणी में असंगत उद्योग इकाईयों की सूची प्रस्तुत है :-

सारणी - 6.8

कोरबा : असंगत औद्योगिक इकाईयाँ

क्रमांक	प्रकार	वर्तमान स्थान
1	2	3
1.	आईल मिल्स	नया मोहल्ला कोरबा
2.	आरा मशीन	नया मोहल्ला कोरबा एवं गैरेज मार्ग
3.	बर्फ कारखाना	पुरानी बस्ती, नया मोहल्ला
4.	साबुन कारखाना	रानी मार्ग, धनवार पारा
5.	सीमेन्ट की जालियाँ	गांधी चौक, हट री के समीप
6.	फर्नीचर	मिशान कॉलोनी, कोरबा
7.	इंजीनियरिंग वर्क्स	श्याम टाकीज के पीछे बालको, सहकारी बैंक के समीप कोरबा

6.3-4 क्षेत्र के अनुसार उद्योगों के वर्गीकरण :

विभाग द्वारा प्रत्येक उद्योग द्वारा उपयोग में लाई जा रही भूमि के संबंध में प्रमुख उद्योगों तथा छोटे उद्योगों का अलग-अलग सर्वेक्षण किया गया है। इस संबंध में विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

(अ) प्रमुख उद्योग :

सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही भूमि तथा वहाँ कार्यरत श्रमिकों के संबंध में आंकड़े निम्न सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी - 6.9

कोरबा : प्रमुख औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपयोग में लाई जा रही भूमि

क्र.	इकाई का प्रकार	इकाईयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	क्षेत्र हेक्टर में	प्रति श्रमिक क्षेत्र हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	बालको	1	6244	250.9	0.04
2.	म.प्र. वि.मं. ताप विद्युत इकाई पूर्व	2	3709	52.7	0.01
3.	नेशनल थर्मल पावर	1	1205	210.44	0.18
4.	ताप विद्युत इकाई पश्चिम	1	2051	80.9	0.04
5.	औद्योगिक विसफोट क कारखाना	1	440	32.38	0.07
6.	एस.ई.सी.एल.	5	1214	16.19	0.01
	योग	11	14863	643.51	0.35

उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत जानकारी का वर्तमान इकाईयों के विस्तार तथा भविष्य में नवीन इकाईयों की स्थापना के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

(ब) फैक्ट रीनुमा अन्य उद्योग :

विभिन्न औद्योगिक इकाईयों हेतु कितना स्थान आवश्यक है, यह बात ज्ञात करने के लिए कुछ उद्योगों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे स्थानों के संबंध में विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया। इस संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

कोरबा : अन्य उद्योगों द्वारा उपयोग में लाये जा रहे स्थानों के संबंध में विवरण

अ.क्र.	इकाई का प्रकार	इकाइयों की संख्या	श्रमिकों की संख्या	क्षेत्र हेक्टर में	प्रति श्रमिक भूमि हेक्टर में
1	2	3	4	5	6
1.	इंजीनियरिंग वर्कशाप	13	92	8.11	0.09
2.	धातु सामान	1	06	2.22	0.37
3.	लकड़ी का सामान	14	104	8.11	0.08
4.	आईल मिल	02	15	1.08	0.07
5.	लोहा एवं इस्पात	02	15	1.08	0.07
6.	छापाखाना	05	25	1.11	0.04
7.	बिस्कुट एवं कान्फेक्शनरी	05	20	1.20	0.06
8.	दाल मिल	01	08	0.20	0.03
9.	सूती कपड़े की बुनाई	02	08	0.20	0.03
10.	साबून कारखाना	02	08	0.53	0.07
11.	अलंकार वर्कर्स	04	08	0.21	0.03
12.	बर्फ कारखाना	05	47	2.32	0.05
13.	विविध	18	22	6.04	0.27
	योग	74	378	32.41	1.26

स्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि विभिन्न उद्योगों में कम प्रमाण में भूमि का उपयोग हो रहा है। धातु उद्योगों में सबसे अधिक मात्रा में भूमि उपयोग में लाई जा रही है। जबकि दाल मिल, गहने बनाना, सूती कपड़े की बुनाई में न्यूनतम मात्रा में भूमि का उपयोग हो रहा है। धातु कार्यों में भूमि का उपयोग 0.37 हेक्टर प्रति श्रमिक है, जबकि दाल मिल, गहने बनाना तथा कपड़ों की बुनाई हेतु केवल 0.03 हेक्टर प्रति श्रमिक है। विकास योग्यता के प्रस्ताव देते समय उद्योगों हेतु भूमि उपयोग की यह जानकारी उपयोगी सिद्ध होगी।

6.3-5 औद्योगिक अधोसंरचना :

विभिन्न प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा स्वतंत्र रूप से औद्योगिक अधोसंरचना का निर्माण किया जा चुका है। अभी इ बार की आवश्यकता है कि इन क्षेत्रों में सह संबंध स्थापित कर अनुसंधानिक उपभोक्ता एवं अन्य उद्योगों के लिये औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जाये। इस प्रयोजन के लिये विभाग द्वारा 100 हेक्टर भूमि अर्जित की गई है, इसमें से केवल 25 हेक्टर भूमि विकसित हो पाई है।

यातायात एवं परिवहन

किसी नगरीय आबादी की कार्यक्षमता नगर में उपलब्ध संचलन एवं परिवहन ढाँचे पर निर्भर रहता है। कोरबा जैसे औद्योगिक केन्द्र हेतु सामान्य यातायात संरचना के साथ साथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों से होने वाले कच्चे एवं तैयार माल के आवागमन के लिए पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। नगर के यातायात एवं परिभ्रमण समस्या के अध्ययन के लिए क्षेत्रीय परिभ्रमण व्यवस्था, परिभ्रमण संरचना सड़क ज्यामिति मार्गों की क्षमता अगम्यता आदि बातों की जानकारी आवश्यक है। ताकि वर्तमान एवं भविष्य में उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो सके।

7.1 औद्योगिक माल परिवहन :

नगर में स्थित सभी प्रमुख परियोजनाएँ ईंधन के रूप में कोयला उपयोग में लाते हैं। कोयले के अलावा एल्युमिनियम बनाने में बाक्साइड का भी उपयोग किया जाता है। तैयार माल यहां स्थित केवल भारत एल्युमिनियम कारखाने द्वारा उपभोक्ता बाजारों को रेल या सड़क द्वारा बाहर भेजा जाता है। विद्युत उत्पादन उपभोक्ता केन्द्रों तक उच्च शक्ति लाइनों द्वारा संचरित की जाती है प्रमुख औद्योगिक इकाईयों के संबंध में विवरण निम्नलिखित परिचछे दों में प्रस्तुत है :-

7.1-1 कच्चे माल का परिवहन:

1. भारत एल्युमिनियम संयंत्र:

इस संयंत्र में बाक्साइड एवं कोयला कच्चे माल के रूप में लाया जाता है। इस संयंत्र हेतु बाक्साइड फुट का पहाड़ से संयंत्र तक रज्जु मार्ग से लाया जाता है। इस कारखाने में कोयला बहुत कम मात्रा में उपयोग में लाया जाता है जो भी थोड़ा सा कोयला इस कारखाने के लिए आवश्यक है वह कोरबा स्टेशन से रेल द्वारा प्राप्त होता है।

2. सुपर थर्मल पावर जनरेशन लिमिटेड :

इस इकाई हेतु कोयले की आवश्यकता की पूर्ति दीपका खनन क्षेत्र से होती है। कोयले के परिवहन के लिए परियोजना स्थान को कोयला खदान क्षेत्र से रेल द्वारा जोड़ा गया है। रेल से कोयला विभिन्न इकाईयों तक पहुंचाया है।

3. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का हसदेव ताप विद्युत कारखाना :

इस इकाई के लिए कोयले का खनन गेवरा रेल्वे स्टेशन समीप स्थित कोयले के डिब्बों से वाहक पट्टे के जरिये होता रहता है, खदानों से डिब्बों तक कोयले की ढुलाई ट्रकों द्वारा होती है, ये सड़क मार्ग विशेष रूप से साऊथ ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किये गए हैं।

4. मध्यप्रदेश विद्युत मंडल संयंत्र :

इस संयंत्र को कोयला पूर्ति कोरबा रेल्वे स्टेशन समीप स्थित ट्रकों से होता है, ये ट्रक पावर हाउस मार्ग, एस.ई.सी. एल. चौक आदि क्षेत्रों से गुजरते हैं।

5. फर्टिलाइजर संयंत्र प्रस्तावित :

भारतीय खाद निगम द्वारा प्रस्तावित इस खाद संयंत्र के लिए कोयले का उपयोग प्राथमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग प्रस्तावित है। इस संयंत्र की स्थापना हेतु आरक्षित स्थान कोयला खदानों से रेल्वे मार्ग द्वारा ठीक से नहीं जोड़ा गया था, भविष्य में परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय उचित ध्यान दिया जाना है।

6. इंडियन बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड :

यह संयंत्र विकसित क्षेत्र के बाहर स्थित है। निवेश क्षेत्र में यह क्षेत्र में यह मध्यवर्ती क्षेत्र होगा। इससे आवासीय एवं अन्य विकसित क्षेत्र विभक्त दिखाई देंगे।

7.1.2. निर्मित सामान का परिवहन :

केवल एल्युमिनियम संयंत्र जिसमें एल्युमिना एवं एल्युमिनियम निर्मित होता है। एल्युमिनियम कारखाने से तैयार माल उपभोक्ता केन्द्रों तक रेल द्वारा भेजा जाता है। इस संयंत्र में माल के ढुलाई के लिए अलग से गुड्स यार्ड बनाये गये हैं।

7.1.3. खनिज पदार्थों का परिवहन :

राज्य के बाहर स्थित अधिकांश ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयला कोरबा से जाता है। कोयला रेल से भेजा जाता है। कहीं-कहीं कोयला ट्रकों से भी भेजा जाता है ये ट्रक एस.ई.सी.एल. स्थित सड़कों से गुजरता हैं। इन ट्रकों के चलने से नगर यातायात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

7.1.4 औद्योगिक अपविष्ट उत्पाद का परिवहन :

औद्योगिक अपविष्ट उत्पाद के रूप में कोयले की राख प्रमुख है। वर्तमान में अकलतरा स्थित सीमेंट फेक्ट्री में सीमेंट निर्मित हेतु इसे उपयोग में लाया जाता है। इस राख का परिवहन वृतीय मार्ग एस.ई.सी.एल. चौक कोयला क्षेत्र एवं पावर हाउस मार्ग से ट्रकों द्वारा होता है।

7.2 क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था :

इस नगर को मुख्य सड़क मार्गों से संभागीय मुख्यालय बिलासपुर नगर से जोड़ा गया है, तथापि इस नगर के औद्योगिक विकास को समृद्ध बनाने की दृष्टि से अधिक मार्गों से जोड़ना आवश्यक है।

7.2.1. क्षेत्रीय यातायात (स्थायी बसें) :

यात्री बसों द्वारा क्षेत्रीय यातायात में वृद्धि से क्षेत्र के वर्तमान आर्थिक कड़ियों का पता लगता है। निम्नलिखित सारणी में नगर की ओर आने वाली एवं नगर से होते हुये बाहर जाने वाली बसों के सम्बंध में जानकारी प्रस्तुत है।

सारणी - 7.0

कोरबा : क्षेत्रीय यातायात (प्रतिदिन बसों की संख्या)

अ. क्र.	मार्ग खण्ड		नगर की ओर आने वाली जाने वाली	नगर से बाहर	योग
1	2		3	4	5
1.	बालको	कोरबा चांपा	46	46	92
2.	बालको	कोरबा कट घोरा	33	33	66
3.	कोरबा	बालको फुट का पहाड़	1	1	2
	योग		80	80	160

स्त्रोत : विभाग द्वारा संपन्न सर्वेक्षण।

नगर को प्रमुख रूप से चांपा रेलवे स्टेशन से रेल सेवार्थे प्राप्त होने के कारण इस सड़क मार्ग पर सबसे अधिक बसें दौड़ती हैं।

7.2-2 माल यातायात :

विभिन्न मार्ग खण्डों पर प्रतिदिन आनेवाली तथा जाने वाली ट्रकों की संख्या निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी - 7.1

कोरबा : क्षेत्रीय माल यातायात (ट्रकों की संख्या प्रतिदिन)

अ.क्र.	मार्ग खण्ड		नगर की ओर आने वाली तथा नगर में यात्रा समाप्त	नगर से यात्रा शुरू कर वार जाने वाली	योग
1	2		3	4	5
1.	कोरबा	फुट का पहाड़	51	45	96
2.	कोरबा	चांपा	309	272	581
3.	कोरबा	रजगामार	105	97	202
4.	कोरबा	कट घोरा	111	118	229
5.	कोरबा	मोंगरा	37	34	71
	योग		613	566	1179

स्त्रोत : विभाग द्वारा सम्पन्न सर्वेक्षण।

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि कोरबा-चाँपा मार्ग पर अधिकतम यातायात होती है। इस नगर के लिए चाँपा प्रमुख रेल लाइन (स्टेशन) होने के कारण अधिकांश उपभोक्ता माल का चाँपा तक रेल द्वारा परिवहन होता है। यह सामान सड़क मार्ग से कोरबा पहुँचता है। रजगामार खदानों से निकला कोयला ट्रकों से बाहर भेजा जाता है। यह कोयला प्रमुख रूप से रेलवे स्टेशन समीप स्थित डिपो में उतारा जाता है।

7.3. परिवहन संरचना :

चाँपा-कोरबा-कट घोरा मार्ग नगर की रीढ़ बन गई है। इस पर अधिकांश औद्योगिक इकाईयों एवं कालोनियां विकसित हुई हैं। यह मार्ग क्षेत्रीय मार्ग के अलावा नगर के मुख्य मार्ग के रूप में भी उपयोग होती है। इस मार्ग पर अनेक वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण कार्य क्षमता बहुत कम हो गई है।

नगर मार्ग

नगर में स्थित मार्गों की संरचना अच्छी नहीं है। नगर में केवल 10 प्रमुख यातायात मार्ग उपलब्ध हैं, जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत है।

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. कोरबा कट घोरा मार्ग | 2. एस.ई.सी.एल. मार्ग |
| 3. पावर हाउस रोड मार्ग | 4. एफ.सी.आई.मार्ग |
| 5. एफ.सी.आई. बालको मार्ग | 6. गेवरा-बांकी मार्ग |
| 7. गेवरा-कुसमुंडा मार्ग | 8. एन.टी.पी.सी.-बांकी मार्ग |
| 9. एफ.सी.आई. रजगामार मार्ग | 10. वृत्तीय मार्ग |

इन 10 प्रमुख मार्गों में से वृत्तीय मार्ग तथा एन.टी.पी.सी. बाकी लगभग अनुपयोगी हैं।

7.4 यातायात निर्मित केन्द्र

नगर में कार्यकेन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र एवं यातायात अवसान केन्द्रों से प्रमुख रूप से यातायात निर्मित होता है। नगर में खदान क्षेत्रों, ताप विद्युत संयंत्रों, एल्युमिनियम संयंत्र, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आदि ऐसे यातायात अवसान केन्द्र हैं जहाँ से प्रमुख रूप से माल एवं यात्री यातायात निर्मित होता है। इन प्रमुख यातायात निर्मित केन्द्रों के अलावा कोरबा बस्ती, दर्रा, इंदिरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि भी यातायात निर्मित केन्द्र बन गये हैं।

संयंत्रों हेतु अधिकांश आवश्यक कच्चा माल रेलवे लाइनों या वाहक पट्टों द्वारा लाया जाता है। इसमें मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का ताप विद्युत संयंत्र अपवाद है। विकास योजना में इस प्रकार के यातायात अवसान को विभक्त करने के लिए उचित ध्यान देना आवश्यक है।

7.5 यातायात अवसान केन्द्र :

क्षेत्रीय सड़क यातायात से नगर में 6 अवसान केन्द्र बन गये हैं, इसके अलावा एक रेलवे स्टेशन तथा एक हवाई पट्टी भी स्थित है, जिसका बहुत कम उपयोग होता है, इन अवसान केन्द्रों के बारे में विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है :

1. बस स्टैंड :

यहाँ बस स्टैंड कोरबा बस्ती में स्थित है। बस स्टैंड के लिए स्थान वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अपर्याप्त है। अतः इसका अन्यत्र स्थानान्तरण बहुत आवश्यक है। बस स्टैंड के अलावा बालको जमनीपाली एवं बांकी क्षेत्रों में भी बसें अवसानित होती हैं।

2. ट्रक अवसान केन्द्र :

कोरबा बस्ती एवं इंदिरा कॉम्प्लेक्स में ट्रक अवसान केन्द्र स्थित है। कोरबा बस्ती में स्थित अवसान केन्द्र भीड़-भाड़ के क्षेत्र में स्थित है इसका स्थानान्तरण आवश्यक है।

3. रेलवे स्टेशन :

नगर में एकमात्र रेलवे स्टेशन स्थित है। यह स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रमुख रेल लाईन पर स्थित चाम्पा स्टेशन से जुड़ा हुआ है। निरन्तर बढ़ती हुई माल यातायात विशेष कर कोयले के परिवहन को देखते हुये इसका विस्तार आवश्यक है।

4. हवाई पट्टी :

नगर में हवाई पट्टी रूमगरा ग्राम में स्थित है। यह सामान्यतया उच्च अधिकारियों के विशेष उड़ानों के लिये उपयोग में लाई जाती है। इसका रख रखाव मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा किया जाता है।

7.6 वाहनों का प्रकार :

अन्य भारतीय नगरों के समान इस नगर में भी विभिन्न स्वरूप के वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं। साइकिल, आटो, साइकिल रिक्शा, कार बसें प्रमुख रूप से यात्री वाहन के साधन हैं। माल परिवहन हेतु ट्रक टैम्पो एवं हाथ ठेले प्रयोग में लाये जाते हैं। नगर में मन्द एवं तीव्रगति यातायात सामान्यतयः मिश्रित रूप से दिखाई देती है। इससे यातायात सुचारु रूप से चलने में न केवल बाधा उत्पन्न होती है, अपितु दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है।

नगर में स्थित तीव्रगति वाहनों के सम्बंध में जानकारी निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी - 7.2

कोरबा : नगर में तीव्रगति वाहनों की संख्या में वृद्धि

वर्ष	कार/जीप	मोटर साइकिल/स्कूटर	आटोरिक्शा	बस	ट्रक	योग
1	2	3	4	5	6	7
1970	16	24	-	1	28	69
1975	31	53	1	5	32	122
1985	376	538	12	80	312	1318

स्रोत : क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि नगर में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। यह प्रवृत्ति आगे जारी रहने की सम्भावना है।

7.7. यातायात की संभावनायें :

नगर स्थित यातायात की मात्रा, स्वरूप, दुर्घटना आदि का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा सन् 1986 में विभिन्न प्रकार के यातायात सर्वेक्षण किये हैं, इस सम्बंध में संक्षिप्त जानकारी नीचे प्रस्तुत है।

7.7.1 यातायात की मात्रा :

सन् 1986 में नगर के विभिन्न 39 स्थानों पर यातायात की मात्रा के सम्बंध में सर्वेक्षण किया गया। इन 39 स्थानों पर सर्वाधिक मात्रा निम्नलिखित सारणी में दर्शायी गई है :-


सारणी - 7.3

कोरबा : सर्वाधिक यातायात प्रहार की यातायात मात्रा

क्र.	मार्ग खण्ड	सर्वाधिक प्रहार का समय		सर्वाधिक यातायात प्रहार की मात्रा		योग
		तीव्र गति	मंद गति	तीव्र गति	मंद गति	
1	2	3	4	5	6	7
1.	एन.टी.पी.सी. टाउनशिप आई.बी.पी.फे.	16-17	16-17	70.7	33.3	104.0
2.	एन.टी.पी.सी. टाउनशिप से म.प्र.वि.मं. कालोनी (प.)8-9		8-9	46.5	40.3	86.8
3.	एन.टी.पी.सी. टाउनशिप से दर्रा बाजार	16-17	8-9	241.2	121.4	362.6
4.	रेल्वे ओव्हर ब्रीज से बराज	17-18	13-14	562.0	328.4	890.4
5.	बराज से प्रगतिनगर	16-17	16-17	316.5	138.8	455.3
6.	म.प्र.वि.मं. चौक से बराज	17-18	17-18	538.2	262.3	800.5
7.	म.प्र.वि.मं. चौक से म.प्र.वि.म.शाला	10-11	15-16	510.57	328.3	838.87
8.	म.प्र.वि.मं. चौक से निहारिका टाकीज	17-18	9.10	262.5	76.2	338.7
9.	म.प्र.वि.मं. चौक से एस्.ई.सी.एल. चौक	12.13	17.18	571.5	263.0	834.5


कोरबा

क्षेत्रीय यातायात (बसें)




कोरबा

क्षेत्रीय यातायात (ट्रकें)



कोरबा


७-४ यातायात संरचना



कोरबा

तीव्र गति वाहन उपनति

वाहनों की संख्या



————— कार/जीप
 - - - - - मोटर साइकिल/स्कुटर
 बस
 - . - . - ट्रक

1	2	3	4	5	6	7
10.	म.प्र.वि.मं.चौक से इन्द्रा कालोनी	17.12	10.71	202.5	57.1	259.6
11.	एस.ई.सी.एल.चौक से विजया टाकीज	9.10	17.18	422.5	236.3	658.8
12.	एस.ई.सी.एल.चौक से एस.ई.सी.एल.कालोनी	16.17	16.17	160.5	189.2	349.7
13.	एस.ई.सी.एल. चौक से रेलवे स्टेशन	16.17	15.16	263.5	16.0	279.5
14.	एस.ई.सी.एल. चौक से पी.एच.ई.टैंक	18.19	11.12	579.0	494.0	1073.0
15.	एस.ई.सी.एल. चौक से इंदिरा कालोनी	16.17	9.10	162.0	182.5	344.5
16.	एस.ई.सी.एल. कालोनी से मुरारका	17.18	17.18	896.7	807.4	1704.1
17.	मुरारका से गांधी चौक	17.18	13.14	1037.0	873.6	1910.6
18.	मुरारका पी.पी. से गांधी चौक	17.18	13.14	1037.0	873.6	1910.6
19.	मुरारका पे. पम्प से हसदेव नदी	12.13	20.21	88.0	233.0	321.0
20.	मुरारका पे. पम्प से एल.बी.पी. नहर	17.18	16.17	241.5	391.0	622.5
21.	गांधी चौक से बस स्टैंड	13.14	12.13	776.0	852.3	1628.3
22.	बस स्टैंड से सती माता मंदिर	17.18	16.17	815.0	1264.8	2079.8
23.	सतीमाता मंदिर से रानी मार्ग चौक	17.18	18.19	542.2	639.0	1181.2
24.	रानी मार्ग चौक से रानी महल	18.19	16.17	128.0	266.0	394.0
25.	रानी मार्ग चौक से रेलवे स्टेशन चौक	11.12	12.13	209.7	332.1	541.8
26.	रेलवे स्टेशन से चाम्पा नाका	6.7	12.13	298.7	134.0	432.7
27.	निहारिका सिनेमा से निर्मला चौक	12.13	12.13	393.0	145.2	538.2
28.	निर्मला चौक से वृत्तीय मार्ग	11.12	15.17	226.2	115.3	341.5
29.	निर्मला चौक से बस डिपो	15.16	16.17	205.5	96.0	301.5
30.	बस डिपो से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौक	15.15	17.18	185.5	213.9	399.4
31.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौक से म.प्र.वि.मं.शाला	7.8	10.11	164.7	152.2	316.7
32.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौक से बालको मेन गेट	8.9	17.18	262.0	76.0	338.6
33.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौक से सिंचाई विभाग कालोनी	12.13	16.17	124.0	153.0	277.0
34.	बालको गेट से बालको पी.पी.	12.13	17.18	360.5	348.9	709.4
35.	बालको पी.पी. से दर्रा बराज	10.11	13.14	18.0	110.2	128.2
36.	बालको पी.पी. से बालको बस स्टैंड	12.13	13.19	806.7	871.6	1681.3
37.	बालको पी.पी. से रिसदा चौक	9.10	13.14	25.5	82.0	107.5
38.	बालको बस स्टैंड से फुट का पहाड़	9.10	9.10	898.0	1167.5	2065.5
39.	बालको बस स्टैंड से बालको टाऊनशिप	8.9	8.9	483.2	295.7	778.9

स्रोत : विभाग द्वारा संपन्न सर्वेक्षण

परिवर्तन गुणांक सर्वेक्षण निम्नलिखित मान्यताओं पर किया गया। कार-1 बैलगाड़ी 6.0, ट्रैक्टर 3.0, ट्रक और बस 2.6, हाथ ठेला 2.5, टेम्पो 1.25, रिक्शा 0.75, साईकिल 0.33 टंगा 3.0।

सर्वेक्षण के 39 स्थानों में से लगभग 8 स्थानों पर उच्चतम यातायात सायंकाल को तथा शेष स्थानों पर प्रातः एवं दोपहर में पाया गया। प्रातः का उच्चतम यातायात प्रहार महाविद्यालयों तथा शालाओं के लगने के समय का होता है। जबकि सायंकाल को उच्चतम यातायात प्रहार लोगों के काम से वापस लौटने तथा बाजार से खरीदी के समय होता है। महत्तम प्रहार में सबसे अधिक यातायात बस स्टैंड से सीतामढ़ी मंदिर के मार्ग खण्ड पर देखा गया, इसके पश्चात् अधिक यातायात बालको बस स्टैंड, फुट का पहाड़ चौक, तक देखा गया। तीसरे स्थान पर मुरारका गांधी चौक मार्ग खण्ड पर अधिकतम यातायात देखा गया। विभिन्न मार्गों पर ट्रकों की संख्या से उस मार्ग खण्ड तक यातायात में महत्व स्पष्ट होता है जिन मार्ग खण्डों पर हमेशा ट्रक दौड़ती हुई दिखाई देती है। इनका विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :

सारणी 7.4
कोरबा : मार्ग पर ट्रक यातायात

क्रमांक	मार्ग खण्ड	24 घंटों में गुजरने वाले ट्रकों की संख्या
1	2	3
1.	बालको बस स्टैंड से फुट का पहाड़	898
2.	ओ.पी.एच. चौक मुरारका पी.पी.	896
3.	बालको पी.पी से बालको बस स्टैंड	806
4.	एस.ई.सी.एल. से ओ.एच. टैंक	579
5.	म.प्र.वि.म. चौक से एस.ई.सी.एल. चौक	571
6.	रेलवे ओवर ब्रिज से बराज	562
7.	म.प्र.वि.मं. चौक से म.प्र.वि.मं. शाला	538
8.	म.प्र.वि.मं. चौक से बराज	538
9.	बालको गेट से बालको पी.पी.	360
10.	एस.ई.सी.एल. चौक से ओ.एच. टैंक	263

स्रोत : विभाग द्वारा संपन्न सर्वेक्षण

फुट का पहाड़ से एल्युमिनियम संयंत्र तक वाक्सार्ड के परिवहन के कारण बालको बस स्टैंड से फुट का पहाड़ मार्ग पर अधिकतम ट्रक यातायात रहता है। नगर स्थित अन्य मार्गों पर परियोजना स्थानों तक कच्चे माल के वाहन के कारण ट्रक यातायात होता है। नगर हेतु परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय इन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

7.7-3 मार्ग क्षमता :

अधिकतम यातायात प्रहर की यातायात मात्रा का मार्ग की उपलब्ध वाहन चौड़ाई से संबंध स्थापित कर मार्ग क्षमता निर्धारित की जाती है। एक मार्ग पट्टी की यातायात क्षमता 500 कार इकाई प्रति घंटा आंकी गयी है। इस मानदण्डों के आधार पर मार्गों की तुलनात्मक क्षमता का अध्ययन किया गया है जो निम्न सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी - 7.5


कोरबा : यातायात घनत्व एवं मार्गों की क्षमता

अ.क्र.	मार्ग खण्डों के नाम	औसत मार्ग चौड़ाई मीटर में	मार्ग पट्टी काय	उच्च यातायात प्रहर में यातायात	सामान्य क्षमता	अति भार,	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सीतामढ़ी से मुरारका	15	1	2079	500	1579	मार्ग चौड़ा करने साथ पार्किंग की व्यवस्था आवश्यक
2.	दर्रा बराज से दर्रा पुलिस स्टेशन	40	2	890	1000	-	पार्किंग सुविधा के साथ अतिक्रमण हटाना आवश्यक है
3.	एस.ई.सी.एल. चौक से म.प्र.वि.मं. चौक	40	3	834	1500	-	पार्किंग की सुविधा आवश्यक है
4.	एस.ई.सी.एल. चौक से ओ.एच.टैंक	40	3	1073	1500	-	
5.	ओ.एच.टैंक से मुरारका पी.पी.	30	2	1704	1000	704	ब्यस्त बाजार क्षेत्र
6.	बालको पी.पी. से बालको बस स्टैंड	30	3	1681	1500	181	
7.	बालको बस स्टैंड से फुट का पहाड़	30	1	2065	500	1565	कुछ स्थानों पर मार्ग को चौड़ा करना जरूरी है।

कोरबा

७-५ यातायात आयतन

सर्वाधिक गडद



३००
२००
१००
०
१ किलोमीटर

■■■■■ सर्वाधिक गडद
■■■■■■■■■■ गडद

० १ २
किलोमीटर

कोरबा शहर का

KORBA

7-6 TRAFFIC PROBLEM


कोरबा

6-8 यातायात समस्याएं



कोरबा

यातायात दुर्घटनायें



— साधारण

- - - प्राण धातक

KORBA

7-7 ACCIDENT POINTS

कोरबा

6-6 दुर्घटना स्थल

FATAL ○
NONFATAL ●

ब्रह्मचालक
वाहन

पुरका गराव का

राजगा भवट का



सिद्धांत

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि मानिकपुर खदान से एन.टी.पी.सी. कालोनी तक के मार्ग खण्ड को यातायात की मात्राये प्रकार को ध्यान में रखते हुये चौड़ा करना आवश्यक है। उसके साथ-साथ सभी मार्गों पर स्थित अतिक्रमणों को भी हटाना आवश्यक है। कोरबा बस्ती से दर्जा तथा बालको से बस स्टैंड तक मार्गों खण्डों पर पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके अलावा मुख्य भागों की भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से भारी वाहनों के लिए मार्गों का निर्माण भी आवश्यक प्रतीत होता है।

7.7-4 असुविधाजनक चौराहे एवं अंधे मोड़ :

नगर के लगभग सभी चौराहे सुरक्षित आवागमन की दृष्टि से असुविधाजनक है। चौराहों के सुधार के लिए योजना बनाने समय इनका विस्तृत भौतिक सर्वेक्षण आवश्यक है। निम्नलिखित कारणों से नगर में स्थित चौराहे असुविधाजनक माने गये हैं।

1. मार्ग चौराहे का न्यूनकोणों पर प्रतिच्छेदन।
2. अपवांत्त चौड़ाई।
3. निम्न स्तर का चक्रिय रूपांकन।
4. अंधे मोड़

निम्नलिखित चौराहों का तुरंत सुधार आवश्यक है :-

1. सीतामड़ी चौक।
2. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल चौराहा।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौराहा।

7.7-5 यातायात में बाधाये :

यातायात मार्ग के किनारे गुमटियों, ठेलों तथा मार्गों पर अव्यवस्थित रूप से वाहनों की पार्किंग से वाहनों के यातायात सड़कों पर सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। सड़कों पर पैदल यातायात, लावारिश पशु आदि से बाधा उत्पन्न होती है, जिससे तीव्र गति वाहन अवरूद्ध होते हैं।

सारणी - 7.6

कोरबा : किसी स्थान पर अधिकतम रूप से पार्क किये गये वाहनों की संख्या

क्र.	पार्किंग के स्थान गणना	तीव्र गति						मंद गति			
		बस	ट्रक	कार	स्कूटर	टेम्पो आटो	योग	साईकिल	रिक्शा	बैलगाड़ी हाथ ठेला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	दीनदयाल मार्केट से खानदर्जी	1	2	9	3	19	34	5	81	8	94
2.	मुरारका चौक से ज्योति प्रेस	-	6	13	12	30	51	9	67	10	86
3.	दर्जा चौक से पुलिस स्टेशन	5	16	15	-	28	64	111	180	94	385
4.	म.प्र.वि.मं. चौक से गायत्री मंदिर	2	19	2	-	1	24	8	22	-	30
5.	एस.ई.सी.एल. चौक से चौरसिया पे.पंप	4	7	8	-	2	21	11	9	-	20
6.	मेन थाना सिनेमा से सती मंदिर	1	2	13	-	25	41	65	162	42	269
7.	सती मंदिर से बस स्टैंड	11	-	22	-	424	61	150	299	67	516
8.	मुरारका पेट्रोल पंप दीनदयाल मार्ग	-	2	13	-	28	43	28	83	5	116
9.	खुदरिया से एल.पी.सी. चौक	-	-	11	3	17	31	10	112	3	125
10.	एल.पी.सी. चौक से अग्रवाल नर्सिंग होम	-	-	13	-	8	21	5	34	4	43
11.	मधु स्वीट्स से एन.टी.पी.सी. गेट	4	8	17	-	16	453	183	660	139	982
12.	बस स्टैंड से अंतुलाल पेट्रोल पंप	4	-	18	9	91	122	51	101	35	187
13.	रेलवे स्टेशन चौक से सम्राट होटल	8	16	12	-	10	46	67	55	40	162
14.	कदम बाड़ी से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौक	5	5	2	-	18	30	9	84	32	125
15.	गोपालपुर से आई.बी.पी. फेक्टरी	1	9	4	-	5	18	9	10	6	25
16.	एस.ई.सी.एल. चौक से टू सिपोर्ट नगर	3	10	8	-	17	35	13	30	1	44
17.	सम्राट होटल से चन्द्रलोक होटल	1	12	12	-	18	43	22	38	32	92

स्त्रोत : विभाग द्वारा संपन्न सर्वेक्षण।

प्रत्येक मार्ग पर वर्तमान में पार्क किये गये वाहनों की संख्या को जानकर ही विकास योजना में पार्किंग हेतु सुविधायें प्रदान की जा सकेगी।

7.8 मार्गों का निदान सूचक सर्वेक्षण :

नगर में स्थित विभिन्न मार्गों की दशा के संबंध में निदान सूचक सर्वेक्षण किया गया है। इस संबंध में प्राप्त आंकड़े नीचे प्रस्तुत हैं। इसका नगर के परिभ्रमण में सुधार लाने हेतु उपयोग हो सकेगा।
शारणी - 7.7

कोरबा : मार्गों का निदान सूचक सर्वेक्षण												
क्र.	मार्ग का नाम	मार्ग खण्ड	मार्गों की चौड़ाई (मीटर में)	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			मार्गों की चौड़ाई (कि.मी. में)	समस्या	मुख्य लम्बाई उपयोग (कि.मी. में)	परिष्कार की समस्या	क्रासिंग की संख्या	यातायात के प्रकार	यातायात नियंत्रण	फुटपाथ	संकीर्ण स्थान	मार्ग व्याप्ति
1.	चांपा कोरबा मुख्य मार्ग	चांपा नाका से मुराका पेट्रोल पंप तक	15	4	मुख्य नगर	हो	10	क्षेत्रीय एवं नगर	अपर्याप्त	-	गांधी चौक से	खराब
2.	पावर हाऊस मार्ग	मुराका पेट्रोल पंप से म.प्र.वि.मं. चौक	15	3	मुख्य नगर केन्द्र एवं ट्रांसपोर्ट नगर	हो	5	यातायात क्षेत्रीय एवं नगर की औद्योगिक	अपर्याप्त	-	एल.पी.सी. क्रासिंग	औसत
3.	कटघोरम मार्ग	200 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र से आई.बी.पी.	20	1.6	क्षेत्रीय यातायात	हो	7	यातायात क्षेत्रीय एवं नगर की औद्योगिक	अपर्याप्त	-	एल.पी.सी. क्रासिंग	औसत
4.	एफ.सी.आई. मार्ग	म.प्र.वि.मं. चौक	4	1.0	नगर	हो	6	नगरीय औद्योगिक	अपर्याप्त	-	एल.पी.सी. टाउनशिप के बाद अन्तर प्रलय नहर के समीप एवं एटी बाजार से ओवर ब्रीज	औसत
5.	रजगामार मार्ग	निर्मला चौक से रजगामार	18	10	यातायात औद्योगिक	-	4	यातायात औद्योगिक	अपर्याप्त	-	म.प्र.वि.मं. चौराहा एवं ओवर ब्रीज	औसत
6.	बालको मार्ग	निर्मला चौक से फुटका पहाड़ नाला	18	10	बालको टाउनशिप एवं फैक्टरी	-	9	नगर एवं क्षेत्रीय	अंशतः पर्याप्त	-	-	औसत
7.	बैंक	गेवरा रेलवे स्टेशन से बैंक	18	17	बालोनी मार्ग	-	7	यातायात नगरीय	अक्षम	-	-	खराब

नगरीय सेवाएँ एवं सुविधाएँ

सेवाओं के अंतर्गत प्रमुख रूप से जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, मल निकास के समावेश होता है, जबकि सुविधाओं के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आमोद-प्रमोद आदि से संबंधित सुविधायें शामिल हैं। नागरिकों को नगर में प्राथमिक सेवायें एवं सुविधायें किम प्रमाण में उपलब्ध हैं, इस बात पर इस नगर का नगरीय स्वरूप निर्भर करता है। इन सेवा सुविधाओं से नगर की अधो संरचना प्राप्त होती है। साथ ही साथ नागरिकों की दशा सुधारने में भी सहायता मिलती है।

8.1 जल प्रदाय :

सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा विकसित की गई कालोनियों में स्वतंत्र रूप से जल प्रदाय व्यवस्था निर्मित की गई है लेकिन कोरबा पुरानी बस्ती क्षेत्र में सन् 1984 तक नलों द्वारा जल प्रदाय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। यह व्यवस्था विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1984 में उपलब्ध कराई गई। इन योजना के अंतर्गत कोरबा बस्ती के संपूर्ण जनसंख्या हेतु जल प्रदाय योजना बनाई गई है। वर्तमान में केवल 15% जनसंख्या को ही जल पूर्ति होती है। इस क्षेत्र में केवल 45% सार्वजनिक नलकूप लगाये गये हैं। यह संख्या बहुत ही कम है।

जल प्रदाय के संबंध में वर्तमान असमानता को दूर करने की दृष्टि से सम्पूर्ण जल प्रदाय व्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करके एक एकीकृत जलप्रदाय योजना बनाना आवश्यक है।

वर्तमान में नगर को हसदेव नदी एवं पश्चिम तट नहर से जल प्रदाय होता है, लेकिन यह वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं की दृष्टि से बहुत कम है।

जहाँ तक विशेष क्षेत्र में स्थित ग्रामीण आबादी का प्रश्न है, इन क्षेत्रों में नलों द्वारा जल प्रदाय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन बस्तियों में ट्यूब वेल से जल उपलब्ध कराने हेतु प्रयास जारी है। अब तक 120 नलकूपों का निर्माण हो चुका है।

8.2 मल निकास :

शासकीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निकायों द्वारा अभी तक जो बस्तियाँ विकसित हुई हैं, उन सभी बस्तियों में स्वतंत्र रूप से भूमिगत जल-मल निकास व्यवस्था उपलब्ध है। जहाँ तक कोरबा बस्ती क्षेत्र का प्रश्न है, पुरानी प्राथमिक पद्धति से मल इकट्ठा कर खुले स्थानों में डाला जाता है। नगर में नव-निर्मित नये मकानों में कुछ मकान मालिकों द्वारा सेप्टिक टैंक बनाये गये हैं, लेकिन बहुत से मकानों में यह व्यवस्था उपलब्ध न होने से खुले नालियों से ही मल निकासी होती है।

नगर में बहुत से नालों से अपगामी पदार्थ हसदेव नदी में प्रवाहित होते रहते हैं। ढंगुनाला, बेलगिरी, अहिरन, फुलहारी, दादर, बांकी, सखार, चोरगुल एवं डोम आदि ऐसे नाले हैं, जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। ये सब नाले हसदेव नदी में मिलकर नदी के अनुप्रवाह को प्रदूषित करते हैं।

8.3 वर्षा के पानी की निकासी :

यहां केवल नगर क्षेत्र के भागों से बरसाती पानी के निकास के लिए नालियाँ बनाई गई हैं, अन्य क्षेत्रों के वर्षा का पानी नाली के जारिये हसदेव नदी में प्रवाहित होता है।

8.4 विद्युत प्रदाय :

विशेष क्षेत्र कोरबा ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत पूर्ति होती है। औद्योगिक वाणिज्यिक एवं घरेलू उपयोगों हेतु पर्याप्त मात्रा में विद्युत यहाँ से उपलब्ध होती है। नगर के सभी प्रमुख मार्गों पर बिजली से विद्युत प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है। भविष्य में विद्युत उत्पादन के संबंध में योजनाओं के क्रियान्वयन होने पर विद्युत प्रदाय में और सुधार होने की संभावना है।

8.5 स्वास्थ्य सुविधायें :

नगर में 6 सामान्य अस्पताल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय स्थित है। स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

कोरबा : स्वास्थ्य सुविधायें

अनु.क्र.	प्रकार	स्थान	पलंगों की संख्या
1	2	3	4
अ- विशिष्ट चिकित्सालय			
1.	मध्यप्रदेश विद्युत मंडल सामान्य चिकित्सालय से संबंध विशिष्ट चिकित्सालय	100 मेगावाट के समीप	30
ब- सामान्य चिकित्सालय			
2.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल सामान्य चिकित्सालय	-	-
3.	बालको सामान्य चिकित्सालय	सेक्टर क्रमांक-4	75
4.	एस.ई.सी.एल. सामान्य चिकित्सालय	सुभाष चौक	11
5.	एन.टी.पी.सी. सामान्य चिकित्सालय	प्रगति नगर	80
6.	बांकी सामान्य चिकित्सालय	बांकी कालोनी	45
7.	एन.टी.पी.सी. सामान्य अस्पताल	अस्थाई चिकित्सालय	10
स- प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र			
8.	शासकीय प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	मुख्य मार्ग कोरबा	6
द- औषधालय			
9.	बालको औषधालय	सेक्टर क्रमांक-3	-
10.	एस.ई.सी.एल. औषधालय	15 ब्लाक कालोनी	-
11.	एस.ई.सी.एल. औषधालय	कुसमुण्डा	2
12.	बांकी औषधालय	बांकी	2
13.	मानिकपुर औषधालय	मानिकपुर कालोनी	-
14.	म.प्र.वि.मं. औषधालय	म.प्र.वि.मं. कालोनी	-
15.	म.प्र.वि.मं. औषधालय	म.प्र.वि.मं. कालोनी, दर्रा	4
16.	सुराकछार औषधालय	सुराकछार	-
17.	शासकीय औषधालय	100 मेगावाट स्टेशन के समीप	-
18.	एस.ई.सी.एल. औषधालय	सुभाष ब्लाक	-
योग			265
प्रति 1000 जनसंख्या पर पलंगों की संख्या			1.09

स्रोत : सार्वजनिक निकायों एवं चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी।

विशिष्ट चिकित्सालय से सामान्यतः मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है। उपरोक्त सारणी से यह बात स्पष्ट है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में से अधिकांश केन्द्र नई कालोनियों में स्थित है।

हाल ही में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सार्वजनिक निकायों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर एक सामान्य चिकित्सालय बनवाया गया है। इससे कोरबा के निवासियों के निकट भविष्य में स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकेंगी। विशिष्ट चिकित्सा के अतिरिक्त पुरानी बस्ती कोरबा में और अधिक औषधालय खोले जाने की आवश्यकता है।

8.6 शिक्षा :

इस नगर से क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, नगर में शिक्षा संस्थायें खोलते समय विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा हेतु संस्थायें स्थापित करने की आवश्यकता है।

8.6-1 विशिष्ट शिक्षण संस्थाएँ :


नगर में सिंचाई कालोनी के समीप एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थित है, इसके अतिरिक्त विशिष्ट व्यावसायिक संस्था स्थित है।

KORBA

कोरबा

8-1 DISPOSITION OF FACILITIES

४-१ सेवायें एवं सुविधायें



- | | | |
|--------------|---|----------------|
| EDUCATION | ○ | स्कूल |
| HEALTH | ⊕ | स्वास्थ्य |
| CLUB | C | क्लब |
| LIBRARIES | ▲ | पुस्तकालय |
| TEMPLES | ⌄ | मन्दिर |
| PARKS | P | उद्यान |
| CINEMA | ⊖ | सिनेमा |
| POLICE STN | ⊠ | पोलीस स्टेशन |
| PLAY GROUND | ⊙ | खेल का मैदान |
| FIRE STN | ⊠ | फायर स्टेशन |
| POST OFFICES | ⊙ | डाक कार्यालय |
| BANK | ● | बैंक |
| TELE EXCH | ⊙ | दूरभाष केन्द्र |

8.6-2 महाविद्यालय :

कुछ समय पूर्व तक इस नगर में केवल एक स्नातक कला महाविद्यालय स्थित था। यह महाविद्यालय भवन एक तंग स्थान में स्थित है। विभिन्न सार्वजनिक निकायों के आर्थिक सहयोग से विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा एक नया महाविद्यालय खोला गया है। नगर की जनसंख्या की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर दो अतिरिक्त महाविद्यालयों के स्थापना की आवश्यकता प्रतीत होती है। जिसमें से एक केवल महिलाओं के लिए हो। लगभग सभी महाविद्यालय में विज्ञान विषयों की पढ़ाई की सुविधा आवश्यक है। वर्तमान महाविद्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित करना आवश्यक है।

8.6-3 उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शालायेँ :

नगर में 16 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 28 माध्यमिक विद्यालय विद्यमान है। माध्यमिक शालाओं में से 4 शालायेँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से संलग्न है। इन शालाओं में अधिकांश नयी कालोनियों में स्थित है। कोरबा बस्ती क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय नहीं है। नगर में प्रति 12500 जनसंख्या पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा 7000 जनसंख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय की आवश्यकता है। यह आवश्यकता नगर की वर्तमान 2 लाख जनसंख्या तथा योजना कालावधि में जनसंख्या में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित की गई है। गम्यता की दृष्टि से कोरबा बस्ती में दो अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करना आवश्यक है।

8.6-4 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालायेँ :

नगर में 58 प्राथमिक एवं 18 पूर्व प्राथमिक शालायेँ स्थित है। सामान्यतः प्राथमिक शालाओं हेतु न्यूनतम रूप से 0.2 हेक्टर का क्षेत्र आवश्यक माना गया है। लेकिन बहुत-सी प्राथमिक शालायेँ इससे कम क्षेत्र में स्थित है। अतः इन प्राथमिक शालाओं हेतु विकास योजना में पर्याप्त स्थान प्रावधानित करना आवश्यक है।

8.7 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायेँ :

यहाँ नगर स्तरीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का अभाव है। इसका कारण यहां की जनसंख्या का विभिन्न संस्कृति एवं सामाजिक परंपरा का होना है। नगर के सामाजिक जीवन तो एकीकृत करने की दृष्टि से सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान प्रावधानित करना जरूरी है।

विभिन्न स्वायत्त निकायों द्वारा नगर स्तर पर पर्याप्त मात्रा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए स्थान एवं साधन उपलब्ध किये गये हैं। कोरबा बस्ती में इन गतिविधियों के लिए कुछ अतिरिक्त स्थान प्रावधानित करना आवश्यक है। इसके अलावा भविष्य में विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु स्थान उपलब्ध कराना होगा।

8.7-1 सार्वजनिक मेलों हेतु स्थान :

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा लगाये जाने वाले वार्षिक दशहरा एवं महाशिवरात्रि मेलों के अलावा नगर में कोई अन्य महत्वपूर्ण मेले नहीं लगते। नगर की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर भविष्य में दशहरा मेला परिक्षेत्रिक स्तर पर संपन्न होने की संभावना है।

8.8 आमोद-प्रमोद :

8.8-1 सार्वजनिक उद्यान :

उद्यानों एवं खेल के मैदानों जैसे खुले स्थानों से शुद्ध वायु प्राप्त होती है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा द्वारा एक नगर उद्यान एवं पुष्प उद्यान विकसित किया गया है, इनसे आबादी की आवश्यकता की पूर्ति संभव नहीं है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 6 हेक्टर के क्षेत्र में वनस्पति उद्यान भी स्थापित किया गया है।

एन.टी.पी.सी., म.प्र.विद्युत मण्डल एवं एस.ई.सी.एल. द्वारा भी अपने कालोनियों में छोटे-छोटे उद्यान विकसित किये गये हैं। लेकिन ये उद्यान उस क्षेत्र की जनसंख्या की दृष्टि से अपर्याप्त हैं।

8.8-2 पिकनिक के स्थान :

इस नगर में पिकनिक स्थान के रूप में विकसित करने लायक बहुत से स्थान उपलब्ध है। इसके बावजूद भी कोई भी स्थान ठीक ढंग से विकसित नहीं किया गया है। नगर में सर्वमंगला मंदिर स्थान ही कुछ हद तक इस दृष्टि से विकसित किया गया है। इस मंदिर के समीप ही एन.टी.पी.सी. द्वारा एक अन्य स्थान पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी विकास योजना में अधिक पिकनिक स्थान प्रावधानित करना आवश्यक है।

8.8-3 खेल के स्थान :

यहाँ 5 बड़े आकार के एवं 30 छोटे आकार के खेल के मैदान उपलब्ध है। इनमें से अधिकांश खेल के मैदान विभिन्न निकायों द्वारा विकसित कालोनियों में स्थित है। नगर में स्थित 30 छोटे खेल के मैदान में 27 मैदान टाउनशिप में स्थित है।

8.8-4 स्टेडियम एवं तरण-ताल :

वर्तमान में यहाँ दो स्टेडियम उपलब्ध है। निकट भविष्य में एक और स्टेडियम का निर्माण होगा। नगर स्तरीय खेलकूद गतिविधियाँ संपन्न करने हेतु एक बड़ा स्टेडियम निर्मित करना आवश्यक है।

यहाँ के कालोनियों में 2 तरण-ताल स्थित है, विकास योजना में नगर स्तरीय तरण-ताल के लिए स्थान प्रावधानित किया जायेगा।

8.8-5 सिनेमा :

नगर में 10 सिनेमा गृह उपलब्ध है तथा ये नगर की वर्तमान जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त प्रतीत होते हैं। नगर में भविष्य में विकसित होने वाले क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर उचित मात्रा में सिनेमा गृहों हेतु प्रावधान किया जायेगा।

8.9 अन्य सेवायें एवं सुख-सुविधायें :

नगर में उपलब्ध अन्य सेवायें एवं सुविधाओं में जानकारी नीचे प्रस्तुत है :-

सारणी - 8.1

कोरबा : अन्य सेवायें एवं सुविधायें

अ.क्र.	सेवा सुविधा का नाम	संख्या
1	2	3
1.	तार कार्यालय	2
2.	जनरल पोस्ट आफिस	2
3.	छोटे पोस्ट आफिस	22
4.	टेलीफोन एक्सचेंज	5
5.	विद्युत उप केन्द्र	5
6.	अग्नि शामक केन्द्र	5
7.	पुलिस स्टेशन	6

उपरोक्त सेवा सुविधायें वर्तमान जनसंख्या के लिए पर्याप्त होती हैं। विकास योजना में भविष्य में विकास के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में सेवा एवं सुविधाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रावधान रखा जायेगा।

8.10 दुग्धालय एवं पशु प्रजनन :

किसी भी नगर की जनसंख्या को ताजा एवं शुद्ध दुध का प्रदाय नियमित रूप से होना आवश्यक है। कोरबा नगर के लिए दुग्ध कोरबा बस्ती में 16 निजी डेरियों से प्राप्त होता है। ये डेरियाँ कोरबा बस्ती एवं आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं जिससे ये पर्यावरण के साथ-साथ यातायात की समस्या भी उत्पन्न करती हैं।

इसके लिए कोरबा में एक दुग्ध संयंत्र स्थापित करना उचित होगा। इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर इसके लिए विकास योजना में पर्याप्त स्थान प्रावधानित किया जा रहा है।

8.10-1 सेवा एवं संस्थाओं की तुलना में जनसंख्या :

नगर में सेवा एवं संस्थाओं की तुलना में जनसंख्या के आंकड़े निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी - 8.2

कोरवा : जनसंख्या की तुलना में नगर में स्थित संस्थायें

अ.क्र.	सेवा एवं सुविधा	इकाईयों की संख्या	जनसंख्या प्रति इकाई
1	2	3	4
अ-	स्वास्थ्य		
1.	सामान्य चिकित्सालय (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित)	7	0.27
2.	विशेष चिकित्सालय	1	2.00
3.	औषधालय	11	0.18
4.	चिकित्सालय में उपलब्ध पलंग	268	51 व्यक्ति प्रति पलंग
ब-	शिक्षा		
1.	पूर्व प्राथमिक शालायेँ	18	0.11
2.	प्राथमिक शालायेँ	58	0.04
3.	माध्यमिक शालायेँ	18	0.07
4.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	12	0.16
5.	महाविद्यालय	2	1.00
6.	तकनीकी व्यावसायिक संस्थायें	2	1.00
स-	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें		
1.	कम्यूनिटी हाल	14	0.14
2.	कलब	15	0.13
3.	अज्ञायबघर चिड़िया घर	-	-
4.	तरण-ताल	2	1.00
5.	सांस्कृतिक संस्थायें	6	0.33
द-	आमोद-प्रमोद		
1.	बाल उद्यान	8	0.25
2.	उद्यान	9	0.22
3.	पिकनिक के स्थान	1	2.00
4.	खेल के मैदान	5	0.40
5.	खेल के छोटे मैदान	30	0.07
6.	स्टेडियम	2	1.00
7.	सिनेमा गृह	10	0.20
ई-	अन्य सुविधायें		
1.	डक एवं तार घर	2	1.00
2.	छोटे पोस्ट आफिस	22	0.09
3.	टेलीफोन एक्सचेंज	5	0.40
4.	विद्युत उपकेन्द्र	5	0.40
5.	पुलिस स्टेशन	6	0.33
6.	अग्नि शामक केन्द्र	5	0.40

नगर की वर्तमान जनसंख्या 2 लाख अनुमानित है। सामान्यतः किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या को लाभ पहुँचाना है, इस बात को ध्यान में लेते हुये विकास योजना में सेवा सुविधाओं हेतु स्थान प्रस्तावित किया जावेगा। इसके अलावा सेवा सुविधाओं के लिए स्थान प्रावधानित करते समय गम्यता का भी ध्यान रखा जावेगा।

प्रदूषण

अशुद्ध एवं निलंबित पदार्थों की मात्रा यदि मानव शरीर तंत्र में वर्दाशत से अधिक प्रवेश करती है तो इसका विपरीत प्रभाव वहां के निवासियों पर पड़ता है। जहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र है, कोरबा नगर में वायु एवं जल के प्रदूषण के प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध है। नगर की आधी जनसंख्या तथा आसपास स्थित 10 से 12 ग्रामों के निवासी ऐसी बिमारियों से पीड़ित है, जिनका संबंध प्रदूषित हवा एवं पानी से है।

9.1 वायु का प्रदूषण :

कोरबा में वायु प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नानुसार है :-

1. ताप विद्युत संयंत्रों से धुएँ का उत्सर्जन।
2. खदानों से होने वाला खनन कार्य।
3. कोयले का परिवहन।
4. घरेलू गतिविधियाँ।

इन गतिविधियों के संबंध में विस्तृत विवरण निम्न परिच्छेदों में प्रस्तुत है :-

9.1-1 धुएँ का उत्सर्जन :

हसदेव नदी के पूर्व में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों से अधिकतम मात्रा में धुएँ का उत्सर्जन होता रहता है। धुएँ के उत्सर्जन इसके कण कारखानों के आसपास चार-पांच कि.मी. क्षेत्र में स्थित आबादी के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्रमुख रूप से म.प्र. विद्युत मण्डल कालोनी, एस.ई.सी.एल. कालोनी एवं कोरबा बस्ती क्षेत्र प्रदूषण से प्रभावित है। जहाँ तक सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा म.प्र. विद्युत मण्डल के अन्य थर्मल पावर स्टेशन एवं भारत एल्युमिनियम संयंत्रों से हवा के प्रदूषण का प्रश्न है इसके प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाए गये हैं। इसके बावजूद यह देखा गया है कि अभी भी इन स्थातों से 5 से 10 प्रतिशत उत्सर्जन होता है जिससे हवा कुछ प्रदूषित बनी रहती है। पूर्व दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित जनसंख्या में लगभग 60 प्रतिशत पर धुएँ के उत्सर्जन के कारण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखा गया है।

9.1-2 खनन गतिविधि :

मानिकपुर ग्राम तथा हसदेव नदी के पश्चिम में स्थित कुसमुण्ड। एवं गेवरा ग्रामों में बहुत अधिक मात्रा में खनन गतिविधियाँ सम्पन्न होती हैं। खनन गतिविधि वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कोयले के बड़े-बड़े ढेर लगाये जाते हैं। इसके अलावा खुली खदानों के आसपास बड़े अतिभारित निक्षेप स्थित होते हैं। इन निक्षेपों से कोयले के कण हवा में उड़ते हैं और उसे प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा राख का ढेर सुख जाने पर उसके कण भी हवा में प्रवाहित होने से हवा प्रदूषित होती रहती है।

9.1-3 कोयले का परिवहन :

विद्युत ताप संयंत्र के संचालन हेतु आवश्यकता से 50 प्रतिशत से अधिक मात्रा में खदान क्षेत्रों से संयंत्रों तक खुले ट्रकों में ले जाई जाती है इसी प्रकार बाक्सआईड का परिवहन भी खुली ट्रकों में किया जाता है।

इसी प्रकार बाक्सआईड परिवहन से दो तरह से प्रदूषण होता है। सर्वप्रथम बाक्सआईड एवं कोयले के वारिक कण वायु में विसर्जित होते रहने से वायु प्रदूषित होती है दूसरा कारण यह है कि यहाँ स्थित सड़कों का रख रखाव ठीक न होने के कारण सड़कों पर जब ट्रकों का आवागमन होता है तो पर्याप्त धुल उड़ती है जो वायु को प्रदूषित करती है।

9.1-4 घरेलू गतिविधियाँ :

यहाँ के निवासियों को कम कीमत पर कोल उपलब्ध होता है इसे ईंधन के रूप में बड़ी मात्रा में घरेलू उपयोग हेतु प्रयोग किया जाता है, इससे भी वायु प्रदूषण की समस्या निर्मित होती है।

9.2 जल प्रदूषण :

जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं :-

- 1- विभिन्न रसायनों को बिना संशोधित किये हसदेव नदी में प्रवाहित करने से।
- 2- गीली राख से प्रदुषित पानी को हसदेव नदी में प्रवाहित करने से।

इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी नीचे प्रस्तुत है :-

9.2-1 विभिन्न रसायनों को प्रवाहित करना :

इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कारपोरेशन नामक सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों द्वारा विस्फोटकों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो अपविष्ट जल निर्मित होता है। वह केवल अशंत: संशोधित कर हसदेव नदी में बहाया जाता है। इस अपविष्ट जल में कुछ घुलनशील रसायनिक पदार्थों के अनुप्रवाह क्षेत्र पर बसे लोगों के उपयोग हेतु दूसरा अन्य जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण उनके द्वारा इस प्रदुषित जल का प्रयोग किया जाता है यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

9.2-2 राख के गारे के ढेरों से निकलने वाला पानी :

राख का गारा बनाने हेतु प्रयोग में आने वाले पानी में से बहुत सा पानी हसदेव नदी में बहता है इससे नदी का पानी भी प्रदुषित होता रहता है।

9.3 प्रदूषित नियंत्रण के उपाय :

हवा एवं पानी का प्रदुषण नियंत्रित करने के सम्बंध में जानकारी नीचे प्रस्तुत है :-

9.3-1 हवा प्रदुषण को नियंत्रित करने वाले उपाय :

पिछले परिचल्ले दो में हवा को प्रदुषित करने वाले स्रोतों के सम्बंध में जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है नीचे इस प्रकार के प्रदुषण को नियंत्रित करने के सम्बंध में जानकारी प्रस्तुत है :-

अ- धुएँ का उत्सर्जन :

नगर के पूर्व में स्थित 200 मेगावाट ताप विद्युत केन्द्र के अलावा अन्य किसी भी ताप विद्युत केन्द्र में प्रदुषण नियंत्रक उपकरण नहीं लगा है दुर्भाग्यवश इस केन्द्र में लगाए गए उपकरण भी सक्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पुराने उपकरण के जगह नये उपकरण भी लगानी चाहिए तथा अन्य ताप विद्युत केन्द्रों में भी हवा से प्रदुषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण लगाने चाहिए। यदि तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के उपकरण लगाना सम्भव न हो, तो चरणबद्ध कार्यक्रम बनाकर इन ताप विद्युत केन्द्रों को बन्द करना उपयुक्त होगा।

धुएँ को उत्सर्जित करने वाले अन्य कारखानों द्वारा यद्यपि ई.एस.पी. उपकरण लगाये गये हैं, तो भी इन कारखानों से हवा में 5 से 10 प्रतिशत तक धुआँ उत्सर्जित होता रहता है। ई.एस.पी. उपकरणों में सुधार लाकर इसके निराकरण हेतु प्रयोग में जाना जरूरी है।

ब - कोयले के अतिभार से प्रदुषण :

इस प्रकार के प्रदुषण को निम्न 2 प्रकारों से ठीक किया जा सकता है।

- 1- अतिभार को राख के गारे में मिश्रित कर खुले खदानों के क्षेत्र में स्थित परित्यक्त भूमि में फेंका जा सकता है। इस प्रकार पुनः स्थापित स्थान पर सघन वृक्षारोपण किया जा सकता है।
- 2- अतिभार का निपटारा इस प्रकार नियोजित करना चाहिए कि बनने वाले निक्षेपित ढेर को पूर्व नियोजित स्थान पर स्थापित किया जाय, इससे उपलब्ध भूमि पर विस्तृत वृक्षारोपण किया जा सके। वृक्षारोपण क्षेत्र के मध्य की भूमि कब्रस्तान एवं श्मशान घाट के रूप में उपयोग की जा सकती है।

कोयले की राख एवं राख का गारा

राख एवं राख का गारा का निपटारा परित्यक्त क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। इस कार्य हेतु खुली क्षेत्रों में उपयुक्त कुएँ निर्मित करना आवश्यक है। इस कार्य हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य सम्बंधित अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। राख के गारे को पाईप लाईन के जरिये कूपों तक पहुँचाया जाना ठीक रहेगा।

कोयले का परिवहन :

कोयले का परिवहन वाहक पट्टों द्वारा संचालित करना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। इस सम्बंध में जानकारी विकास योजना के प्रस्ताव में दिया गया है, इससे कोयले के परिवहन के लिए सड़कों पर दौड़ने वाली ट्रकों की संख्या में कमी आने की सम्भावना है। नगर में सड़क व्यवस्था हेतु प्रस्ताव देते समय इस सम्बंध में विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि ट्रकों से कोयला वहन बहुत कम नहीं हो सकता।

9.3-2 जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय :

जल प्रदूषण के कारणों के सम्बंध में पूर्व में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा प्रवाहित किये जा रहे रसायन एवं अन्य अशुद्ध द्रवों की मात्रा एवं प्रकार के सम्बंध में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जाना जरूरी है। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने पर ही औद्योगिक इकाईयों को अशुद्धियों को प्रवाहित करने की अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार का नियम जल प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इस कार्य हेतु नियमित रूप से कारखानों से प्रवाहित होने वाले पदार्थों का परीक्षण आवश्यक है।

9.4 पूर्व उपाय :

विकास योजना में वर्तमान एवं भविष्य में स्थापित होने वाले उद्योगों द्वारा संभाव्य हवा के प्रदूषण को रोकने हेतु एक प्रदूषण क्षेत्र ज्ञात करके विकास योजना में दर्शाया गया है। विकास योजना में यह प्रस्तावित किया गया है कि इस क्षेत्र में कोई उद्योग या आवासीय कालोनी स्थापित न की जावे, इस परिक्षेत्र की सीमायें निम्नानुसार होंगी :-

- 1- वर्तमान प्रमुख संयंत्र के स्थान से 2 कि.मी. त्रिज्या तक सभी दिशाओं में।
- 2- वर्तमान 100 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र से 2 कि.मी. की त्रिज्या में स्थित दक्षिण-पूर्व से सभी दिशाओं में।
- 3- फर्टिलाइजर्स संयंत्र के स्थान से 3 कि.मी. तक की त्रिज्या में चारों ओर का क्षेत्र।

नगर के कार्य-कलाप एवं भावी आवश्यकतायें

विकास योजना का उद्देश्य मुख्यतः वैज्ञानिक एवं युक्तिसंगत नीतियों के विकास का प्रयास है, जिससे नगर की कार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके साथ ही साथ नागरिकों के सौंदर्यपरक एवं भावनात्मक आँकाक्षाओं की तृप्ति हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नगर की वर्तमान समस्याओं तथा कमियों को व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करने के साथ-साथ नगर की भावी आवश्यकताओं विशेषकर योजना कालावधि की आवश्यकताओं तथा कुछ मामलों में योजना कालावधि के पश्चात् की आवश्यकताओं का भी अनुमान लगाना आवश्यक है।

नगर के वर्तमान समस्याओं तथा सेवा-सुविधाओं में कमियों के सम्बंध में विचार इस प्रतिवेदन में किया जा चुका है। नगर के प्रमुख कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए नगर की भावी आवश्यकतायें अनुमानित की गई हैं। क्षेत्र के अन्य नगरीय केन्द्रों में विकास की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुये इसकी भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। तथा औद्योगिक एवं आर्थिक विकास हेतु शासन की पोषित नीतियों को ध्यान रखते हुए विकास की प्रवृत्ति का आँकलन किया गया है।

कोरवा जैसे खनन गतिविधियों वाले तथा औद्योगिक नगर के भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना कठिन कार्य है। यह एक अद्वितीय नगर है, जहाँ विशिष्ट प्रकार की खनन एवं औद्योगिक गतिविधियाँ स्थित हैं, इसके अतिरिक्त यहाँ अलग-अलग स्थानों पर टुकड़ों में नगरीय विकास हुआ है, जिससे इस नगर को एक विशिष्ट नगरीय प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इसलिए समस्याओं के समाधान हेतु विशिष्ट दृष्टि कोण भी आवश्यक है। नगर में खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप में भी बहुत परिवर्तन होने की संभावना है। योजना अवधि में नगर की आवश्यकताओं को अनुमानित करते समय इन सब बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, इस सम्बंध में विवेचना निम्न परिच्छेदों में किया गया है।

10.1 नगर के प्रमुख कार्य-कलाप :

भविष्य के कार्यकलापों की जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। पहले के अध्यायों में किये गये अध्ययन के आधार पर यह बात स्पष्ट है की नगर के कार्य-कलाप धीरे-धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। इस प्रवृत्ति के आधार पर तथा अन्य नगरीय केन्द्रों से सम्बंध को ध्यान में रखते हुये नगर का निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति हेतु विकास बौद्ध नीय प्रतीत होता है।

अ- खनन गतिविधियाँ	द- व्यापार एवं वाणिज्यिक
ब- ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र	इ- परिवहन केन्द्र
स- मध्यम एवं सम्बद्ध उद्योगों के विकास हेतु केन्द्र	

10.2 विकास योजना की कालावधि :

नगर का विकास एक सतत प्रक्रिया होते हुए भी विकास योजना प्रस्तुत करते समय एक निश्चित समयवधि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इससे नगर की आवश्यकताओं का आँकलन करना सम्भव होता है। सामान्यतः 20-25 वर्ष की अवधि योजना कालावधि के रूप में निर्धारित की जाती है। जहाँ तक कोरवा नगर का प्रश्न है, यह कालावधि सन् 2001 तक के लिए निर्धारित की गई है।

विकास योजना में दिये गये प्रस्ताव केवल विकास योजना की अवधि तक ही सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि ये कार्यकलाप योजना काल के उपरान्त भी सदियों तक चलते रहते हैं। अतः किसी विशिष्ट समयवधि के लिए सीमित दृष्टि कोण रखते हुए विकास योजना बनाना, नगर के भावी विकास की दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त जल प्रदाय, मल निकास, आदि ऐसी सुविधाएँ हैं, जिन पर भावी पूंजी निवेश करते समय योजना अवधि के उपरान्त के समय का भी ध्यान रखा जाता है।

यह विकास योजना यद्यपि सन् 2001 की अवधि तक की कालावधि के लिए बनाई गई है, तो भी इसका 5 से 7 वर्षों के उपरांत पुनर्वावलोकन आवश्यक है, जिससे क्रियान्वयन में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके, तथा ऐसी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सके, जिसका पुर्वानुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं था।

10.3 भावी जनसंख्या :

योजना कालावधि में जनसंख्या का अनुमान लगाना बहुत जटिल समस्या है। इस नगर में जनसंख्या की वृद्धि का सम्बंध प्रत्यक्ष रूप से खनन औद्योगिक एवं आर्थिक गतिविधियों से रहा है। अब प्रमुख गतिविधियों के स्थापित हो जाने से पिछले दशकों जैसी जनसंख्या वृद्धि को आगे की इसी अनुपात में मानना उचित नहीं होगा।

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरवा के सहयोग से नगर की वर्तमान संख्या का अध्ययन करने पर नगर की जनसंख्या 2 लाख 10 हजार ज्ञात की गई। इस जनसंख्या में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ग्रामों की जनसंख्या भी शामिल है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा भी किये गये अध्ययन से नगर की जनसंख्या 2 लाख 20 हजार (2.20 लाख) पाई गयी, जिसमें से 1.10 लाख जनसंख्या ग्रामीण थी। इस बात को ध्यान में लेते हुये योजना अवधि हेतु नगर की जनसंख्या निम्नानुसार अनुमानित है :-

नगरीय	ग्रामीण	योग
2.20 लाख	1.30 लाख	3.50 लाख

कोरवा की ओर रोजगार हेतु आने वाली ग्रामीण जनसंख्या को ध्यान में रखते हुये विशिष्ट कालावधि 0.25 लाख हो सकती है तथा भविष्य में एक.सी.आई. एवं अन्य कोयले पर आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावनाओं से अतिरिक्त 0.25 लाख जनसंख्या का अनुमान योजना कालावधि हेतु आंका गया है। इस प्रकार योजना कालावधि में नगर की भावी जनसंख्या 4 लाख आंकी गई है।

आयु एवं स्त्री : पुरुष अनुपात द्वारा जनसंख्या का विवरण :-

आयु एवं स्त्री-पुरुष अनुपात में जनसंख्या का वितरण अनुमानित करते समय, वर्तमान में विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री-पुरुष अनुपात को ध्यान में रखा गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के कारण 0.14 आयु वर्ग में जनसंख्या में कमी आने की संभावना है। यह अनुमान है कि विभिन्न आयु समूह में जनसंख्या का विवरण निम्नानुसार होगा :-

सारणी - 10.0

कोरवा : आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या (2001)

अनु.क्र.	आयु वर्ग	जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	0-14	141800	35.45
2.	15-34	193160	48.29
3.	35-59	54040	13.51
4.	60 से अधिक	11000	2.75
		400000	100.00


10.4 व्यावसायिक संरचना :

व्यावसायिक संरचना से अप्रत्यक्ष रूप से नगर की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। विकास योजना में विभिन्न गतिविधियों के लिए कितने कितने स्थानों की आवश्यकता है। योजना कालावधि में व्यावसायिक ढाँचे को भी ज्ञात करना आवश्यक है।

विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न होने से योजना काल में किस प्रकार का व्यावसायिक ढाँचा निर्मित होने जा रहा है। इसका अनुमान लगाना कठिन है तथापि उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार अनुमान लगाने का प्रयास किया गया है।

कोरबा

नगरीय व्यवसायिक संरचना



नगर में पारिवारिक जीवन में स्थिरता आ जाने के कारण सहभागिता दर 41 होगी। सन् 2001 तक नगर में विभिन्न गतिविधियों में 1.41 लाख व्यक्ति कार्यरत रहने की संभावना है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या वृद्धि होने की संभावना है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में कमी आ सकती है। यह अनुमानित है कि सन् 2001 तक आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में क्रमशः 13.25%, 45.42% एवं 41.33% लोग कार्यरत रहेंगे। विभिन्न वर्गों में श्रमिकों की संख्या का अनुमानित वितरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी - 10.1

कोरबा : अनुमानित श्रमिक (2001)

अनु. क्र.	विवरण	अनुमानित श्रमिक	कुल संख्या का %	श्रमिक प्रति हजार जनसंख्या
1	2	3	4	5
अ. प्राथमिक :				
1.	कृषक	800	1.41	2.00
2.	कृषि श्रमिक	703	1.24	1.76
3.	खदान तथा खनन	6000	10.60	15.00
	योग	7503	13.25	18.76
ब. द्वितीयक :				
1.	घरेलू उद्योग	2800	4.95	7.00
2.	उत्पादन उद्योग	20653	36.47	51.63
3.	निर्माण	2262	4.00	5.65
	योग	25715	45.42	64.29
स. तृतीयक :				
1.	व्यापार एवं वाणिज्य	5734	10.13	14.34
2.	परिवहन	4012	7.09	10.03
3.	अन्य सेवायें	13662	24.13	34.16
	योग	23408	41.33	58.52
	महायोग	56626	100.00	141.57

10.5 व्यापार एवं वाणिज्य :

औद्योगिकरण एवं खनन गतिविधियों में वृद्धि के साथ-साथ व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि होती रहती है। द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार बढ़ने से उपभोक्ता माल की खपत में भी वृद्धि होती है। इससे क्षेत्रीय जनसंख्या को यदि संगठित तब व्यापार सुविधायें उपलब्ध हो तो अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। व्यापार एवं वाणिज्य गतिविधियों के लिए स्थान का अनुमान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है। जैसा कि पूर्व में अनुमान लगाया गया है कि इन गतिविधि में सन् 2001 में 56,626 पहुँचने की संभावना है। यह अनुमानित है कि नगर में व्यापार एवं वाणिज्य हेतु प्रति 1000 श्रमिकों के लिए कुल 3.3 हेक्टर स्थान आवश्यक होगा। इसके अनुसार इस गतिविधि के लिए कुल 170 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक होगा। इस प्रयोजन में कुल 116.88 हेक्टर क्षेत्र विकसित करना प्रस्तावित है।

निम्नलिखित सारणी में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधियाँ के लिए अनुमानित क्षेत्र का विवरण प्रस्तुत है :-

कोरबा : व्यापार एवं वाणिज्य हेतु भूमि की आवश्यकता

अनु.क्र.	मंडी थोक बाजार का नाम	क्षेत्र हेक्टरों में
1	2	3
1.	अनाज मंडी	20
2.	किराना मंडी	5
3.	सब्जी एवं फल मंडी	5
4.	भवन निर्माण सामग्री प्रांगण	10
5.	घास मंडी	5
6.	ट्रान्सपोर्ट नगर	25
7.	विशिष्ट बाजार	10
8.	आयल डिपो	3
9.	नगर स्तरीय फुट कर बाजार	26
10.	कोयला डिपो	10
11.	परिक्षेत्रिक बाजार केन्द्र	20
12.	साप्ताहिक बाजार	20
13.	खण्ड स्तरीय बाजार	12.91
	योग	171.91

10.6 उद्योग :

कोरबा नगर में बालको, एन.टी.पी.सी., मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, आई.बी.पी., एफ.सी.आई. आदि बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इन उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि अर्जित की जा चुकी है, लेकिन इस क्षेत्र में स्थित कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए यह बहुत संभव है कि कोयले पर आधारित और उद्योग स्थापित हों। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए इस उपयोग के अंतर्गत 269.20 हेक्टर का अतिरिक्त भूमि का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार औद्योगिक उपयोग हेतु सन् 2001 तक की आवश्यकता को देखते हुए कुल 1049.09 हेक्टर क्षेत्र प्रावधानित है। विभिन्न उद्योगों हेतु विकास योजना में प्रावधानित क्षेत्र निम्न लिखित सारणी में दर्शाया गया है।

कोरबा : विभिन्न उद्योगों हेतु प्रावधानित क्षेत्र

भारी उद्योग	800 हेक्टर
मध्यम उद्योग	100 हेक्टर
छोटे उद्योग	150 हेक्टर
बहु मंजिले भवनों में स्थित कारखाने	100 हेक्टर
	1050 हेक्टर

10.7 नगरीय अधोसंरचना :

यातायात एवं परिवहन :

इस उपयोग के अंतर्गत भूमि की आवश्यकता अनुमानित करते समय योजना कालावधि में वाहनों की संख्या व प्रकारों में परिवर्तन अनुमान लगाना जरूरी है। परिवहन के साधनों के संबंध में अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि धीमी गति वाहनों की संख्या में साधारण वृद्धि देखी गई है। लम्बली दूरियों के कारण यह बात संभव है। निम्नलिखित सारणी से यह बात स्पष्ट है कि तीव्र गति वाले वाहनों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नगर में प्रति वर्ष औसत रूप से तीव्र गति वाले वाहनों की संख्या में 33.3% वृद्धि पायी गई है। भविष्य में भी यह प्रवृत्ति जारी रहना संभव है। यह अनुमानित है कि सन् 2001 तक नगर में लगभग 13 हजार तीव्र गति वाहन होंगे।

कोरबा : तीव्र गति वाहनों का अनुमान

अ.क्र.	प्रकार	वाहनों की संख्या		प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि	सन् 2001 में प्रक्षेपित संख्या	अनुमानित 2001 में संख्या
		1980	1985			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	टैक्सियाँ/कारें/जीप	73	134	45.5	2438	2500
2.	मोट रसाईकिल/स्कूटर	474	1505	68.5	4125	5000
3.	बस/ट्रक	70	226	60.2	5451	5500
4.	आटो रिक्शा	3	6	-	12	25
योग		620	1871	33.3	1226	13025

परिभ्रमण संरचना में नगर के यातायात हेतु पर्याप्त स्थान आवश्यक होता है, ताकि वहां सुरक्षित रूप से वाहन अपने गति से चल सके। इसके अलावा पैदल एवं साइकिल सवारों के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात साइकिल मार्ग एवं पदचारी मार्गों को भी उपलब्ध कराना चाहिए। यातायात आवसान केन्द्रों एवं अन्य संबंधित गतिविधियों हेतु विकास योजना में पर्याप्त स्थान प्रावधानित किये गये हैं, जो निम्नानुसार है :-

परिवहन एवं संचार :

प्रावधान	क्षेत्र हेक्टर में
1. यात्री रेल्वे स्टेशन	20 हेक्टर
2. बस स्टैंड	10 "
3. बस स्टैंड	5 "
4. पिक अप स्टेशन	2 "
5. नगरीय बस अवसान केन्द्र	5 "
6. टैक्सी एवं टैम्पो स्टैंड	5 "
7. कार्य केन्द्रों के समीप पार्किंग के स्थान	10 "
योग	57 हेक्टर

10.8 मकानों की आवश्यकता :

नगर में सन् 1981 तक 2664 पूर्व शेष निवास इकाईयों की आवश्यकता थी। इससे नगर के निवासियों को एवं विशेष रूप से कोरबा बस्ती एवं बांकी क्षेत्र के निवासियों को अधिक अधिभोगी दर के कारण असुविधा होती है। नगर में मकानों की कमी के कारण नगर के विभिन्न भागों में गन्दी बस्तियों का निर्माण हुआ है।

मकानों की भावी आवश्यकता का अनुमान लगाते समय नगर में मकानों की वर्तमान कमी वर्तमान में आवासीय की दशा, जनसंख्या वृद्धि के कारण और मकानों की आवश्यकता तथा अन्य अधिक सामाजिक कारणों को ध्यान में रखा गया है। सन् 1981 में कुटुम्ब का औसत आकार 4.8 व्यक्ति पाया गया, जो थोड़ा-सा अधिक है। अतः यह अनुमानित है कि सन् 2001 में कुटुम्ब का आकार 4.5 व्यक्ति होगा।

सामान्यतः प्रति कुटुम्ब अलग आवास इकाई उपलब्ध होना आवश्यक है तथापि सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से यह संभव नहीं होता। इसके आधार पर सन् 1991 एवं 2001 में क्रमशः नगर में 27440 एवं 55438 इकाईयों की आवश्यकता होगी। इसमें 1981 तक का 2664 आवास इकाईयों का पूर्वशेष सम्मिलित है। निम्नलिखित सारणी में पूर्वशेष तथा निवास इकाईयों की प्रति वर्ष। प्रतिशत की दर से पुनः स्थापना की आवश्यकता सहित आवास इकाईयों की आवश्यकता का विस्तृत विवरण प्रस्तुत है :-

कोरवा : प्रक्षेपित कुटुम्ब आकार एवं आवासीय आवश्यकता

अ.क्र.	विवरण	आवास इकायों की आवश्यकता		
		1981	1991	2001
1	2	3	4	5
1.	जनसंख्या लाखों में	1.75	2.80	4.00
2.	अतिरिक्त जनसंख्या	-	1.05	1.20
3.	परिवार का औसतन आकार	4.8	4.6	4.5
4.	अतिरिक्त परिवार	-	22826	26666
5.	इकाईयों की आवश्यकता (1981 तक के पूर्वशेष सहित)	2664	25890	52156
6.	निवास इकाईयाँ जिनका प्रति वर्ष 1% की दर से पुनर्स्थापना आवश्यक है	-	1950	2282
7.	पिछले शेष सहित आवास आवश्यकता	2664	27440	55438

उपरोक्त आवासीय आवश्यकता में समाज के सभी आर्थिक समूहों के आवश्यकता समाविष्ट है। सामान्यतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में 350 रु. प्रतिमाह आय वर्ग वाले, निम्न आय वर्ग में 351 से 600 रु. प्रति माह आय वाले, मध्यम आय वर्ग में 601 से 1500 रु. प्रति माह आय वाले तथा उच्च आय वर्ग में 1500 से अधिक आय वाले लोगों का समावेश किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों के वेतन ढाँचे तथा संगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की मासिक आय को ध्यान रखते हुये यह अनुमानित है कि समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों हेतु निम्नानुसार मकानों की आवश्यकता है :-

आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु	31.6 %
निम्न आय वर्गों हेतु	29.8%
मध्यम आय वर्ग हेतु	18.1%
मध्यम उच्च आय वर्ग हेतु	12.5%
उच्च आय वर्ग हेतु	8.00 %

निम्नलिखित सारणी में आय वर्गों के अनुसार आवास प्रकार की आवश्यकता दर्शायी गई है :-

सारणी - 10.6

आय समूह

अ.क्र.	प्रकार	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	उच्च आय वर्ग	7112	8.00
2.	मध्यम उच्च आय वर्ग	11112	12.5
3.	मध्यम आय वर्ग	16089	18.1
4.	निम्न आय वर्ग	26489	29.8
5.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	28088	31.6
	योग	88890	100.0

10.9 आवासीय क्षेत्र की आवश्यकता :

नगरीकृत भूमि को अधिकतम रूप से उपयोग में लाना विकास योजना का एक उद्देश्य है। नगर के कोरवा बस्ती, बांकी क्षेत्र आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ प्रति हेक्टर 600 से 700 व्यक्ति की आवासीय घनत्व है। जो बहुत अधिक प्रतीत होता है। विकास योजना में औसत आवासीय घनत्व प्रति हेक्टर 200 व्यक्ति प्रस्तावित है। इस प्रकार योजना कालावधि में आवासीय उपयोग हेतु 1924.35 हेक्टर क्षेत्र की आवश्यकता होगी।

10.10 सेवाएँ एवं सुविधाएँ :

विकास योजना का प्रस्ताव देते समय विभिन्न सेवाओं एवं सुख-सुविधाओं हेतु कितना क्षेत्र आवश्यक है, इस संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक होता है। सेवा सुविधाएँ निर्धारित करते समय विभिन्न नगरों हेतु एक जैसा मापदण्ड निर्धारित करना उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक नगर का स्वरूप एवं आवश्यकता भिन्न-भिन्न होती है। जहाँ तक उच्च स्तर की सुविधाओं का प्रश्न है, इनका लाभ न केवल विशिष्ट नगर को अपितु क्षेत्र में स्थित अन्य नगरों को भी प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक निवेश इकाई स्तर की सेवाओं का प्रश्न है, ये प्रमुख रूप से नगर की जनसंख्या के लिए प्रावधानित की जाती है।

नगर की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को ध्यान में लेते हुए सेवा एवं सुख-सुविधाओं हेतु निम्नानुसार मानदण्ड प्रस्तुत है :-

सारणी - 10.7

कोरबा : सेवा एवं सुविधाओं हेतु मानदण्ड

अ.क्र.	सुविधाओं का स्तर	प्रकार	निर्धारित मानदण्ड (जनसंख्या/लाभान्वित क्षेत्र)
1	2	3	4
अ-	शिक्षा - सन् 2001 की प्रक्षेपित 4 लाख जनसंख्या हेतु		
	नगरीय स्तर	1. विश्वविद्यालय	क्षेत्र/नगर (1)
		2. तकनीकी एवं व्यावसायिक	नगर/क्षेत्र - (2)
	निवेश इकाई स्तर	3. महाविद्यालय	50 से 75 हजार (6)
	खण्ड स्तर	4. उच्चतर माध्यमिक वि.	10 से 15 हजार (2)
		5. माध्यमिक विद्यालय	6 से 8 हजार (50)
		6. प्राथमिक विद्यालय	3 से 4 हजार (100)
		7. पूर्व प्राथमिक शाला	3 से 5 हजार (80)
ब-	स्वास्थ्य चिकित्सालय		
	नगर स्तर	1. सामान्य अस्पताल	नगर/क्षेत्र (1)
		2. विशिष्ट चिकित्सालय	नगर/क्षेत्र (1)
		3. अन्य चिकित्सालय (आयुर्वेद, युवाजी, होम्योपैथिक)	नगर/क्षेत्र (3)
		4. नर्सिंग होम	1 से 1.5 लाख (3)
		5. चिकित्सालय - पलंग	400-500 व्यक्ति (100 पलंग)
	निवेश स्तर	6. प्रसूति गृह	प्रत्येक निवेश इकाई हेतु (1)
		7. बड़े औषधालय	"
	खण्ड स्तर	8. छोटे औषधालय	10 से 15 हजार (27)
स-	सामाजिक एवं सांस्कृतिक		
	नगर स्तर	1. नगर सभागृह एवं कम्यूनिटी हाल	3 से 5 लाख (1)
		2. कलावीथिका एवं संग्रहालय	नगर / क्षेत्र (2)
		3. प्रमुख सिटी क्लब	2 से 3 लाख (2)
		4. मध्यवर्ती पुस्तकालय	2 से 3 लाख (2)
		5. सामान्य पुस्तकालय	2 से 3 लाख (2)
	निवेश इकाई स्तर	6. सभागृह एवं कम्यूनिटी हाल	प्रत्येक निवेश इकाई हेतु (1)
		7. क्लब	" (1)
		8. पुस्तकालय	" (1)
	खण्ड स्तर	9. धर्मशाला सहित सामुदायिक भवन	10 से 15 हजार हेतु (27)
		10. वाचनालय	4 से 5 हजार (80)

द- आमोद-प्रमोद

नगर स्तर	1. वनस्पति उद्यान	क्षेत्र/ नगर	(1)
	2. प्राणी उद्यान	"	(1)
	3. क्षेत्रीय पार्क	"	(1)
	4. मत्स्यालय	"	(2)
	5. पिकनिक के स्थान	"	(2)
	6. प्रदर्शनी स्थल	3 से 5 लाख	(1)
	7. स्टेडियम	2 से 3 लाख	(2)
	8. तरण ताल	"	(2)
	9. सिटी पार्क	"	(2)
	10. बड़े खुले स्थान	"	(2)
निवेश इकाई स्तर	11. परिक्षेत्रिक पार्क	प्रत्येक निवेश इकाई हेतु	(1)
खण्ड स्तर	12. खण्ड स्तर पार्क	10 से 15 हजार	(27)
	13. बाल उद्यान	4 से 6 हजार	(66)
	14. खेल के मैदान	10 से 15 हजार	(27)
	15. खेल के मैदान	2 से 4 हजार	(100)
	16. टाट -लाट	300 से 1000	(400)

इ- अन्य सेवाएँ

नगर स्तर	1. मध्यवर्ती डाक एवं तार कार्यालय	नगर/क्षेत्र	(1)
	2. दूरभाष केन्द्र	3 से 5 लाख	(1)
	3. मुख्य पुलिस स्टेशन	2 से 3 लाख	(2)
	4. अग्नि शामक केन्द्र	3 से 5 लाख	(1)
	5. कब्र स्थान एवं शमशान भूमि	डेढ़ से दो लाख	(2)
निवेश इकाई स्तर	6. परिक्षेत्रिक डाक-तार कार्यालय	प्रति निवेश इकाई	(1)
	7. परिक्षेत्रिक पुलिस स्टेशन	" "	
खण्ड स्तर	8. विद्युत उपकेन्द्र	" "	
	9. उप डाकतार कार्यालय	10 से 15 हजार	(27)
	10. उप पुलिस स्टेशन	10 से 15 हजार	(27)

योजना के उद्देश्य तथा लक्ष्य

11.1 उद्देश्य तथा लक्ष्य :

पिछले तीन दशकों में इस नगर का विकास नगर निवेश के मूलभूत मापदण्डों को नजर अन्दाज करते हुये खण्डशः अस्तव्यस्त रूप से होता रहा है। इसके अलावा नगर में स्थित विद्युत संयंत्रों के कारण और विशेष रूप से नगर के पूर्वी हिस्से में स्थित विद्युत संयंत्रों से बड़ी मात्रा में धुओं के उत्सर्जन के कारण नगर में वायु प्रदुषण तथा अन्य पर्यावरण से संबंधित संकट एवं समस्यायें निर्मित हुई हैं। परिभ्रमण संरचना के अभाव में अस्त व्यस्त एवं दुर तक फैली हुई बस्तियों के कारण उपयोगी एवं पर्याप्त बड़ी मार्गों के अभाव में यातायात समस्या उत्पन्न होने के साथ-साथ नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में बहुत समय व्यतीत करना होता है।

नगर को कार्यात्मक क्षमता बड़ी मात्रा में मानव गतिविधियों के वितरण तथा नगर में स्थित विभिन्न गतिविधियों को संयोजन पर निर्भर है। नगर में आसमन्वित विकास के कारण नगर को कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

नगर में स्थित प्रदुषण को रोककर नगर के पर्यावरण में सुधार लाकर नगर के सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति में सुधार लाना यह विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य रखा गया है। अतः नगर में प्रदुषण को रोकथाम कर नगर में स्थित भूमि का सुसंबद्ध एवं तर्कसंगत उपयोग प्रस्तावित कर सेवाओं हेतु तथा लोगों के सुरक्षित एवं सुचारु आवागमन हेतु सुविधायें प्रदान कर हरित पट्टियों का विपुल मात्रा में प्रावधान करना आदि बातें प्रावधानित हैं। विकास योजना में लोगों की त्वरित आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होता है। विकास योजना आर्थिक रूप से व्यवहारिक सामाजिक रूप से संतोषजनक, सुरुचिपूर्ण एवं प्रेरणा प्रद होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त योजना में वहाँ स्थित नगरवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति भी होना आवश्यक है।

विकास योजना की दृष्टि से कोरबा नगर हेतु निम्नलिखित उद्देश्य एवं लक्ष्य रखे गये हैं :

- 1- क्षेत्रीय एवं नगरीय कार्यकलापों का सक्षमता से संचालन।
- 2- भूमि का सक्षम एवं न्यायक उपयोग।
- 3- विकासशील नगरीय ढाँचा।
- 4- आवागमन की प्रमुख रेखा पर रेखीय रूप से मध्यवर्ती रीढ़ के रूप में गतिविधियों की स्थापना।
- 5- विभिन्न भूमि उपयोगों एवं गतिविधियों में सुव्यवस्थित एवं सुसंगत कार्यात्मक सह संबंध स्थापित करना।
- 6- वर्तमान अव्यवस्था को क्रमशः ठीक कर असंगत भूमि उपयोगों को ठीक बनाना।
- 7- कार्य केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों को कार्यात्मक दृष्टि संविभाजित कर उनको समग्रमति परिवहन व्यवस्था से जोड़कर नगर की कार्यक्षमता में वृद्धि करना।
- 8- स्वयं पूर्ण निवेश इकाईयों स्थापित कर नगर क्रमबद्ध नगरीय ढांचा उपलब्ध करना।
- 9- कार्यक्षमता एवं प्रभावपूर्ण परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराना।
- 10- नगर में स्वच्छता की दशा में सुधार लाकर तथा भूदृश्य क्षेत्रों का निर्माण कर नगर के पर्यावरण में सुधार लाना।
- 11- नगर हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों का प्रावधान करना।
- 12- आवासीय क्षेत्रों में सुविधाओं का सुचारु रूप से वितरण।
- 13- बहुसंख्यक लोगों को सुविधा प्रदान कराने के दृष्टि से आवासीय एवं अन्य क्षेत्रों में सह सम्बंध स्थापित करना।
- 14- आवासीय क्षेत्रों एवं कार्य स्थानों के जहाँ तक संभव हो सके, पास स्थित रखना।
- 15- नगर विकास में सादृश्यता का ध्यान रखना।
- 16- भूतकालीन अनिष्ट प्रवृत्ति को टालते हुये नगर का एक ही दिशा विकास।
- 17- विकास योजना में मध्यवर्ती गतिविधियों का फैलाव।
- 18- प्रमुख यातायात निर्मित परिक्षेत्र का संतुलित वितरण।
- 19- आवासीय क्षेत्र अपनी बुनियादी आवश्यकताओं में व्यय पूर्ण।

- 20- अन्य नगरीय गतिविधियों से अधिकतम सामन्जस्य स्थापित करते हुये औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि का पर्याप्त प्रावधान।
 21- वायु प्रदुषण से होने वाला बुरे प्रभाव को ठीक करने के लिए हरित क्षेत्रों का आरक्षण।

11.2 मूलभूत विचार :

नगर स्थित भू- आकृति, भूमि उपयोग का ढांचा। परिवहन की समस्याएँ मकानों की दशा एवं अन्य सेवा सुविधायें वायु प्रदुषण के कारण निर्मित पर्यावरण समस्यायें नगर स्थित खनन गतिविधि आदि के कारण कुछ मूलभूत समस्यायें नगर में दिखाई देती हैं, जिसका तुरन्त निराकरण आवश्यक है। नगर में स्थित वर्तमान समस्याओं तथा अवसरों को निम्नलिखित मूलभूत विचारों को ध्यान में रखकर विकास योजना प्रस्ताव देना उचित है :

1. नगर के विशेष रूप से रेखीय विकास को ध्यान में रखकर एक केन्द्रीय नगर से बहु केन्द्रीय नगर के रूप में परिवर्तित करना
2. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों की भौड़-भाड़ कम करने की दृष्टि से नवीन नगर स्तरीय बाजार केन्द्र विकसित करना।
3. नगर में सांस्कृतिक एवं भावनात्मक एकता स्थापित करने की दृष्टि से प्रशासनिक केन्द्र का विकास।
4. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक कार्यान्वयन हेतु स्थान उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रशासनिक केन्द्र का विकास।
5. स्वयं पूर्ण निवेश इकाईयों का विकास।
6. उपखण्ड स्तर से नगर स्तर तक नगरीय सेवाओं का क्रमबद्ध विकास।
7. नियोजित रूप से क्रमशः वर्तमान अव्यावस्था को दूर करना।
8. नियोजित एवं चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में प्रदुषण दूर करना।
9. नियोजन एवं वैज्ञानिक उपायों से पर्यावरण में सुधार लाना।
10. परित्यक्त खान क्षेत्रों का अधिकतम उपयोग।
11. राख एवं राखयुक्त गारे का नियोजित निराकरण।
12. प्रदुषण वाले क्षेत्रों में न्यूनतम रूप से बसाहट प्रस्तावित करना।
13. उद्योगों हेतु भूमि का विकास इस प्रकार प्रस्तावित किया जावेगा कि विकास योजना कालावधि के पश्चात् भी उद्योगों का विकास प्रस्तावित भूमि उपयोग से सामन्तस्य स्थापित हो सके।
14. मकानों हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा कार्य स्थानों के समीप आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से चरणबद्ध कार्यक्रम प्रस्तावित करना।
15. आवासीय घनता का विवेक पूर्ण वितरण।
16. एकीकृत परिभ्रमण व्यवस्था (सीमित मात्रा में)।
17. आवासीय क्षेत्रों पर विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करते हुये खनिजों के परिवहन के लिए अलग-अलग साधनों एवं व्यवस्था का प्रबंध।
18. क्षेत्रीय पार्क, प्राणी एवं वनस्पति उद्यान आदि का प्रावधान प्रस्तावित कर आमोद-प्रमोद के बड़े क्षेत्रों का निर्माण करना तथा इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास के लिए संभावना का पता लगाना।
19. आवासीय परिक्षेत्रों, भूमिगत खनन से प्रभावित क्षेत्रों, कार्य क्षेत्रों, एवं प्रमुख मार्गों पर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण प्रस्तावित करना।
20. विद्युत प्रेषण गलियारों का प्रावधान।
21. नगर हेतु एकीकृत जल प्रदाय एवं मल निकास व्यवस्था का प्रावधान।

11.3 नियोजन का आवधारणा :

नगर में विलग रूप टुकड़ों-टुकड़ों में विकसित क्षेत्र निर्मित होने से बहुत सी नगरीय एवं नगर नियोजन से संबंधित समस्याये निर्मित हुई हैं। नगर विकास में समन्वय न होने के साथ-साथ निचले क्षेत्रों एवं अनुपयुक्त क्षेत्रों के कारण यह समस्या अधिक गंभीर हो गई है। नगर में पूर्व में स्थित आवास योग्य क्षेत्र में स्थित होने से भविष्य में विकास की बहुत कम संभावना है। जहाँ तक नगर के पश्चिम एवं दक्षिण में स्थित विकसित क्षेत्रों का प्रश्न है, ये क्षेत्र विलग रूप से तथा अनियमित रूप से विकसित होने से नगर विकास में सातत्यता प्रदान नहीं करते। जहाँ तक एन.टी.पी.सी. के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम स्थित क्षेत्र तथा न्यु कालोनी क्षेत्र का प्रश्न है, ये क्षेत्र भविष्य की बसाहट हेतु सबसे सुरक्षित माने जा सकते हैं, नगर हेतु नियोजन की अवधारणा में विखरे हुये विकसित क्षेत्रों को सड़क व्यवस्था

एवं मूलभूत सेवा सुविधाओं के जरिये एकीकृत बनाकर इन क्षेत्रों को जहाँ तक संभव हो सके, स्वयं पूर्ण बनाना प्रस्तावित है। नगर में भविष्य में विकास की दिशा उत्तर पश्चिम पूर्व और उत्तर दक्षिण नये नगर स्तरीय सेवा सुविधाएँ एवं सुख सुविधायें प्रावधानित करना आवश्यक होगा।

11.4 निवेश इकाईयाँ :

विकास योजना में स्वयं पूर्ण निवेश इकाईयाँ प्रस्तावित है। यह प्रत्येक इकाई बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधायें, आमोद- प्रमोद के क्षेत्र आदि के बारे में स्वयं पूर्ण होगी। निवेश इकाईयों में कुछ मात्रा में कार्य केन्द्र भी प्रावधानित किये जावेंगे। निवेश इकाईयों को उच्च श्रेणी के कार्य केन्द्रों नगर स्तरीय सुविधाओं एवं क्षेत्रीय आवश्यकता केन्द्रों से प्रमुख परिवहन मार्गों के जरिये जोड़ा जायेगा। प्रत्येक निवेश इकाई के आगे चलकर खण्डों उपखण्डों में विभाजित कर वहाँ खण्डस्तरीय सुविधायें प्रस्तावित की जायेगी।

निवेश इकाईयाँ -

कोरवा नगर के लिए निम्नानुसार 4 निवेश इकाईयाँ प्रस्तावित है।

1. निवेश इकाई क्रमांक -1

इस इकाई के पश्चिम में हसदेव नदी, उत्तर में हेगुरनाला पूर्व में वृत्तीय मार्ग क्रमांक -1 तथा दक्षिण में मुख्य मार्ग क्रमांक -12 स्थित है। इस इकाई के अन्तर्गत 1397.47 हेक्टर क्षेत्र रखा गया है।

इसमें 74.76 हेक्टर क्षेत्र वर्तमान में विकसित है, तथा 655.71 हेक्टर क्षेत्र भविष्य में विकास हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में कोरवा बस्ती, एस.ई.सी.एल. कालोनी, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कालोनी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कालोनी, ट्रांसपोर्ट नगर, आफिसर कालोनी, आई.टी. आई. कालोनी, ऐरिकेशन कालोनी, एफ. सी.आई. कालोनी, तथा औद्योगिक क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं।

2. निवेश इकाई क्रमांक -2

इस इकाई के दक्षिण में हेगुरनाला, पश्चिम में कटघोरा सड़क, उत्तर में औद्योगिक क्षेत्र एवं पूर्व में वन सीमा है। इस इकाई में कुल 1180.51 हेक्टर का क्षेत्र स्थित है, इसमें से 346.97 हेक्टर क्षेत्र विकास हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्र में बालको टाउनशिप, बालको संयंत्र तथा 200 मेगावाट का मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का पावर हाऊस स्थित है।

3. निवेश इकाई क्रमांक -3

इस इकाई के पूर्व में हसदेव नदी, दक्षिण में मुख्य मार्ग क्रमांक -1 तथा उत्तर एवं पश्चिम में मुख्य मार्ग क्रमांक -2 स्थित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 2058 हेक्टर है, इसमें से 695.73 हेक्टर क्षेत्र विकसित हो चुका है, तथा 1362.27 हेक्टर क्षेत्र विकास हेतु प्रस्तावित है।

इस इकाई में प्रगति नगर, मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल की पश्चिम कालोनी, एन.टी.पी.सी. कालोनी, एच.टी.पी.पी. संयंत्र, आई.वी.पी. तथा एफ.सी. आई. संयंत्र स्थित है।

4. निवेश इकाई क्रमांक -4

इस इकाई के उत्तर में एस.ई.सी.एल. दीपका मार्ग, पूर्व में मुख्य मार्ग -13 तथा दक्षिण में मुख्य मार्ग क्रमांक 14 स्थित है। इस इकाई का क्षेत्रफल 535 हेक्टर है, इसमें से 395.75 हेक्टर क्षेत्र विकसित है, तथा 139.25 हेक्टर क्षेत्र भविष्य में विकास हेतु प्रस्तावित है। इस इकाई में कालोनी आदि क्षेत्र शामिल है। एस.ई. सी. एल. की आदर्श नगर एवं कोसमुण्डा कालोनीयाँ स्थित है।

11.5 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आबंटन :

भूमि एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, इसका विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि प्रस्तावित विकास योजना प्राकृतिक रूप से निर्दोष, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से सन्तोषप्रद तथा सौंदर्य रूप से प्रेरक होनी चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण इस नगर की प्रमुख समस्या है, इससे यहाँ के नागरिकों का जीवन प्रभावित होती है। इस प्रदूषण को प्रदूषण क्षेत्रों का निर्धारण कर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण प्रस्तावित कर तथा बड़े-बड़े हरित क्षेत्र प्रावधानित

करं रोका जा सकता है। विलग एवं यत्र-तत्र फैले हुये विकसित क्षेत्रों को कुल हद तक नयी सड़क व्यवस्था तथा कड़ी मार्गों से एकीकृत किया जा सकता है। विकास योजना में नगर के विकास के लिए इन सारे उपायों को ध्यान में रखा गया है।

कोरबा एक अनूठा खनिज नगर है। यहाँ बड़े पैमाने पर खनन एवं विद्युत उत्पादन गतिविधियाँ होती है, इन गतिविधियों के कारण यहाँ बड़ी मात्रा में परित्यक्त क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं, इससे राख एवं राख से निर्मित गारे के पिटान की समस्या तथा सबसे अधिक पर्यावरण प्रदुषण की समस्या उत्पन्न होती है। अतः अन्य नगरों के विपरीत इस नगर की समस्यायें भिन्न होने से विकास योजना की बुनियादी दृष्टिकोण भी भिन्न है। नगर का विकास योजना प्रस्तुत करते समय नगर के वर्तमान समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया है।

इस विकास योजना में एकीकृत नगर ढाँचा, सधन विकास, वर्तमान विकसित क्षेत्रों को प्रस्तावित विकास में सम्मिलित करना, संतुलित विकास, अव्यवस्था का क्रमशः निराकरण, कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण, प्रदुषण पर नियंत्रण, पर्याप्त मात्रा में स्वयं पूर्ण आवासीय क्षेत्रों का विकास, श्रेणी वृद्ध वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान, पर्यावरण प्रदुषण के निवारण हेतु विस्तृत क्षेत्रों में हरित पट्टियों का प्रावधान, प्रदुषण परिक्षेत्र का प्रावधान, जिसमें कोई गतिविधि न हो, तथा गन्दी बस्ती क्षेत्रों का क्रमिक सुधार आदि बातें शामिल है, सभी गतिविधियों हेतु उपयोग के महत्वपूर्ण साधन है।

अतः इसका बड़ी कुशलता से उपयोग होना आवश्यक है। प्रस्तावित भूमि उपयोग में सभी नगरीकरण योग्य भूमि का तथा असंगत भूमि उपयोग के कारण स्थानांतरित किये गये उपयोगों से उपलब्ध भूमि का सर्वोत्तम उपयोग प्रस्तावित है। विभिन्न उपयोगों हेतु उचित स्थानों पर आपसी तारतम्य स्थापित करते हुये प्रमुख उद्योगों के लिए उपयुक्त मात्रा में भूमि का प्रावधान विकास योजना में प्रस्तावित है। असुविधा के साथ-साथ यात्रा समय एवं दूरी को कम करने के लिए भूमि उपयोग परिक्षेत्रों का सम्पूर्ण नियोजन, विकास योजना के प्रस्ताव देते समय टाला गया है। मिश्रित भूमि उपयोगों के कारण विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सह सम्बंध स्थापित होने से यह सीमित मात्रा में आवश्यक प्रतीत होता है ऐसे असंगत भूमि उपयोग जो वर्तमान में आसपास स्थित भूमि उपयोगों से मेल नहीं खाते उन उपयोगों को उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। इस प्रकार रिक्त स्थानों को अन्य उपयुक्त उपयोगों हेतु प्रस्तावित किया गया है। संक्षेप में इस विकास योजना में नगर के एकीकृत एवं नियोजित विकास हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं।

सारणी 11.0

कोरबा : निवेश इकाई के अनुसार भूमि उपयोग विवरण 2001

निवेश इकाई	विकसित क्षेत्र हेक्टरों में		
	वर्तमान	प्रस्तावित (अतिरिक्त)	योग
1	2	3	4
1-	741.76	655.71	1397.47
2-	833.54	346.97	1180.51
3-	695.73	1362.27	2058.00
4-	395.75	139.25	535.00
योग :-	2666.78	2504.20	5170.98


भूमि उपयोग का आबंटन :







1- आवासीय :

आवासीय उपयोग में वर्तमान कमी दूर करने की दृष्टि से तथा अतिरिक्त आवासीय क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है। आवासीय उपयोग हेतु विकास योजना में कुल 1924.35 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है, जो विकास योजना में विकास हेतु प्रस्तावित है, कुल भूमि का 37.21 प्रतिशत है।

कोरबा

सामान्य भूमि उपयोग



-  वृक्षा रोपण
-  आवासीय
-  वाणिज्यिक
-  औद्योगिक
-  प्रशासकीय
-  आमोद प्रमोद

2- वाणिज्यिक :

वर्तमान में इस उपयोग हेतु पावर हाउस मार्ग, दर्री मार्ग, बांकी मोगरा आदि मार्गों पर एवं प्रमुख कार्य केन्द्रों में स्थित होने से यातायात की समस्यायें उत्पन्न होती है। उपयुक्त स्थानों पर नये वाणिज्यिक क्षेत्रों एवं मंडियों की स्थापना प्रस्तावित है। इस उपयोग हेतु विकास योजना में 170.91 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है, जो कुल क्षेत्र का 3.31 प्रतिशत है।

3- औद्योगिक :

वर्तमान औद्योगिक बस्ती के समीप ही एक नई औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है, इसके अलावा बालको लाल कीचड़ ताल के समीप ही दूसरा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु 1049.09 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है, जो कि कुल क्षेत्र का 20.29 प्रतिशत है।

4- सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय, शिक्षा संस्थाएँ, स्वास्थ्य केन्द्र, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थान एवं अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक मात्रा में भूमि का प्रावधान प्रस्तावित है। इस उपयोग हेतु कुल 331.63 हेक्टर का प्रावधान है, जो कुल क्षेत्र का 6.41 प्रतिशत है।

5- आमोद-प्रमोद :

इसके अन्तर्गत बगीचों, उद्यानों, पिकनिक के स्थानों, स्टेडियम खेल के मैदान आदि हेतु स्थान प्रावधानित किये गये हैं। शासकीय प्रतिष्ठानों की सभी विकसित कालोनियों में आमोद-प्रमोद के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद यह देखा गया है कि सम्पूर्ण नगर की आवश्यकताओं के अनुरूप ये सुविधायें नहीं हैं। विकास योजना में उपयुक्त स्थानों पर इन सुविधाओं हेतु प्रावधान रखा गया है। विकास योजना में इस उपयोग हेतु 575 हेक्टर क्षेत्र प्रावधानित है, जो कुल क्षेत्र का 11.12 प्रतिशत है।

6- परिवहन :

इसके अन्तर्गत सड़कों, रेल मार्गों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि हेतु प्रावधान प्रस्तावित है। इस उपयोग में कुल 1120 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है। जो कुल क्षेत्र 21.66 प्रतिशत है। इस उपयोग में प्रस्तावित क्षेत्र में से 757 हेक्टर क्षेत्र वर्तमान में उपयोग में है और 363 हेक्टर क्षेत्र भावी उपयोग के लिए प्रस्तावित है।

सारणी 11.1

कोरबा : निवेश इकाई के अनुसार भूमि उपयोग का आबंटन

निवेश इकाई		प्रकार					योग	
क्रमांक	आवासीय	वाणिज्यिक	औद्योगिक	सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक	आमोद प्रमोद	परिवहन		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1-	463.07	52.9	202.7	145.2	197.1	336.5	1397.47	
2-	407.7	24.0	254.5	74.21	200.0	220.1	1180.51	
3-	770.08	64.01	571.89	87.22	115.4	449.4	2058.0	
4-	283.5	30.0	20.0	25.0	62.5	114.0	535.0	
योग :-	1924.35	170.91	1049.09	331.63	575.0	1120.0	5170.98	

कोरबा : भूमि उपयोग पुनः स्थापना एवं खाली की गई भूमि का विकास

क्र.	स्थानांतरित होने वाला उपयोग	वर्तमान स्थान	प्रस्तावित स्थान	स्थान खाली होने पर उपयोग
1	2	3	4	5
अ असंगत भूमि उपयोग				
1-	सब्जी मण्डी	रविवार बाजार गांधी चौक	निवेश इकाई क्रमांक 1	सामान्य बाजार
2-	डेरी फार्म	मिशन मार्ग, पटेल पारा, पुरानी बस्ती	निवेश इकाई क्रमांक - 2 एवं 3 के समीप	आवासीय
3-	आरा मशीन एवं लकड़ी टाल	नया मुहल्ला, सीतामढ़ी चौपा मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक - 1	आवासीय
4-	सामान्य बाजार	दरी मार्ग पर	निवेश इकाई क्रमांक - 3	मार्ग किनारे वृक्षारोपण
5-	आटो रिपेयर	सीतामढ़ी, गैज मार्ग पावर हाउस मार्ग, दरी मार्ग एवं दरी बाजार	निवेश इकाई क्रमांक - 1	आवासीय एवं सामान्य बाजार
6-	परिवहन अभिकरण	चौपा मार्ग, पावर हाउस मार्ग, पुराना बस स्टैंड	निवेश इकाई क्रमांक - 1	सामान्य वाणिज्यिक
7-	अन्य सामान्य बाजार	बस स्टैंड एवं पुलिस स्टेशन के समीप मुख्य मार्ग पर - 1	निवेश इकाई क्रमांक - 1	मार्ग हेतु स्थान
ब अक्षम भूमि उपयोग :				
1-	कमला नेहरू महाविद्यालय	रानी महल	निवेश इकाई क्रमांक - 1	आवासीय
2-	सरस्वती शिशु मंदिर	बस स्टैंड	निवेश इकाई क्रमांक - 1	विशेष सार्वजनिक मैदान
3-	जनरल पोस्ट आफिस	बस स्टैंड	निवेश इकाई क्रमांक - 1	--
4-	आ. जा. क. प्राथमिक शाला	पुलिस स्टेशन के समीप	निवेश इकाई क्रमांक - 1	--
5-	आर्य समाज प्राथमिक शाला	रविवार बाजार	निवेश इकाई क्रमांक - 2	वाणिज्यिक
6-	आ. जा. क. मा. शाला	रेलवे स्टेशन के समीप सीतामढ़ी	निवेश इकाई क्रमांक - 2	परिवहन एवं वाणिज्यिक
7-	लवली केयर प्राथमरी शाला	दुर्गा मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक - 2	आवासीय
8-	नर्सरी स्कुल	सर्वमंगला मार्ग	निवेश इकाई क्रमांक - 2	आवासीय
9-	रोजगार कार्यालय	बस स्टैंड	निवेश इकाई क्रमांक - 1	वाणिज्यिक
10-	दुरभाष केन्द्र	बस स्टैंड	निवेश इकाई क्रमांक - 1	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

विकास योजना में प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन के लिए परिभ्रमण संरचना का इतना महत्व है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नगर के कार्यकलाप विकास योजना के कार्य काल के पश्चात् भी सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं इसलिए परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय भावी आवश्यकताओं पर ध्यान देना जरूरी होता है। नगर का यातायात एवं परिवहन योजना प्रस्तुत करते समय वर्तमान कमियों का निराकरण तथा भावी आवश्यकताओं को दिशा प्रदान करना दो प्रमुख उद्देश्य रखे गये हैं। विकास योजना के प्रस्ताव में दीर्घकालीन अनुशांसा के रूप में वर्तमान परिवहन व्यवस्था में संवर्धन के साथ सुधार को रखा गया है। जहाँ तक व्यवस्था में तुल्य सुधार का प्रश्न है, विकास योजना में कार्य केन्द्रों, आमोद-प्रमोद के स्थान तथा आवासीय क्षेत्रों को जोड़ने हेतु कड़ी मार्गों को प्रस्तावित किया गया है, इससे न केवल यात्रा में लगने वाले समय में बचत होगी अपितु लोगों के श्रम तथा धन की भी बचत होगी।

उपरोक्त बातों के अलावा नगर के परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय निम्न अन्य बातों का भी ध्यान रखा गया है :

- अ- इस नगर को क्षेत्र तथा देश में स्थित अन्य प्रमुख नगरों से प्रभावकारी परिवहन कड़ियों में जोड़ना।
- ब- क्षेत्रीय एवं नगर यातायात को जहाँ तक सम्भव हो सके, विभक्त बनाना।
- स- क्षेत्रीय मार्गों एवं यातायात निर्मित क्षेत्रों को सीधी पहुँच उपलब्ध करना।
- द- नगरीय मार्गों को आपस में जोड़ना।
- इ - समान के परिवहन हेतु अलग से परिवहन कड़ी मार्ग प्रावधान करना।

नगर स्तर :

- अ- कोरवा नगर, एस.ई. सी.एल. कालोनी, बालको कालोनी तथा हसदेव नदी के पश्चिम में स्थित बस्ती आदि विभिन्न बस्तियों का एकीकरण।
- ब- कार्य केन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों में परिणाम कारक तथा सीधा सम्बंध स्थापित करना।
- स- पंक्तिबद्ध यातायात हेतु उपयुक्त मार्ग प्रावधानित करना।
- द- योजना कालावधि के पश्चात् भी नगर का अविरल विकास जारी रखने की दृष्टि से खुले सिरे वाला परिवहन संरचना प्रावधानित करना।
- इ- सड़क व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से तथा अधिकतम क्षमता उत्पन्न करने के लिए यातायात नियंत्रण योजना प्रस्तुत करना।
- फ- जिन क्षेत्रों में पादचारी एवं साईकिल सवारों की संख्या अधिक हो, उन क्षेत्रों में इनके लिए अलग से मार्ग प्रस्तावित करना।
- ग- सड़क निर्माण में प्रयुक्त सामान्यतया गख एवं राख के धोल के परिवहन हेतु अलग से मार्ग निर्मित करने हेतु स्थान का प्रावधान।

12.1 परिभ्रमण योजना की अवधारणा :

कोरवा नगर विभिन्न टुकड़ों में अस्त-व्यस्त रूप से विकसित है। यहाँ कोई नियमित मार्ग संरचना उपलब्ध नहीं है। सड़क संरचना उपयुक्त कड़ी मार्ग आदि बातों का ध्यान न रखते हुये बहुत सी बस्तियाँ अस्त-व्यस्त रूप से स्थापित की गई है। इन आबादियों के आसपास नीची एवं अवनत भूमि होने के कारण नगर में परिवहन की समस्या और भी विकट हो गई है।

बालको, एन.टी.पी.सी. एवं म.प्र. विद्युत मण्डल द्वारा निर्मित कालोनियों एवं नियोजित ढंग से ग्रिड आयरन पद्धति के सड़कों पर बसाई गई है। लेकिन अन्य आबादियों में कोई नियमित सड़क व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तथा इनमें बहुत सी बस्तियाँ अलग-अलग स्थित हैं। इनमें आपस में तथा नियोजित बस्तियों से सड़क द्वारा उपयुक्त सम्बंध स्थापित नहीं हो सका है।

विकास योजना में सम्पूर्ण नगर हेतु ग्रिड आधारन पद्धति से रेखीय अवधारणा के आधार पर परिभ्रमण संरचना का प्रमुख रूप से रूपांकन किया गया है। परिवहन संरचना का रूपांकन करते समय नगर की सभी बस्तियों को प्रमुख मार्गों से पहुँच मार्ग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। परिभ्रमण संरचना में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि नगर के सभी प्रमुख कार्य केन्द्रों, नगर स्तरीय गतिविधियों तथा आवासीय क्षेत्रों को प्रमुख मार्गों द्वारा जोड़कर इनको सुविधापूर्ण मार्गों से पहुँच उपलब्ध कराई जा सके।

वर्तमान कोरबा-कटघोरा मार्ग नगर के मध्यवर्ती मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। इस रीढ़ मार्ग से अन्य प्रमुख कार्य केन्द्रों, नगरीय केन्द्रों, उपनगरीय केन्द्रों एवं विकास योजना में प्रस्तावित अन्य पंक्तिबद्ध आवाधियों को सड़क द्वारा सीधा सम्बन्ध स्थापित कराना प्रस्तावित है।

12.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना :

12.2-1 क्षेत्रीय मार्ग -

चाँपा कटघोरा मार्ग अकेला क्षेत्रीय मार्ग है। लोक निर्माण विभाग द्वारा चाँपा मार्ग से बालको होते हुये दर्री बैराज तक के वृत्तीय मार्ग की चौड़ाई बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। विकास योजना में इस मार्ग से सीधी यातायात सम्पन्न कराना प्रस्तावित किया गया है।

12.2-2 हवाई संयोजना -

नगर का निकट भविष्य में हवाई यातायात से जुड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए निवेश इकाई क्रमांक 2 में स्थित हवाई पट्टी का विस्तार प्रस्तावित किया गया।

12.2-3 नगर परिभ्रमण संरचना :

प्रस्तावित परिभ्रमण योजना में पूर्व पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण दिशा में सड़क व्यवस्था का प्रस्ताव है। वर्तमान चाँपा-कटघोरा मार्ग ही प्रमुख मार्ग है जो नगर के सभी प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्रों, मुख्य कार्य केन्द्रों एवं प्रमुख नगर क्षेत्र से गुजरता है। प्रस्तावित सड़क व्यवस्था नए विकसित क्षेत्रों और कार्य केन्द्रों को जोड़ेगी। सड़क परिभ्रमण व्यवस्था का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

मुख्य मार्ग क्रमांक - 1

यह मार्ग इन्कलाइन्ड रोड नं. 2 के जंक्शन से प्रारंभ होकर हसदेव नदी को पार करते हुए एन.टी.पी.सी. के ऐशडैम्प से होते हुए एन.टी. पी. सी. संयंत्र, एवं एन.टी.पी.सी. टाउनशीप वर्तमान एवं प्रस्तावित आवासीय कालोनी को जोड़ते हुए गोपालपुर ग्राम के पास कटघोरा मार्ग से जुड़ेगा। इसके साथ ही यह मार्ग एम.पी.ई.बी. के 100 मेगावाट प्लांट के पास कटघोरा मार्ग से प्रारंभ होकर इन्कलाइन्ड रोड नं. 2 से होते हुये हसदेव नदी के पूर्व दिशा में प्रस्तावित ओल्डर ब्रिज को पार करते हुये हसदेव नदी के पश्चिम दिशा से नहर के किनारे होते हुये एन.टी.पी.सी. के ऐशडैम्प के पास मुख्य मार्ग क्रमांक 1 से जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 2

यह मार्ग डुरमुडा से मुख्य मार्ग क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर कटघोरा मार्ग को पार करते हुए ग्राम स्याहीमुड़ी के समीप एन.टी.पी.सी. कालोनी से मिलेगा।


मुख्य मार्ग क्रमांक - 3

यह मुख्य मार्ग क्रमांक 1 और 2 को गोपालपुर एवं कुमगरी ग्रामों के पास जोड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 4


यह मुख्य मार्ग क्रमांक 1 और 2 को जोड़ने वाला कड़ी मार्ग होगा। यह सेमीपाली ग्राम के समीप मुख्य मार्ग क्रमांक 1 एवं बांकीमोंगरा मार्ग के संगम से प्रारम्भ होकर मुख्य मार्ग क्रमांक 2 को एन.टी.पी. सी. जमनीपाली कालोनी के समान्तर स्याहीमुड़ी ग्राम को जुड़ेगा।

कोरबा परिभ्रमण अवधारणा



कोरबा

१२-१ प्रस्तावित यातायात संरचना



मुख्य मार्ग क्रमांक - 5

यह मुख्य मार्ग क्रमांक 2 एवं ग्राम बरेड़ीमुड़ा से एन.टी.पी.सी. कालोनी से जुड़ेगा। इससे प्रस्तावित आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों को मुख्य बस्ती से जोड़ने में मदद मिलेगी।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 6

यह मुख्य मार्ग क्रमांक 2 तथा ग्राम बरेड़ीमुड़ा से लाटा संगम तक मुख्य मार्ग क्रमांक 7 को जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम कड़ी मार्ग होगा। इससे प्रस्तावित आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों से सम्पर्क स्थापित हो सकेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 7

यह मुख्य मार्ग क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग क्रमांक 6 को जोड़ते हुये कोरबा पश्चिम आय.यु.डी.पी. योजना के मुख्य मार्ग से जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 8

वर्तमान में एस.ई.सी.एल. कालोनी से ट्रांसपोर्ट नगर तक के मार्ग को हसदेव नदी के समीप मुख्य मार्ग क्रमांक 1 तक आगे बढ़ाया जायेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 9

यह मार्ग बालको प्लान्ट के समीप रिंग रोड से प्रारंभ होकर बालको टाउनशीप से दक्षिण दिशा से होते हुए फुटका पहाड़ मार्ग से वन विभाग के बैरियर के पास जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 10

यह मार्ग फुटका पहाड़ मार्ग पर वन विभाग के बैरियर से प्रारंभ होकर रिंग रोड रिसदा के पास जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 11

यह मार्ग आई.टी.आई. चौराहे से प्रशासनिक हकाईयों को जाने वाले वर्तमान मार्ग के बाद सिंचाई कालोनी से प्रारंभ होकर रिंग रोड से जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 12

यह मार्ग निहारिका टाकिज के पीछे साडा कालोनी से प्रारंभ होकर रजगामार रेल्वे लाईन के समानान्तर दक्षिण दिशा में औद्योगिक क्षेत्र से होते हुये रिंग रोड से जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 13

यह मार्ग मुख्य मार्ग क्रमांक 12 के दक्षिण दिशा में साडा कालोनी से प्रारंभ होकर औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए रिंग रोड में ग्राम झगरहा के पास जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 14

यह मार्ग गेवरा परियोजना के नाके से प्रारंभ होकर रेल्वे लाईन के समानान्तर उत्तर दिशा में ग्राम कुचेना से होते हुए ग्राम भैराताल के समीप बांकी मार्ग से जुड़ेगा।

मुख्य मार्ग क्रमांक - 15

यह मार्ग हसदेव नदी के पश्चिम दिशा में एन.टी.पी.सी. के ऐशडम्प के पास मुख्य मार्ग क्रमांक 1 से प्रारंभ होकर नहर के किनारे होते हुये हसदेव बैराज से जुड़ेगा।

सारणी 12.0

कोरबा : कार्य केन्द्रों को जोड़ने वाले कड़ी मार्ग

अ.क्र.	कार्य केन्द्र	कड़ी मार्ग	जोड़ जाने वाले कार्य केन्द्र
1	2	3	4
1-	मध्यवर्ती गतिविधियां	क्षेत्रीय मार्ग कटघोरा मार्ग	नगर केन्द्र, टांसपोर्ट नगर 100 एवं 200 मेगावाट एन.टी.पी.सी. तथा पूर्व एवं पश्चिम से स्थित कार्य केन्द्र
2-	बालको संयंत्र	क्षेत्रीय मार्ग कटघोरा मार्ग	बालको संयंत्र प्रशासनिक खंड तथा टाउनशीप
3-	एस.ई.सी.एल. टाऊनशीप	दीपका मार्ग मुख्य मार्ग क्रमांक -1 मुख्य मार्ग क्रमांक -2 मुख्य मार्ग क्रमांक -3 मुख्य मार्ग क्रमांक -4 मुख्य मार्ग क्रमांक -5 मुख्य मार्ग क्रमांक -6 मुख्य मार्ग क्रमांक -7 मार्ग क्रमांक-12	खदान क्षेत्र एवं टाउनशिप प्रस्तावित टाउनशीप
	औद्योगिक क्षेत्र मुख्य		प्रशासनिक एवं औद्योगिक क्षेत्र

सारणी - 12.1


कोरबा : क्षेत्रीय मार्गों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई

अ.क्र.	क्षेत्रीय मार्ग	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटरों में)	
		वर्तमान विकसित क्षेत्र	विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
1	2	3	4
1.	चांपा-कटघोरा मार्ग	50	60
2.	फुटका पहाड़ मार्ग	50	60
3.	दीपका मार्ग	50	60
4.	बांकी-कटघोरा मार्ग	50	60
5.	रजगामार मार्ग	50	60


सारणी - 12.2

कोरबा : प्रस्तावित मुख्य मार्ग


अ.क्र.	मार्ग का नाम	प्रस्तावित चौड़ाई (मीटरों में)
1	2	3
1.	मुख्य मार्ग-1	60
2.	मुख्य मार्ग-2	50
3.	मुख्य मार्ग-3	50
4.	मुख्य मार्ग-4	50
5.	मुख्य मार्ग-5	50
6.	मुख्य मार्ग-6	50
7.	मुख्य मार्ग-7	50
8.	मुख्य मार्ग-8	50
9.	मुख्य मार्ग-9	50
10.	मुख्य मार्ग-10	50
11.	मुख्य मार्ग-11	30
12.	मुख्य मार्ग-12	30
13.	मुख्य मार्ग-13	30
14.	मुख्य मार्ग-14	50
15.	मुख्य मार्ग-15	50




मुख्य शहरीय मार्ग
MAJOR CITY ROADS




सेक्टर मार्ग
SECTOR ROADS



सब सेक्टर रोड्स
SUB SECTOR ROADS




CROSS SECTION OF ROADS
मार्गोंका लियेक खेच



- NOTATIONS :-
- V. VERGE
 - C. CARRIAGE WAY
 - D. DRAINS
 - FP. FOOT PATHS
 - FA. PLANTATION
 - CT. CYCLE TRACK
 - SR. SERVICE ROADS
 - P. CASUAL PARKING
 - B. BURMS

LOCAL ROADS
स्थानीय मार्ग



12.3 ग्रेड सेपरेटेड क्रॉसिंग :

वर्तमान चांपा-कटघोरा मार्ग नगर की मुख्य बस्ती में स्थित रेल लाईन से गुजरता है। इस मार्ग से कोयला तथा अन्य कच्चे माल की दुलाई एस.ई.सी.एल. तथा अन्य बिजली संयंत्र से होती रहती है। यह मार्ग रेलवे लाईन से समानान्तर होकर नगर के बहुत से हिस्सों में रेल लाईन को पार करता है। अतः नगर के कुछ स्थानों में सुगम यातायात हेतु ग्रेड सेपरेटेड क्रॉसिंग (ऊपरी या निचले पुल) बनाना आवश्यक है।

विकास योजना में निम्न स्थानों पर ग्रेड सेपरेटेड क्रॉसिंग बनाना प्रस्तावित है :-

- | | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 1. | चांपा कटघोरा मार्ग | - | कोरवा बस्ती की सभी बिजली संयंत्रों एवं बालको से जोड़ने हेतु। |
| 2. | बालको मार्ग-1। | - | मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कालोनी को चांपा मार्ग से जोड़ने हेतु। |
| 3. | मुख्य मार्ग क्रमांक -1 | - | वर्तमान एवं प्रस्तावित आबादी हेतु पूर्व को पश्चिम से जोड़ने हेतु एक कड़ी। |
| 4. | नई कड़ी | - | 200 मेगावाट पावर हाऊस को बालको टाऊनशिप से जोड़ने हेतु। |
| 5. | वृत्तीय मार्ग | - | सीधे यातायात को चांपा मार्ग से जोड़ने हेतु। |

ऊपर प्रस्तावित किये गये सभी ओवर ब्रिज की योजना कालावधि में निर्मित करना संभव नहीं है। अतः योजना कालावधि में कम से कम कोरवा बस्ती में पवन टाकीज के समीप कटघोरा मार्ग पर एक ओवर ब्रिज निर्मित करना प्रस्तावित है।

12.4 सुविधाजनक मार्ग संगमों का विकास :

निम्नलिखित स्थानों पर मार्ग संगम विकसित करना प्रस्तावित है :-

1. डब्ल्यू.सी.एल. चौक
2. आई.टी.आई. चौक
3. कोसाबाड़ी चौक

12.5 अवसान केन्द्र (माल) :

यहां विभिन्न केन्द्रों को माल यातायात केवल सड़क द्वारा ही होता है। अतः नगर में विभिन्न स्थानों पर माल यातायात अवसान केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है। इन केन्द्रों को यातायात निर्मित केन्द्रों से जोड़ा गया है :-

- | | | | |
|----|--------------------------|----|-------------------------|
| 1. | औद्योगिक केन्द्र | 4. | परिवहन अभिकरण |
| 2. | खनन गतिविधि वाले क्षेत्र | 5. | भंडार गृह एवं माल गोदाम |
| 3. | मॉडियाँ एवं थोक बाजार | | |

12.5-1 ट्रक स्थानक :

नगर में ट्रांसपोर्ट नगर, मण्डी के स्थान, औद्योगिक इकाईयों आदि के समीप ट्रक स्थानकों का विकास प्रस्तावित किया गया है।

12.6 अवसान केन्द्र (यात्री) :

12.6-1 हवाई अड्डा :

वर्तमान में बालको के समीप स्थित हवाई पट्टी को यथावत रखा जायेगा तथा यहां छोटे हवाई जहाज एवं हेलीकाप्टरों के उतारने हेतु विकास प्रस्तावित है।

12.6-2 रेलवे स्टेशन :

नगर में स्थित कोरवा एवं गेवरा रेलवे स्टेशन अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। इस क्षेत्र में कोई प्रमुख रेलवे स्टेशन नहीं है। अतः इन दोनों वर्तमान रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के साथ-साथ दो नये रेलवे स्टेशन निम्न स्थानों पर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

1. गेवरा स्टेशन का उपलब्ध वर्तमान रेल लाईन सुमेधा ग्राम में एन.टी.पी.सी. कालोनी तक आगे बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित किया जाना चाहिये।
2. बालको संयंत्र तक उपलब्ध वर्तमान रेल लाईन को ग्राम रिसदा तक बढ़ाते हुये बालको टाऊनशिप में एक नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है।

12.6-3 बस स्टैण्ड :

कोरबा बस्ती में स्थित वर्तमान बस स्टैण्ड को हटाकर ट्रांसपोर्ट नगर के समीप नया बस स्टैण्ड विकसित करना प्रस्तावित है। बालको टाऊनशिप में स्थित वर्तमान बस स्टैण्ड की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित करना प्रस्तावित है। इसके अलावा जमनीपाली ग्राम में एक नया बस स्टैण्ड प्रस्तावित है।

12.6-4 पिक-अप स्टेशन (उप बस स्थानक) :

नगर के भावी विकास को ध्यान में रखकर प्रमुख मार्गों पर उपयुक्त स्थानों पर पिक-अप स्टेशन प्रस्तावित है, जो निम्नानुसार है :-

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. वर्तमान बस स्टैण्ड | 4. आई.बी.पी. फैक्ट्री के समीप |
| 2. आई.टी.आई. चौक | 5. दर्रा चौक |
| 3. एन.टी.पी.सी. गेट | 6. स्टेशन चौक |

12.6-5 नगर बस अवसान केन्द्र :

नगर में सक्षम परिवहन व्यवस्था के विकास हेतु नगर बस अवसान केन्द्रों का प्रावधान किये गये हैं, इसके अलावा क्षेत्रीय बस स्थानक एवं पिक-अप स्टेशन भी नगर में उपलब्ध होंगे। विकास योजना में निम्न स्थानों पर नगर बस अवसान केन्द्र प्रस्तावित है।

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन | 4. आई.बी.पी. फैक्ट्री |
| 2. आदर्श नगर | 5. औद्योगिक क्षेत्र |
| 3. कोरबा रेल्वे स्टेशन | 6. पावर हाऊस चौक |


प्रत्येक अवसान केन्द्र हेतु आधे से एक हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध होगा।








12.6-6 बस डिपो :

वर्तमान बस डिपो की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए विकसित किया जावेगा।

कोरबा

यातायात तंत्र एवं सुविधायें



-  प्रमुख मार्ग
-  क्षेत्रीय मार्ग
-  मुख्य शहर मार्ग
-  सुरव्य मार्ग
-  पिकअप स्टेशन
-  शहर बस यातायात केन्द्र
-  विराम स्थल

अध्याय - 13 आवास एवं सुविधाएँ

नगर में आवासीय सघनता, मकानों की कमी, मकानों का स्वामित्व एवं निकृष्ट क्षेत्र आदि बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों के जीवन-निर्वाह की भी जानकारी पूर्व अध्यायों में दी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में किये गये अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि एन.टी.पी. सी., विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल, एस. ई. सी. एल. आदि शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय अधिकरणों द्वारा नियोजित रूप से विकसित आवासीय बस्तियों तथा अन्य आवासीय बस्तियों में बहुत अन्तर पाया जाता है। निजी क्षेत्र में विकसित बस्तियों में मकानों की कमी विभक्त तथा निम्नस्तरीय आवासीय विकास हुआ है, जिससे गन्दी बस्तियों का प्रारंभ हुआ है। यदि वर्तमान परिस्थिति में सुधार के लिए त्वरित उपाय न किये गये तो यह समस्या विकट रूप धारण कर सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए आवासों के लिए विकसित भूमि उपलब्ध करना, आवासीय मकानों का निर्माण एवं संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराना आवश्यक है। नगर में वर्तमान आवासीय समस्या तथा भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समस्या के समाधान हेतु निम्न बातों पर ध्यान देते हुए हल प्रस्तावित किया गया है :

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में जो स्थान रिक्त पड़े हैं, उनको पूर्ण रूप से उपयोग में लाना।
2. मकानों की पूर्व शेष कमी तथा योजना कालावधि के आवश्यकता को ध्यान में रखकर आवास व्यवस्था हेतु भूमि का प्रावधान।
3. नगर में रहने वाले निर्धन तथा बाहर से रोजगार हेतु नगर में आने वाले गरीब लोगों के आवास हेतु सेवा योजना (साइट एण्ड सर्विस) के अन्तर्गत भूमि का प्रावधान।
4. गन्दी बस्तियों के लोगों के पुनर्स्थापना हेतु भूमि का विशेष रूप से प्रावधान।
5. समाज के कमजोर वर्गों, मध्यम आय वर्गों, तथा शासकीय आवास हेतु कार्यस्थल तथा आवास में सह सम्बंध स्थापित करते हुये भूमि का विशेष रूप से प्रावधान।
6. विशेष क्षेत्र में ग्रामों का भावी नगर विकास को ध्यान में रख कर एकीकरण।
7. निवेश इकाईयों एवं खण्ड इकाईयों में सभी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर आवास हेतु भूमि का संगठित रूप से विकास।
8. मूलभूत सेवाओं एवं सुविधाओं के साथ गन्दी बस्ती क्षेत्रों का सुधार।

आवासीय क्षेत्रों का नियोजन करते समय विभिन्न स्तरों पर कार्य केंद्रों तथा सुविधाओं का प्रावधान रखकर निवास स्थान, गृह समूह, आवासीय परिक्षेत्र, निवेश इकाई तथा नगर इकाई में क्रमबद्धता स्थापित करना प्रस्तावित किया गया है। उपरोक्त प्रकार के नियोजन से आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बद्धता स्थापित कर नगर में भावात्मक एवं क्रियात्मक एकता स्थापित की जा सकेगी।

13.1 आवासीय परिक्षेत्र :

प्रत्येक निवेश इकाई में एक आवासीय परिक्षेत्र का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार कुल चार आवासीय परिक्षेत्र हैं। ये परिक्षेत्र सेवा सुविधाओं की दृष्टि से परिपूर्ण होंगे, विकास योजना में लगभग 1924.35 हेक्टर क्षेत्र इस हेतु प्रस्तावित किया गया है।

13.1.1 आवासीय परिक्षेत्रों का विवरण :-

1. आवासीय परिक्षेत्र क्रमांक-1

इस परिक्षेत्र के पश्चिम में हसदेव नदी, उत्तर में मुख्य मार्ग क्रमांक - 8 पूर्व में वृत्तीय मार्ग तथा दक्षिण में मुख्य मार्ग क्रमांक-13 स्थित है। इस परिक्षेत्र में क्रोरवा बस्ती, एस.ई.सी.एल. कालोनी, म.प्र. विद्युत मण्डल कालोनी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कालोनी कोसावाडी आदि बस्तियाँ शामिल है। इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 463.07 हेक्टर है। इसे 15 आवासीय खण्डों में विभाजित किया गया है। यहाँ का औसत आवासीय घनत्व 289 व्यक्ति प्रति हेक्टर प्रस्तावित किया गया है।

2. आवासीय परिक्षेत्र क्रमांक-2

इस परिक्षेत्र के दक्षिण एवं पूर्व में मुख्य मार्ग क्रमांक 10 पश्चिम में वृत्तीय मार्ग तथा उत्तर में नाला स्थित है। इस परिक्षेत्र में बालको टाउनशिप, पाड़ीमार, दोंदरो आदि बस्तियाँ शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल 407.07 हेक्टर है। जिसको 10 आवासीय खण्डों में विभाजित किया गया है। इस परिक्षेत्र का औसत आवासीय घनत्व 107 व्यक्ति प्रति हेक्टर प्रस्तावित किया गया है।

3. आवासीय परिक्षेत्र क्रमांक-3

इस परिक्षेत्र के दक्षिण में मुख्य मार्ग क्र-1, उत्तर एवं पश्चिम में मुख्य मार्ग-क्र.2 स्थित है। इस परिक्षेत्र में प्रगति नगर, एन.टी. पी.सी. कालोनी, एच.टी.पी.पी. कालोनी, आदि सम्मिलित हैं। इस परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 770.08 हेक्टर है। इसको 16 आवासीय खण्डों में विभाजित किया गया है, इस परिक्षेत्र का औसत आवासीय घनत्व 217 व्यक्ति प्रति हेक्टर प्रस्तावित किया गया है।

4. आवासीय परिक्षेत्र क्रमांक-4

इस परिक्षेत्र के पूर्व मुख्य मार्ग क्रमांक -14 दक्षिण एवं पश्चिम में मुख्य मार्ग क्रमांक-15 तथा उत्तर में दीपका मार्ग स्थित है। इस परिक्षेत्र में आदर्श नगर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 283.5 हेक्टर है। इसको 6 आवासीय खण्डों में विभाजित किया गया है। इस परिक्षेत्र का आवासीय घनत्व 194 व्यक्ति प्रति हेक्टर है। इनका विवरण निम्न सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी - 13

कोरबा : आवासीय परिक्षेत्र

परिक्षेत्र क्रमांक	विवरण	खण्डों की	कुल आवासीय क्षेत्र हेक्टर में
1	2	3	4
1.	हसदेव नदी मुख्य मार्ग क्रमांक 8, 11 एवं 13 से घिरा हुआ है। इस परिक्षेत्र में कोरबा बस्ती तथा उच्च आवासीय घनत्व वाली आवासीय कॉलोनियाँ स्थित है।	15	463.07
2.	ये क्षेत्र मुख्य मार्ग क्र. 15 वृत्तीय मार्ग तथा नाले से घिरा हुआ है। इसमें बालको टाउनशिप, पाड़ीमार एवं दोंदरो ग्राम क्षेत्र शामिल है।	10	407.7
3.	यह क्षेत्र मुख्य मार्ग क्र. 1 एवं 2 से घिरा है तथा इसमें एन.टी.पी.सी., एस.टी.पी.पी., प्रगति नगर एवं दर्श क्षेत्र शामिल है।	10	770.08
4.	यह परिक्षेत्र मुख्य मार्ग क्र.14 से 15 तथा दीपका मार्ग से घिरा हुआ है। इसमें आदर्श नगर कॉलोनी एवं एस.ई.सी.एल. का क्षेत्र शामिल है।	6	283.5
योग		41	1924.35

13.2 जनसंख्या का विवरण :

शासकीय उपक्रम से संबंधित वर्तमान आवासीय कॉलोनिओ में आवासीय घनत्व 50 से 120 व्यक्ति प्रति हेक्टर पाया गया है, जो अपेक्षाकृत कम है। कोरबा बस्ती का घनत्व 550 से 650 व्यक्ति प्रति हेक्टर है। इस नगर की विशेषता तथा जलवायु को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण नगर में आवासीय घनत्व प्रति हेक्टर 200 व्यक्ति से कम प्रस्तावित किया गया है। निम्नलिखित सारणी में जनसंख्या एवं क्षेत्रों का विवरण दिया गया है :-

सारणी - 13.1

कोरबा : जनसंख्या एवं क्षेत्रों का विवरण

आवासीय परिक्षेत्र क्र.	क्षेत्र हेक्टरों में	कुल आवासीय क्षेत्र का प्रतिशत	जनसंख्या लाखों	जनसंख्या का प्रतिशत	औसत आवासीय घनत्व (व्यक्ति प्रति हेक्टर)
1	2	3	4	5	6
1.	463.07	24.06	1.34	25.0	289.00
2.	407.70	21.18	0.44	17.6	107.0
3.	770.08	40.02	1.67	46.8	217.00
4.	283.5	14.74	0.55	10.6	194
योग	1924.35	100.00	4.00	100.00	807.00

13.3 आवासीय परिक्षेत्र तथा नगरीय केन्द्र में संबंध :

आवासीय परिक्षेत्र क्रमांक 1 एवं 4 को निवेश इकाई क्रमांक 1 में प्रस्तावित नगर केन्द्र से सेवा प्राप्त हो सकेगी। परिक्षेत्र क्रमांक 2 एवं 3 में अलग से नगर केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है।

सारणी - 13.2

कोरबा : नगर नियंत्रक क्षेत्र

नगर केन्द्र	सेवा प्राप्त करने वाले आवासीय परिक्षेत्र	सेवा प्राप्त क्षेत्र (हेक्टर में)	सेवा प्राप्त जनसंख्या (लाखों में)
1	2	3	4
1. कोरबा बस्ती में स्थित नगर केन्द्र	1 तथा 4	737.1	1.89
2. नगर केन्द्र	3	780.2	1.67
3. उप केन्द्र	2	407.7	0.44
	योग	1925.00	4.00

13.3-1 आवासीय घनत्व :

नगर में 38.45 प्रतिशत क्षेत्र निम्न घनत्व का, 31.98 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम घनत्व का तथा 23.57 प्रतिशत क्षेत्र मध्यम उच्च घनत्व का प्रस्तावित है तथा इसमें क्रमशः नगर की 24.75, 41.85 तथा 33.50 प्रतिशत जनसंख्या निवास करेगी। परिक्षेत्रों के अनुसार आवासीय घनत्व के आंकड़े निम्नलिखित सारणी में प्रस्तावित है :-

सारणी - 13.3

कोरबा : परिक्षेत्रों के अनुसार आवासीय घनत्व (क्षेत्र हेक्टर में तथा जनसंख्या हजार में)

आवासीय परिक्षेत्र क्र.	निम्न 125 तक		मध्यम 125-250		मध्यम-उच्च 251-400		योग	
	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	98.00	16.0	123.0	39	232.60	79	453.60	134
2.	295.0	8.0	160.0	20	52.70	16	407.70	44
3.	350.0	43.0	240.0	60	190.2	64	700.2	167
4.	135.0	11.0	105.0	18	43.5	26	283.5	55
योग	878.0	78.0	628.0	137	519.00	185	1845.0	400
क्षेत्र प्रतिशत	40.4		32.7		26.9		100	
जनसंख्या प्रतिशत	19.05		34.2		46.3		100	

सारणी - 13.4

कोरबा : आय वर्गानुसार क्षेत्र तथा जनसंख्या का विवरण (क्षेत्र हेक्टर में, जनसंख्या हजार में)

परि- क्षेत्र क्र.	समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग		निम्न आय वर्ग		मध्यम आय वर्ग		उच्च आय वर्ग		योग	
	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या	क्षेत्र	जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	95.60	46	155.0	55	160.0	30	43.0	6	453.6	134
2.	63.70	18	147.0	15	182.0	10	15.0	1	407.70	44
3.	121.12	66	265.0	60	185.0	25	209.0	16	780.2	157
4.	82.50	31	100.0	14	69.0	6	32.0	4	283.5	55
कुल क्षेत्र का प्रतिशत		18.9		36.3		31.9		12.9		100.00
कुल जनसंख्या का प्रतिशत		40.3		35.3		17.7		6.7		100.00

13.4 शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय आवास :

नगर में सिंचाई विभाग एवं पुलिस विभाग को कुछ शासकीय आवास उपलब्ध हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के लिए भी कुछ आवास निर्मित किये गये हैं, लेकिन वे अपर्याप्त हैं। मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, एन.टी.पी.सी., एवं एच.टी.पी. बालको, एस.ई.सी.एल आदि शासकीय उपक्रमों द्वारा भी अपने कर्मचारियों हेतु आवासीय कालोनियां स्थापित की गई है। शासकीय आवास हेतु प्रशासनिक परिसर के समीप निवेश इकाई क्रमांक 1 में भूमि का प्रावधान है। निवेश इकाई क्रमांक 2 में बालको टाउनशिप के विस्तार हेतु भूमि का प्रावधान रखा गया है।

निवेश इकाई क्रमांक 3 में एन.टी.पी.सी. एवं एच.टी.पी.पी. की कालोनियों के विस्तार हेतु स्थान का प्रावधान है। इसी प्रकार निवेश इकाई क्रमांक 4 में एस.ई.सी.एल. कालोनी के विस्तार हेतु भूमि प्रस्तावित है। निवेश इकाई क्रमांक 1 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं म.प्र.विद्युत मण्डल की कालोनियों के विस्तार हेतु भूमि का प्रावधान रखा गया है।

13.5 गन्दी बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ी वाले क्षेत्र :

सारणी - 13.5

कोरबा : गन्दी बस्ती उन्मुलन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

अ.क्र.	गन्दी बस्ती क्षेत्र उन्मुलन हेतु प्रस्तावित	बस्तियों की संख्या	पुर्नस्थापना हेतु स्थान
1	2	3	4
1.	बालको टाउनशिप के आसपास स्थित गन्दी बस्तियाँ	8	निवेश इकाई क्र.2
2.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के समीप	2	निवेश इकाई क्र. 2
3.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल समीप कोहड़िया	3	निवेश इकाई क्र. 1
4.	मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कालोनी	6	निवेश इकाई क्र.1
5.	एस.ई.सी.एल. का क्षेत्र	5	निवेश इकाई क्र. 1
6.	कोरबा बस्ती	7	निवेश इकाई क्र. 1
7.	मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल (पश्चिम)	2	निवेश इकाई क्र. 3
8	एस.ई.सी.एल. पश्चिम क्षेत्र	8	निवेश इकाई क्र. 3 एवं 4

13.5 पर्यावरण सुधार हेतु प्रस्तावित गन्दी बस्तियाँ :

निम्न बस्तियाँ पर्यावरण सुधार हेतु प्रस्तावित है :-

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. पटान पारा कोरबा बस्ती | 5. गोपालपुर कटधोरा मार्ग |
| 2. नया मोहल्ला | 6. नया घोड़देवा |
| 3. गजरा नगर कालोनी | 7. भैरोताल |
| 4. इसाई पारा बस्ती | |

13.6 सेवायें तथा सुविधायें :

13.6.1 स्वास्थ्य सुविधायें :

नगर में स्थित सभी शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों हेतु उनके चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध है। परन्तु नगर की सामान्य जनता को शासकीय चिकित्सालयों पर निर्भर रहना पड़ता है। नगर में केवल एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र उपलब्ध है, जो अपर्याप्त है। दो सामान्य चिकित्सालयों का प्रस्ताव विकास योजना में दिया गया है जो निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 3 में स्थापित होंगे प्रत्येक सामान्य चिकित्सालयों हेतु 10 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है। स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु विकास योजना में कुल 50 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है। वर्तमान में केवल 15 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध है।

निवेश इकाई स्तर :-

विकास योजना में बड़े औपधालयों हेतु 4 तथा नर्सिंग होम एवं प्रसुति गृहों हेतु चार स्थान प्रावधानित है। इन स्वास्थ्य संस्थाओं हेतु 2 से 3 हेक्टर का क्षेत्र उपयुक्त स्थानों पर प्रावधानित है।

खंड स्तर :-

प्रत्येक आवासीय खंड में छोटे औपधालयों हेतु 1/2 से 1 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है।

सारणी - 13.6

कोरबा : स्वास्थ्य सुविधायें

सुविधाओं का स्तर	नि.इ.क्र.1	नि.इ.क्र. 2	नि.इ.क्र. 3	नि.इ.क्र.4	योग
1	2	3	4	5	6
अ- नगर स्तर					
1. सामान्य चिकित्सालय					
वर्तमान	2	1	1	-	4
प्रस्तावित	1	-	1	-	2
2. विशिष्ट चिकित्सालय					
वर्तमान	-	-	-	-	-
प्रस्तावित	1	-	1	-	2
ब- निवेश इकाई स्तर					
1. औपधालय यूनानी/ आयु.					
वर्तमान	2	1	1	5	9
प्रस्तावित	1	1	1	1	4
स- खण्ड स्तर					
1. नर्सिंग एवं प्रसुति गृह					
वर्तमान	-	-	-	-	-
प्रस्तावित	1	1	1	1	4
2. छोटे औपधालय प्रस्तावित	15	10	16	6	46

13.6-2 शिक्षा सुविधायें :

वर्तमान में यहाँ केवल दो महाविद्यालय हैं जिनमें एक शासकीय एवं दूसरा निजी क्षेत्र में है। विकास योजना प्रत्येक महाविद्यालय हेतु 5 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है। कुल 6 महाविद्यालयों का प्रस्ताव किया गया है। विकास योजना में 2 तकनीकी महाविद्यालयों का प्रावधान रखा गया है। इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 3 में 7 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है। विभिन्न निवेश इकाईयों में महाविद्यालय हेतु निम्नानुसार स्थानों का प्रावधान प्रस्तावित है :-

सारणी - 13.7

कोरबा : प्रस्तावित महाविद्यालय

निवेश इकाई क्रमांक	महाविद्यालयों की संख्या
1	2
2	1
3	2
4	1

अन्य निचले स्तर की शिक्षा सुविधायें निवेश इकाई स्तर पर पूर्व में दिये गये मापदण्डों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। विकास योजना में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु 2 से 3 हेक्टर, माध्यमिक विद्यालय हेतु 1.5 हेक्टर से 2 हेक्टर, प्राथमिक शाला हेतु 0.5 से 1 हेक्टर तथा पूर्व माध्यमिक शालाओं हेतु 0.25 से 0.50 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है।

विकास योजना में 15 अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 22 माध्यमिक विद्यालय, 44 प्राथमिक विद्यालय तथा 62 पूर्व प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रावधान रखा गया है। शिक्षा सुविधाओं के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी - 13.8

कोरबा : प्रस्तावित शिक्षा सुविधायें

नि.इ.क्र.	नगर स्तर		निवेश इकाई स्तर		खण्ड स्तर			
	तकनीकी एवं व्यावसायिक महाविद्यालय	वर्तमान	वर्तमान	प्रस्तावित	उ.मा. मा.वि.	प्रा.शाला	पूर्व प्रा. शाला	प्रस्तावित
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित	प्रस्तावित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1	-	2	-	7	12	24	21
2.	-	-	-	1	5	10	20	15
3.	-	-	-	2	12	22	44	35
4.	-	1	-	1	3	6	12	9
योग	1	1	2	4	27	50	100	80

13.6-3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक :

विभिन्न निकायों द्वारा अपने कर्मचारियों के आवास हेतु निर्मित कालोनियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का प्रावधान रखा गया है। लेकिन सम्पूर्ण नगर की दृष्टि से ये सुविधायें अपर्याप्त प्रतीत होती हैं। विकास योजना में एक सामुदायिक भवन, 2 कलावीथिकाएँ, दो-बड़े क्लब, एक केन्द्रीय पुस्तकालय तथा दो-सामान्य पुस्तकालयों का प्रावधान रखा गया है।

निवेश इकाई स्तर :-

विकास योजना में 4 सभागृह तथा वाचनालय हेतु स्थान प्रावधानित है।

खण्ड स्तर :-

धर्मशालाओं सहित 27 सामुदायिक भवनों तथा 80 वाचनालयों हेतु विकास योजना में स्थान प्रस्तावित है।

13.7 आमोद-प्रमोद :

क्षेत्रीय तथा नगरीय स्तर पर आमोद-प्रमोद के क्षेत्र, क्षेत्रीय उपवन, वनस्पति उद्यान, आदि को नदी तट पर 200 मेगावाट पावर स्टेशन के बीच नदी के किनारे स्थापित करना प्रस्तावित है। कोहड़ियां ग्राम में 100 एवं 200 मेगावाट पावर स्टेशन के निकट हेगुनाले पर वन भूमिका प्रावधान रखा गया है। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तथा एन.टी.पी.सी. द्वारा गाब देने से ये क्षेत्रण भूमि निर्मित हुई है, उस पर भी वृक्षारोपण प्रस्तावित है। विकास योजना में नदी तट पर दो पिकनिक स्थान प्रस्तावित है, इसमें से एक स्थान एच.टी.पी.पी. कालोनी के समीप तथा दूसरा सर्वमंगल मन्दिर के समीप नदी तट पर प्रस्तावित है।

13.7.1 नगर उद्यान :-

विकास योजना में दो नगर उद्यानों का प्रावधान किया गया है इस प्रयोजन हेतु 20 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान है, ये उद्यान निवेश इकाई क्रमांक 1 और 3 में होंगे।

13.7.2 प्रदर्शनी स्थल :-

निवेश इकाई क्रमांक 3 में 6 हेक्टर का क्षेत्र इस प्रयोजन हेतु प्रस्तावित किया गया है।

13.7.3. मत्स्यालय :-

मत्स्यालय हेतु निवेश इकाई क्रमांक 1 में 2 हेक्टर का क्षेत्र में वनस्पति उद्यान के समीप प्रस्तावित किया गया है।

13.7.4 तरण-ताल :-

वर्तमान 2 तरण-तालों के अतिरिक्त एक अन्य तरण-ताल का प्रस्ताव निवेश इकाई क्रमांक 1 में स्टेडियम परिसर के समीप किया गया है।

13.7.5 बड़े खुले स्थान :-

निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 3 में 10 हेक्टर क्षेत्र के खुले स्थान प्रस्तावित है।

निवेश इकाई स्तर :-

सभागृह तथा सामुदायिक भवनों हेतु संयुक्त रूप से प्रत्येक निवेश इकाई में मध्य स्थान पर प्रावधान रखा गया है।

13.7.6 क्लब :-

निवेश इकाई स्तर पर क्लब हेतु प्रत्येक इकाई में स्थान प्रस्तावित किया गया है।

13.7.7 पुस्तकालय :-

निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 3 में पुस्तकालय हेतु स्थान प्रस्तावित किये गये हैं।

13.7.8 परिक्षेत्रिक पार्क :-

विकास योजना में प्रत्येक निवेश इकाई में एक परिक्षेत्रिक पार्क का प्रस्ताव है। इस प्रकार कुल 4 परिक्षेत्रिक पार्क होंगे।

13.7.9 खेल के मैदान -

प्रत्येक निवेश इकाई में एक खेल का मैदान प्रस्तावित है। इस प्रकार कुल 4 खेल के मैदानों का प्रस्ताव है।

खण्ड स्तर :-

13.7.10 सामुदायिक भवन :-

प्रत्येक खण्ड में एक सामुदायिक भवन का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार कुल 47 सामुदायिक भवनों का प्रस्ताव है।

13.7.11 खण्डस्तरीय पार्क :-

प्रत्येक खण्ड में पार्क हेतु स्थान का प्रावधान रखा गया है। इस सम्बंध में परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थान का चयन किया जावेगा।

13.7.12 खेल के मैदान, शिशु उद्यान एवं टाटलाट :-

प्रत्येक खण्ड में एक खेल के मैदान का प्रावधान है। इसके अलावा विकास योजना में 66 शिशु उद्यान, 100 खेलों के स्थान एवं 400 टाटलाट हेतु प्रावधान रखा गया है।

13.8 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण :

विकास योजना में सभी प्रमुख मार्गों, पड़ती भूमि, नदी, नालों के तट, राख तथा राख के गारे द्वारा भरे गये गड्ढों से प्राप्त भूमि पर वृक्षारोपण प्रस्तावित है।

13.9 गलियारे :

नगर से बाहर विद्युत प्रदाय हेतु समस्त उच्च कर्षण विद्युत लाइनों के लिए दो गलियारे (कारीडोर) प्रस्तावित किये गये हैं। 0.5 से 0.75 कि.मी. चौड़े ये गलियारे विद्युत उत्पादन केन्द्र से नगर की बाहरी सीमा तक होंगे। पहला गलियारा 100 एवं 200 मेगावाट विद्युत गृहों के समीप ग्राम कोहड़िया से प्रारंभ होकर पूर्व-पश्चिम दिशा में ग्राम बांकी मोंगरा के पास से नगर के बाहर निकलेगा। दूसरा गलियारा एच.टी.पी.पी. से निकलकर नदी के समानान्तर उत्तर की ओर जायेगा। इन दोनों गलियारों को मिलाने वाला गलियारा ग्राम गोपालपुर से उत्तर-दक्षिण दिशा में जायेगा। इन गलियारों से जाने वाली उच्चकर्षण लाइनों के नीचे कम ऊँचाई वाले कोसा वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।

13.10 अन्य सेवायें :

विकास योजना में नगर स्तरीय सेवाओं के रूप में केन्द्रीय डाक तार कार्यालय, दूरभाष केन्द्र, निवेश इकाई क्रमांक 1 में प्रावधान रखा गया है। प्रमुख पुलिस स्टेशन निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 3 में प्रस्तावित है। इसी प्रकार निवेश इकाई क्रमांक 1 में अग्निशामक केन्द्र का प्रावधान रखा गया है।

13.10.1 कब्रस्तान एवं श्मशान भूमि :-

कब्रस्तानों एवं श्मशान भूमि हेतु अहिरन नदी, डेगुरनाला, तथा हसदेव नदी के तट पर प्रत्येक निवेश इकाई के समीप कुल 4 स्थानों का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त ऐशडम्प क्षेत्र में जहाँ वृक्षारोपण प्रस्तावित है, उस क्षेत्र के मध्य में भी कब्रस्तान एवं श्मशान भूमि हेतु प्रावधान रखा गया है।

परिक्षेत्र में परिक्षेत्रिक डाक एवं तार कार्यालय हेतु स्थान प्रस्तावित है। इसी प्रकार परिक्षेत्रिक पुलिस स्टेशन हेतु भी प्रावधान रखा गया है। प्रत्येक परिक्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्र हेतु स्थान प्रस्तावित हैं। विकास योजना में 27 उप डाक तार घरों तथा 27 पुलिस स्टेशनों हेतु स्थान प्रस्तावित किया गया है।

अध्याय - 14
मुख्य कार्य केन्द्र

नगर में विद्यमान औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं सार्वजनिक कार्यालयीन गतिविधियाँ नगर के सामाजिक जीवन का प्रमुख केन्द्र होती हैं। अतः नगर के स्वस्थ विकास के लिए इन गतिविधियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में स्थान उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस क्षेत्रों से नगर में यातायात निर्मित होते रहने के कारण इनका अन्य आवासीय क्षेत्रों में सह-संबंध स्थापित करना आवश्यक है, ताकि सुविधाजनक, सुरक्षित एवं तीव्र यातायात हो सके।

जैसा कि पूर्व अध्यायों में बताया जा चुका है कि नगर विकास में वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त स्थान विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इससे नगर में वाणिज्यिक गतिविधियाँ अव्यवस्थित एवं असम्बद्ध रूप से विकसित होकर कोरवा नगर एवं पावर हाउस मार्ग पर केन्द्रित हो गईं। इसके अलावा दर्रा एवं बांकी क्षेत्रों में भी अव्यवस्थित रूप से वाणिज्यिक गतिविधियाँ फैली दिखाई देती हैं। नगर में नगर स्तर पर या क्षेत्रों के अनुसार श्रेणीबद्ध रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों के विवरण का अब तक कोई प्रयास नहीं हुआ। इसी प्रकार नगर में पूर्व में औद्योगिक गतिविधियों एवं सार्वजनिक कार्यालयों जैसे अन्य कार्य केन्द्रों को नियोजन एवं व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया।

विकास योजना में न केवल नियोजित एवं सम्बद्ध विकास द्वारा वर्तमान अव्यवस्था को ठीक करने हेतु प्रस्ताव दिये गये हैं, अपितु योजनाकाल में कार्य केन्द्रों को नियोजन एवं सम्बद्ध रूप से स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भी दिये गये हैं।

नगर हेतु भूमि उपयोग के ढाँचे के संबंध में प्रस्ताव पूर्व में अध्याय 10 में दिये जा चुके हैं। इस अध्याय में उद्योगों, वाणिज्यिक, गतिविधियों, सार्वजनिक कार्यालयों हेतु स्थान एवं भूमि के प्रावधान के संबंध में दिये जा रहे हैं। वर्तमान में नगर में विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों के पास भूमि का जो स्वामित्व है, तथा नगर में इस कारण जो नगर का कृत्रिम विभाजन हुआ है, इन बातोंको नजर अन्दाज करते हुये तथा नगर के हितों को ध्यान में लेते हुए विकास योजना में कार्य केन्द्रों की स्थापना हेतु स्थान प्रस्तावित है।

पूर्व में दिये गये अनुमानों के अनुसार सन् 2001 तक नगर में 56,000 श्रमिक कार्यरत रहने की सम्भावना है। मोटे तौर पर श्रमिकों का विभाजन निम्नानुसार अनुमानित है :-

प्रमुख औद्योगिक केन्द्र	-	20,653
नगर केन्द्र	-	9,746
अन्य केन्द्र	-	15,662

14.1 प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र :-

विकास योजना में सभी प्रमुख प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधियों सहित मॉडियों एवं वाणिज्यिक उपयोग हेतु 170.91 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

सारणी - 14.0

कोरवा : प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र

अ.क्र.	विवरण	स्थान	क्षेत्र (हेक्टर में)
1.	2.	3.	4
1-	अनाज मण्डी	निवेश इकाई क्रं. 1	20
2-	किराना मण्डी	- निवेश इकाई क्रं. 3	5
3-	सब्जी एवं फल मण्डी	- निवेश इकाई क्रं. 1	5
4-	भवन निर्माण सामग्री	- निवेश इकाई क्रं. 3	10
5-	घास मण्डी	- निवेश इकाई क्रं. 3	5
6-	ट्रांसपोर्ट नगर	- निवेश इकाई क्रं. 1	15
7-	विशिष्ट बाजार	- निवेश इकाई क्रं. 1	5
		- निवेश इकाई क्रं. 3	5.91

1.	2.	3.	4
8-	तेल डिपो	- निवेश इकाई क्रं. 3	8
9-	नगर स्तरीय फुटकर बाजार	- निवेश इकाई क्रं. 1	8
		- निवेश इकाई क्रं. 2	5
		- निवेश इकाई क्रं. 3	8
		- निवेश इकाई क्रं. 4	4
10-	कोल डिपो	- निवेश इकाई क्रं. 3	10
11-	परिक्षेत्रिक बाजार	- निवेश इकाई क्रं. 1,2,3,4,	25
12-	सामाहिक बाजार	- निवेश इकाई क्रं. 1,2,3,4,	20
13-	खण्ड स्तरीय बाजार	- निवेश इकाई क्रं. 1,2,3,4,	12
			170.91

14.1.1 मंडिया :-

विकास योजनायें अनाज, किराया, सब्जी, घास आदि मंडियों हेतु प्रावधान रखा गया है . इस उपयोग हेतु 35 हेक्टर क्षेत्र नियत है।

अ - अनाज मण्डी :-

इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक 1 में एस .ई. सी.एल . चौक के समीप 20 हेक्टर क्षेत्र प्रावधानित है। वर्तमान में कोरवा बस्ती तथा नगर के अन्य भागों में स्थित अनाज के दुकानों को यहाँ स्थानांतरित करना प्रस्तावित है।

ब - किराना मण्डी :-

किराना मण्डी हेतु निवेश इकाई क्रमांक 1 में 5 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है। कोरवा बस्ती में स्थित वर्तमान किराना बाजार को फुटकर किराना बाजार के रूप में यथावत जारी रखा जायेगा।

स - सब्जी एवं फल मण्डी :-

सब्जी एवं फल मण्डी हेतु निवेश इकाई क्रमांक 1 एवं 3 में स्थान विकसित किया जायेगा, इस प्रयोजन हेतु 5 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है।

द - भवन निर्माण सामग्री प्रागण :-

इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक 3 में 10 हेक्टर का स्थान प्रस्तावित है।

इ - घास मण्डी :-

इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक 3 में 5 हेक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित डेरी फार्म के समीप दो स्थान प्रावधानित है।

14.1.2 ट्रांसपोर्ट नगर :-

एस.ई.सी.एल. चौक के समीप स्थित वर्तमान ट्रांसपोर्ट नगर का विस्तार प्रस्तावित है। इसके अलावा निवेश इकाई क्रमांक 3 में एक नया स्थान भी हेतु प्रस्तावित है।

14.1.3 विशिष्ट बाजार :-

निवेश इकाई क्रमांक 1 तथा 3 में एकएक स्थान पर कुल 10.91 हेक्टर क्षेत्र विशिष्ट बाजारों हेतु प्रस्तावित है।

14.1.4 तेल डिपो :-

इस प्रयोजन हेतु निवेश इकाई क्रमांक 3 में प्रस्तावित गेब्वे स्टेशन के समीप स्थान प्रावधानित है।

14.1.5 फुटकर बाजार :-

विकास योजना में नगर केन्द्रों एवं नगर उप केन्द्रों में फुटकर बाजार हेतु प्रावधान रखा गया है। इस प्रयोजन हेतु 25 हेक्टर क्षेत्र नियत है।

कोरबा

१४-१ प्रस्तावित मुख्य कार्य केन्द्र




- वाणिज्यिक
- औद्योगिक
- प्रशासकीय
- अन्य










बागपानी बा

कोरबा

वाणिज्यिक एवं औद्योगिक



-  अनाज मंडी
-  तेल एवं कोयला भंडार
-  वाणिज्यिक
-  बॉस, मंडी
-  योजना इकाई केंद्र
-  कार्यालय
-  औद्योगिक

14.1.6 परिक्षेत्रिक बाजार :-

विकास योजना में प्रत्येक निवेश इकाईयों में मध्यवर्ती स्थान पर स्वयंपूर्ण परिक्षेत्रिक बाजार हेतु कुल 25 हेक्टर प्रस्तावित है।

14.1.7. सामाहिक बाजार :-

वर्तमान में जिन 6 स्थानों पर सामाहिक बाजार लग रहे हैं उन स्थानों को सामाहिक बाजारों हेतु विकास प्रस्तावित है, विकास योजना में इस प्रयोजन हेतु 20 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित है।

14.1.8 खण्ड स्तरीय बाजार केन्द्र :-

प्रत्येक आवासीय खण्ड में 12 से 15 हजार तक जनसंख्या स्थित होना अनुमानित है। लोगों की रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खण्ड स्तरीय बाजार प्रस्तावित है, जिसमें रोजाना आवश्यक की समान की दुकानें, सेवा सुविधाएं अन्य संस्थायें तथा आमोद-प्रमोद गतिविधियों हेतु स्थान उपलब्ध होगा। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक आवासीय खण्ड में लगभग 12 हेक्टर का क्षेत्र प्रावधानित है। इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी परिक्षेत्रिक योजना में उपलब्ध होगी।

14.2. कार्यालय :-

सार्वजनिक उपक्रमों एवं मण्डलों हेतु कोरवा में उनके निजी कार्यालय भवन उपलब्ध है। जहाँ तक राज्य शासन, केन्द्र शासन एवं अन्य निजी संस्थाओं के कार्यालयों का प्रश्न है, ये कार्यालय संकुचित स्थानों एवं निकृष्ट वस्तियों में स्थित है।

विकास योजना में निवेश इकाई स्तर पर एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर कार्यालय समूल हेतु स्थान प्रावधानित है। इस प्रयोजन हेतु कुल 50 हेक्टर क्षेत्र प्रावधानित है।

14.3 औद्योगिक :-

रजगामार रेल लाईन के समीप स्थित वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र को नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु विस्तारित करना प्रस्तावित है। जिसमें छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे। इसके आलावा बालको के लाल कीचड़ पोखर के समीप एक अन्य स्थान लाल कीचड़ अपविष्ट संशोधित करने वाले उद्योगों हेतु प्रावधानित है।

इस प्रकार वर्तमान क्षेत्र सहित विकास योजना में औद्योगिक विकास हेतु कुल 1049.09 हेक्टर प्रावधानित है। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है।

1	2	3	
1-	भारी उद्योग	-	699.09 हेक्टर
2-	मध्यम उद्योग	-	100 हेक्टर
3-	छोटे उद्योग	-	150 हेक्टर
4-	बहुमंजिले भवनों के कक्ष में स्थित फैक्ट्रियाँ	-	100 हेक्टर
योग -			1049.09 हेक्टर

विकास योजना का कार्यान्वयन एवं प्रभावीकरण

जब तक विकास योजना में निहित नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के प्रयास नहीं किये जाते, तब तक नगरीय जीवन में बौद्धिक सुधार नहीं हो सकता। विकास योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु नागरिकों का सक्रिय योगदान, उपयुक्त कानून, पर्याप्त निधि तथा सक्षम विकास प्राधिकरण आदि कुछ आवश्यक साधन होना जरूरी है। वर्तमान अध्याय में इन बातों पर विस्तृत चर्चा की गई है।

किसी भी नगर के निर्माण में वहाँ के नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से निर्माण, पुनर्निर्माण तथा विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु विकास कार्य हाथ में लेकर प्रमुख भूमिका निभायी जाती है। अतः नगर निर्माण एवं विकास में नागरिकों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। विकास योजनाओं के प्रस्ताव नागरिकों को स्वोकार्य होने पर ही हम उनसे सहयोग की अपेक्षा रख सकते हैं। नगर की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं तथा वर्तमान प्राकृतिक बाधाओं का विस्तृत अध्ययन करने के पश्चात् ही विकास योजना के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। अतः इस बात का आशा है कि विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु वहाँ के नागरिकों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा तकनीकी परामर्श एवं प्रस्तावित निर्माण कार्य अनुमोदित विकास योजना के अनुरूप है। इस बात का ध्यान रखकर विकास योजना के कार्यान्वयन में सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

इस अध्याय में भूमि उपयोग के परिक्षेत्रों, फर्शी क्षेत्रफल का प्रभाव निर्मित क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में परिक्षेत्रिक नियमन दिये गये हैं। इससे संभावित विकास में शासकीय विभागों आदि को नियोजन एवं रूपांकन में मदद मिलने के साथ-साथ इन संस्थाओं द्वारा निर्माण संबंधी जो प्रस्ताव दिये गये हैं, इनके सूक्ष्म परिक्षण में सक्षम अधिकारियों की मदद मिलेगी ये परिक्षेत्रिक नियमन बहुत सरल एवं नगर की आवश्यकताओं एवं नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं।

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्रामीण निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत निजी व्यक्तियों, सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों, अर्द्धशासकीय निकायों, केन्द्र एवं राज्य शासन के विभागों द्वारा कोई विकास कार्य हाथ में लेने के पूर्व उसका तकनीकी परीक्षण आवश्यक है। जिससे विकास योजना का कार्यान्वयन अब सम्भव हो सकेगा। उपरोक्त अधिनियम में धारा 24 से 29 में भूमि के विकास एवं उपयोग पर नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 (3) के अन्तर्गत कोरबा नगर के भूमि के वर्तमान उपयोग के नवसे पहले ही प्रकाशित एवं अन्तिम रूप से अंगीकृत किए जा चुके हैं जिसमें कोरबा निवेश क्षेत्र में भूमि उपयोग एवं भूमि परिवर्तन पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा।

विकास योजना का कार्यान्वयन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा द्वारा किया जावेगा। जो मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 64 के अधीन स्थापित किया गया है। टाउनशिप क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य उपक्रमों के व्यवस्थापकों द्वारा किया जा सकेगा। लेकिन उनके कार्यान्वयन के पूर्व विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक होगी। मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल द्वारा नगर में बड़े पैमाने पर मकानों, दुकानों एवं बाजारों का निर्माण किया जा रहा है। यह आशा की जाती है कि नगर की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप गृह निर्माण मण्डल द्वारा रिहायशी एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण जारी रखा जायेगा। इसके अलावा अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में अन्य शासकीय विभागों एवं स्वायत्त संस्थाओं जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, वाणिज्यिक एवं उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन निगम, लघु उद्योग निगम आदि संस्थाओं द्वारा योजना काल में निर्माण कार्य किये जाने की संभावना है। इन निर्माण कार्यों से भी विकास योजना की कार्यान्वयन में मदद मिलती रहेगी। तथापि इन निर्माण कार्यों हेतु स्थान का चयन रूपांकन निर्माण कार्य सम्बंध में कार्यक्रम बनाना आदि के सम्बंध में समन्वय स्थापित करना आवश्यक होगा, तथा इस कार्य हेतु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण मध्यवर्ती समन्वयन, अभिकरण के रूप में कार्य करेगा।

15.1 वित्तीय आवश्यकता :

विकास योजना के कार्यान्वयन में वित्तीय साधनों का अभाव होने से वित्तीय आवश्यकता का अनुमान प्रशासकीय एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं के सामने सावधानी एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि विकास कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में ठीक तरह विभाजित किया जाय तो सम्पूर्ण कार्यक्रम थोड़ी बीज पूँजी सहायता से श्रोजन कालावधि में कार्यान्वित हो सकता है। निम्नलिखित परिक्षेत्रों में इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गई है।

15.2 विकास कार्यों की कुल अनुमानित लागत :

वर्तमान लागत के अनुसार विकास योजना के प्रस्तावों की कार्ययुक्ति क्रम में 107.7 करोड़ का व्यय अनुमानित है। इसमें योजना अवधि में 2011 हेक्टर भूमि के अर्जन का व्यय शामिल है। इसके अलावा इस अनुमान में गन्दी बस्ती उन्मूलन एवं पर्यावरण सुधार, मड्डनों का निर्माण, नदी तटों का विकास, बंजर भूमि डूबी-नीची भूमि पर वृक्षारोपण, आदि कार्यों पर व्यय सम्मिलित है। भूमि अर्जन पर प्रति हेक्टर औसत 75,000 रुपये व्यय अनुमानित है। विभिन्न उपग्रहों के लिए विकास सम्बंधी लागत निम्न मापदण्डों के आधार पर आंकी गई है :-

मार्गणी - 15.0

कोरवा : योजना कार्यान्वयन की लागत (क्षेत्र हेक्टर में)

क्र.	भूमि उपयोग / विकास की इकाई	क्षेत्र हेक्टर में			अर्जित भूमि के 70%			विकास पर व्यय			इमारतों हेतु कुल व्यय रु.	
		प्रस्तावित	वर्तमान	क्षेत्र हेक्टर में	अर्जित करने हेतु गैर क्षेत्रफल	अर्जन का क्षेत्रफल	व्यय	व्यय	क्षतिपूर्ति लागत रु. में	लाखों में		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	आवासीय	1924.85	978.14	946.25	710.17	662.17	4.00	2651.20	-	3361.37		
2.	वाणिज्यिक	170.91	53.12	117.81	87.67	81.80	5.00	409.00	-	496.67		
3.	औद्योगिक	1049.09	680.29	368.29	276.90	258.40	2.50	646.00	-	922.90		
4.	सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक	331.63	127.59	204.03	133.05	124.10	2.00	248.20	-	381.25		
5.	आमोद-प्रमोद	575.00	70.13	504.90	378.67	353.40	2.00	706.80	-	1085.47		
6.	परिवहन एवं संचार	1120.0	757.00	363.00	272.25	254.10	1.50	381.15	-	653.35		
7.	गन्दी बस्ती उन्मूलन	45.0	-	-	-	31.50	4.00	126.00	-	126.00		
8.	पर्यावरण सुधार	30.00	-	-	-	21.00	2.50	52.50	-	92.50		
9.	भू-दुष्प्रतिक्रमण	150.00	-	-	-	105.00	2.00	210.00	-	210.00		
10.	मड्डनों के किनारे वृक्षारोपण	150.00	-	-	-	105.00	2.00	210.00	-	210.00		
11.	रेलवे स्टेशन	20.00	-	-	-	2.00	30.00	60.00	-	60.00		
12.	ओवर ड्रीज	16.00	-	-	-	6.00	150.00	900.00	-	900.00		
13.	नदी तट विकास	-	-	-	-	-	एक मुक्त	50.00	-	50.00		
14.	जल पूर्ति तथा मल निकास	-	-	-	-	-	एक मुक्त	2000.00	-	2000.00		
15.	वृक्षारोपण	400.00	-	-	-	-	एक मुक्त	50.00	-	50.00		
16.	गलियारे तथा विद्युत	-	-	-	-	-	एक मुक्त	100.00	-	110.00		
17.	क्षतिपूर्ति	-	-	-	-	-	एक मुक्त	-	110.00	110.00		
	योग	5981.98	2666.78	2504.28	1858.71	2005.10		8804.41	110.00	10809.51		

15.3 प्रथम चरण का कार्यक्रम :

विकास योजना का कार्यक्रम दो चरणों में प्रस्तावित है। प्रथम चरण 5 वर्ष का सन् 1987-88 से सन् 1991-1992 तक है एवं विकास योजना की शेष अवधि विकास योजना का दूसरा चरण होगा। विकास योजना के प्रथम चरण को कार्यान्वित करने के लिए लगभग 68 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है, जिसमें उद्योग विभाग द्वारा संपन्न विकास कार्यों का व्यय भी सम्मिलित है। प्रथम चरण में निम्नलिखित कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

भूमि उपयोग	दर प्रति हेक्टर (लाखों में)	भूमि उपयोग	दर प्रति हेक्टर (लाखों में)
1. आवासीय	4.00	5. औद्योगिक	2.50
2. गन्दी बस्ती उन्मूलन एवं पुनर्स्थापना	4.00	6. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	2.00
3. गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार	2.50	7. आमोद-प्रमोद (भू-दृश्य सहित)	2.00
4. वाणिज्यिक	5.00	8. परिवहन	1.50

15.3-1 भूमि अर्जन एवं विकास :

प्रथम चरण में प्रस्तावित विभिन्न उद्योगों हेतु 1485 हेक्टर क्षेत्र अर्जित किया जायेगा। कुल अर्जित क्षेत्र का विभाजन नीचे प्रस्तुत है :-

(अ) आवासीय :

आवासीय उपयोग हेतु 400 हेक्टर क्षेत्र अर्जित करना प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य निकायों द्वारा आवासीय क्षेत्र विकसित करना प्रस्तावित है। निम्नलिखित स्थानों पर आवासीय उपयोगों हेतु भूमि विकसित करना प्रस्तावित है :-

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. कोसावाड़ी के समीप | 2. एन.टी.पी.सी. कालोनी के समीप |
| 3. बालको टाउनशिप के पीछे | 4. मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कालोनी के समीप |

(ब) गन्दी बस्ती उन्मूलन एवं पुनर्वास :

गन्दी बस्ती पुनर्वास एवं प्रस्तावित सभी स्थानों से गन्दी बस्ती उन्मूलन प्रस्तावित है। इस प्रकार विस्थापित लोगों को विकसित भूखण्ड दिये जायेगे। इस योजना के अंतर्गत लगभग 50 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा तथा विभिन्न चरणों में गन्दी बस्ती उन्मूलन का कार्य पूरा किया जायेगा।

(स) गन्दी बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार :

गन्दी बस्ती पर्यावरण सुधार के सभी कार्यक्रम का प्रथम चरण में संपन्न किये जायेंगे। इस कार्यक्रम हेतु 75 हेक्टर क्षेत्र का प्रावधान रखा गया है। पर्यावरण सुधार हेतु निर्धारित बस्तियों के संबंध में जानकारी पूर्व के अध्याय 13 में दी जा चुकी है।

(द) वाणिज्यिक :


प्रथम चरण में वाणिज्यिक उपयोग हेतु 118 हेक्टर का क्षेत्र विकसित करना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक उपयोग में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल रहेगी :-

1. अनाज मण्डी	20 हेक्टर
2. किराना मण्डी	5 हेक्टर
3. सब्जी एवं फल मण्डी	5 हेक्टर
4. चास मण्डी	5 हेक्टर
5. ट्रांसपोर्ट नगर	10 हेक्टर
6. विनिगट बाजार	5 हेक्टर
7. आश्ल टिपो	3 हेक्टर
8. नगर स्तरीय बाजार	20 हेक्टर
9. कोल टिपो	10 हेक्टर
10. परिशोधन बाजार	15 हेक्टर
11. साप्ताहिक बाजार	10 हेक्टर
12. खण्ड स्तर बाजार	10 हेक्टर

योग 118 हेक्टर

कोरबा

१५-१ प्रथम चरण



- आवासीय
- वाणिज्यिक
- औद्योगिक
- प्रशासकीय
- शैक्षणिक
- + स्वास्थ्य
- घोराटे का सुधार
- मार्ग



वायव्य ओर

(ई) उद्योग :

उद्योगों के विकास हेतु 100 हेक्टर का क्षेत्र अर्जित करना प्रस्तावित है। इसमें वर्तमान में उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु विकसित भूमि शामिल है।

(फ) सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक :

इस उपयोग हेतु 147 हेक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित है। इस उपयोग के अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, एवं प्रशासनिक गतिविधियाँ, श्मशान भूमि एवं कब्रस्तान आदि उपयोगों हेतु भूमि का प्रावधान प्रस्तावित है। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

1-	कार्यालय समुह	20 हेक्टर
2-	स्वास्थ्य	20 हेक्टर
3-	शिक्षा	50 हेक्टर
4-	सामाजिक एवं सांस्कृतिक	50 हेक्टर
5-	घोबी घाट	2 हेक्टर
6-	श्मशान भूमि एवं कब्रस्तान	5 हेक्टर

(ग) आमोद-प्रमोद :

इस उपयोग के अन्तर्गत नगर उद्यान, तरण-ताल, नदी तट विकास, वृक्षारोपण एवं भू-दृश्यिकरण आदि कार्यों हेतु भूमि का प्रावधान रखा गया है। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है :-

1-	नगर उद्यान	50 हेक्टर
2-	मत्स्यालय	2 हेक्टर
3-	तरण-ताल	2 हेक्टर
4-	स्टेडियम	15 हेक्टर
5-	सड़क के किनारे वृक्षारोपण	100 हेक्टर

(ह) परिवहन :

1- नये कड़ी मार्गों का निर्माण :-

नगर में हसदेव नदी के पश्चिम में स्थित बस्तियों, नगर के पूर्वी भाग से वर्तमान में ठीक तरह से जुड़ी नहीं है। अतः इन क्षेत्रों हेतु प्रथम चरण में एक कड़ी मार्ग निर्मित करना प्रस्तावित है। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम तक एक कड़ी मार्ग, दूसरे चरण में प्रस्तावित है।

2- मार्ग संगमों का सुधार एवं सड़कों को चौड़ा करना :-

विकास योजना के प्रथम चरण में मार्ग संगमों के सुधार तथा महत्वपूर्ण मार्गों को चौड़ा करने हेतु प्रावधान रखा गया है। मार्ग संगमों का विकास एवं सुधार प्रस्तावित है :-

- 1- मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल चौक
- 2- एस.ई. सी. एल. चौक
- 3- मुरारका पेट्रोल पम्प के समीप स्थित चौक
- 3- नगर स्थित निम्न मार्गों को चौड़ा करना प्रस्तावित है :-
 - 1- मुख्य मार्ग
 - 2- पावर हाउस मार्ग

3- ओवर ब्रिज :

यातायात समस्याओं को ध्यान में रखते हुये तथा नगर स्थित पूर्वी क्षेत्रों को पश्चिम क्षेत्रों से जोड़ने की दृष्टि से हसदेव नदी पर प्राथमिकता के आधार पर एक ओवर ब्रिज निर्मित करना प्रस्तावित है। इस ब्रिज का कार्य योजना कालावधि के प्रथम चरण में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

4- बस स्टैण्ड :

क्षेत्रीय बस स्टैण्ड, ट्रान्सपोर्ट नगर के समीप निर्मित किया जायेगा। यह कार्य भी प्रथम चरण में पूरा किया जायेगा।

5- रेलवे स्टेशन :

एन.टी.पी.सी. कालोनी के समीप एक नया रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। यह कार्य प्रथम चरण में सम्मिलित है। प्रथम चरण के कार्यक्रम का विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत है :-

सारणी - 15.1

कोरबा : योजना कार्यान्वयन के प्रथम चरण की लागत

(भौतिक लक्ष्य हेक्टर में, लागत लाख रु. में)

क्र.	योजना के अंतर्गत कार्यों का विवरण	अर्जन भौतिक लक्ष्य	लागत	भवनों के लिये क्षति पूर्ति	विकास लागत भौतिक	लागत	कुल लागत 4 + 5 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
अ-	आवासीय	400.00	300.00	-	400.00	1600.00	1900.00
ब-	वाणिज्यिक :						
1.	अनाज मण्डी	20.00	15.00	-	20.00	100.00	115.00
2.	किराना मण्डी	5.00	3.75	-	5.00	25.00	28.75
3.	सब्जी एवं फल मण्डी	5.00	3.75	-	5.00	25.00	28.75
4.	घास मण्डी	5.00	3.75	-	5.00	25.00	28.75
5.	परिवहन नगर	10.00	7.50	-	10.00	50.00	57.50
6.	विशिष्ट बाजार	5.00	3.75	-	5.00	25.00	28.75
7.	तेल डिपो	3.00	2.25	-	3.00	15.00	17.25
8.	नगर स्तरीय दुकानें	20.00	15.00	-	20.00	100.00	115.00
9.	कोल डिपो	10.00	7.50	-	10.00	50.00	57.50
10.	परिक्षेत्रिक बाजार	15.00	11.25	-	15.00	75.00	86.25
11.	साप्ताहिक बाजार	10.00	7.50	-	10.00	50.00	57.50
12.	खण्ड स्तरीय बाजार	10.00	7.50	-	10.00	50.00	57.50
	योग	118.00	88.50	-	118.00	590.00	678.50
स-	औद्योगिक क्षेत्र :						
1.	भारी उद्योग	25.00	18.75	-	25.00	62.50	81.25
2.	मध्यम उद्योग	25.00	18.75	-	25.00	62.50	81.25
3.	छोटे उद्योग	10.00	7.5	-	10.00	25.00	32.50
4.	बहुमंजिले भवनों में स्थित कारखाने	40.00	30.00	-	40.00	100.00	130.00
	योग	100.00	75.00	-	100.00	250.00	325.00
द-	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :						
1.	कार्यालय समूह	20.00	15.00	-	30.00	40.00	55.00
2.	स्वास्थ्य	20.00	15.00	-	30.00	40.00	55.00
3.	शिक्षा	50.00	37.50	-	50.00	100.00	137.50

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक	15.00	11.25	-	15.00	30.00	41.25
5.	धोबी घाट	2.00	1.50	-	2.00	4.00	5.50
6.	श्मशान भूमि एवं कब्रिस्तान	5.00	3.75	-	5.00	10.00	13.75
	योग	112.00	84.00	-	132.00	224.00	308.00

ई- आमोद-प्रमोद :

1.	नगर क्षेत्रीय एवं अन्य पार्क	50.00	37.50	-	50.00	100.00	137.50
2.	मत्स्यालय	2.00	1.50	-	2.00	5.00	6.50
3.	तरण-ताल	2.00	1.50	-	2.00	10.00	11.50
4.	पुस्तकालय	1.00	0.75	-	1.00	10.00	10.75
5.	स्टेडियम	15.00	11.25	-	15.00	50.00	61.25
6.	मार्गों के किनारे वृक्षारोपण	100.00	75.00	-	100.00	150.00	225.00
	योग	170.00	127.50	-	170.00	325.00	452.50

फ- परिवहन :

1.	मुख्य नगर मार्ग एवं नगर मार्ग	200.00	150.00	-	200.00	150.00	300.00
2.	बस स्टैण्ड	10.00	7.50	-	10.00	15.00	22.50
3.	रेलवे स्टेशन	15.00	11.25	-	15.00	30.00	41.25
	योग	225.00	168.75	-	225.00	195.00	363.75

गन्दी बस्ती सुधार :

1.	गन्दी बस्ती सुधार	30.00	22.50	-	30.00	120.00	142.50
2.	पर्यावरण सुधार	15.00	11.25	-	15.00	37.50	48.75
	योग	45.00	33.75	-	45.00	157.50	191.25

ह-	ओव्हर ब्रिज	5.00	3.75	-	5.00	150.00	153.75
----	-------------	------	------	---	------	--------	--------

ई-	नदी तटीय विकास	-	-	-	-	50.00	50.00
----	----------------	---	---	---	---	-------	-------

ज-	वृक्षारोपण	-	-	-	-	40.00	40.00
----	------------	---	---	---	---	-------	-------

क-	भवनों के लिए क्षतिपूर्ति	-	-	100.00	-	-	100.00
----	--------------------------	---	---	--------	---	---	--------

ल-	जलपूर्ति एवं मल निकास	10.00	7.50	-	10.00	2000.00	2007.50
----	-----------------------	-------	------	---	-------	---------	---------

म-	अतिरिक्त भूमि का अर्जन जो दूसरे चरण के प्रथम वर्ष में विकसित की जायेगी :	300.00	225.00	-	-	-	225.00
----	--	--------	--------	---	---	---	--------

महायोग-		1485.00	1113.75	100.00	1205.00	5581.50	6795.25
---------	--	---------	---------	--------	---------	---------	---------

विकास योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित विकास कार्यों की कुल लागत 68.0 करोड़ रुपये अनुमानित है। निम्नलिखित परिच्छेदों में कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु राजस्व प्राप्ति के उपाय दर्शाये गये हैं।

15.4 योजना कार्यान्वयन हेतु वित्तीय साधन :

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट योजनाओं हेतु अनुदान प्राप्त कर तथा सार्वजनिक सेवा सुविधायें हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों से अंशदान प्राप्त कर विकास हेतु वित्तीय साधन जुआये जा सकते हैं। विकास प्राधिकरण को ओव्हर ब्रिज रेलवे

स्टेशन आदि विकसित करने हेतु रेल विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा शासकीय कर, जन साधारण तथा विभिन्न संस्थाओं से ऋण के रूप में बीज पूंजी एकत्रित की जा सकेगी। प्रथम चरण के तृतीय वर्ष में विकसित भू-खण्डों के विक्रय से आय शुरू हो जायेगी, जबकि प्रथम चरण के दूसरे वर्ष में ही भू-खण्डों के विक्रय से कुछ अग्रिम राशि प्राप्त हो सकेगी। प्रथम चरण में विकसित भू-खण्डों के विक्रय से संबंधित अनुमानित आय निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है :-

सारणी - 15.2

कोरबा : विकास योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में आय

अ.क्र.	आय का स्रोत	विकास हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टर में)	शुद्ध विक्रय योग्य क्षेत्र (हेक्टर में)	विक्रय मूल्य की दर प्रति हेक्टर (लाख रु. में)	आय (लाख में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आवासीय भूखण्ड				
अ.	उच्च आय वर्ग	250	175	15	2625.00
ब.	निम्न आय वर्ग/ आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा समाज	150	130	10.00	1300.00
स.	वाणिज्यिक	118	60	25.00	1500.00
	योग	518	365	-	5425.00

औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि अर्जन एवं विकास का कार्य उद्योग विभाग द्वारा संपन्न किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा भूमि अर्जन व विकास पर 50 लाख का व्यय अनुमानित है। ये भू-खण्ड उद्योग विभाग द्वारा विकसित होने से उससे आय भी उद्योग विभाग को ही प्राप्त होगी।

वित्तीय विश्लेषण से यह पाया गया है कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 300.00 लाख बीज पूंजी से विकास योजन के प्रथम चरण के कार्यक्रम को पूर्ण करना संभव हो सकेगा। यह बीज पूंजी शासकीय ऋण संस्थागत ऋण या जनता से ऋण प्राप्त कर की जा सकेगी। बीज पूंजी पर सामान्य ब्याज संबंधित व्यय तथा निक्षेप निधि को जोड़कर कुल व्यय 4970 लाख अनुमानित है। इस पूंजी लागत से कुल 5257 लाख की आय अनुमानित है। सम्पूर्ण दायित्व वहन करने के पश्चात् 286.5 लाख की बचत अनुमानित है।

इससे यह स्पष्ट है कि विकास योजना के प्रस्ताव, विकास क्षमता एवं आर्थिक दृष्टि से परिपूर्ण है। विकास योजना के प्रथम चरण के कार्यान्वयन से न केवल वित्तीय चरण हेतु पूंजी उपलब्ध हो सकेगी, अपितु नगर के नियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए दिशा एवं गति भी प्राप्त हो सकेगी। प्रथम चरण विकास कार्यक्रम में धन प्रवाह के संबंध में जानकारी निम्न सारणी में प्रस्तुत है।

सारणी - 15.3

कोरबा : प्रथम चरण विकास कार्यक्रम धन प्रवाह

क्र.	विभिन्न मद	1987-88	88-89	89-90	90-91	91-92	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	शासन एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय	100.0	100.0	50.0	100.0	-	350.0
2.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा का योगदान -		25.0	25.0	250.0	8.0	308.0
3.	स्वास्थ्य शिक्षा विभागों से प्राप्त धन	20.0	25.0	25.0	50.0	50.0	170.0
4.	गन्दी वस्ती निवारण हेतु अनुदान	20.0	25.0	25.0	100.0	71.25	241.25
5.	लो.नि.वि. एवं रेल विभाग से योगदान	-	180.0	150.0	33.0	160.0	523.0
6.	भूखण्ड विक्रय तथा अग्रिम राशि से आय	-	20.0	45.0	1200.0	2400.0	3665.0
7.	ऋण के अलावा आय	40.0	275.0	270.0	1633.0	2689.25	4907.25
8.	ऋण सहित आय	140.0	375.0	320.0	1633.0	2689.25	5257.25
9.	विकास पर व्यय	-	250.0	175.0	1000.0	2000.0	4425.0
10.	अन्य संबंधित व्यय एवं ब्याज का भुगतान	-	2.0	15.0	25.0	40.0	82.0
11.	ऋण के वापसी हेतु निक्षेप निधि	-	-	-	-	350.0	350.0
12.	भू-अर्जन एवं क्षतिपूर्ति	120.0	100.0	100.0	300.0	493.75	1113.75

1	2	3	4	5	6	7	8
13. कुल व्यय		120.0	352.0	290.0	1325.0	2883.75	4970.75
14. अतिरिक्त बचत (+) उत्तरोत्तर		+ 20.0	+ 43.0	+ 73.0	+481.0	+286.0	+286.50

15.5 परिक्षेत्रिक नियमन :

इस अध्याय में दिये गये परिक्षेत्रिक नियम सम्पूर्ण नगर हेतु प्रभावशील होंगे। न्यूनतम विस्थापन की दृष्टि से वर्तमान भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों एवं अन्य निर्मित क्षेत्रों में अलग-अलग नियम प्रस्तावित हैं। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में नियम प्रस्तावित करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि विकास का न्यूनतम स्तर बने रहने के साथ-साथ वहाँ के स्थित नागरिकों को कोई अनुचित कठिनाइयों का अनुभव न हो। यहाँ दिये गये वर्तमान नियमन स्थूल रूप से दिये गये हैं। विस्तृत नियमन परिक्षेत्रिक परियोजना बनाते समय दिये जायेंगे। तब तक यहाँ दिये गये परिक्षेत्रिक नियमन प्रभावशील रहेंगे।

15.5-1 भूमि उपयोग के परिक्षेत्र :

निवेश क्षेत्र में समाविष्ट समस्त भूमि हेतु विकास योजना में विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र निर्धारित किये गये हैं। विकास योजना में जो भूमि आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक प्रयोजन हेतु निर्धारित की गई है। वह उसी प्रयोजन हेतु उपयोग में लाई जा सकेगी। वर्तमान उपयोग को विकास योजना में निर्धारित किये गये उपयोगों में तत्काल परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है। वर्तमान भूमि उपयोग जारी रह सकता है। लेकिन इस अध्याय में दिये गये निर्देशों तथा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकेगा। जैसे वर्तमान में कोई भूमि कृषि के अंतर्गत हो और उसका निर्धारित उपयोग वाणिज्यिक हो तो ऐसे भूमि उपयोग इस अध्याय में दिये गये निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित हो सकेगा।

विकास योजना में जो भूमि उपयोग असंबद्ध या असंगत माने गये हैं उन उपयोगों को अधिनियम की धारा 25 के अनुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।

विकास योजना में निर्धारित भावी भूमि उपयोग के अंतर्गत जो उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं, उन पर वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वह कृषि उपयोग में हो। विकास योजना में जो उपयोग निर्धारित किये गये हैं, वह केवल भविष्य के लिए है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. कृषि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग जारी रहेगा।
2. इस उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों हेतु परिवर्तन, विकास योजना में प्रावधानित उपयोग के अनुरूप होगा।
3. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में दिये गये प्रावधानों के अलावा कृषि भूमि का अन्य उपयोगों में परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
4. नगरीय सम्पत्ति, भूमि सीमा संबंधी भविष्य के अधिनियम में प्रावधान होने पर भी वर्तमान में जो भूमि कृषि उपयोग के अंतर्गत है वह उसी उपयोग के अंतर्गत रहेगी। तथा भूमि विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित उपयोग में परिवर्तन केवल नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने पर ही लाया जा सकेगा।

15.5-2 स्वीकार्य उपयोग :

वे उपयोग जो 7 प्रमुख परिक्षेत्रों के अंतर्गत स्वीकृत हैं तथा जो सक्षम अधिकांकरी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर स्वीकार्य हैं, वे नीचे प्रस्तुत हैं :-

कोरबा : स्वीकृत एवं स्वीकार्य भूमि उपयोग

भूमि उपयोग परिक्षेत्र	परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग	सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित स्वीकार्य उपयोग
1	2	3
आवासीय	निवास, छात्रावास, बोर्डिंग सीमित घनत्व सहित, नर्सरी शालाये, मंदिर-मस्जिद, चर्च एवं अन्य पूजा स्थल, क्लिनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थायें, आमोद-प्रमोद उपयोग, क्लब, सार्वजनिक उपयोग एवं सेवाएँ टेक्सी एवं स्कूटर स्टैण्ड।	व्यवसायिक कार्यालय जो एक ही परिसर में रिक्त हो, नर्सिंग होम, अस्पताल, औषधालय (छुआछूत के रोगों को छोड़कर) महाविद्यालय, शोध केन्द्र, अर्धशासकीय कार्यालय, मुर्गा पालन, बहुमंजिले भवनों में स्थित उद्योग, स्थानीय सेवा संबंधी दुकानें, आटा चक्की, पेट्रोल पंप, होटल, हल्के वाहनों हेतु सेवा केन्द्र, सिनेमा एवं संगठित बाजार केन्द्र।
वाणिज्यिक	फुटकर दुकानें, व्यापारिक एवं व्यावसायिक कार्यालय, सेवा संबंधी दुकानें जैसे- नाई, दर्जी, धोबी, एवं मरम्मत दुकानें रेस्टोरेण्ट, मनोरंजन स्थल जैसे- छबिगृह, नाट्यगृह, विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार मंडिया माल गोदाम जो बाधा उत्पन्न न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यावसायिक स्थापनायें।	पेट्रोल पंप एवं सेवा केन्द्र, कोयला, लकड़ियाँ, इमारती लकड़ी प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखानें, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालायें एवं सुधारक दुकानें, कृषि कार्य पर आधारित उद्योग जो मंडियों से संलग्न है, शीत गृह।
औद्योगिक (अ)	सामान्य उद्योग जैसे- भारी, मध्यम एवं हल्के उद्योग बहुखंडीय कारखाने जैसे- दाल व तेल मिल, डब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना इत्यादि। सेवा उद्योग जैसे- मरम्मत कर्मशालायें व सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधायें एवं सेवायें।	पेट्रोल पंप परिवहन कंपनी, कूड़ा करकट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार, गृह गोदाम, माल गोदाम एवं अग्नेषण अभिकरण।
(ब)	हानिकारक उद्योग जैसे- रासायनिक संयंत्र, चर्मकार्य, अस्थिमिल, मद्य निर्माण शाला, मल निस्सारण संयंत्र एवं अन्य सेवायें।	हानिकारक उद्योग के अनुपूरक उद्योग केवल आवश्यक कर्मचारियों के लिए आवास।
(स)	निष्कर्षण उद्योग जैसे- चूना भट्टी, ईट भट्टी, मुरम पत्थर, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना प्रसंगिक श्रमिकों के लिए आवास।	सेवा कर्मशालायें गोदाम व माल गोदाम।
सार्वजनिक व अर्द्धसार्वजनिक	केन्द्रीय राज्य शासन, अर्द्धसार्वजनिक एवं अन्य कार्यालय, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, पुस्तकालय, विचित्रालय, कलावीथिका शैक्षणिक संस्थायें, जैसे- विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विविध शिल्प कला मंदिर, तकनीकी संस्थायें, शोध प्रयोग शालायें, सामान्य व विशिष्ट चिकित्सालय, औषधि प्रयोग शालायें, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक सुविधायें व सेवायें।	पेट्रोल पम्प, वाहन विराम स्थल, दुकानें, अल्पाहार गृह आदि।

आमोद-प्रमोद	सभी आमोद-प्रमोद स्थल जैसे- उद्यान, क्रीड़ा स्थल, क्रीड़ांगण, तरुण पुष्कर, अन्य क्षेत्र जो आमोद-प्रमोद हेतु आबंटित है, जिसमें मेला स्थल व प्रदर्शनी स्थल भी सम्मिलित है।	पेट्रोल पम्प, अल्पाहार गृह, होटल, मोटल निवास गृह एवं मनोरंजन से संबंधित प्रासंगिक स्थल।
परिवहन	रेल स्टेशन, माल प्रांगण, मालगाड़ी प्रांगण, नगर बस अवसान केन्द्र, आगार, कर्मशाला, ट्रक स्टैण्ड, ट्रक अवसान केन्द्र, ड्राई पोर्ट, विमानतल, विमान पट्टिका।	अग्नेषण अभिकरण, माल गोदाम, शीत गृह, पेट्रोल पम्प, सेवा सहित मरम्मत, कर्मशाला, कल-पूजों की दुकान, अल्पाहार गृह, मोटल एवं होटल।
कृषि	ऐसे समस्त स्वीकार्य उपयोग जो कि कृषि की परिभाषा में मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत आते हैं।	कब्रस्तान, श्मशान, श्मशान भूमि, मल शोधन संयंत्र, खेती स्थल, ईट भट्टे, व चीनी पात्र निर्माण, पत्थर तोड़ने का कार्य, पत्थर खदान एवं अन्य निष्कर्षण उद्योग, माल गोदाम, गोदाम, शीत गृह।

स्पष्टीकरण टीप :

आवासीय क्षेत्र में होटल हेतु अनुज्ञा तभी दी जावेगी, जब कि उस संबंध में मानचित्र सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हो। पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन, संगठित बाजार केन्द्र, सिनेमा आदि भी आवासीय क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे। बशर्ते कि वे विस्तृत क्षेत्रीय अनुमोदित योजना के अनुरूप हो। वर्तमान भूमि उपयोग उसी सीमा तक परिवर्तित किया जा सकेगा जो कि आसपास के क्षेत्रों के अनुकूल हो। भविष्य में होने वाला विकास अनिवार्य रूप से निर्धारित भूमि उपयोग के अनुरूप ही होगा।

सामान्य अभिशंसार्थे :

यह सिफारिश की जाती है कि समस्त शासकीय भूमि जो नगर में वत्र-तत्र बिखरे रूप से खाली पड़ी हैं, किसी व्यक्ति विशेष को पट्टे पर न देते हुए कार्यान्वियन प्राधिकारी को उचित एवं बेहतर उपयोग हेतु सौंप देना चाहिए। ऐसा करने से वर्तमान में जो दोष नगर में है, उनको दूर किया जा सकेगा। तथा विभिन्न निहित स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर होने वाला अतिक्रमण रोका जा सकेगा। इससे बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरु करने हेतु आंशिक आधार भी प्राप्त हो सकेगा।

किसी विकास हेतु बशर्ते अनुज्ञा दे देना निषेध होगा।

अन्य उपाय निम्नानुसार प्रस्तावित है :

- 1- निर्धारित भूमि उपयोग में असंगतता होने की स्थिति को छोड़कर वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 2- भावी विकास निर्धारित भूमि उपयोग के अनुरूप ही होगा।
- 3- निवेश इकाई हेतु परिकल्पित योजना के प्रावधानों अनुसार आवासीय परिकेत्रों में वृत्त खण्ड स्तरीय एवं उच्च स्तरीय बाजार क्षेत्र प्रस्तावित किये जायेंगे।
- 4- जो भूमि आमोद-प्रमोद हेतु अथवा खुली भूमि के रूप में प्रस्तावित की गई है उस पर कृषि, पौध, उद्यान आदि यथावत रहने दिये जायेंगे, तब तक कि उस भूमि हेतु विशेष परियोजना नहीं बनाई जाती, तथा ऐसी भूमि का विशिष्ट आमोद-प्रमोद के लिए भू-अर्जन तथा विकास कार्यान्वियन नहीं हो जाता।

15.5-3 विकास हेतु अनुमति :

अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत विकास की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करना होगा :-

- 1- भूमि का विवरण(स्थिति मार्ग या मार्गों का नाम जिस पर वह भूमि या सम्पति स्थित हो)
- 2- खसरा मानचित्र (परिमाण 1:4000-1:3600 फीट) जिसमें सम्बंधित क्षेत्र के खसरा नम्बर तथा क्षेत्र की बाहरी सीमा से 200 मीटर तक के भूमि क्षेत्र के खसरा नम्बर दर्शाये गये हैं। (आवेदित भूमि लाल रंग से खसरा मानचित्र पर दर्शायी गई हो।)
- 3- स्थल मानचित्र जिसमें आवेदित भूमि (परिमाण 1: 1000) पहुँच मार्ग तथा उस भूमि के आसपास स्थित चिकित्सालय, पाठशाला, सिनेमा जैसे महत्वपूर्ण भवनों की स्थिती दर्शाई गई हो। और आसपास की भूमि का उपयोग भी दर्शाया गया हो।
- 4- सर्वे मानचित्र (परिमाण 1 इंच= 1000 फीट) में होगा। इस मानचित्र में संदर्भित , भूमि की सीमायें एवं भूमि की सीमा में आने वाले नाले, पोखरा, वृक्ष जैसी प्राकृतिक विशेषताएं तथा कण्टूर प्लान भी हो। यदि भूमि ऊबाड़-खाबड़ हो तो 200 मीटर तक के आसपास के क्षेत्र तक जाने वाली टेंशन लाईन, विद्यमान मार्ग, उसकी कुल चौड़ाई तथा उसका विवरण, बिजली तथा टेलीफोन के खम्भों की स्थित एवं इसी प्रकार अन्य तथा जिसका प्रश्नाधीन क्षेत्र के साथ-साथ समन्वय आवश्यक हो, आदि बातें दर्शाई जानी चाहिए।
- 5- संदर्भित संक्षिप्त प्रतिवेदन तथा मॉडल भी प्रस्तुत करना चाहिए।
- 6- मानचित्र में सेवाओं तथा सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे जल वितरण, जल निकास, विद्युत प्रदाय आदि। यदि सेप्टिक टैंक बनाया जाना हों तो मल युक्त पानी का निकास किस प्रकार होगा यह बात भी दर्शाई जानी चाहिए।
- 7- वास्तुकला सम्बन्धी अन्य विस्तृत जानकारी जो कि प्रस्तावों के उचित एवं सूक्ष्म परीक्षण हेतु आवश्यक हो।
- 8- आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक उपयोगो सम्बंधित विकास दर्शाने वाली एक टिप्पणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

15.5-4 आवासीय भूखण्डों का विकास :

नगर के बस्ती क्षेत्र तथा नये प्रस्तावित क्षेत्रों हेतु भूखण्डों का न्यूनतम आकार निर्धारित करना सम्भव नहीं है। तथापि स्वस्थ प्रद जीवन निर्वाह हेतु घनत्व तथा लोक स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखकर कुल क्षेत्र के अनुपात में निर्मित क्षेत्र निर्धारित करना उपयुक्त होगा। इस बात को ध्यान में रखकर दोनों क्षेत्रों हेतु अलग-अलग परिक्षेत्र नियम प्रस्तावित है।

1- निर्मित क्षेत्र :

घनी आवादी वाले आवासीय क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकेगी :-

सारणी 15.5

कोरबा : आवासीय विकास हेतु भू खण्डों का आकार एवं निर्मित क्षेत्र (वर्तमान क्षेत्र)

क्र.	भूखण्ड का आकार	निर्मित क्षेत्र (अधिकतम)	फर्शाक्षेत्र अनुपात
1	2	3	4
1-	50 वर्ग मीटर से कम	75 प्रतिशत	1.5
2-	51 से 100 वर्ग मीटर	50 प्रतिशत, इसके अलावा 50 वर्ग मीटर से अधिक वाले क्षेत्र का 50 प्रतिशत क्षेत्र अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा।	1.5
3-	101 से 200 वर्ग मीटर	65 वर्ग मीटर, इसके अलावा 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र का 65 प्रतिशत क्षेत्र अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा।	1.5
4-	201 से 500 वर्ग मीटर	120 वर्ग मीटर, इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र का 60 प्रतिशत अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया जा सकेगा।	1.5
5-	501 मीटर से अधिक	50 प्रतिशत	1.5

2- **मार्गों की चौड़ाई :**

मार्गों की चौड़ाई निम्न लिखित मापदण्डों के अनुसार निर्धारित होगी 1.5 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग गली कहलायेंगे
सारणी 15.6

कोरबा : घने आबादी वाले क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई

अ.क्र.	मार्गों की लम्बाई	न्यूनतम चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1-	200 मीटर तक	6
2-	201 से 500 मीटर	-
3-	501 से 1000 मीटर	8
4-	1000 मीटर से अधिक	10

यदि किसी मार्ग की वर्तमान चौड़ाई न्यूनतम से अधिक हो तो वह चौड़ाई कायम रखी जायेगी।

3- **सार्वजनिक गलियों की चौड़ाई :**

वर्तमान निर्मित क्षेत्र में सार्वजनिक गलियों की चौड़ाई को ध्यान में लेकर निर्माण हेतु स्वीकृत की जा सकेगी :
सारणी 15.7

कोरबा : निर्मित क्षेत्र में गलियों हेतु निर्धारित चौड़ाई

अ.क्र.	गलियों की लम्बाई	न्यूनतम प्रावधानित चौड़ाई (मीटर में)
1	2	3
1-	30 मीटर से कम	1.5
2-	31 मीटर से 50 मीटर	2.5
3-	51 से 100 मीटर	3.0
4-	100 मीटर से अधिक	4.0

4- **खाली भूमि का विकास :**

मार्ग चौड़ाई का प्रावधान रखते हुये वर्तमान निर्मित क्षेत्र में छोटी खुली भूमि का उप विभाजन निम्नानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा।

सारणी 15.8

कोरबा : वर्तमान में निर्मित क्षेत्र में रिक्त भूमि के विकास के लिए मार्ग चौड़ाई

क्रमांक	खुली भूमि का क्षेत्र	मार्ग हेतु न्यूनतम रूप से प्रस्तावित चौड़ाई
1	2	3
1-	0.3 हेक्टर से कम	6 मीटर
2-	0.3 से 0.6 हेक्टर	7 मीटर
3-	0.6 से 0.8 हेक्टर	8 मीटर
4-	0.8 से अधिक	10 मीटर

जो भूखण्ड सड़क के साथ स्थित होगा, तथा जिसकी चौड़ाई उपरोक्त निर्देशित चौड़ाई से कम होगी उस प्रकार के बाउण्ड्री भूखण्ड हेतु सेट बैक इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि नये भूखण्ड की सीमा एवं सड़क के मध्य बिन्दु का अन्तर प्रस्तावित मार्ग के चौड़ाई के आधे से कम न हो।

5- **भवन की ऊँचाई :**

किसी भवन की ऊँचाई जिस मार्ग पर वह स्थित है, उस मार्ग की चौड़ाई तथा उसके सामने स्थित खुले स्थान से जोड़कर कुल चौड़ाई के डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

15.6 प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु नियमन :

परिक्षेत्रिक नियमन का प्रकाशन होने तक आवासीय उपयोग हेतु भूमि के विभाजन के सम्बंध में निम्नलिखित मानक प्रयोग में लाये जायेंगे। इस परिक्षेत्रिक नियमन प्रकाशित हो जाने के पश्चात उन नियमों के अनुसार कार्य सम्पन्न होगा।

1- भूखण्ड का आकार :

भूखण्ड का न्यूनतम आकर 75 वर्ग मीटर होगा। तथापि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु 48 वर्ग मी. के भूखण्डों हेतु भी अनुमति दी जा सकेगी। भूखण्ड का अधिकतम क्षेत्र 900 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। निम्नलिखित सारणी में निर्मित प्रतिशत क्षेत्र निर्माण का प्रकार एवं सीमान्त खुले स्थान के सम्बंध में नियमन प्रस्तुत है :

सारणी : 15.9

कोरबा : आवासीय उपयोग हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र तथा सेट बैक

अ. क्र.	आवासीय भूखण्ड का आकार मीटर में	क्षेत्र वर्ग मी.	प्रतिशत निर्मित क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	सीमान्त खुले स्थान (मीटर में)		
					सामने	बाजू में	पीछे
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4 X 12	48	60	पंक्ति	3.0	-	1.5
2.	6 X 12	72	60	पंक्ति	3.0	-	1.5
3.	6 X 15	90	60	पंक्ति	3.0	-	1.5
4.	9 X 15	135	50	पंक्ति	3.0	-	1.5
5.	9 X 18	162	50	अर्द्धपृथकृत	3.0	2.0	1.5
6.	12 X 18	216	50	अर्द्धपृथकृत	3.5	2.5	2.0
7.	12 X 21	252	50	पृथकृत	3.5	2.0	2.0
8.	15 X 24	360	40	पृथकृत	6.0 3.5	2.5	2.5
9.	15 X 27	405	40	पृथकृत	6.0 3.0	2.5	2.5
10.	18 X 27	486	40	पृथकृत	6.0 3.0	2.5	2.5
11.	19 X 30	540	35	पृथकृत	7.5 3.5	2.5	2.5
12.	21 X 36	756	35	पृथकृत	7.5 3.0	2.5	2.5
13.	24 X 36	864	35	पृथकृत	7.5 3.5	2.5	2.5
14.	25 X 36	900	35	पृथकृत	7.5 3.5	2.5	2.5

अनियमित आकार के भूखण्डों हेतु औसत चौड़ाई व गहराई द्वारा सेट बैक नियंत्रित होंगे। इस प्रकार के अनियमित भूखण्डों हेतु सेट बैक, उसी आकार के नियमित भूखण्डों हेतु निर्धारित सेट बैक अनुसार होगा।

कोने के भूखण्डों हेतु निर्धारित सेट बैक उस प्रकार होगा जिस सड़क पर वह भूखण्ड स्थित है। राष्ट्रीय मार्ग एवं प्रमुख परिवहन मार्ग जिनकी चौड़ाई 60 मीटर से कम न हो वहाँ कम से कम 6 मीटर सेट बैक रखा जायेगा।

2- फर्शीक्षेत्र का अनुपात :

विभिन्न इकाईयों में स्थित भूखण्डों हेतु निर्मित क्षेत्र उन क्षेत्रों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार होगा, तथा फर्शी क्षेत्र अलुपात का निर्धारित उस क्षेत्र हेतु निर्धारित आवासीय धनत्व के अनुरूप किया जायेगा। विभिन्न आवासीय धनत्व हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात

कोरबा : आवासीय क्षेत्र हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात

अ.क्र.	आवास इकाई एवं घनत्व श्रेणी (प्रति हेक्टर में)	फर्शी क्षेत्र अनुपात
1	2	3
1-	निम्न (10 से 25 आवास इकाईयां)	0.75
2-	मध्यम (26 से 50 आवास इकाईयां)	1.00
3-	मध्यम उच्च (50 से 75 आवास इकाईयां)	1.50
4-	उच्च (75 से अधिक आवास इकाईयां)	1.75

टीप :- भू-खण्ड के कुल क्षेत्र का 60% तक का क्षेत्र भू-तल पर स्थित फर्शी क्षेत्र अनुपात की गणना हेतु सम्मिलित रहेगा।

3- खुले स्थान :

विकास हेतु प्रस्तावित भूमिका 8 से 10 प्रतिशत भाग खुली भूमि के रूप में उद्यान, बाल उद्यान आदि के लिये छोड़ा जाना चाहिए।

4- विद्यालय :

प्रत्येक 300 से 400 आवासीय भूखण्ड हेतु प्राथमिक शाला स्थान के लिए 1/2 हेक्टर क्षेत्र प्रावधानित किया जायेगा, यदि कोई विकसित होने वाला क्षेत्र उतनी बड़ी न हो जो जहाँ वहाँ स्कूल के लिए प्रावधान आवश्यक न हो तो उस दशा में स्कूल हेतु अनुपातिक क्षेत्र प्रावधानित किया जावे। यह अनुपातिक क्षेत्र उस प्रकार प्रावधानिक किया जायेगा कि आसपास स्थित अन्य आवासीय क्षेत्रों से शाला हेतु स्थान प्राप्त कर पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके।

5- मार्ग की चौड़ाई :

मार्ग हेतु निम्नानुसार चौड़ाई प्रस्तावित है, यदि विकास योजना में प्रस्तावित तृतीय मार्ग मुख्य मार्ग या खण्ड स्तरीय मार्ग प्रस्तावित क्षेत्र में आता है, तो उस प्रकार के मार्ग हेतु मार्गाधिकार के रूप में जो चौड़ाई निर्धारित की है, वह उस क्षेत्र अभिविन्यास बनाते समय प्रावधानित की जावेगी।

आवासीय क्षेत्र में मार्ग की चौड़ाई निम्नानुसार रहेगी

1-	उप खण्ड मार्ग	20 मीटर
2-	संग्रहण मार्ग	16 मीटर
3-	स्थानीय मार्ग	9 से 12 मीटर
4-	खुले स्थानों का पार्श्व वाला चाप मार्ग	8 मीटर
5-	एक ओर बन्द गली	7 से 8 मीटर
6-	पादचारी मार्ग	4 से 5 मीटर
7-	सायकल मार्ग	6 से 8 मीटर
8-	फुटपाथ मार्ग	3 से 5 मीटर

टीप :- खुले स्थानों के बगल मार्गों के अधिकतम लम्बाई 500 मीटर से अधिक नहीं होगी। एक ओर बन्द गली की लम्बाई 140 मीटर से अधिक नहीं होगी।

6 - दुकानें :

सम्पूर्ण क्षेत्र का एक प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय दुकानें हेतु प्रावधानित किया जायेगा।

7- समूह आवास :

सामान्यतया सड़कों एवं भूखण्डों के उप विभाजन के रूप में समूह आवास को मान्यता नहीं दी जावेगी। समूह आवास हेतु अभिन्यास बनाते समय स्थान परिवारों को सामाजिक आर्थिक आवश्यकतायें आदि बातों का रूपांकन किया जावेगा।

निम्न शर्तों के अधीन समूह आवास हेतु स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

- (अ) बहु मंजिलें फ्लैटों हेतु पहुँच मार्ग पद-पथ एवं पाद मार्ग द्वारा उपलब्ध की जावेगी
- (ब) समूह आवास एवं बहुमंजिलें भवनों हेतु प्रस्तावित भूखण्ड की चौड़ाई 30 मीटर से कम नहीं होगी।
- (स) समूह भवन एवं बहुमंजिलें भवनों की ऊँचाई किसी भी दशा में 20 मी. से अधिक नहीं होगी।
- (द) समूह आवास के खड़े ब्लाक तथा बहुमंजिलों भवनों में जो भी ब्लाक अधिक ऊँचा हो, उस ऊँचाई से कम से कम आधे से कम ऊँचाई का दो भवनों में अन्तर रहेगा।
- (ई) समूह आवास में पार्किंग एवं सेवा सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान किया जायेगा।
- (फ) चार मंजिलों से ऊँचें भवनों हेतु लिफ्ट तथा उपयुक्त सीढ़ियों की व्यवस्था करनी होगी।
- (छ) उस प्रकार के भवनों हेतु निम्नानुसार सेट बैक देना आवश्यक होगा।

- 1- सामने से भवनों की ऊँचाई का आधा (1/2)
- 2- बाजु से भवनों की ऊँचाई का 1/4 या 4.5 मीटर
- 3- पीछे से भवनों की ऊँचाई का जो भी अधिक हो 1/4 या 4.5 मी.

8- समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों हेतु आवासीय क्षेत्र :

इन वर्गों हेतु प्रावधानित भूखण्डों का न्युनतम आकार 45 वर्ग मीटर एवं अधिकतम आकार 80 वर्गमीटर रहेगा। इन भूखण्डों में सुख सुविधाओं हेतु 2 से 4 प्रतिशत तथा खुले स्थान के रूप में 4 से 6 प्रतिशत क्षेत्र अनिवार्य रूप से प्रावधानित किया जावेगा। भूखण्डों के अन्तर्गत 55 से 60 प्रतिशत क्षेत्र प्रावधानित किया जावेगा।

इन बस्तियों में मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार रहेगी :

मार्गों की लम्बाई निर्धारित	चौड़ाई
100 मीटर तक	5मीटर
101 से 200 मीटर तक	6 मीटर
201 से 500 मीटर तक	8 मीटर
500 मीटर से अधिक	10 मीटर

9- सीमान्त स्थानों में स्वीकार्य उपयोग :

सेट बैक वाला क्षेत्र केवल आसमान से आच्छादित रहेगा। गैरेज का निर्माण या सेट बैक वाले क्षेत्र पर प्रक्षेपण निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत हो सकेगा।

- (अ) भू-खण्ड के क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक वाला गैरेज का फर्शी क्षेत्र निर्मित क्षेत्र में गिना जावेगा।
- (ब) निर्माणधीन गैरेज की निर्मिती बाजु वाले सीमान्त स्थान में की जावेगी।
- (स) गैरेज की ऊँचाई मुख्य भवन के भू-तल की ऊँचाई से अधिक न होगी।
- (द) सीमान्त क्षेत्र में ढाई मीटर चौड़ाई व 4.5 मीटर वाला प्रासमंडप (केन्टीलीवर पोर्टीको) हेतु अनुमति दी जा सकेगी।
- (द) कमाना, हवा, पानी से बचाव हेतु शोड का निर्माण या छज्जे का निर्माण किसी भी दशा में 0.8 से अधिक चौड़ाई का नहीं होगा।

10- चौहद्दी दीवार की ऊँचाई -

सामान्यतया सामने वाली चौहद्दी दीवार डेढ़ मीटर से अधिक ऊँची नहीं होगी, जबकि पीछे वाली चौहद्दी दीवार 3 मीटर ऊँचाई तक निर्मित की जा सकेगी। कोने में स्थित भूखण्डों की बाजु वाला दीवार जो मार्ग के बाजु में स्थित हो, की ऊँचाई डेढ़ मीटर से अधिक नहीं होगी।

15.7 वर्तमान अनाधिकृत कालोनियों हेतु नियमन :

जिन अभिन्यासों को अधिकृत अधिकारी का अनुमोदन न मिला हो, उसे अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना

होगा। इस प्रकार के अनाधीकृत कालोनियों के निम्न शर्तों के अधीन निर्मित किया जा सकेगा।

(अ) यदि सड़क पर स्थित भूखण्ड के 70 प्रतिशत हिस्से पर भवन निर्मित की गई हो तो उसी मार्ग पर स्थित दूसरे भूखण्ड हेतु पूर्व के मापदण्डों के अनुसार निर्मित क्षेत्र की अनुमति दी जावेगी। अभिन्यास में उपलब्ध शेष भूमि का उपयोग में अभिन्यास को पुनरीक्षित कर निम्नलिखित मापदण्ड प्राप्त करने हेतु विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार किया जा सकेगा।

- 1- मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 7 मीटर रखी जावेगी।
 - 2- सम्पूर्ण क्षेत्र का 3 से 5 प्रतिशत क्षेत्र खुले स्थान के रूप में रखा जावेगा।
 - 3- सम्पूर्ण क्षेत्र का कम से कम उसे 5 प्रतिशत तक क्षेत्र सुख सुविधाओं हेतु प्रावधानित किया जावेगा।
 - 4- नये आवासीय क्षेत्र में विकास हेतु प्रावधानित निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात प्राप्त करने का प्रयास किया जावेगा।
- (व) भूखण्ड के स्वामी कालोनाईजर द्वारा विकास शुल्क देय होगा।
- (स) अभिन्यासों को नियमित करने के पश्चात् एवं कालोनी के विकास का 5 प्रतिशत विकास कार्य सम्पन्न होने पर ही भवन निर्माण हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

15.7-1 अर्द्ध विकसित अनुमोदित कालोनियाँ :

इस प्रकार की कालोनियों का पुनर्विचार निम्न शर्तों के अधीन नियमित किया जा सकेगा।

(अ) यदि किसी मार्ग पर स्थित जमीन के 70 प्रतिशत भूखण्डों में मकान निर्मित हो चुके हों तो उसी मार्ग पर स्थित बचे हुए भूखण्डों के विकास हेतु अनुमति दी जा सकेगी। उस मार्ग पर स्थित शेष स्थान का उपयोग निम्नलिखित मापदण्ड प्राप्त करने हेतु अभिन्यास की पुनरीक्षित कर किया जा सकेगा।

- 1- न्यूनतम रूप से कुल क्षेत्र का 6 से 8 प्रतिशत क्षेत्र खुले स्थान के रूप में रखा जावेगा।
- 2- कुल क्षेत्र का न्यूनतम रूप से 5 प्रतिशत क्षेत्र सेवा सुविधाओं हेतु प्रावधानित किया जावेगा।
- 3- नये आवासीय विकास हेतु निर्धारित निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात के मापदण्डों का पालन किया जावेगा।

(व) भूखण्ड के स्वामी या कालोनाईजर द्वारा विकास शुल्क देय होगा।

(स) अभिन्यास को नियमित करने एवं कालोनी का 50 प्रतिशत विकास कार्य पूर्ण होने पर ही भवन निर्माण हेतु अनुमति दी जा सकेगी।

15.8 पार्किंग के स्थान :

पार्किंग की इकाई के रूप में सड़क के किनारे पार्किंग हेतु उपयुक्त स्थानों पर स्थान प्रावधानित करने होंगे। पार्किंग के स्थानों हेतु निम्नानुसार मापदण्ड होंगे :

1- प्रति कार	29 वर्ग मीटर
2- दो स्कुटर साइकिलों हेतु	6 वर्ग मीटर
3- पाँच साइकिलों हेतु	7 वर्ग मीटर
प्रति इकाई पार्किंग स्थान	42 वर्ग मीटर

100 वर्ग मीटर तक के आकार के भूखण्डों हेतु पार्किंग का स्थान प्रावधानित करने हेतु आग्रह नहीं रखा जावेगा। अन्य स्थानों पर एक इकाई का पार्किंग स्थान प्रावधानित करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड रखे गये :

सारणी 15.11
कोरबा : पार्किंग क्षेत्र

अ.क्र.	गतिविधि का विवरण	पार्किंग की एक इकाई के स्थान हेतु मापदण्ड
1	2	3
1-	समूह आवास	प्रति 20 आवास इकाई हेतु
2-	आवासीय	प्रति 200 वर्ग मीटर फर्शी हेतु
3-	बाजार	प्रति 100 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्र
4-	होटल	प्रति 6 कमरों हेतु
5-	शिक्षा संस्थान	कार्यालय क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर हेतु
6-	स्वास्थ्य	प्रति 20 पलंगों हेतु
7-	सभा भवन	प्रति 30 कुर्सियों हेतु
8-	शासकीय कार्यालय	प्रति 100 वर्ग मीटर हेतु
9-	औद्योगिक	प्रति 200 वर्ग मीटर हेतु
10-	माल गोदाम क्षेत्र	प्रति 150 वर्ग मीटर हेतु

15.9 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्मित क्षेत्र एवं फर्शी क्षेत्रफल अनुपात जो विकास योजना में प्रस्तावित है, परन्तु जिसका वर्णन पूर्व में अन्य स्थान पर न किया गया है, के लिए निम्नानुसार रहेगा :

सारणी 15.12

कोरबा : सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगों हेतु नियमन

अ.क्र.	वर्णन	निर्मित क्षेत्र	फर्शी क्षेत्रफल अनुपात
1	2	3	4
1-	महाविद्यालय	30%	1.00
2-	उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय	30%	1.00
3-	प्राथमिक पाठशाला	40%	1.00
4-	नर्सरी स्कूल	40%	1.00
5-	चिकित्सालय	40%	1.50
6-	स्वास्थ्य केन्द्र	40%	1.00
7-	पुलिस स्टेशन	30%	1.00
8-	अग्नि शामक केन्द्र	30%	1.00
9-	कम्युनिटी हाल एवं लाइब्रेरी	30%	1.50
10-	धार्मिक भवन	30%	1.00
11-	शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालय	25%	2.00

नोट :- कार गैरेज एवं साईकिल स्टैण्ड हेतु 50 प्रतिशत अतिरिक्त 5% निर्मित क्षेत्र स्वीकृत किया जा सकेगा

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, बिलासपुर म.प्र.

सूचना

मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्र कोरबा में की भूमि उपयोग सम्बंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं। इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है। जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

कोरबा विशेष क्षेत्र की सीमायें

- उत्तर : ग्राम दोन्दरो, रोगबहरी, जामबहार, रुमगरा, जेल, स्याहीमुड़ी, गोपालपुर, बरेड़ीमुरा तथा ग्राम डुमरमुड़ा के उत्तरी सीमा तक तक।
- पश्चिम : ग्राम गजरा, मोंगरा, पुरैना, मडवाढोंडा तथा कोसमुंडा के पश्चिम सीमा तक।
- दक्षिण : ग्राम कोसमुंडा, नरईबोद, गेवरा, चुरैल, रिसदी, पाली, पड़निया, खैरभौना, सोनपुरी, बरवसपुर तथा ग्राम कुरुडीह के दक्षिण सीमा तक।
- पूर्व : ग्राम कुरुडीह, पंडरीपानी, नकटीखार, भुलसीडीह, डुमरडीह, केसला तथा ग्राम दोन्दरो के पूर्वी सीमा तक।

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 9 अगस्त से 10 सितम्बर तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा।

पी.व्ही देशपांडे
उप संचालक
नगर एवं ग्रामीण नियोजन
बिलासपुर (म. प्र.)

निरीक्षण स्थल :-

कार्यालय सहायक संचालक
नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन
रानी महल के पास कोरबा।

मध्य प्रदेश शासन
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 7 जून 1973

क्रमांक ए - 11-6 - तैतीस

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोकहित में यह समीचीत है कि कोरबा को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाय।

अतएव मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा उक्त कोरबा की एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करती है जो "कोरबा विशेष क्षेत्र" के नाम से जाना जायेगा और उसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में निर्धारित किये गये अनुसार होगी।

अनुसूची

कोरबा विशेष क्षेत्र की सीमायें

- उत्तर : ग्राम दोन्द्रो, रोगबहरी, जामबहार, रुमगरा, जेल, स्याहीमुड़ा, गोपालपुर, बरेडीमुड़ा तथा ग्राम डुमरमुड़ा के उत्तरी सीमा तक।
- पश्चिम : ग्राम गजरा, मोंगरा, पुरैना, मड़वाढोंडा तथा ग्राम कोसमुंदा के पश्चिम सीमा तक।
- दक्षिण : ग्राम कोसमुंदा, नरईबोध, गेवरा, चुरैल, रिसदी, पाली, पड़नियाँ, खैरभौना, सोनपुरी, बरबसपुर तथा कुरुडीह के दक्षिणी सीमा तक।
- पूर्व : ग्राम कुरुडीह, पंडरीपानी, नवटीखार, भुलसीडीह, डुमरडीह, केसला तथा ग्राम दोन्द्रों के पूर्वी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

एम.एन.बूच
विशेष सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

ए - 11 - 6 - तैतीस

भोपाल दिनांक 7 जून 1973

प्रतिलिपि :-

- 1- कलेक्टर बिलासपुर
- 2- कमिश्नर बिलासपुर
- 3- अपर संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन मध्यप्रदेश भोपाल को उनके ज्ञाप क्रमांक 3108 / टी.पी. दिनांक 17.3.73 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, म.प्र. भोपाल को म.प्र. राजपत्र भाग - 2 में प्रकाशनार्थ।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

सूचना

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 1991

क्र. एफ-16(7) 87-बत्तीस-1-चूँकि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरवा द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 68 की उपधारा (1) सहपाठ त धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन कोरवा विशेष क्षेत्र की विकास योजना का प्रारूप प्रकाशित किया है।

तथा राज्य शासन ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरवा द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन राज्य शासन को प्रस्तुत कोरवा विकास योजना (प्रारूप) पर समुचित विचार किया है।

एतद् द्वारा राज्य सरकार ने कोरवा विशेष क्षेत्र की विकास योजना को उक्त अधिनियम, की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन निम्नलिखित उपान्तरणों के साथ अनुमोदित किया है। अब राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन नीचे दिये गये उपान्तरणों पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के तिथि से तीस दिन की कालावधि के भीतर उक्त उपान्तरणों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करती है।

उपान्तरणों का विवरण

अनु.क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योजना में दर्शाया भूमि उपयोग	संशोधित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रुमगरा	483.40	रिक्त	कृषि
2.	जामबहार	16.00	रिक्त	कृषि
3.	झगरहा	82.00	रिक्त	कृषि
4.	रापाखेड़ी	140.00	रिक्त	कृषि
5.	भिलाई-खुर्द	1010.00	रिक्त	कृषि
6.	विश्रामपुर	563.00	रिक्त	कृषि
7.	धारपारा	102.40	वृक्षारोपण	एश पॉन्ड
8.	दुरपा	180.00	अवर्गीकृत	एश पॉन्ड
9.	दुरपा	172.00	अवर्गीकृत	एश पॉन्ड
10.	कोरवा ए.	7.28	रिक्त	आवासीय
	बी.	12.00	रिक्त	आवासीय
	सी.	4.10	रिक्त	आवासीय
11.	कोरवा	22.38	आवासीय	वृक्षारोपण
12.	नागोईखार	2.25	औद्योगिक	वाणिज्यिक
13.	सुमेधा	23.00	आवासीय	आवासीकरण प्लाट
14.	रुमगरा	40.79	रिक्त	शैक्षणिक

उक्त उपान्तरणों सहित विकास योजना के ब्योरे उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश कोरवा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरवा के कार्यालयीन समय में कार्यकारी दिवस में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपसचिव

परिशिष्ट

मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 96/परिशिष्ट दिनांक 9.3.92 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 1992

क्र.एफ-16(7)-87-बत्तीस 1. चूंकि राज्य शासन ने विशेष क्षेत्र कोरबा के लिये तैयार की गई प्रारूप विकास योजना पर सावधानी पूर्वक विचार किया है, तथा राज्य शासन ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23, 1973) की धारा 68 की उपधारा (1) एवं धारा 69 की उपधारा (ख) सहपाठ त धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कोरबा द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार कर कुछ उपांतरणों के साथ उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना क्र. एफ(16)7-87-बत्तीस-1 दिनांक 24 अक्टूबर 1991 द्वारा उक्त सूचना के 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे उपांतरणों के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये थे।

और चूंकि राज्य शासन को उक्त उपांतरणों पर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा उक्त सूचना में उल्लेखित समस्त उपांतरणों की पुष्टि की जाती है और कोरबा विशेष क्षेत्र की विकास योजना अनुमोदित की जाती है।

राज्य शासन आगे उक्त अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत आदेश देता है कि इस अधिसूचना की प्रति 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशित की जाये तथा यह भी कि अधिसूचना की एक प्रति अनुमोदित विकास योजना के साथ आम सूचना के रूप में निम्नलिखित स्थानों पर रखी जावे :

1. कार्यालय, आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
2. कार्यालय, जिलाध्यक्ष, जिला बिलासपुर
3. कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा
4. कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कोरबा

उक्त विकास योजना, इस अधिसूचना के 'मध्यप्रदेश राजपत्र' में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डॉ. एस. राय,
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

आदेश

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

क्रमांक एफ-3-130-32-97, - राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनाएं अनुमोदित हैं कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षक के लिये निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति का गठन करता है :

- | | |
|---|------------|
| 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर | अध्यक्ष |
| 2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| 3. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 4. संबंधित आयुक्त, नगरपालिक निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका | सदस्य |
| 5. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 7. मध्यप्रदेश बिद्युत मंडल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री | सदस्य |
| 8. (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित हैं) | सदस्य सचिव |
| (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं हैं) | सदस्य सचिव |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
हस्ता. / -
(जी.व्ही.उपाध्याय)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

**संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
मध्यप्रदेश भोपाल**

क्रमांक 2876/नगानि/वि.यो./98

भोपाल, दिनांक 15 मई, 98

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर निगम / नगर पालिका

विषय: विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रुपरेखा।

मध्यप्रदेश शासन, के आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3/130/32/97 दिनांक 20.1.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई "नियोजन एवं पर्यवेक्षण" समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रुपरेखा निम्नानुसार है:

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों से क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी।
 - (अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास
 - (ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास
 - (स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों का विकास
 - (द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास
2. समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी।
 - (अ) कार्यक्रम का चयन
 - (ब) परियोजना तैयारीकरण
 - (स) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था
 - (द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप बांछित सुधार
3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशासित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे। समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोहन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा।

हस्ता./
(के.के.सिंह)
संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
 आदेशानुसार,
 हस्ता./-
 उपसचिव
 मध्य प्रदेश शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाते हैं :-

“निर्वाचन एवं पर्यवेक्षण समिति” में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है -
 क्र. एक-3-130-32-97, दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित
 क्रमांक एक-3-55-32-98, - राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं
 को लागू करने के लिए संबंधित नगरपालिका/कलेक्टर एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल, 1998

संशोधन
 मंत्रालय
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मध्य प्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

संसोधन

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ-3-55-32-98, - राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3-130-32-97, दिनांक 20 जनवरी, 1998 द्वारा संभागायुक्त/कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है -

(1) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाते हैं :-

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र
2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण
3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत
4. महापौर, संबंधित नगरपालिका निगम
5. अध्यक्ष, संबंधित नगरपालिका
6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,
हस्ता./-
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग